

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (*क्र. 2199) श्री इंद्र साव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा में कितने शासकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल संचालित हैं, जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश "क" अंतर्गत संचालित कितने पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना एवं शासन की अन्य योजनाओं के तहत मरीजों का ईलाज हो रहा है ? (ग) क्या प्रश्नांश "क" के इन निजी अस्पतालों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मरीजों को किन-किन बीमारियों के ईलाज हेतु, कितनी राशि शासन द्वारा दी जाती है, की जानकारी अस्पतालों में सूचना पटल पर लगाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्या लगाई जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिले में कुल 207 शासकीय चिकित्सालय तथा कुल 30 मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संचालित है। (ख) 13 पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों का ईलाज हो रहा है। (ग) निजी अस्पतालों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मरीजों के बीमारियों के ईलाज हेतु पैकेज राशि की जानकारी अस्पतालों में सूचना पटल पर लगाने हेतु निर्देश जारी नहीं किए गए हैं एवं प्रावधानित नहीं है। उक्त सूची में 2404 से अधिक पैकेज के नाम व राशि की जानकारी होती है। जी नहीं। सूचना पटल पर लगाया जाना प्रावधानित है।

देवभोग विकासखण्ड के स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. (*क्र. 1862) श्री जनक ध्रुव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- गरियाबंद जिले के विकासखण्ड देवभोग में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप की पृथक-पृथक केंद्रवार जानकारी दें । यदि स्वीकृत सेटअप अनुसार पद रिक्त हैं, तो इन स्वीकृत पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : गरियाबंद जिले के विकासखण्ड देवभोग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - निरंक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र 22 संचालित है। स्वीकृत सेटअप संलग्न प्रपत्र अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय से सम्बंधित विषय

[चिकित्सा शिक्षा]

3. (*क्र. 2003) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ सह चिकित्सीय परिषद द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालय को पहली बार कब मान्यता देना प्रारंभ किया गया ? प्रारंभ दिनांक से आज तक कितने निजी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए, कृपया जानकारी देवें ? **(ख)** प्रत्येक निजी चिकित्सा महाविद्यालय को वर्षवार कितनी सीटें और पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गए, कृपया जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क)** छत्तीसगढ़ सह चिकित्सीय परिषद द्वारा शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, अपितु प्रवेश हेतु अनुमति, मान्यता प्रदान करने इत्यादि कार्य राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा की जाती है। प्रदेश में प्रारंभ दिनांक से आज तक 03 निजी चिकित्सा महाविद्यालय जिनमें, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भिलाई, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मोवा, रायपुर व रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर खोले गए। **(ख)** प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की वर्षवार सीटों, व पाठ्यक्रमवार स्वीकृत की **जानकारी प्रपत्र में संलग्न है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दो" \]](#)

बालोद जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

4. (*क्र. 1516) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य एवं राशि स्वीकृत की गई है, जानकारी देवें ? **(ख)** स्वीकृत कार्यों के निविदा प्रक्रिया हेतु नियम-शर्तें क्या थीं एवं स्वीकृत कार्य के विरुद्ध कितने कार्य पूर्ण एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा क्यों ? **(ग)** स्वीकृत कार्यों में कितने कार्यों को निरस्त किया गया है ? यदि हों तो क्यों ? **(घ)** उक्त कार्यों की निर्माण एजेंसी की जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** जानकारी निम्नानुसार है:--

वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में
2022-23	मरम्मत/जीर्णोद्धार	771	4158.46
	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	69	1037.46
	शौचालय निर्माण	11	25.88
2023-24	शौचालय निर्माण	28	120.13
	मरम्मत/जीर्णोद्धार	44	289
	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	30	513.66
	किचन शेड निर्माण	5	8.96
योग:-		958	6153.55

(ख) निर्माण एजेंसी से प्राप्त नियम एवं शर्तों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** 724 कार्य पूर्ण है तथा 234 कार्य अपूर्ण (194 कार्य प्रगति पर तथा 40 अप्रारंभ) है। अप्रारंभ कार्यों को वर्तमान में प्रारंभ नहीं किये जाने के वित्त विभाग के निर्देश है। **(ग)** कोई भी कार्य निरस्त नहीं किया गया है। **(घ)** निर्माण एजेंसी- लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

प्रदेश मे संचालित शोधपीठ की अद्यतन स्थिति

[उच्च शिक्षा]

5. (*क्र. 1558) श्री अजय चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कहां-कहां, कौन-कौन से शोधपीठ संचालित हैं एवं कौन-कौन सा शोधपीठ, कब से बंद हो चुका है? इन शोधपीठों में अध्यक्ष कौन-कौन हैं और किस शोधपीठ में कब से अध्यक्ष के पद रिक्त हैं व इन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ? इसके अंतर्गत सेटअप के अनुसार कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, उसमें कितने भरे/रिक्त हैं ? (ख) विगत तीन वर्षों में किन-किन विषयों में शोध किये गये एवं कौन-कौन सी किताबों का लेखन कार्य किया गया? कितने सेमिनार, किस-किस शोधपीठ द्वारा, कहां-कहाँ कराये गये? वर्षवार बतायें। (ग) उक्त तीन वर्षों में इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी वर्षवार बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संचालित शोधपीठ एवं शोधपीठ के अध्यक्ष के संबंध में जानकारी प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है। शोधपीठों को बंद करने संबंधी शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। शोधपीठों के सेटअप अनुसार स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र-"ब" पर संलग्न है। (ख) विगत तीन वर्षों में शोध कार्य की जानकारी निरंक है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर अंतर्गत कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र द्वारा निम्नानुसार पुस्तक लेखन कार्य किया गया है :-

1. संत कबीर का इतिहास (2021-22)
2. संत कबीर का छत्तीसगढ़ (2021-22)
3. कहत कबीर (2021-22)

शोधपीठों द्वारा कराए गए सेमिनार की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांकित विश्वविद्यालयों की तीन वर्ष की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी प्रपत्र-"स" पर संलग्न है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

कोरबा जिलान्तर्गत जर्जर एवं भवन विहीन स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

6. (*क्र. 1903) श्री फूलसिंह राठिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कोरबा जिले में कितने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर एवं भवन-विहीन हैं एवं आहाता विहीन है ? संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) जर्जर एवं भवन विहीन शलाओं को भवन व आहाता विहीन शलाओं को आहाता कब तक उपलब्ध हो जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निम्नानुसार है:-

शाला का स्तर	जर्जन शालाएं	भवन विहीन	आहाता विहीन
प्राथमिक	189	58	422
पूर्व माध्यमिक	61	20	91
हाईस्कूल	4	1	28
हायर सेकेण्डरी	7	0	24

(ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरो के स्वीकृत एवं रिक्त पद

[चिकित्सा शिक्षा]

7. (*क्र. 2164) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में प्रदेश में संचालित शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है, जिलेवार जानकारी देवे? इनमें से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या कितनी है? (ख) कण्डिका 'क' के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कितने नियमित डीन तथा नियमित अधीक्षक व प्रभारी डीन तथा प्रभारी अधीक्षक पदस्थ हैं? जानकारी देवे?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रदेश में 10 शासकीय एवं 03 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। जिलेवार **जानकारी प्रपत्र में संलग्न** है। संचालनालय अधीनस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर के 240 स्वीकृत पद के विरुद्ध 112 पद रिक्त, एसोसिएट प्रोफेसर 397 स्वीकृत पद के विरुद्ध 184 पद रिक्त तथा असिस्टेंट प्रोफेसर 632 स्वीकृत पद के विरुद्ध 324 पद रिक्त है। (ख) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में नियमित डीन 09 पदस्थ है तथा नियमित अधीक्षक-निरंक व प्रभारी डीन-02 तथा प्रभारी अधीक्षक-10 पदस्थ है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

आयुर्वेदिक दवाओं में ऐलोपैथिक दवाओं की मिलावट

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. (*क्र. 2154) श्री धरमलाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक आयुर्वेदिक दवाओं में ऐलोपैथिक दवाओं के मिलावट के कुल कितने प्रकरण एफडीए द्वारा दर्ज किये गए हैं? आयुर्वेदिक दवाओं में कितनी मात्रा में ऐलोपैथिक दवा की मिलावट की गई थी एवं ऐलोपैथिक दवा के क्या घटक पाये गए थे व कितनी प्रतिशत मात्रा में ऐलोपैथिक दवाओं की मिलावट की गई थी? इन प्रकरणों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार जानकारी देवे। (ख) ड्रग्स कास्मेटिक एक्ट अंतर्गत दवाओं की जांच में कितनी समयसीमा निर्धारित है? कंडिका "क" अवधि अंतर्गत प्रदेश में एफडीए द्वारा कितनी दवाओं के सैम्पल, कहां-कहां से लिये गये एवं इन सैम्पलों की जांच कहां भेजकर कराई गई एवं जांच रिपोर्ट कब व क्या प्राप्त हुई? (ग) कंडिका "क" अवधि में चलित फूड लैब के कितने सैम्पल लिये गए व जांच उपरांत इन सैम्पलों में गुणवत्ता रहित पाये गये सैम्पलों पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रदेश में जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक आयुर्वेदिक दवाओं में ऐलोपैथिक दवाओं के मिलावट के कुल 11 प्रकरण एफडीए द्वारा दर्ज किए गए है। आयुर्वेदिक दवाओं में मिश्रित ऐलोपैथिक दवाओं के घटक, प्रतिशत एवं की गयी कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) ड्रग्स कास्मेटिक एक्ट 1940 अंतर्गत दवाओं के औषधि प्रयोगशाला द्वारा जांच हेतु 60 दिवस की समयावधि निर्धारित है। प्रदेश में जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक एफडीए द्वारा 1595 औषधि नमूनों का जांच हेतु संग्रहण किया गया। जांच हेतु भेजे गये लैब, जांच परिणाम एवं जांच रिपोर्ट प्राप्ति दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक चलित फुड लैब से कुल 29743 सर्विलेंस सैम्पल लिये गए। इन सैम्पलों में से कुल 3353 सैम्पल गुणवत्ता रहित/अमानक पाये गये। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'स' अनुसार** है। चलित प्रयोगशाला द्वारा संकलित नमूना गुणवत्ता रहित पाये जाने की स्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ को मौके पर ही विनष्टीकरण की कार्यवाही के साथ-साथ मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों को विक्रय न करने के निर्देश तथा नियमानुसार लेबलिंग व पैकेजिंग की जानकारी खाद्य करोबारकर्ता को दी गयी।

कलाकारों को विभाग के द्वारा प्रदान किया गया ग्रेडेशन तथा भुगतान

[संस्कृति]

9. (*क्र. 1804) श्री अनुज शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य में संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2018 से 2023 तक कलाकारों को कार्यक्रम में भुगतान करने हेतु ग्रेडेशन देने का क्या मापदण्ड था तथा किन-किन कलाकारों को विभाग के द्वारा क्या-क्या ग्रेडेशन प्रदान किया गया था? उक्त ग्रेडेशन के आधार पर किस ग्रेड के कलाकार को, कितनी राशि का भुगतान किया जाता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : राज्य में संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2018 से 2021 तक कलाकारों को कार्यक्रम में भुगतान करने हेतु ग्रेडेशन देने का कोई मापदण्ड नहीं था। संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों को कार्यक्रम भुगतान करने हेतु राजपत्र में दिनांक 29 जुलाई 2021 को प्रकाशित "छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021" के अनुसार ग्रेडेशन देने का मापदण्ड निर्धारित किया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र** छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021 के सरल क्र. 7 के ग्रेड एवं मानदेय श्रेणी के कंडिका क्र. (1) में निर्धारित ग्रेड अनुसार दल प्रमुख एवं सहायक कलाकारों का मानदेय राशि अनुसार कलाकारों का भुगतान किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

ज़िला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दंतेवाड़ा द्वारा व्यय की गई राशि

[स्कूल शिक्षा]

10. (*क्र. 2223) श्री चैतराम अटामी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्नांकित दिनांक तक ज़िला शिक्षा अधिकारी , दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किस-किस मद से किन-किन कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार , मदवार , कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश "क" के कार्यालयों को डी.एम.एफ.टी. मद से भी व्यय हेतु राशि प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो प्राप्त राशि को किस-किस प्रयोजन हेतु, कितना-कितना, व्यय किया गया ? वर्षवार , कार्यवार , जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) क्या प्रश्नांश "ख" की प्राप्त राशि को निर्माण / मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया ? यदि हाँ, तो किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? कार्य एजेंसी/ ठेकेदार / सामग्री आपूर्तिकर्ता फ़र्म/ के नाम सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-स अनुसार है।

जिला-बिलासपुर अंतर्गत जीर्ण शीर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. (*क्र. 2245) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला-बिलासपुर में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन जीर्ण शीर्ण एवं मरम्मत योग्य हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कौन सी एजेंसी द्वारा किया जाता है एवं उक्त निर्माण एजेंसी द्वारा कितने वर्ष तक भवन का रख-रखाव किया जाता है? जीर्ण शीर्ण एवं मरम्मत योग्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का मरम्मत कार्य कौन से मद एवं विभाग द्वारा किया जाता है? जीर्ण शीर्ण एवं मरम्मत योग्य स्वास्थ्य केन्द्र का नाम एवं स्थान की जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जीर्ण शीर्ण एवं मरम्मत योग्य नहीं है। 19 उप स्वास्थ्य केन्द्र जीर्ण शीर्ण एवं मरम्मत योग्य है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस

कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है एवं निर्माण एजेंसी द्वारा भवन कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित स्वास्थ्य निकाय को भवन को हस्तांतरण कर दिया जाता है और संबंधित ठेकेदारों द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के दिनांक से 03 वर्ष तक भवन का रख-रखाव किया जाता है। जीर्ण शीर्ण एवं मरम्मत योग्य स्वास्थ्य संस्थाओं का कार्य जिला खनिज न्यास मद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मद एवं मुख्यमंत्री अस्पताल रूपांतरण कोष द्वारा किया जाता है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

राजनांदगांव जिला अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य केंद्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. (*क्र. 2159) श्री भोलाराम साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राजनांदगांव जिले अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन से जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं ? उक्त स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी विकास खण्डवार, केंद्रवार देवे? (ख) कंडिका" क" के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद पूर्ति के लिए राज्य शासन एवं विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किया गया है ? कृपया बताये ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित किया गया है तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय में बीमारियों का ईलाज

[चिकित्सा शिक्षा]

13. (*क्र. 2187) श्री पुनूलाल मोहले : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय में कुल कितने मरीजों के लिये बेड की व्यवस्था है तथा कौन-कौन सी बीमारियों के ईलाज हेतु स्पेशलिस्ट डाक्टरों का अभाव है? (ख) क्या त्वरित आयुष्मान कार्ड/स्मार्ट कार्ड निर्माण, आधार कार्ड निकालने की सुविधा, मृत्यु पश्चात पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की सुविधा संचालित हो रही है? यदि नहीं तो कब तक संचालन प्रारंभ किया जावेगा? (ग) उक्त चिकित्सालय में कौन-कौन से कार्य ठेका प्रथा के रूप में संपादित किये जाते हैं तथा कौन-कौन से कार्य का शासन स्वयं संचालन करता है? वर्ष 2023-24 में दिए गए कार्यों का ठेका तथा उनकी अवधि तथा ठेकेदार के नाम सहित जानकारी प्रदान करें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में वर्तमान में मरीजों के लिये 1340 बेड की व्यवस्था है, बिमारियों/रोगियों के ईलाज हेतु विभागवार स्पेशलिस्ट डाक्टरों का अभाव की जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में आने वाले मरीजों का आयुष्मान कार्ड निकालने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पूर्व में एन.आई.सी. कार्यालय द्वारा आधार कार्ड केन्द्र का संचालन किया जा रहा था, जिसमें आधार कार्ड निकालने, सुधार करने इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध थीं। पुनः सुविधा प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, इस हेतु तय समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हां, मृत्यु पश्चात् मृतक का पंचनामा एवं शव परीक्षण हेतु आवेदन संबंधित पुलिस थाने द्वारा प्रस्तुत करने पर पोस्ट मार्टम (शव परीक्षण) की सुविधा संचालित है। (ग) डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 में चिकित्सालय में ठेका प्रथा के रूप में संपादित कार्य/ठेका, ठेका अवधि तथा ठेकेदार का नाम व शासन द्वारा स्वयं संचालन की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदी हाई स्कूल में मूलभूत सुविधा

[स्कूल शिक्षा]

14. (*क्र. 2180) श्री धर्मजीत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-हरदी में हाईस्कूल भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें अगस्त 2023 से नियमित रूप से कक्षाएं लग रही हैं ? (ख) क्या कंडिका "क" के स्कूल भवन का निर्माण एस्टीमेट के अनुसार हुआ है? यदि हां, तो एस्टीमेट में क्या-क्या निर्माण एवं व्यवस्था का उल्लेख है, विस्तृत विवरण देवें? (ग) क्या कंडिका "क" के स्कूल भवन में वर्तमान में शौचालय एवं बिजली की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगी, विस्तृत विवरण देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जी नहीं। हाईस्कूल हरदी में समग्र शिक्षा के माध्यम से निर्मित 05 अतिरिक्त कक्षाओं में दिनांक 07 अगस्त 2023 से नियमित रूप से कक्षाएं लग रही हैं। (ख) जी नहीं, नवीन शाला भवन निर्माण नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला-सक्ती अंतर्गत स्कूल सफाई कर्मी एवं रसोइयों के पद, वेतन तथा वेतन वृद्धि

[स्कूल शिक्षा]

15. (*क्र. 2193) डॉ. चरण दास महंत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-सक्ती में स्कूल सफाई कर्मी एवं रसोइयों की स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या कितनी है तथा इनके वेतन/पारिश्रमिक की दर कितनी-कितनी है, प्रतिवर्ष लगभग कितना व्यय होता है ? (ख) स्कूल सफाई कर्मी एवं रसोइयों के वेतन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि का लाभ कब से दिया जाना है तथा इसके कारण वार्षिक आर्थिक भार कितना अनुमानित है ? (ग) क्या एरियर्स का भुगतान भी किया जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	पद विवरण	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	मानदेय/मजदूरी	वार्षिक व्यय
1	सफाई कर्मी	1212	1210	02	3325	4 करोड़ 82 लाख 79 हजार
2	रसोइया	2264	2264	0	2000	4 करोड़ 75 लाख 44 हजार

(ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जिला सक्ती हेतु सफाई कर्मी के मजदूरी में 50 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर 7 करोड़ 25 लाख 38 हजार 200 तथा रसोइयों के मानदेय के लिए 7 करोड़ 13 लाख 16 हजार वार्षिक व्ययभार संभावित है। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा कागज की खरीदी संबंधी प्राप्त शिकायत पर कृत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

16. (*क्र. 2203) श्री राजेश मूणत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022 से नवम्बर, 2023 तक पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा कुल कितने, किस प्रकार, किस दर पर कुल कितनी राशि व किस फर्म से कागज की खरीदी की गई है? इसमें कितनी राशि का भुगतान, किस फर्म को किया गया है एवं कितनी राशि भुगतान किया जाना शेष है? उक्तानुसार कागज खरीदने के लिये क्या मापदण्ड बनाये गये थे व इनका निर्धारण किस प्रकार किया गया था? क्या कागज खरीदी में मापदण्डों का पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) उक्तानुसार कागज खरीदी में किसके द्वारा व किसको क्या शिकायतों की गई एवं इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। [संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

लुण्डा विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सकों के कार्यरत/रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. (*क्र. 1712) श्री प्रबोध मिंज : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र लुण्डा में कुल कितने शासकीय चिकित्सालय हैं? चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, कब तक पूर्ति की जावेगी? समयावधि बतावें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) विधानसभा क्षेत्र लुण्डा में 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया है। चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर पीजी अनुबंधित चिकित्सक एवं एमबीबीएस चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

प्रदेश में औषधि निर्माण हेतु फर्मों को प्रदान की गई अनुमति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. (*क्र. 1942) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रदेश में औषधि निर्माण हेतु वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक कुल कितनी फर्म को अनुज्ञप्ति जारी की गई ? फर्मवार मालिकों के नाम सहित जिलेवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका 'क' के फर्मों में किन-किन दवाईयों का निर्माण किया जाता है ? (ग) वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रदेश में नकली दवाई बनाने के कितने प्रकरण किन-किन के विरुद्ध दर्ज किये गये ? वर्षवार बतायें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रशासन द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक औषधि निर्माण हेतु कुल 20 फर्मों को अनुज्ञप्ति जारी किया गया है। फर्मवार मालिकों के नाम सहित जिलेवार जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के फर्मों द्वारा निर्माण की जाने वाली दवाईयों की सूची जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रदेश में नकली दवाई बनाने के कुल 12 प्रकरण दर्ज किये गये है। वर्षवार प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'स' अनुसार है।

मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. (*क्र. 2093) श्री सुशांत शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 प्रभावशील है? यदि हाँ तो क्या इसका अनुपालन हो रहा है? यदि नहीं तो क्या बिलासपुर जिलान्तर्गत अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों को आयुष्मान योजना से ईलाज करने की रोक सम्बंधी निर्णय वर्ष 2021 से 2023 तक राज्य शासन द्वारा लिया गया है? यदि हाँ तो संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही संस्थानों के नाम सहित बतावें। (ख) बिलासपुर जिले में मेडिकल वेस्ट के विनिष्टीकरण एवं प्रबंधन के लिए उपलब्ध आस्तियों की सूची प्रदान करें। यदि आस्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं तो विनिष्टीकरण एवं प्रबंधन की सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी? (ग) बिलासपुर जिले में स्थित शासकीय एवं निजी अस्पतालों में ईटीपी किस-किस क्षमता के किन-किन अस्पतालों में स्थापित हैं ? कितने अस्पतालों में कार्यरत हैं एवं कितने में से बंद हैं ? प्रश्नांकित अवधि में अस्पतालों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जिला बिलासपुर अन्तर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक चिकित्सा संस्थानों में अनियमितता पाये जाने पर चिकित्सा संस्थानों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा 06 चिकित्सा संस्थानों पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया है। **जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार।(ख)** बिलासपुर जिले में मेडिकल वेस्ट के विनिष्टीकरण एवं प्रबंधन के लिए संयुक्त उपचार सुविधा प्रदाता मेसर्स इन्वायरोकेयर इंटरनेशनल (छत्तीसगढ़) कछार, बिलासपुर स्थापित एवं संचालित है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है।**

भवनविहीन स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा

[स्कूल शिक्षा]

20. (*क्र. 2236) सुश्री लता उसेंडी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में कुल कितने स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गये हैं एवं कितने के भवन बन चुके हैं एवं कितने भवनविहीन संचालित हैं ? कितने स्वामी आत्मानंद विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निविदा बुलाई गई है ? इसके निर्माण हेतु राशि प्रावधान किस आधार पर किया जाता है ? इसका प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है ? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार स्कूलों को प्रारंभ करने हेतु कितने हिन्दी माध्यम के स्कूलों को बंद किया गया है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश में कुल 751 स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गये हैं, 21 विद्यालयों के नवीन भवन बन चुके हैं, 01 भवन विहीन संचालित है तथा शेष विद्यालय पूर्व से संचालित हिन्दी माध्यम के भवन का आवश्यकतानुसार जीर्णोद्धार करके संचालन किया जा रहा है। 167 स्वामी आत्मानंद विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निविदा बुलाई गई है। इसके निर्माण हेतु राशि प्रावधान प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है। इन स्कूलों का प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग, आर.ई.एस., स्मार्ट सिटी एवं अन्य स्थानीय एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार स्कूलों को प्रारंभ करने हेतु 29 हिन्दी माध्यम के स्कूलों को बंद किया गया है।

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित महाविद्यालय एवं शैक्षणिक पदों की पूर्ति

[उच्च शिक्षा]

21. (*क्र. 2198) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जांजगीर-चांपा में दिसम्बर 2018 की स्थिति में शासकीय एवं निजी महाविद्यालय का स्थानवार जानकारी दें तथा उसके पश्चात् प्रत्येक शिक्षा सत्र में कहां-कहां नये महाविद्यालय प्रारंभ हुए ? इन महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या महाविद्यालयवार, कितनी-कितनी है? **(ख)** उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों की स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त संख्या क्या-क्या है ? जनवरी 2021 से जनवरी 2024 की अवधि में पदवार कितने-कितने शैक्षणिक पदों पर नवीन नियुक्तियां की गई ? **(ग)** रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ पर है । **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स पर है । **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभागीय स्तर पर लोककला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

[संस्कृति]

22. (*क्र. 1427) श्री दलेश्वर साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या संचालनालय, संस्कृति विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर लोककला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए

सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? यदि हां तो वित्तीय वर्ष 2021 से प्रश्नावधि में विभागीय स्तर तथा किन-किन संस्थाओं के माध्यम से कौन-कौन से आयोजन, कहां-कहां पर आयोजित किये गये हैं? आयोजनों हेतु स्वीकृत राशि व भुगतान की मदवार, कार्यवार, एजेंसीवार, संस्थावार एवं देश-प्रदेश के कलाकारों को किये गये मानदेय भुगतान की वर्षवार, आयोजनवार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : हां, संचालनालय, संस्कृति विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर लोककला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021 से प्रश्नावधि में विभागीय स्तर तथा संस्थाओं के माध्यम से आयोजन किये गये हैं उक्त जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। आयोजनों हेतु स्वीकृत राशि व भुगतान की मदवार, कार्यवार, एजेंसीवार, संस्थावार एवं देश-प्रदेश के कलाकारों को किये गये मानदेय भुगतान की वर्षवार, आयोजनवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब'** अनुसार है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. (*क्र. 1191) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत कितने स्वास्थ्य केंद्र भवन विहिन अथवा जर्जर अवस्था में हैं? कितने भवन निर्माणधीन हैं ? **(ख)** कितने नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब भवन निर्माण कर लिए जाएंगे?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत 17 स्वास्थ्य केंद्र भवन विहिन तथा 49 भवन जर्जर अवस्था में है। 55 भवन निर्माणधीन है। **(ख)** 65 नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

24. (*क्र. 452) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि पिछले पांच वर्षों से शासन के द्वारा संचालित हिन्दी माध्यम के स्कूल भवन में ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन किया जा रहा है ? **(ख)** यदि हाँ, तो जशपुर विधान सभा क्षेत्र के संदर्भ में ब्यौरा क्या है ? **(ग)** इन विद्यालयों में हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये अध्ययन-अध्यापन की क्या व्यवस्था की गई है ? **(घ)** क्या हिन्दी माध्यम स्कूलों के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के रूप में संचालन से विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है ? **(ड.)** यदि हाँ, तो हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** जी हां। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** इन विद्यालयों में हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये अध्ययन-अध्यापन हेतु दो पालियों में शाला का संचालन किया जा रहा है। **(घ)** जी नहीं। **(ड.)** शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थान

[पर्यटन]

25. (*क्र. 1149) श्री रोहित साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों को पर्यटन

की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है? **(ख)** चिन्हांकित स्थानों पर वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्य किए गए हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि तक राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के तालिका-1 में दर्शित है। **(ख)** चिन्हांकित स्थानों पर वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा किये गये निर्माण कार्य एवं विकास कार्य **जानकारी संलग्न प्रपत्र** के तालिका-2 में दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर की शालाओं का उन्नयन**

[स्कूल शिक्षा]

1. (क्र. 335) श्री **इन्द्रशाह मंडावी** : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन की पात्रता रखते हैं ? विकास खण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** विगत 03 वर्षों में विभाग को शालाओं के उन्नयन हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये तथा किन-किन शालाओं का उन्नयन किया गया ? जानकारी वर्षवार देने की कृपा करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** जानकारी निम्नानुसार है:-

विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शाला से पूर्व माध्यमिक शाला में	पूर्व माध्यमिक से हाईस्कूल में	हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में
मोहला	-	पूर्व.मा.शा.उरवाही	-
मानपुर	-	-	हाईस्कूल सीतागांवहाईस्कूल मरकेली
अं.चौकी	-	-	-

(ख) विगत 03 वर्षों में विभाग को उत्तरांश "क" में वर्णित शालाओं के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये। किसी भी शाला का उन्नयन नहीं किया गया है।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

2. (क्र. 720) श्री **इन्द्र कुमार साहू** : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने स्थानों पर शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं? संचालित महाविद्यालयों में कौन-कौन से स्नातक तथा कौन-कौन से स्नातकोत्तर स्तर के हैं? **(ख)** उपरोक्त संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी देवें? **(ग)** रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 स्थानों पर शासकीय महाविद्यालय संचालित है। संचालित सभी शासकीय महाविद्यालय स्नातक स्तर के है। **(ख)** जानकारी प्रपत्र पर संलग्न है। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में सामग्री क्रय

[स्कूल शिक्षा]

3. (क्र. 721) श्री **इन्द्र कुमार साहू** : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित हैं? **(ख)** उक्त संचालित विद्यालयों में वर्ष 2021 से 2023 के मध्य किन-किन मदों से, कितनी-कितनी राशि की, क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी है? **(ग)** क्या कंडिका "ख" अनुसार सामग्री क्रय करते समय भंडार क्रय

नियमों का पालन किया गया है? यदि हां, तो उक्त खरीदी के लिए किन-किन संस्थानों/फर्म/कंपनी से कोटेशन मंगाया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभनपुर, गोबरा नवापारा तथा खोरपा में स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 7 में अंकित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटचौरा में मूल भवन हेतु

[स्कूल शिक्षा]

4. (क्र. 948) श्री दिलीप लहरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटचौरा की स्थापना 2008 में हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या अभी तक इसका स्वयं का भवन नहीं है ? क्या इस विभाग को प्रतिवर्ष इसकी जानकारी संस्था द्वारा दी जाती है यदि हां, तो इस विद्यालय का स्वयं का भवन क्यों नहीं बना है ? कब तक बन जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : जी हाँ। जी नहीं, स्वयं का भवन नहीं है। जी नहीं, संस्था द्वारा अपने पत्र क्रमांक 80 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा जानकारी दिया गया है। आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार भवन की स्वीकृति दी जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वायरोलॉजी लैबों की स्थापना व सेटअप

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. (क्र. 1177) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कोविड महामारी के नियंत्रण एवं बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा किन-किन स्थानों पर वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई है तथा वर्तमान में इन लैबों की स्थिति क्या है ? (ख) भविष्य में महामारी एवं रोग नियंत्रण को देखते हुये क्या प्रदेश के सभी वायरोलॉजी लैब हेतु मानव संसाधन सेटअप एवं भर्ती नियम बनाये गये हैं ? (ग) क्या इन वायरोलॉजी लैबों में नियमित भर्ती हो पायी है यदि नहीं तो प्रदेश के वायरोलॉजी लैबों में नियमित भर्ती हेतु क्या योजना बनाई गई है ? जानकारी दें ? (घ) ऐसे अहर्ताधारी मानव संसाधन जो कोविड महामारी के दौरान से आज पर्यन्त तक कार्यरत हैं, उनके लिए नियमित भर्ती में प्राथमिकता हेतु क्या प्रावधान किया गया है ? कृपया बताने का कष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला चिकित्सालय जशपुर, कोरिया, बलौदाबाजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, बालोद एवं चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर (सिम्स), जगदलपुर, कांकेर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद में लैब की स्थापना की गई है। जिला चिकित्सालय बालोद को छोड़कर सभी लैब वर्तमान में संचालित है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण दायर होने के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबित है। (घ) कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्ति एवं एक वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में एंबुलेंस की उपलब्धता एवं कार्य संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (क्र. 1193) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में कहाँ, कितने एंबुलेंस उपलब्ध हैं? इनमें कितने संचालित हैं,

कितने बिगड़े हालत में हैं? (ख) एम्बुलेंस का संचालन किस फ़र्म या शासन द्वारा किया जा रहा है ? एम्बुलेंस संचालन हेतु कितने वाहन चालक कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस (108) का संचालन कंसोर्टियम ऑफ जय अम्बे इमरजेंसी प्रा. लिमि सम्मान फाउन्डेशन एण्ड अदर्स संस्था, महतारी एक्सप्रेस (102) एम्बुलेंस का संचालन कंसोर्टियम ऑफ कम्प्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम "कैम्प" एवं साई राम टेक्नो मैनेजमेंट साल्यूसन प्रा. लिमि एवं शासकीय एम्बुलेंस का शासन द्वारा संचालन किया जा रहा है। संस्था द्वारा संचालित एम्बुलेंस में 46 वाहन चालक कार्यरत है एवं कोई भी पद रिक्त नहीं है तथा शासन द्वारा संचालित एम्बुलेंस में नियमित 15 वाहन चालक कार्यरत है एवं 09 पद रिक्त है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

जिला रायपुर अंतर्गत शव वाहन , महतारी एक्सप्रेस वाहन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. (क्र. 1225) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 20 जनवरी, 2024 की स्थिति में जिला रायपुर अंतर्गत कुल कितने शव वाहन, महतारी एक्सप्रेस, 108 इमरजेंसी वाहन, कितनी संख्या में किन-किन ठेकेदारों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ? उक्त वाहनों के संचालनों/ ठेका लेने हेतु क्या नियम प्रावधान हैं ? कितने वर्षों के लिये ठेका दिया जाता है या शासन द्वारा स्वयं संचालित किया जा रहा है ? (ख) प्रचलित वाहनों में कितने वाहन खराब (कंडम) श्रेणी के हैं ? कितने नये वाहन ठेकेदार द्वारा प्रदाय किये गये हैं ? उक्त वाहनों के कितने किलोमीटर चलने पर उनको खराब या कंडम की श्रेणी में रखा जाता है ? (ग) जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पताल द्वारा ऐसे कितने हितग्राहीमूलक चिकित्सा वाहनों के लिये विभाग को मांग भेजी गयी है ? मांग के विरुद्ध कितनी संख्या में वाहन उपलब्ध कराया गया है ? ऐसे कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहाँ एक भी महतारी, शव, 108 वाहन उपलब्ध ना हों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रश्नांश अवधि में जिला रायपुर अंतर्गत 31 शव वाहन, कम्प्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम "कैम्प" संस्था द्वारा, 16 महतारी एक्सप्रेस, कंसोर्टियम आफ कैम्प एण्ड साई राम टेक्नो संस्था द्वारा, 20 इमरजेंसी 108 वाहन, कंसोर्टियम आफ जय अम्बे इमरजेंसी आई प्रा.लि.मि. सम्मान फाउन्डेशन एण्ड अदर्स संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे है। निविदा प्रक्रिया का प्रावधान है। शव वाहन हेतु अनुबंध दिनांक से 05 वर्ष एवं इसके अतिरिक्त अधिकतम 02 वर्ष, महतारी एक्सप्रेस हेतु 05 वर्ष एवं अतिरिक्त 02 वर्ष, 108 एम्बुलेंस हेतु 05 वर्ष एवं अतिरिक्त 03 वर्ष हेतु संस्था को ठेका दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रचलित वाहनों में कोई भी वाहन खराब (कंडम) श्रेणी के नहीं है। शव वाहन के 20, महतारी एक्सप्रेस के 16, 108 इमरजेंसी के 20 नये वाहन ठेकेदार (संस्था) द्वारा प्रदाय किये गये हैं। शव वाहन हेतु अनुबंध अनुसार कोई शर्त का उल्लेख नहीं है, महतारी एक्सप्रेस हेतु अधिकतम 03 लाख किलोमीटर, 108 इमरजेंसी वाहन हेतु 2.5 लाख किलोमीटर चलने पर खराब (कंडम) की श्रेणी में रखा गया है। (ग) रायपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पताल द्वारा 03 चिकित्सा वाहनों के लिये मांग भेजी गई है, मांग के विरुद्ध 01 वाहन उपलब्ध कराया गया है। 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महतारी एक्सप्रेस एवं 108 इमरजेंसी वाहन तथा 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शव वाहन उपलब्ध नहीं है।

जिला-जशपुर अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

8. (क्र. 1245) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जशपुर जिले में कहां-कहां और कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं? (ख) 31 दिसंबर ,2023

की स्थिति में इनके सेटअप के अनुसार कितने पद स्वीकृत ,कितने रिक्त हैं, तथा कब तक भरे जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ पर है।
(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब पर है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की एकल शिक्षकीय शालाओं में पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

9. (क्र. 1400) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 23 जनवरी, 2024 की स्थिति में दर्ज संख्या के आधार पर प्राथमिक , उच्च प्राथमिक , हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की संख्या जिलावार बताएं ? (ख) प्रदेश में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या जिलावार बताएं ? (ग) प्रश्नांश "क" के अतिशेष शिक्षकों को प्रश्नांश "ख" के पदपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है। (ग) जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

जिला-महासमुंद अंतर्गत शालाओं को खेल कूद , व्यायाम सामग्री की खरीदी हेतु प्रदत्त राशि

[स्कूल शिक्षा]

10. (क्र. 1401) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-महासमुंद में वर्ष 2021 से 20 जनवरी ,2024 तक शालाओं को खेल कूद , व्यायाम सामग्री हेतु प्रदत्त राशि का विवरण प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश "क" में स्वीकृत राशि के व्यय की स्थिति व व्यय के नियमों की जानकारी प्रदान करें ? (ग) प्रश्नांश राशि के व्यय संबंधी प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	खेल सामग्री	व्यायाम उपकरण	कुल योग
1	2021-22	675000	550720	1225720
2	2022-23	600000	622950	1222950
3	2023-24	निरंक	निरंक	निरंक

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय कर लिया गया है। यह व्यय छ.ग. भण्डार क्रय नियम अनुसार ई-मानक के माध्यम से सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा रजिस्टर्ड फर्म के वैध रेट कान्ट्रैक्ट अनुसार क्रय की कार्यवाही की गई है। (ग) व्यय संबंधी शिकायत अप्राप्त है।

विधानसभा क्षेत्र डोगरगांव के ग्राम कोठीटोला एवं आलीवारा के स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत पद

[स्कूल शिक्षा]

11. (क्र. 1428) श्री दलेश्वर साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
विधानसभा क्षेत्र डोगरगांव के ग्राम कोठीटोला एवं आलीवारा के हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूल में कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पद के विरुद्ध पर कौन-कौन कार्यरत हैं? क्या प्रश्नावधि तक उक्त विद्यालयों में पदस्थ कर्मचारी लंबे समय से अनुपस्थित है? यदि हाँ, तो लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों की

शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी एवं उक्त कर्मचारियों का वेतन आहरण कब से कब तक किया गया है, माहवार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

12. (क्र. 1501) श्री ब्यास कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिसंबर, 2023 की स्थिति में जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने महाविद्यालय/शिक्षा महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? इन महाविद्यालयों/शिक्षा महाविद्यालयों में कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों/शिक्षा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संस्थावार, दर्ज संख्या की जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश 'क' के अनुसार महाविद्यालय संचालन के लिए शासन द्वारा भवन एवं खेल मैदान का क्या मापदंड रखा गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नांश अवधि की स्थिति में जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों की जानकारी प्रपत्र-अ पर संलग्न है। शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र-ब पर संलग्न है। अशासकीय महाविद्यालयों में शासन द्वारा पद स्वीकृत नहीं किया जाता है। (ख) जानकारी प्रपत्र-अ पर संलग्न है। (ग) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2100 वर्गमीटर का मापदंड रखा गया है। खेल मैदान का कोई मापदंड नहीं है। नवीन अशासकीय महाविद्यालय हेतु संस्थापना समिति कम से कम 2461.54 मीटर (8000 वर्ग फीट) क्षेत्रफल वाले भूमि स्वयं के भवन अथवा लीज के भवन को उपलब्ध कराने तथा एन.सी.सी. खेलकूद हेतु 5453.82 मीटर का प्रावधान है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठारह"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे की उपलब्ध सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. (क्र. 1529) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा अंतर्गत कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे की सुविधा प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? (ग) क्या प्रश्नांक "ख" के स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों, जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) विकासखंड डौण्डीलोहारा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डीलोहारा एवं विकासखंड डौण्डी के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डी में एक्स-रे की सुविधा प्रदान की गई है। (ख) विकासखंड डौण्डीलोहारा अंतर्गत 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विकासखंड डौण्डी अंतर्गत 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है उनमें एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। (ग) जी नहीं। आई.पी.एच.एस. मानको के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे मशीन की अर्हता नहीं है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) अंतर्गत महाविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[उच्च शिक्षा]

14. (क्र. 1559) श्री अजय चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ ? रूसा के तहत क्या प्रदेश के सभी महाविद्यालय शामिल हैं ? यदि सभी शामिल नहीं हैं तो उनके चयन का मापदंड क्या है ? (ख) रूसा में चयनित महाविद्यालयों को 1 दिसंबर, 2020 से 30 नवंबर, 2023 के बीच कितनी राशि, किन-किन मदों में प्राप्त हुयी उनमें से कितना पैसा व्यय हुआ है और कितना व्यय नहीं हुआ है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) दिनांक 03 अक्टूबर 2013 से लागू हुआ । नहीं । भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा गठित परियोजना अनुमोदन मंडल (PAB) के द्वारा महाविद्यालयों का अनुमोदन रूसा गाइडलाईन के अनुदान प्राथमिकताओं (Funding Priorities) के आधार पर किया जाता है। रूसा 1.0 एवं 2.0 की Funding Priorities प्रपत्र-अ पर संलग्न है। (ख) जानकारी प्रपत्र- ब पर संलग्न है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उत्रीस"]

बसना विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विभागीय सेटअप

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. (क्र. 1623) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बसना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभागीय सेटअप क्या हैं, विकासखंडवार जानकारी देवें? क्या सेटअप अनुसार कर्मचारियों की भर्ती की गयी है ? यदि हाँ, तो जानकारी केन्द्रवार, पंचायतवार देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

महासमुंद जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला में शिक्षकों के रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

16. (क्र. 1624) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) महासमुंद जिले में दिसंबर, 2023 की स्थिति में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद कितने-कितने हैं ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) विभाग द्वारा उक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही हैं? पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) महासमुंद जिले में दिसंबर 2023 की स्थिति में जानकारी निम्नानुसार है:-

शाला	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
शासकीय प्राथमिक शाला	प्रधान पाठक प्राथमिक शाला	1281	1246	35
	सहायक शिक्षक	3594	2000	1594
शासकीय माध्यमिक शाला	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिकशाला	490	174	316
	शिक्षक	2295	1889	406

(ख) विभाग द्वारा प्रश्रांश के पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रचलन में है, प्रदेश में अब तक प्राथमिक शाला में 4284 सहायक शिक्षक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में 4268 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही हो चुकी है। शेष के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

संस्कृति विभाग द्वारा कार्यक्रमों के लिये किया गया भुगतान

[संस्कृति]

17. (क्र. 1805) श्री अनुज शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2018 से 2023 तक कलाकारों को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले कार्यक्रमों का कोटा निर्धारित किया गया था? यदि हां तो कितना तथा किस आधार पर यह कार्यक्रम दिया जाता था? **(ख)** विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 2023 तक प्रतिवर्ष किस कलाकार को, किस-किस की अनुशंसा पर कितने-कितने कार्यक्रम प्रदान किये गये तथा उक्त कार्यक्रमों के लिये उन्हें कितना भुगतान विभाग द्वारा किया गया ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2018 से 2021 तक कलाकारों को कार्यक्रमों हेतु कोटा निर्धारित नहीं था। 29 जुलाई 2021 को राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 'छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान 2021'के तहत कलाकारों हेतु कोटा निर्धारित की गई है। उक्त नियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ख)** विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 से 2023 तक कलाकारों को जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2021 में 1294 कार्यक्रम, 2022 में 2916 कार्यक्रम तथा 2023 में 1413 कार्यक्रम अर्थात् कुल 5623 कार्यक्रम स्वीकृत किये गये, जिस हेतु मानदेय राशि वित्तीय वर्ष 2021 में 7,37,32,000/-, 2022 में 15,95,90,000/- तथा 2023 में 7,46,06,500/- अर्थात् कुल 30,79,28,500/-(तीस करोड़ उनयासी लाख अठाईस हजार पांच सौ) मात्र की राशि स्वीकृत की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब'** अनुसार है।

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में स्कूल, आश्रम शाला एवं छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

18. (क्र. 1877) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में जनवरी, 2024 तक कितने स्कूल भवन, आश्रम शाला, छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति एवं कितनी राशि प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी देवें ? **(ख)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूल, आश्रम शाला, छात्रावास भवन विहीन हैं ? कितने स्कूल भवन, छात्रावास एवं आश्रम शाला भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत स्वीकृत स्कूल भवनों की जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	विकासखण्ड	स्वीकृत शाला का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में
2022-23	डौण्डीलोहारा	हाईस्कूल कोबा	75.23
2022-23	डौण्डीलोहारा	हायर सेकेण्डरी स्कूल संजारी	121.16
2023-24	डौण्डीलोहारा	हायर सेकेण्डरी स्कूल कमकापार	121.16

आश्रम शाला भवन एवं छात्रावास भवन निर्माण का कार्य आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नावधि में स्वीकृति की जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	विकासखण्ड	स्वीकृत शाला का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में
2022-23	डौण्डीलोहारा	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मंगचुवा	181.00

(ख) डौण्डीलोहरा विधानसभा क्षेत्र में 03 स्कूल भवन विहीन है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार कोई भी आश्रम शाला एवं छात्रावास भवन विहीन नहीं है। जानकारी निरंक है।

विधानसभा श्रेत्र लैलूंगा में स्कूलों की स्थिति एवं रिक्त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

19. (क्र. 1919) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में कितने शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) इन विद्यालयों में सेटअप के अनुसार वर्तमान में किन-किन पदों के कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं? रिक्त पदों को पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी, समय सीमा बतायें। (ग) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के कितने पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में एवं कितने हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी बतायें। (घ) क्या उन्नयन उपरान्त सभी स्कूलों के लिए नवीन स्कूल भवन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हाँ, तो क्या भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण किया जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। पदों के पूर्ति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्य एवं रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. (क्र. 1921) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) इन स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं एवं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? (ग) विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में कितने नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? इनमें से वर्तमान में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने अपूर्ण हैं, अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे, समय सीमा बतावें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) इन स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित सेटअप अंतर्गत 416 पद स्वीकृत है एवं 158 पद रिक्त है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत 172 पद स्वीकृत एवं 61 पद रिक्त है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 में लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में केवल 07 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है। वर्तमान सभी 07 कार्य अपूर्ण है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में गठित जीवनदीप समिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. (क्र. 1943) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार कितने स्वास्थ्य केन्द्रों में (अस्पताल) में जीवनदीप समिति

गठित है ? (ग) जीवनदीप समिति में वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर 2023 तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ? कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि शेष है ? कृपया अवगत करावें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 85 उप-स्वास्थ्य केन्द्र, 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। (ख) 09 स्वास्थ्य केन्द्रों (अस्पताल) में जीवनदीप समिति गठित है। (ग) जीवनदीप समिति में वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर 2023 तक राशि रु. 38213628/- (तीन करोड़ बयासी लाख तेरह हजार छः सौ अट्ठाईस रूपये मात्र) प्राप्त हुई है। राशि रु. 32102556/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख दो हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र) व्यय की गई एवं राशि रु. 6111072/- (इक्कठ लाख ग्यारह हजार बहत्तर रूपये मात्र) शेष है।

सक्ती जिले के अंतर्गत "सजेस (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों" में स्टाफ भर्ती में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

22. (क्र. 1979) श्री बालेश्वर साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022-23 में सक्ती जिले के अंतर्गत संचालित "सजेस विद्यालयों" (अंग्रेजी माध्यम) में भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के आधार पर कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ? कृपया पदवार एवं विषयवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार प्राप्त आवेदन के आधार पर आयोजित चयन परीक्षा में कितने परीक्षार्थी उपस्थित रहे हैं? कृपया पदवार एवं विषयवार जानकारी प्रदान करेंगे? (ग) उक्त बिंदु क्रमांक "क" के अनुसार आयोजित परीक्षा एवं नियुक्ति के संबंध में कितने शिकायत की गई थी कितने की जांच कराकर क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया अवगत करावें? (घ) क्या यह सच है कि उक्त बिंदु क्रमांक "क" एवं "ख" के अनुसार आयोजित चयन परीक्षा में मात्र 11% परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे हैं ? यदि हां तो क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी? कृपया अवगत करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 3 एवं 5 अनुसार है। (ग) उक्त आयोजित परीक्षा एवं नियुक्ति के संबंध में 2 शिकायत की गई थी। दोनो शिकायतों की जांच कराकर बर्खास्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है। (घ) क्रमांक "क" एवं "ख" के अनुसार आयोजित चयन परीक्षा में कुल 3133 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होने के लिये बुलाया गया था किन्तु चयन परीक्षा में 328 परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे। चयन परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा न होने का निर्णय स्वयं परीक्षार्थी का होता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

जिला जांजगीर चांपा में शिक्षाकर्मियों के क्रमोन्नति एरियर्स का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

23. (क्र. 1980) श्री बालेश्वर साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा एवं जिला पंचायत जांजगीर के माध्यम से शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नति वेतन एरियर्स का भुगतान कब-कब किया गया ? कुल कितनी राशि का भुगतान हुआ ? इस संबंध में क्या शासन से भुगतान करने के निर्देश जारी हुए थे ? यदि हां तो भुगतान की प्रक्रिया क्या थी ? कृपया अवगत करावें? (ख) एरियर्स के भुगतान के संबंध में शिकायत हुई थी ? यदि हाँ तो इसकी विभागीय जांच हुई कि नहीं ? यदि हुई तो क्या कार्रवाई की गई ? कृपया अवगत करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नति वेतन एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छत्तीसगढ़ उपचार गृह एवं रजोपचार रजिस्ट्रीकरण अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. (क्र. 2004) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ उपचार गृह तथा रजोपचार सम्बन्ध रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973 अंडर सेक्शन (3) एव सेक्शन (4) के तहत नियम 10 के अनुसार प्रारूप सी में रजिस्टर्ड चिकित्सालय या नर्सिंग होम, जो जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक पंजीकृत अथवा नवीनीकरण किये गये हैं, की जानकारी सम्भाग मुख्यालय अंबिकापुर, बिलासपुर की जानकारी उपलब्ध कराई जावे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक अंबिकापुर संभाग में कुल 19 एवं बिलासपुर संभाग में कुल 74 अस्पताल या नर्सिंग होम पंजीकृत अथवा नवीनीकरण किये गये हैं।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें अंतर्गत पदों की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. (क्र. 2094) श्री सुशांत शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें (मुख्यालय) छत्तीसगढ़ में किस-किस श्रेणी के, कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने भरे एवं रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश "क" अनुसार सहायक ग्रेड 1 के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ तो वर्ष 2021 से 2023-24 में कितने अतिरिक्त पदों हेतु ? अतिरिक्त पदों के मांग का कारण बतावें। (ग) क्या प्रश्नांश "ख" अनुसार प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर से कितने पदों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? यदि स्वीकृति प्रदान नहीं की गई तो इसका कारण बतावें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सतत प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हां। 15 अतिरिक्त पदों हेतु। स्वास्थ्य संचालनालय में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी, कार्य की अधिकता, प्रदेश में 33 जिले होने, चिकित्सकों/नर्सों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ का कार्य, अस्पतालों का बेहतर प्रबंधन आदि के कारण अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। (ग) जी नहीं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

जिला-सक्ती अंतर्गत उच्च कक्षा उन्नयन हेतु पात्र शाला

[स्कूल शिक्षा]

26. (क्र. 2144) श्री रामकुमार यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-सक्ती के अंतर्गत कुल कितने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित हैं? विकासखण्डवार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार कितने ऐसे स्कूल हैं, जो पूर्व माध्यमिक स्कूल से हाई, हाई से हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु पात्र हैं? विवरण देवें। (ग) क्या विभाग में उन स्कूलों को चिन्हांकित कर उन्नयन हेतु कोई कार्यवाही की गयी है? तो विवरण देवें। (घ) ऐसी चिन्हांकित शालाओं का कब तक उन्नयन किया जावेगा? विकासखण्डवार विवरण देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शाला	पूर्व माध्यमिक शाला	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
1	डभरा	205	94	7	23
2	जैजैपुर	186	85	17	24

3	मालखरोदा	176	98	8	26
4	सक्ती	181	82	8	22
	योग	748	359	40	95

(ख) केवल 01 पूर्व माध्यमिक स्कूल जवाली विकासखण्ड डभरा हाईस्कूल में उन्नयत हेतु पात्र है। कोई भी हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयत हेतु पात्र नहीं है। (ग) जी नहीं, आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर उन्नयन की कार्यवाही की जाती है। (घ) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला सक्ती के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम स्कूलों में स्वीकृत राशि

[स्कूल शिक्षा]

27. (क्र. 2145) श्री रामकुमार यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला सक्ती के अंतर्गत कहां-कहां स्वामी आत्मानंद हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं? स्कूल के नाम की विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नक "क" के अनुसार उक्त स्कूलों में वर्ष 2021 से 2023 तक किन-किन मदों से कितने कार्य हेतु, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति हुई है? शालावार जानकारी दें। (घ) स्वीकृत राशि में से कितनी राशि आज पर्यन्त तक किस-किस कार्य के लिए शेष है? बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब के कॉलम 7 अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

एनएचएम अंतर्गत दवाई एवं उपकरण की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

28. (क्र. 2155) श्री धरमलाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2023 किस-किस स्वास्थ्य परियोजना के लिये कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? इन राशियों से कितनी राशि/प्रतिशत की दवाईयां एवं उपकरण की खरीदी की जाने के निर्देश थे तथा कितनी राशि/प्रतिशत की दवाईयां व उपकरण की खरीदी की गई? क्या यह सही है कि एनएचएम के अंतर्गत तथा सीजीएमएससी द्वारा विगत 3 वर्षों में क्रय की गई कई दवाईयों का भुगतान आज पर्यन्त नहीं किया गया है? यदि हाँ तो किन-किन फर्मों को, किन-किन दवाईयों का, कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है व कब तक भुगतान किया जावेगा? (ख) उक्त दवाईयों में कौन-कौन सी एवं कितनी दवाईयां अमानक पाई गई तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है? उक्त दवाईयों के क्रय के संबंध में किसके द्वारा, किसको एवं क्या शिकायत की गई है एवं शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार। जी नहीं। एनएचएम के राज्य कार्यालय के अंतर्गत दवाईयों का क्रय नहीं किया जाता है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है (ख) अमानक की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस" \]](#)

शासकीय महाविद्यालय सरायपाली में जनभागीदारी समिति के आय व्यय की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

29. (क्र. 2167) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24, 2024-25 में दिनांक 20/01/2024 तक स्व. राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली के जनभागीदारी समिति को कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त राशि को किन-किन कार्यों में खर्च किया गया है ? कार्य, खर्च की गई राशि का पूर्ण विवरण बताएं? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित अवधि के दौरान क्या जनभागीदारी मद की राशि से सामग्री क्रय की

गई है ? यदि हां, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार के भंडार और क्रय नियमों का पालन करते हुए खरीदी की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी प्रपत्र पर संलग्न है। (ख) जी हां । छ.ग. भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस" \]](#)

सीजीएमएससी द्वारा खरीदी गई दवाई और मेडिकल उपकरणों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. (क्र. 2168) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 2022-23 और 2023-24, 2024-25 में दिनांक 20/01/2024 तक कितने फर्मों से, किस-किस प्रकार की दवाई, मेडिकल उपकरण समेत अन्य सामग्री की खरीदी कितनी राशि खर्च कर, की गई है ? क्या दवाई, मेडिकल उपकरणों की खरीदी हेतु कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो समिति में कौन-कौन हैं और समिति की बैठक में क्या निर्णय लिए गए है ? पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) क्या खरीदी की गई दवाईयों, मेडिकल उपकरणों के अमानक होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संबंधित फर्म के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विजयपुर एवं बेलपान का विकास

[संस्कृति]

31. (क्र. 2181) श्री धर्मजीत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत विजयपुर एक सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर एवं ऐतिहासिक महत्व का स्थल हैं, जो विजयपुर किला के नाम से सुप्रसिद्ध है ? (ख) क्या कंडिका "क" के क्षेत्र में ग्राम बेलपान के नर्मदा कुंड में नर्मदा नदी का उदगम स्थल है ? (ग) कंडिका "क" एवं "ख" के विकास के लिए अभी तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं, विवरण देवें एवं क्या इन्हें पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल के रूप में घोषित कर विकास किया जावेगा? हां तो विस्तृत विवरण देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) हां, यह सत्य है। (ख) नहीं, बेलपान के नर्मदा कुंड में नर्मदा नदी का उदगम स्थल नहीं है। यह स्थानीय मान्यता है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से भूमिगत प्रवाहित होते हुए यहाँ आकर प्रकट हुई है। (ग) कंडिका 'क' में उल्लेखित विजयपुर किला संरक्षित स्मारक स्थल नहीं है। अतः इसके विकास के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किये गए हैं। विजयपुर किला स्थल का पुरातत्त्व सर्वेक्षण करवाया गया है और वहाँ विद्यमान ऐतिहासिक चिन्हों को सुरक्षित करने जिला प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है। कंडिका 'ख' में उल्लेखित बेलपान स्थित शिव मंदिर का सीमांकन संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय, आयुक्त बिलासपुर के समक्ष लंबित होने के कारण कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त मंदिर भारत सरकार के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल के अधीन संरक्षित स्मारक है।

प्रदेश में मेलों या महोत्सव का आयोजन

[संस्कृति]

32. (क्र. 2190) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में प्रत्येक वर्ष किस-किस महीने में कहां-कहां बड़े मेलों, या महोत्सव का आयोजन होता है तथा प्रदेश शासन द्वारा कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि का अनुदान प्रदाय किया जाता है? (ख) कितने मेलों, महोत्सव को राज्य शासन पूर्णतः संचालित करती है तथा कितने को अन्य संस्था, सामाजिक संस्था

संचालित करती है? (ग) उक्त मेलों, महोत्सव आदि के लिये राज्य शासन द्वारा विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा कितनी कितनी राशि व्यय की गयी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) प्रदेश में प्रत्येक वर्ष मेला या महोत्सव आयोजन की माहवार, स्थानवार तथा प्रदाय अनुदान राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) मेला, महोत्सव को राज्य शासन पूर्णतः संचालित करती है प्रपत्र "अ" तथा अन्य संस्था, सामाजिक संस्था संचालित करती है **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ग) उक्त मेला, महोत्सव आदि के लिए राज्य शासन द्वारा विगत 3 वर्षों में बजट प्रावधान तथा प्रावधानित राशि व्यय किया गया है।

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान राशि रू	व्यय राशि रू
1	2021-22	15,50,00,000/-	15,44,61,094/-
2	2022-23	32,06,55,000/-	31,65,36,418/-
3	2023-24	61,00,01,000/-	38,60,13,598/-

महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को मासिक ट्रेवल अलाऊंस का भुगतान तथा उस पर व्यय

[उच्च शिक्षा]

33. (क्र. 2194) डॉ. चरण दास महंत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में शासकीय तथा निजी कालेज में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को मासिक ट्रेवल अलाऊंस का भुगतान कब से किया जाना है, क्या एरियर्स का भुगतान भी किया जाएगा ? (ख) मासिक ट्रेवल अलाऊंस देने से प्रतिवर्ष अनुमानित आर्थिक भार कितना आएगा ? क्या शासकीय तथा निजी दोनों प्रकार के संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाएगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। एरियर्स भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) योजना लागू नहीं होने के कारण बताना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के निःशुल्क ईलाज के लिए संचालित योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. (क्र. 2200) श्री इंद्र साव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के निःशुल्क ईलाज के लिए कौन-कौन सी योजना मरीजों के लिए संचालित है? (ख) ईलाज हेतु शासन की ओर से मरीजों को, किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है एवं इनकी प्रक्रिया क्या है? (ग) वर्ष 2022 से दिसंबर, 2023 तक भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के कितने मरीजों का ईलाज इस योजना अंतर्गत किया गया है, संख्या बतायेंगे एवं कुल कितनी राशि ईलाज हेतु शासन द्वारा प्रदान की गयी है ? वर्षवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) वर्तमान में मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित है। (ख) ईलाज हेतु शासन की ओर से मरीजों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को रूपये 5 लाख एवं शेष राशनकार्डधारी परिवारों को रूपये 50 हजार तक की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। ईलाज प्राप्त करने के लिए हितग्राही के पास आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है। आयुष्मान कार्ड नहीं होने की स्थिति में राशनकार्ड होना अनिवार्य है। मरीज योजना में पंजीकृत अस्पताल में भर्ती होकर निर्धारित पैकेज के अनुसार ईलाज प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से रूपये 25 लाख तक का ईलाज प्राप्त करने हेतु मरीज द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होता है। (ग) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

स्कूल शिक्षा अभियान अंतर्गत गणवेश खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

35. (क्र. 2211) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए जिला-कबीरधाम हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गणवेश खरीदी हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ? जानकारी दें। (ख) भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में गणवेश क्रय किनके माध्यम से किया जाता है? क्या सर्व शिक्षा अभियान के तहत निशुल्क वितरण हेतु गणवेश खरीदी/आपूर्ति के लिए शासन द्वारा किसी फर्म को अधिकृत किया गया है? यदि हां तो किसे ? (ग) क्या कबीरधाम जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रश्नांश 'ख' में उक्त अधिकृत फर्म से गणवेश की खरीदी की गई है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि की जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए जिला-कबीरधाम हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत गणवेश खरीदी हेतु कुल 59595600.00 राशि स्वीकृत की गई है। (ख) छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क. एफ 17-07/2021/20-एक, नवा रायपुर दिनांक 15/12/2021 में निःशुल्क गणवेश कय करने हेतु प्रावधानित राशि से गणवेश वस्त्रक्रय करने हेतु छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर को अधिकृत किया गया है। (ग) कबीरधाम जिला में समग्र शिक्षा के तहत प्रश्नांश (ख) में अधिकृत फर्म से कुल राशि रु. 59592031.00 से गणवेश की खरीदी की गई है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के शालाओं का उन्नयन एवं सेटअप अनुसार पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

36. (क्र. 2212) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 जनवरी से वर्ष 2023 दिसंबर तक की स्थिति में कितने प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में, कितने माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में एवं कितने हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें । (ख) क्या प्रश्नांश "क" में उन्नयन किए गए सभी शालाओं में स्वीकृत मापदंड के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं तो कितने में नहीं तथा कब तक कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी शाला का उन्नयन नहीं किया गया है। (ख) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य विभाग, जगदलपुर अंतर्गत की गई खरीदी के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. (क्र. 2219) श्री किरण देव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगदलपुर जिला को अप्रैल, 2022 से 25 जनवरी, 2024 तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? प्राप्त राशि, किन-किन कार्यों हेतु, कौन-कौन से मद में, कितनी-कितनी खर्च की गई तथा किस एजेंसी के माध्यम से कार्य कराये गये हैं ? वर्षवार एजेंसी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार की गयी खरीदी हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ? क्या भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें? (ग) क्या प्रश्नांश 'ख' अनुसार की गयी खरीदी की गुणवत्ता को लेकर या अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र” अनुसार है। (ख) भण्डार क्रय नियमानुसार एकल निविदा, सीमित निविदा एवं खुली निविदा की प्रक्रिया अपनाई गई है। जी हाँ, भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला जगदलपुर में नर्सिंग होम/अस्पताल संचालन की प्रदत्त अनुमति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. (क्र. 2220) श्री किरण देव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जगदलपुर अंतर्गत अप्रैल, 2022 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन से चिकित्सकों द्वारा कहां-कहां पर अस्पताल/नर्सिंग होम खोलने हेतु आवेदन किया गया है? वर्षवार बताएं। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार किस-किस संस्था को अनुमति प्रदान की गई है एवं कितने की अनुमति लंबित है? संस्था व संचालक के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? वर्षवार बताएं। (ग) प्रश्नांश 'ख' अनुसार कितने शासकीय चिकित्सक हैं जिन्होंने इस्तीफा देने का आवेदन दिया है परन्तु इस्तीफा स्वीकार किये बिना ही, किस-किस अधिकारी द्वारा किन-किन व्यक्तियों को अस्पताल संचालन करने की अस्थाई अनुमति प्रदान की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला जगदलपुर अंतर्गत अप्रैल 2022 में किसी भी अस्पताल/नर्सिंग होम खोलने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। वर्ष 2023 से प्रश्नांकित अवधि तक श्री बी. रमेश कुमार सेट्टी द्वारा आक्युपेशन हेल्थ सेंटर एनएमडीसी आयरण एण्ड स्टील प्लांट, नगरनार में अस्पताल खोलने हेतु आवेदन किया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार वर्ष 2022 में किसी भी संस्था को अनुमति नहीं प्रदान किया गया है एवं कोई आवेदन लंबित नहीं है। वर्ष 2023 से प्रश्नांकित अवधि तक किसी भी संस्था को अनुमति नहीं प्रदान किया गया है। आक्युपेशन हेल्थ सेंटर एनएमडीसी आयरण एण्ड स्टील प्लांट नगरनार अस्पताल संचालक श्री बी. रमेश कुमार सेट्टी का आवेदन लंबित है। (ग) जानकारी निरंक है।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र की शालाओं में छात्र संख्या के अनुपात में आवश्यक भवन/ फर्नीचर

[स्कूल शिक्षा]

39. (क्र. 2227) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, एवं हायर सेकण्डरी स्कूल है? क्या इन स्कूलों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए छात्र संख्या के अनुपात में आवश्यक भवन, फर्नीचर उपलब्ध हैं? कितने विद्यालयों में भवन व फर्नीचर की कमी है? जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित शालाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

प्राथमिक शाला	पूर्व माध्यमिक शाला	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
472	252	30	45

जी नहीं। प्राथमिक शालाओं में छोटे बच्चों के बैठने के लिए टाटपट्टी का उपयोग किया जाता है। 11 विद्यालयों में भवन व 05 विद्यालयों में फर्नीचर की कमी है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किए गए कार्य

[पर्यटन]

40. (क्र. 2228) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग

द्वारा पिछले 03 वर्षों में कौन-कौन से कार्य, कहां-कहां और कितनी लागत राशि के किए गए? वर्षवार, पर्यटन स्थलवार जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पिछले 03 वर्षों (2021, 2022 एवं 2023) में चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में कराए गए कार्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश के मापदण्ड

[स्कूल शिक्षा]

41. (क्र. 2230) श्री मोतीलाल साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश हेतु तय मापदण्ड क्या-क्या हैं? (ख) प्रदेश में कितने शासकीय स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में परिवर्तित किया गया है? (ग) शासकीय स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने के पश्चात पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये क्या व्यवस्था की गयी है? (घ) क्या रायपुर जिले में स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संचालन हेतु शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की भर्ती की गयी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) नियम प्रावधान **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रदेश में 403 शासकीय स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में परिवर्तित किया गया है। (ग) शासकीय स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने पश्चात पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन हेतु निकटतम शाला में प्रवेश, अतिरिक्त अध्यापन कक्ष निर्माण, दो पालियों में शाला का संचालन, सत्र 2022-23 तथा 2023-24 से संचालित होने वाले सेजेस विद्यालयों में अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम हेतु पृथक-पृथक पदसंरचना की स्वीकृति आदि व्यवस्थाएं की गई है। (घ) जी हां, रायपुर जिले में स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संचालन हेतु 550 शिक्षक एवं 100 गैर शिक्षकीय स्टाफ की संविदा भर्ती की गयी है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

राम वन गमन पथ योजना के तहत भुगतान की अद्यतन स्थिति

[पर्यटन]

42. (क्र. 2231) श्री मोतीलाल साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राम वन गमन पथ योजना के तहत अभी तक विभिन्न स्थलों पर किए गए निर्माण व अन्य कार्यों में कुल कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? (ख) उक्त योजना हेतु कितनी एजेंसियों को कार्य दिया गया एवं कितनी एजेंसियों की निविदा विभाग को कार्यवार प्राप्त हुई थी? (ग) उक्त योजना के तहत कितना कार्य हुआ है और कार्यवार कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राम वनगमन पथ के तहत अभी तक विभिन्न स्थलों पर किये गये निर्माण कार्यों व अन्य कार्यों में कुल राशि रू. 84.31 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। (ख) पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा अनुबंधित एजेंसी Telecommunication Consultant India Pvt. Ltd., New Delhi (TCIL)(भारत सरकार का उपक्रम), वापकोस लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को राम वनगमन पथ योजना अंतर्गत क्रियान्वयन कार्य दिया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित जिला कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा भी कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। अनुबंधित एजेंसियों द्वारा निविदा की कार्यवाही की गई है, अतः पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को कार्यवार निविदा प्राप्त नहीं हुई है। (ग) क्रियान्वित कार्य एवं कार्यवार पूर्ण करने का लक्ष्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा प्रदाता संस्थाओं को किया गया भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. (क्र. 2237) सुश्री लता उसेंडी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में 102, 104 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा का कार्य किस-किस संस्था के द्वारा कब से किया जा रहा है तथा इन्हें कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है? इन संस्थाओं को कार्य देने का आधार क्या है? कब-कब निविदा हुई तथा किस-किस के द्वारा निविदा में क्या-क्या दर प्रस्तुत की गई? कितनी फर्मों को अपात्र घोषित किया गया? फर्मों की अर्हता क्या थी? **(ख)** इन संस्थाओं से कब-कब कितनी-कितनी अवधि हेतु अनुबंध किया गया तथा अनुबंध अनुसार कितनी एम्बुलेंस किस-किस मापदण्ड की कब तक उपलब्ध कराई जानी थी व संस्थाओं द्वारा किस-किस मापदण्ड की उपलब्ध कराई गई? **(ग)** संस्थाओं के विरूद्ध अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों के लिए या स्वतः संज्ञान के आधार पर कब-कब जांच समिति बनाई गई व जांच समिति द्वारा क्या प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया व किसे दोषी माना गया व दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क)** प्रदेश में 102 एम्बुलेंस सेवा का कार्य दिनांक 29 सितंबर 2023 तक ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेस संस्था द्वारा संचालन किया गया तथा दिनांक 30 सितंबर 2023 से कंसोर्टियम आफ कैम्प एण्ड साई राम टेक्नो संस्था के द्वारा संचालन किया जा रहा है तथा ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेस संस्था को उक्त अवधि में लगभग राशि 117 करोड़ तथा कंसोर्टियम ऑफ कैम्प एण्ड साई राम टेक्नो संस्था को लगभग 03 करोड़ भुगतान किया गया है व राशि लगभग 14.18 करोड़ भुगतान किया जाना शेष है। इन संस्थाओं को कार्य देने हेतु निविदा प्रक्रिया (आर.एफ.पी. अनुसार) किया जाता है। दिनांक 21.03.2023 को निविदा प्रकाशित की गई तथा कंसोर्टियम आफ कैम्प एण्ड साई राम टेक्नो संस्था द्वारा राशि रू. 105600, डेयटॉन नेचरल रिसोर्सेस प्रा. लिमि. द्वारा राशि रू. 106011, जय अम्बे इमरजेंसी आई प्रा. लिमि. द्वारा राशि रू. 119499, ईएमआरआई जीएचएस द्वारा राशि रु. 130860 एवं जिगित्सा हेल्थ केयर लिमि. द्वारा राशि रू. 138974 का दर प्रस्तुत किया गया। कोई भी फर्मों को अपात्र घोषित नहीं किया गया। फर्मों की अर्हता **संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है।** 104 एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में संचालित नहीं है एवं प्रदेश में 108 एम्बुलेस सेवा का कार्य कंसोर्टियम आफ जय अम्बे ईमरजेंसी आई. प्रा. लिमि, सम्मान फाउन्डेशन एण्ड अदर्स संस्था के द्वारा दिसंबर 2019 से किया जा रहा है तथा इन्हें लगभग 210 करोड़ का भुगतान किया गया है व कोई राशि भुगतान किया जाना शेष नहीं है। संस्थानों को कार्य देने का आधार निविदा प्रक्रिया है। प्रश्नांश अवधि में कोई निविदा नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** 102 एम्बुलेंस हेतु दिनांक 10.08.2023 को 05 वर्ष एवं अतिरिक्त 02 वर्ष सेवा वृद्धि, 108 एम्बुलेंस हेतु दिनांक 18.11.2019 में 05 वर्ष एवं अतिरिक्त 03 वर्ष कार्य के प्रदर्शन एवं गुणवत्ता के आधार पर वृद्धि हेतु अनुबंध किया गया। 102 महतारी एक्सप्रेस (एम्बुलेंस) के 380 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराई गई, मापदण्ड की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है।** अनुबंध दिनांक से 150 दिवस के अंदर उपलब्ध करायी जानी थी, जिसे संस्था द्वारा 93 दिवस में उपलब्ध कराई गई। 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए 300 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराई गई, जिसकी निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मापदंड अनुसार कराई जानी थी संस्था द्वारा कराई गई है, मापदण्ड की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"स" अनुसार है।** **(ग)** उक्त अवधि में संस्था के विरूद्ध अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनायें/कार्यक्रम

[संस्कृति]

44. (क्र. 2238) श्री बघेल लखेश्वर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छ.ग. राज्य के आदिवासी समुदाय की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार इस समय क्या-क्या योजनायें व कार्यक्रम चला रही है? संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं में निहित उद्देश्य सहित बतावें? **(ख)** क्या

छ.ग. सरकार आदिवासी समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु कोई कार्यक्रम चलाने अथवा योजनायें लागू करने पर विचार कर रही है अथवा कार्ययोजना प्रस्तावित हो तो कृपया बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समुदाय की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत आदिवासी एवं लोक कला अकादमी संचालित है, जिसके द्वारा आदिवासी एवं लोक कलाएं, आदिवासी शिल्प एवं चित्रकला, लोक शिल्प एवं चित्रकला एवं लोक नृत्य एवं संगीत निहित उद्देश्यों से संबंधित कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है। एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 05 योजनायें:- 1. अनुसूचित जनजाति के श्रद्धा/पूजा स्थल (देवगुड़ी) ठाकुर देव एवं सांस्कृतिक केन्द्र घोटूल का परिरक्षण एवं विकास योजना 2. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना 3. अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम योजना 4. शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोककला महोत्सव 5. मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना संचालित है। इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करना, त्यौहारों, उत्सवों, महापुरुषों के कार्यों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परम्पराओं को अभिलेखित करना है, **जानकारी प्रपत्र "अ" में दर्शित है।** (ख) संस्कृति विभाग द्वारा आदिवासी समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु आदिवासी एवं लोक कला अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कार्यकारिणी सभा में अनुमोदन उपरांत वर्षभर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"]

शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम

[स्कूल शिक्षा]

45. (क्र. 2239) श्री बघेल लखेश्वर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 से 2023-24 में जनवरी, 2024 तक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु क्या-क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, योजनायें व अन्य कार्यक्रम चलाये गये? इन संचालित योजनाओं के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ही छ.ग. सरकार के द्वारा इन कार्यक्रमों व योजनाओं हेतु जिलों को स्वीकृत आबंटन राशि एवं व्यय की जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वर्ष 2021-22 से 2023-24 में जनवरी 2024 तक स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु परिषद से प्रशिक्षण व अन्य चलाए गए कार्यक्रमों की जानकारी एवं उद्देश्य **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ही छ.ग. सरकार द्वारा इन प्रशिक्षणों व अन्य कार्यक्रमों में जिलेवार स्वीकृत आबंटन राशि एवं व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

विधानसभा क्षेत्र रामपुर के तहत स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. (क्र. 2243) श्री फूलसिंह राठिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र रामपुर के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में दिनांक 28.01.2024 की स्थिति में कुल स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की जानकारी देवें? यदि पद रिक्त हैं तो कब तक रिक्त पदों में भर्ती करेंगे?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : विधानसभा क्षेत्र रामपुर के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में दिनांक 28.01.2024 की स्थिति में कुल स्वीकृत पद 479, कार्यरत 325 एवं रिक्त पद 154 है। रिक्त पदों में भर्ती हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सुविधा**

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (क्र. 822) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? (ख) संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से किन-किन स्थानों पर एक्स-रे व सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभनपुर एवं गोबरा नवापारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अभनपुर में एक्स-रे मशीन व सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोबरा नवापारा में एक्स-रे मशीन सुविधा उपलब्ध है सोनोग्राफी सुविधा नहीं है।

जिला बिलासपुर में फर्नीचर /विज्ञान सामग्री का क्रय एवं वितरण

[स्कूल शिक्षा]

2. (क्र. 1058) श्री दिलीप लहरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 31 दिसंबर, 2023 तक जिला बिलासपुर में शिक्षा विभाग अंतर्गत फर्नीचर, विज्ञान सामग्री इत्यादि का क्रय एवं वितरण किस प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है? विवरण दें। (ख) क्या इस प्रक्रिया में टेंडर का प्रयोग किया गया है? यदि हां तो प्रश्नावधि में सामग्री क्रय एवं वितरण हेतु टेंडर किस फर्म एवं कंपनी को दिया गया था? विवरण दें। (ग) क्या टेंडर प्रक्रिया व वितरण शासकीय नियमों के तहत हुआ है? यदि सामग्री वितरण संबंधी कहीं शिकायत हुई है? तो उक्त फर्म/कंपनी पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक जिला बिलासपुर में शिक्षा विभाग अंतर्गत फर्नीचर व विज्ञान सामग्री का क्रय छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के तहत सी.एस.आई.डी.सी. के ई-मानक एवं निविदा के माध्यम से किया गया है। (ख) जी हाँ। प्रश्नावधि में प्रयोगशाला सामग्री एवं उपकरण हेतु रिलायबल ट्रेडर्स बिलासपुर एवं सिंग इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव तथा फर्नीचर आपूर्ति हेतु सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जांजगीर-चाम्पा को क्रय एवं वितरण हेतु आदेश दिया गया था। (ग) जी हाँ। निविदा प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के तहत हुआ है। सामग्री वितरण संबंधी कोई शिकायत नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला-जांजगीर-चांपा अंतर्गत धार्मिक मंदिरों,मठों एवं ट्रस्ट का ऑडिट

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

3. (क्र. 1080) श्री ब्यास कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 से दिसंबर 2023 तक जांजगीर-चांपा जिला में संचालित किन-किन धार्मिक मंदिरों/मठों एवं ट्रस्ट का ऑडिट कब-कब, किस-किस स्तर के अधिकारियों/एजेंसी द्वारा किया गया? जांच के बिंदु क्या-क्या थे? जिलेवार संस्थानों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार जांच में कहां-कहां अनियमितता पायी गयी? दोषी कौन-कौन हैं व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान

करें। (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार कितने एवं किन-किन धार्मिक ट्रस्ट/मंदिरों/मठों को शासन द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया? जानकारी प्रदान करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जिला कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार:- जांच में कहीं अनियमितता नहीं पाई गई। (ग) किसी भी ट्रस्ट/मंदिरों/मठों को नियंत्रण में नहीं लिया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतीस"]

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित भवन विहीन एवं जर्जर शाला भवन

[स्कूल शिक्षा]

4. (क्र. 1082) श्री दिलीप लहरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय स्कूल भवन विहीन, अहाता विहीन एवं जर्जर भवन युक्त हैं? विद्यालय वार विवरण देवें। (ख) भवन विहीन स्कूलों का कब तक स्वयं का भवन निर्माण होगा ? जर्जर स्कूलों की मरम्मत एवं अहाता का निर्माण कब होगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) विद्यालयवार विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित ओपन स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

5. (क्र. 1188) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत कितने ओपन स्कूल कहाँ कहाँ संचालित हैं एवं उनमें पाठ्यक्रम कक्षावार कितने सीट पर प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? (ख) ओपन स्कूल खोलने हेतु क्या क्या मापदंड अपनाया जाता है ? (ग) क्या संचालित ओपन स्कूल में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अत्यधिक फ़ीस वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गयी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में ओपन स्कूल के अंतर्गत शास.उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 18 अध्ययन केन्द्र संचालित हैं। जिनमें हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के छात्रों को ओपन स्कूल में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में परीक्षा हेतु पंजीकृत किया जाता है। निर्धारित सीट का प्रावधान नहीं है। अध्ययन केन्द्रों की सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शासकीय विद्यालयों में ओपन स्कूल के अध्ययन केन्द्र बनाये जाने की कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

जिला-रायगढ़ प्रदेश में कार्यरत नियमित एवं अनियमित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (क्र. 1190) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-रायगढ़ में कितने नियमित एवं अनियमित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक कार्यरत हैं जानकारी देवें ? (ख) नियमित और अनियमित कर्मचारियों के वेतन में कितना अंतर है, वेतन विसंगति दूर करने हेतु क्या उपाय किए जाएँगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला रायगढ़ में 395 नियमित एवं 84 अनियमित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक कार्यरत हैं। (ख) नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों के वेतन में राशि

रूपये 8,400/- (ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक-पुरुष) एवं 10,400/- (द्वितीय ए.एन.एम.) का अन्तर है। दोनों प्रकार के पदों की भर्ती का स्वरूप एवं नियम पृथक एवं सेवा शर्तें भी भिन्न-भिन्न है।

जशपुर जिले मे संचालित स्वास्थ्य केन्द्र एवं जीवन दीप समितियों को प्राप्त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. (क्र. 1246) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जशपुर जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामु.स्वा केन्द्र संचालित हैं? नाम सहित बतावें। (ख) जशपुर जिले के कितने अस्पतालों में जीवनदीप समिति गिठत है? (ग) जीवनदीप समिति में 1.4.2021 से 1.1.2024 तक कितनी राशि प्राप्त हुई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जशपुर जिले में 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/09 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। नामवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जशपुर जिले के 44 अस्पतालों में जीवनदीप समिति गठित है। (ग) जीवनदीप समिति में प्रशंश अवधि में राशि रू. 41003722/- प्राप्त हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

जशपुर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के स्वीकृत/रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. (क्र. 1247) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला चिकित्सालय जशपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापना की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला चिकित्सालय जशपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 27 एवं चिकित्सकों के 23 पद स्वीकृत है। (ख) विशेषज्ञ चिकित्सकों के 16 एवं चिकित्सकों के 06 पद रिक्त है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग में मरम्मत एवं संधारण कार्यों हेतु आबंटित राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. (क्र. 1290) श्री दिलीप लहरिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मरम्मत एवं संधारण कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 31 दिसंबर ,2023 तक कितनी राशि आबंटित की गई है ? (ख) बिलासपुर जिले में मरम्मत एवं संधारण कार्यों हेतु कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए तथा उक्त कार्य में व्यय की गई राशि की वर्षवार, कार्यवार, जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मरम्मत एवं संधारण कार्यों के लिए उक्त अवधि में सीधे आबंटन प्रदान नहीं किया गया है। (ख) प्रशंश 'क' के प्रकाश में प्रशंश 'ख' उपस्थित नहीं होता है।

कोरबा जिला में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों पर कृत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

10. (क्र. 1362) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2023 से 15 जनवरी ,2024 तक कोरबा जिला के अंतर्गत विकासखंड शिक्षा अधिकारियों/प्रभारियों की वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार गबन के संबंध में शिकायत के आधार पर विभाग

द्वारा जांच की गई है ? यदि हां तो किन- किन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्न 'क' के अधिकारियों की जांच किस-किस स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई ? जांच उपरांत कौन-कौन से अधिकारियों को दोषी पाया गया? दोषियों पर नियमानुसार क्या-क्या कार्यवाही की गई ? जांच अधिकारी के नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुक्रम में जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

जिला-महासमुंद अंतर्गत शालाओं में रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

11. (क्र. 1403) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-महासमुंद में प्राथमिक , उच्च प्राथमिक हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में स्वीकृत पद रिक्त तथा कार्यरत पद की संख्या बताएं ? (ख) जिला-महासमुंद अंतर्गत प्रश्नांश "क" की शालाओं में वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या तथा वर्तमान दर्ज संख्या के आधार पर अतिशेष पद तथा पद कमी की संख्या बताएं ? (ग) शालाओं में वर्तमान दर्ज संख्या के आधार पर पद संख्या निर्धारण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश क अनुसार शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में रचनाक्रम अनुसार पद स्वीकृत है, दर्ज संख्या अनुसार निर्धारण नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत राजनांदगांव जिला में स्वास्थ्य सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. (क्र. 1425) श्री दलेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या वर्ष 2020-21 से 2023-24 में दिसंबर,2023 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत राजनांदगांव जिला में स्वास्थ्य भवन, ऑक्सीजन प्लांट एवं अन्य संरचना कार्य कराया गया है या प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो विकासखण्डवार, मदवार, एजेंसीवार, कार्यवार, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, मूल्यांकन सत्यापन, बिलो राशि एवं व्यय की जानकारी कार्यवार, देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

राजनांदगांव जिला में स्वास्थ्य केंद्रों में व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. (क्र. 1426) श्री दलेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिला के शासकीय मेडिकल कॉलेज , जिला चिकित्सालय व सामुदायिक, प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो किस किस मद में कितनी राशि प्राप्त हुई, प्राप्त राशि में से कितनी कितनी राशि, किन-किन कार्यों, दवाई/उपकरण खरीदी में व्यय की गई है? क्या प्रश्नावधि में व्यय राशि एवं कार्यों के संबंध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? किये गये व्यय की स्वास्थ्य केन्द्रवार, वर्षवार जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जानकारी "पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ" अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है।**

पर्यटन की दृष्टि से गंगरेल डेम एवं अंगारमोती माता मंदिर को विकसित करने हेतु कृत कार्यवाही

[पर्यटन]

14. (क्र. 1469) श्री ओंकार साह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गंगरेल डेम एवं अंगारमोती माता मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु विभाग द्वारा क्या पहल की गयी है ? **(ख)** क्या पर्यटन की दृष्टि से गंगरेल डेम एवं अंगारमोती माता मंदिर परिसर में संचालित अस्थायी कच्चे दुकानों को पक्के एवं स्थायी बनाने के लिए योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इस हेतु योजना बनाई जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** गंगरेल डेम एवं अंगारमोती माता मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु किये गये विकास कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। बरदिहा लेक व्यूह रिसार्ट के साथ जल पर्यटन गतिविधियों हेतु खुली निविदा के माध्यम से चयनित लीज धारक के द्वारा संचालन किया जा रहा है। **(ख)** वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी

स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

15. (क्र. 1500) श्री व्यास कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक, मिडिल, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? उनमें सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राचार्य के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं, की शालावार, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों में कितने भवन जर्जर तथा कितने स्कूल भवनविहीन हैं? जानकारी प्रदान करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ** अनुसार है।

बालोद जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत व रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. (क्र. 1530) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिले के अंतर्गत स्थित चिकित्सालयों व सामुदायिक केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त चिकित्सालय/सामुदायिक केन्द्र में वर्तमान में कितने पदस्थ हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? **(ग)** स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क)** विशेषज्ञ चिकित्सक के 60 पद एवं चिकित्सक के 97 पद स्वीकृत है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के विशेषज्ञ चिकित्सक 08 पद एवं चिकित्सक के 13 पद स्वीकृत है। **(ख)** वर्तमान में 12 चिकित्सा विशेषज्ञ एवं 68 चिकित्सक पदस्थ हैं तथा चिकित्सा विशेषज्ञ के 48 पद एवं चिकित्सक के 29 पद रिक्त है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के 03 विशेषज्ञ

चिकित्सक एवं 04 चिकित्सक पदस्थ हैं तथा विशेषज्ञ चिकित्सक के 05 पद एवं चिकित्सक के 09 पद रिक्त है। (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों हेतु उपलब्ध सुविधायें

[उच्च शिक्षा]

17. (क्र. 1531) श्री संदीप साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की वर्ष 2021-22 से अब तक कितने छात्रों द्वारा डिग्री हासिल की है? (ख) उक्त विश्वविद्यालय में वर्तमान स्थिति में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? (ग) उक्त विश्वविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है ? (घ) उक्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रदेश के संबंधित विभागों में पदों पर नियुक्ति हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 तक कुल 688 छात्रों ने डिग्री हासिल की है। (ख) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र पर संलग्न है। (ग) रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा से एम.ए. (पीजी) कोर्स का संचालन

[उच्च शिक्षा]

18. (क्र. 1532) श्री संदीप साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से एम.ए. (पी.जी.) कोर्स का संचालन कब से किया जा रहा है? (ख) उक्त विश्वविद्यालय वर्ष 2021 से 2023 तक कितने विद्यार्थियों ने एम.ए. छत्तीसगढ़ी की उपाधि प्राप्त की है? (ग) उक्त डिग्रीधारी विद्यार्थियों को सरकारी विभाग में नियुक्ति देने हेतु आज तक सरकार द्वारा क्या-क्या योजना बनाई गई तथा कितने डिग्रीधारी विद्यार्थियों को नौकरी प्रदान की गई है? जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश के 02 राजकीय एवं 02 निजी विश्वविद्यालय में एम.ए. छत्तीसगढ़ी का पाठ्यक्रम निम्नानुसार वर्षों से संचालित है:-

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	संचालन का वर्ष
1	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	2013-14
2	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर	2022-23
3	डॉ. सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर	2018-19
4	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद	2017-18

(ख) कंडिका "क" के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2021 से 2023 तक कुल 146 विद्यार्थियों ने एम.ए. छत्तीसगढ़ी की उपाधि प्राप्त की है।

(ग) छत्तीसगढ़ी भाषा में एम.ए. करने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी देने हेतु पृथक से सरकार की कोई योजना नहीं है किंतु सरकारी नौकरी हेतु किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता वाले सभी पदों पर उक्त विद्यार्थी भी पात्रता रखते हैं। उक्त डिग्रीधारी नौकरी पाने वाले विद्यार्थी की संख्या की जानकारी का संधारण नहीं किया जाता है।

प्रदेश में होटल/मोटल की अद्यतन स्थिति

[पर्यटन]

19. (क्र. 1560) श्री अजय चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में पर्यटन विभाग अंतर्गत कितने होटल/मोटल कहां-कहां संचालित हैं तथा कौन-कौन सा, कितने, कब से बंद है? उनमें वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 30 नवंबर, 2023 तक प्रति होटल/मोटल पर, किन-किन मदों से, कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों में व्यय की गयी? (ख) प्रश्नांश "क" वर्षों में कौन-कौन से होटल/मोटल के पुर्ननिर्माण/रेनोवेशन तथा अन्य किस-किस कार्यों के लिये, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? यह कार्य किनके द्वारा, कब-कब करायी गयी? संस्था का नाम, पता व मालिक का नाम सहित बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा 18 इकाईयों (होटल, मोटल, रिसॉर्ट) तथा अनुबंध धारक द्वारा 02 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। तथा 17 इकाईयों बंद है। विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार** है। तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाईयों के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 30 नवम्बर 2023 तक मद्दार, कार्यवार व्यय राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** के तालिका-1, तालिका-2 एवं तालिका-3 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "ख" में चाही गयी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स"** अनुसार है।

समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रतिनियुक्ति में पदस्थ शिक्षक संवर्ग कर्मचारियों की गतिरोध भत्ता

[स्कूल शिक्षा]

20. (क्र. 1561) श्री अजय चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश के शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को गतिरोध भत्ता, प्रतिमाह कितने रूपये कब से दिया जा रहा है? इसके संबंध में शासन का क्या आदेश-निर्देश है? (ख) शिक्षा विभाग के कौन-कौन से कार्यालयों में, कितने-कितने शिक्षक संवर्ग के शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और उनमे से कौन-कौन से कार्यालयों के शिक्षकों को गतिरोध भत्ता दिया जा रहा है एवं कौन-कौन से कार्यालयों में नहीं दिया जा रहा है? (ग) समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक संवर्ग को गतिरोध भत्ता दिया जा रहा है कि नहीं? यदि नहीं दिया जा रहा है तो इसका कारण क्या है? इसके लिये क्या नियम-निर्देश बनाया गया है उसकी प्रति सहित बतायें, कब से नहीं दिया जा रहा है तथा कब से देना प्रारंभ कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) प्रदेश के शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को गतिरोध भत्ता दिनांक 01.04.2013 से प्रतिमाह रूपये 600/- दिया जा रहा है। इसके संबंध में शासन के नियम-निर्देश **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2016 को जारी पत्र जो **संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार है, के परिपालन में नहीं दिया जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के पत्र क्रमांक/1667/एस.एस/ईई/लेखा/2020-21, दिनांक 02.02.2021 के अनुसार नहीं दिया जा रहा है, जो **संलग्न प्रपत्र 'द'** अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" \]](#)

प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी

[संस्कृति]

21. (क्र. 1622) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विभाग द्वारा वर्ष 2021 से जुलाई, 2023 तक कितनी कितनी राशि का बजट सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित था? प्रस्तावित राशि से कितनी राशि खर्च की गयी, कितनी राशि शेष है ? वर्षवार जानकारी

देवें? **(ख)** प्रदेश में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, किन किन श्रेणी में रखा गया है एवं उनके लिए कितनी कितनी राशि का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** विभाग द्वारा वर्ष 2021 से जुलाई, 2023 तक समारोह हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रू. 15,50,00,000/- वर्ष 2022-23 में राशि रू. 32,06,55,000/- तथा वर्ष 2023-24 में राशि रू. 61,00,01,000/- बजट सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित था। प्रस्तावित राशि से खर्च एवं शेष की वर्षवार जानकारी प्रपत्र "अ" में दर्शित है। **(ख)** प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को श्रेणी में नहीं रखा गया है।

सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु चिन्हांकित स्थल

[पर्यटन]

22. (क्र. 1655) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में चिन्हांकित पर्यटन स्थल के विकास के लिए शासन की क्या कार्ययोजना है? **(ख)** चिन्हांकित स्थलों के विकास के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितनी स्वीकृति एवं व्यय की गई थी? राशि की जानकारी स्थलवार देवें। **(ग)** व्यय की गई राशि से क्या क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये हैं? स्थलवार जानकारी देवें। **(घ)** पर्यटन स्थल के विकास के लिए स्वीकृत राशि का व्यय न करने वाले दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के चिन्हांकित पर्यटन स्थल मैनपाट में मॉल रोड विकास हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। **(ख)** चिन्हांकित पर्यटन स्थल मैनपाट के पर्यटन विकास हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) में स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** व्यय की गयी राशि से कराए गए निर्माण कार्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(घ)** पर्यटन स्थल के विकास के लिए स्वीकृत राशि पर व्यय संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

प्रदेश के महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापन की सुविधा

[उच्च शिक्षा]

23. (क्र. 1696) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापन हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? जानकारी देवें ? **(ख)** क्या प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1200 से ज्यादा छात्र/छात्राएं छत्तीसगढ़ी भाषा में डिग्री प्राप्त कर चुके हैं ? यदि हां, तो इनकी रोजगार हेतु क्या व्यवस्था की गई है, जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** प्रदेश के महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। **(ख)** जी नहीं। प्रदेश के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में कुल 423 विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में डिग्री प्राप्त की है। किसी भी डिग्री विशेष के लिए पृथक से रोजगार की व्यवस्था करने का प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा चिकित्सकों/कर्मचारियों का नियमितिकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. (क्र. 1800) श्री ब्यास कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा चिकित्सकों/कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? क्या कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए कोई

समिति गठित की गई है? भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक 2022 को कब तक राज्य सरकार द्वारा आत्मसात किया जाएगा? केन्द्र सरकार/नीति आयोग से अब तक कितने पत्र पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के गठन के लिए प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अधीन ही सी.जी.एम.एस.सी. और डी.एम.ई. अपने संविदा कर्मचारियों को 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि दे रहे हैं ? यदि हां तो एन.एच.एम. कर्मचारियों को कब तक 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि मिलेगी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा अमलों के नियमितकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए संयुक्त संचालक (वित्त) की अध्यक्षता में आदेश दिनांक 28.06.2021 द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट अनुशंसा सहित राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अब तक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए 07 पत्र प्राप्त हुए। इस हेतु समिति का गठन किया गया है **(ख)** जी हां, सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि प्रदाय की गई है। एन.एच.एम. अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती

[उच्च शिक्षा]

25. (क्र. 1884) श्री रिकेश सेन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? **(ख)** क्या रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी होने के उपरांत भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर नियमों में संशोधन की कार्यवाही की गई थी ? यदि हाँ, तो क्या संशोधन किये गए एवं संशोधन उपरांत भर्ती क्यों नहीं की गयी ? **(ग)** कब तक भर्ती की जाएगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** 760 पद। **(ख)** जी हां, प्रपत्र पर संलग्न है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

दुर्ग संभाग स्थित होटल, मोटल एवं रिसोर्ट की अद्यतन स्थिति

[पर्यटन]

26. (क्र. 1928) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग संभाग में किन-किन स्थानों पर होटल, मोटल एवं रिसोर्ट का निर्माण किन-किन योजनाओं एवं किन-किन मदों के अंतर्गत कराया गया है? निर्मित होटल, मोटल एवं रिसोर्ट के लिये कितनी - कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? योजनावार, मदवार, राशिवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत कहां-कहां के होटल, मोटल एवं रिसोर्ट वर्तमान में संचालित हो रहे हैं ? क्या संचालन हेतु किसी निजी फर्म/एजेंसी को नियुक्त किया गया है ? यदि हां तो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या थी? उक्त होटल, मोटल एवं रिसोर्ट के लिये स्टाफ की नियुक्ति कैसे की गई? नियुक्ति का आधार एवं मापदण्ड क्या-क्या था?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा दुर्ग संभाग में किये गये होटल, मोटल एवं रिसोर्ट निर्माण के संबंध में जानकारी योजनावार, मदवार, राशिवार **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अथवा निजी फर्म/एजेंसी के माध्यम से होटल, मोटल एवं रिसोर्ट के संचालन की स्थिति, संचालनकर्ता का चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया तथा होटल, मोटल एवं रिसोर्ट के लिये स्टाफ की नियुक्ति, एवं नियुक्ति का आधार एवं मापदण्ड की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

जिला-राजनांदगांव में संचालित रिसोर्ट एवं एडवेंचर पार्क

[पर्यटन]

27. (क्र. 1929) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला राजनांदगांव के वि.ख. राजनांदगांव के ग्राम जोरातरई एवं जिला बालोद के ग्राम तांदुला में संचालित हो रहे रिसोर्ट/एडवेंचर पार्क का निर्माण शासकीय योजना अंतर्गत किया गया है? यदि हां तो योजना का नाम एवं मद की जानकारी दें। निर्माण हेतु निविदा कब आमंत्रित की गई, एजेंसी का चयन किस आधार पर किया गया? कार्य स्वीकृति दिनांक, भुगतान दिनांक की जानकारी दें? **(ख)** क्या निर्माणाधीन रिसोर्ट एवं एडवेंचर पार्क का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं संचालन हेतु निविदा कब आमंत्रित की गई? चयनित एजेंसी/फर्म के चयन का आधार एवं मापदंड क्या था? संचालनकर्ता फर्म/एजेंसी द्वारा शासन को कितनी राशि का भुगतान किया जाता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :**(क)** जी हां ! मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत जोरातरई में ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर आजीविका सह पर्यटन केन्द्र जोरातरई की स्थापना की गई है। उक्त निर्माण हेतु किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। उक्त कार्य के कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत जोरातरई है। उक्त कार्य में गौण खनिज तथा 15 वें वित्त मद जिले के डीएमएफ मद से कराया गया है। स्वीकृति एवं भुगतान की मदवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जिला कलेक्टर कार्यालय, बालोद से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बालोद के ग्राम तांदुला में संचालित हो रहे रिसोर्ट एडवेंचर पार्क का निर्माण जिला खनिज संस्थान न्यास बालोद को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद से प्राप्त प्रस्ताव/तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 220174853677 एवं 20114866878, दिनांक 24.12.2022 के तहत राशि रू. 271.05 लाख (दो करोड़ इकहत्तर लाख पाँच हजार मात्र) की स्वीकृति दी गई है। निर्माण हेतु निविदा दिनांक 25.01.2023 एवं 01.02.2023 को पृथक-पृथक आमंत्रित की गई। कार्य स्वीकृति दिनांक 24.12.2022 एवं भुगतान दिनांक 01.02.2024 एवं 06.02.2024 है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित रिसोर्ट का संचालन पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत जोरातरई आजीविका सह पर्यटन केन्द्र का संचालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। उक्त संचालन हेतु निविदा दिनांक 25.01.2023 को आमंत्रित की गई थी। चयन प्रक्रिया अनुसार चयनित फर्म/एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत को प्रतिमाह 28000/- भुगतान किया जा रहा है। जिला कलेक्टर कार्यालय, बालोद से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बालोद के ग्राम तांदुला में निर्माणाधीन रिसोर्ट एवं एडवेंचर पार्क का संचालन हेतु दिनांक 17.04.2023 को निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में निहित मापदंड के अनुरूप पाए जाने पर एवं अधिकतम दर के आधार पर चौहान हाऊसिंग भिलाई लिमिटेड को चयनित किया गया है। संचालनकर्ता द्वारा तांदूला वॉटर टूरिज्म सोसाइटी बालोद को वार्षिक राशि 16.00 लाख का भुगतान किया जाना है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वीकृत राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

28. (क्र. 1944) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वच्छता अभियान एवं संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिये वर्ष 2021-22 से 15 जनवरी, 2024 तक कौन-कौन से कार्य कितनी लागत के स्वीकृत किये गये हैं ? **(ख)** स्वीकृत योजनाओं को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेन्स की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. (क्र. 1945) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**सिहावा विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने एम्बुलेन्स संचालित हैं ? **(ख)** इनमें कितने एम्बुलेन्स चालू हालत में हैं और कितने खराब हैं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :**(क)** 17 एंबुलेंस संचालित है। **(ख)** सभी 17 एंबुलेंस चालू हालत में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिला में आकांक्षा योजना के तहत शिक्षकों का चयन

[स्कूल शिक्षा]

30. (क्र. 1981) श्री बालेश्वर साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिला अंतर्गत संचालित आकांक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तक कुल कितनी राशि, कौन-कौन से मद से प्राप्त हुई है ? उक्त योजना हेतु शिक्षकों को किस मापदंड एवं प्रक्रिया के आधार पर चयनित किया गया ? बच्चों के भोजन हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गई, कृपया जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिला में से केवल जांजगीर-चांपा में आकांक्षा योजना संचालित है। जिला जांजगीर-चांपा में आकांक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में राशि रू. 1,16,29,000/-, वर्ष 2022-23 में राशि रू. 1,79,62,000/- एवं वर्ष 2023-24 में राशि रू. 1,69,19,940/- जिला खनिज संस्थान न्यास मद से प्राप्त हुई है। उक्त योजना अंतर्गत विषय विशेषज्ञों की भर्ती हेतु जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त जीव विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन से संबंधित विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। विषय जीव विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन से संबंधित विषय के लिये M.Sc./BE/B.Tech/ M.Tech, किसी मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्था में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव व मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्था में NEET, IIT-JEE Mains/Advance की कोचिंग कार्य अनुभवी को प्राथमिकता निर्धारित की गई थी। बच्चों के भोजन व्यवस्था हेतु आकांक्षा कार्यक्रम अंतर्गत विज्ञप्ति क्रं. 90 दिनांक 02.06.2023, विज्ञप्ति क्रमांक 107 दिनांक 04.07.2023 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 121 दिनांक 28.07.2023 द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति जारी की गई है।

जैजपुर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत/ कार्यरत/ रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. (क्र. 1982) श्री बालेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जैजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों (नियमित/संविदा) सहित सेटअप की जानकारी कृपया प्रदाय करें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

जिला खैरागढ़ सी खदान गंडई अंतर्गत धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से चिन्हांकित ग्राम

[पर्यटन]

32. (क्र. 2035) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला खैरागढ़ सी खदान गंडई अंतर्गत धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से कितने ग्रामों को

चिन्हांकित किया गया है? वर्ष 2021 से अक्टूबर 2023 तक जिला के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं अन्य प्रकार के कार्य हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकासखंड वार बतावें? **(ख)** क्या विधान सभा खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जंगलपुर (डोंगेश्वर महादेव चोडरा धाम), छिंदारी बांध, कोपरो स्थित धासकुंवा झरना, पैलीमेटा जलाशय, नर्मदा कुंड नर्मदा मन्दिर, जो ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटक महत्व के ग्राम हैं, के जीर्णोद्धार व समदारीकरण हेतु शासन स्तर पर कोई कार्रवाई पूर्व में की गई है? क्या कोई राशि स्वीकृत की गई है, यदि हां तो कब, यदि नहीं तो कब तक की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से चिन्हांकित पर्यटन स्थल की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। प्रश्नांकित अवधि में उक्त चिन्हांकित पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण के लिये राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। **(ख)** विधानसभा खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जंगलपुर (डोंगेश्वर महादेव चोडरा धाम), छिंदारी बांध, कोपरो स्थित धासकुंवा झरना, पैलीमेटा जलाशय, नर्मदा कुंड नर्मदा मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु जिला कलेक्टर से स्थल का परीक्षण प्रतिवेदन एवं वहां आवश्यक पर्यटन विकास कार्यों का प्रस्ताव मांगा गया है। विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। उक्त स्थलों के पर्यटन विकास हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अतः स्वीकृति हेतु समय बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के भरे एवं रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

33. (क्र. 2048) श्री रामकुमार टोप्यो : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने पद पर शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

शासकीय चिकित्सकों द्वारा निजी अस्पताल का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. (क्र. 2091) श्री सुशांत शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शासकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के लिए निजी अस्पताल खोलने अथवा निजी अस्पतालों में सेवायें देने के सम्बंध में क्या-क्या नियम एवं दिशा निर्देश हैं? जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या शासकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों को स्वयं का अस्पताल खोलने अथवा निजी अस्पतालों में सेवा देने की छूट प्रदान की गई है? निजी अस्पतालों का संचालन अथवा सेवायें दी जा रही हैं? **(ग)** यदि शासकीय चिकित्सकों को निजी अस्पताल खोलने अथवा सेवायें देने की छूट प्रदान नहीं की गई है तो प्रश्नांश **(ख)** अंतर्गत कितने चिकित्सकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में है? प्राप्त शिकायतों/ संज्ञान पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? चिकित्सक के नाम, पदस्थापना स्थान सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क)** शासकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के लिए निजी अस्पताल खोलने अथवा निजी अस्पतालों में सेवायें देने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 15-56/2017/नौ/55-4 दिनांक 01 मई, 2018 के तहत विभागीय पुनरीक्षित नियम एवं निर्देश जारी किये गये हैं। **(ख)** जी हाँ, सशर्त छूट दी गई है। जी हाँ। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तथापि शर्तों का

उल्लंघन करने संबंधी 08 चिकित्सकों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित चिकित्सकों को स्पष्टीकरण जारी किया गया है। चिकित्सकों के नाम एवं पदस्थापना की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार हैं।**

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा द्वारा की गई खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

35. (क्र. 2092) श्री सुशांत शुक्ला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2021 से दिसम्बर 2023 तक कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा द्वारा विभिन्न सामग्रियों की खरीदी की गई ? यदि हाँ, तो कितनी सामग्रियों की खरीदी कितनी मात्रा में, किस दर पर क्रय की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें । **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" की खरीदी हेतु विभागीय अनुमति एवं क्रय समिति का अनुमोदन लिया गया था ? यदि हाँ तो कब-कब ? **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" की खरीदी के लेखापरीक्षण में वित्तीय अनियमितता पाई गई ? यदि हाँ, तो क्या-क्या ? **(घ)** विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा के विरुद्ध प्रश्नांकित अवधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में आयी एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	वर्ष	अनुमोदनतिथि
1	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	कोई खरीदी नहीं की गई है।
2	वर्ष 2021-22	02.07.2021 व 19.08.2021,
3	वर्ष 2022-23 में	-
4	वर्ष 2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	27.09.2023

(ग) प्रश्नांश अवधि का लेखा परीक्षण नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग द्वारा संभाग दुर्ग अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

36. (क्र. 2097) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से दिसम्बर, 2023 तक संभाग दुर्ग के जिला अंतर्गत धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा किन-किन कार्यों के लिए कितनी कितनी राशि आवंटित की गई है? वर्षवार, जिलावार, कार्यवार, जानकारी देवें? **(ख)** संभाग अंतर्गत जिलों में स्वीकृत कार्यों के लिए किस-किस विधायकों से मांगपत्र/ अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ ? अनुशंसा पर कितने कार्यों की स्वीकृति दी गई और कितने कार्यों को अस्वीकृत किया गया? विधायकों के मांग/ अनुशंसा के स्वीकृत, अस्वीकृत कार्यवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या किसी माननीय सदस्यों (विधायकों) के अनुशंसा पर स्वीकृति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो कारण क्या था ऐसे मांग/ अनुशंसा की पृथक से अनुशंसा वार जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र -ब** अनुसार है । **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-स** अनुसार है।

विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. (क्र. 2146) श्री रामकुमार यादव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला सक्ती के अंतर्गत शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं ? विकास खण्ड वार जानकारी देवें। (ख) उन स्वीकृत पदों में कितने रिक्त हैं, कब से रिक्त हैं? उन रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विभाग द्वारा कब प्रयास किये गये हैं? विवरण देवें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चिकित्सा विशेषज्ञ के सीधी भर्ती के एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

शैक्षणिक पदों हेतु नियमानुसार रोस्टर का संधारण

[उच्च शिक्षा]

38. (क्र. 2156) श्री धरमलाल कौशिक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या विगत 03 वर्षों से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा शैक्षणिक पदों हेतु नियमानुसार रोस्टर का संधारण किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन वर्षों में किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों एवं इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? (ख) इस वित्तीय वर्ष में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन कब-कब, किन-किन पदों हेतु जारी किये गए ? इनमें से कितने पद आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के लिये रोस्टर संधारण के अनुसार कैरी फारवर्ड श्रेणी में रखे गए थे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जी हाँ। वर्ष 2023 में शैक्षणिक पदों हेतु नियमानुसार रोस्टर का संधारण किया गया है। (ख) इस वित्तीय वर्ष में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक के 8, सह प्राध्यापक के 22 एवं सहायक प्राध्यापक के 19 कुल 49 पदों) की भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 06-09-2023 को जारी किये गये। विज्ञापित 49 शैक्षणिक पदों में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के लिए एवं रोस्टर संधारण अनुसार कैरी फारवर्ड (बैकलॉग) पदों का विवरण **प्रपत्र पर संलग्न** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" \]](#)

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में स्वीकृत राशि व व्यय

[स्कूल शिक्षा]

39. (क्र. 2157) श्री धरमलाल कौशिक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि (केन्द्रांश) आवंटित की गई है व कितना राज्यांश राज्य सरकार द्वारा योजनाओं में उपलब्ध कराया गया है? इन आवंटित/उपलब्ध राशियों के विरुद्ध कितना व्यय किया गया है व कितना व्यय किया जाना शेष है, वर्षवार, योजनावार, राशिवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश "क" अवधि में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य सरकार की क्या-क्या योजना संचालित है एवं इसके लिये कितना-कितना बजट आवंटित/उपलब्ध कराया गया है? इन आवंटित/उपलब्ध राशियों के विरुद्ध कितना व्यय किया गया है व कितना व्यय किया जाना शेष है? वर्षवार, योजनावार, राशिवार जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को योजनावार आवंटित केन्द्रांश व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये

गये राज्यांश तथा आबंटित/उपलब्ध राशियों के विरूद्ध व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है, शेष राशि निरंक है:-

क्र.	योजना का नाम	(राशि रूपये लाखों में)			
		आबंटित राशि		व्यय राशि	
		केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	समग्र शिक्षा	54787.16	52490.20	54787.16	52490.20
2	पी.एम.श्री योजना	986.95	657.97	986.95	657.97
3	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण	3558.29	2134.61	3558.29	2134.61
4	छात्रवृत्ति	0.00	359.86	0.00	359.86
	योग	59332.40	55642.64	59332.40	55642.64

(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

मुख्यमंत्री जतन योजना एवं समग्र विकास योजना

[स्कूल शिक्षा]

40. (क्र. 2160) श्री भोलाराम साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी, 2024 तक मुख्यमंत्री जतन योजना एवं समग्र विकास योजना से किन-किन शालाओं में, कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गए हैं ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका "क" में स्वीकृत कार्यों में से, कौन-कौन से, कार्य प्रारंभ/आप्रारंभ एवं कौन-कौन से कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) समग्र विकास योजना की जानकारी निरंक है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

राजनांदगांव जिलांतर्गत महाविद्यालयों में स्वीकृत कार्य

[उच्च शिक्षा]

41. (क्र. 2161) श्री भोलाराम साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी, 2024 तक किन-किन महाविद्यालयों में विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्य हेतु, किन-किन मदों में कितनी-कितनी लागत के, कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति की गई है तथा इन कार्यों की अद्यतन स्थिति की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : जानकारी प्रपत्र पर संलग्न है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

समायोजित लिंक शालाओं के संबंध में जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

42. (क्र. 2162) श्री भोलाराम साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अविभाजित राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक किन-किन शालाओं को कम दर्ज संख्या होने एवं दूरी कम होने के कारण समायोजित/बंद कर दिया गया है ? वर्षवार, जिलेवार, विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार किन-किन लिंक (समायोजित) शालाओं को पुनः प्रारंभ किया गया है ? यदि हाँ तो क्या-क्या सुविधा प्रदान की जा रही हैं ? कृपया बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निरंक है।(ख) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

बालोद जिले में आयुष्मान कार्ड से उपचार हेतु अधिकृत निजी अस्पताल

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. (क्र. 2163) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में बालोद जिले में संचालित पंजीकृत निजी अस्पतालों की संख्या कितनी है? इनमें से किन-किन निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु अधिकृत किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश 'क' की योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक अधिकृत किन-किन अस्पतालों के विरुद्ध उक्त योजनाओं के अंतर्गत लोगों का उपचार नहीं किये जाने के संबंध में या किसी अन्य संबंध में शिकायत हुई है? यदि हाँ तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) प्रश्नांकित अवधि की स्थिति में बालोद जिले में संचालित पंजीकृत निजी अस्पतालों की संख्या 19 है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार।**(ख) जिला बालोद अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक आयुष्मान योजना अंतर्गत 01 शिकायत प्राप्त हुई हैं। प्रकरण में आयुष्मान कार्ड से ईलाज न करते हुए नगद से उपचार किया गया है एवं नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में भी शिकायत की गई थी। अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अस्पताल द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया तत्पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ के स्वीकृत व रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

44. (क्र. 2165) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में संचालित शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है, जिलेवार जानकारी दें? इनमें से संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थित शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? रिक्त पदों के कारण प्रभावित होने वाले अध्ययन की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : प्रदेश में कुल 335 शासकीय महाविद्यालय एवं 314 निजी महाविद्यालय संचालित है। जिलेवार जानकारी **प्रपत्र "अ" पर संलग्न** है। संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थित शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों की जानकारी **प्रपत्र "ब" पर संलग्न** है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध महाविद्यालय स्तर से अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

45. (क्र. 2169) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप

स्वास्थ्य केंद्रों में किस-किस संवर्ग के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे जा चुके हैं और कितने पद रिक्त हैं ? स्वास्थ्य केंद्रवार जानकारी बताएं? (ख) क्या उपरोक्त केंद्रों में पदस्थ चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ को मूल पदस्थापना से हटाकर अन्यत्र संलग्न किया गया है ? यदि हां, तो कब से किस स्थान पर पदस्थ किया गया है ? नाम, मूल पदस्थापना और वर्तमान पदस्थापना की जानकारी बताएं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरायपाली के जीवनदीप समिति का आय व्यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. (क्र. 2170) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पिछले 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 20/01/2024 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली के जीवनदीप समिति को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त राशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई है ? कार्यों के नाम, खर्च की गई राशि की जानकारी वर्षवार दें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरायपाली के जीवनदीप समिति में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 736194.00 (रूपये सात लाख छत्तीस हजार एक सौ चौरानवे रूपये) एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 1008649.00 (रूपये दस लाख आठ हजार छः सौ उनचास रूपये) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 20.01.2024 तक राशि रूपये 1380436 (रूपये तेरह लाख अस्सी हजार चार सौ छत्तीस रूपये) प्राप्त हुई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - साठ" \]](#)

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी

[स्कूल शिक्षा]

47. (क्र. 2176) श्री संदीप साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्तमान समय में स्कूल शिक्षा विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी (विशेषकर प्राचार्य एवं शिक्षकगण) छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर में प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण के रूप में पदस्थ हैं? (ख) प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण के रूप में पदस्थ कर्मचारी वर्तमान में किस पद के विरुद्ध और कब से कार्यरत हैं? मूल पद एवं वर्तमान पद सहित जानकारी दें। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारी/कर्मचारी की कमी को ध्यान में रखते हुये प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण समाप्त कर मूल विभाग में वापस पदस्थ कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) एवं (ख) की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" \]](#)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अंतर्गत उपचार संबंधी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

48. (क्र. 2177) श्री संदीप साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कसडोल विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया, कुष्ठ, रोग, एनीमिया, क्षय रोग एवं अन्य बीमारी के कितने रोगियों का उपचार किया गया है? वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 तक

वर्षवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजनांतर्गत कसडोल विधानसभा क्षेत्र में कितने शिविर, कहां-कहां पर लगाये गये एवं इन शिविरों में कितने मरीज लाभान्वित हुये? कितने मरीजों को जिले के बाहर अग्रिम ईलाज हेतु उच्च संस्थाओं को भेजा गया? विकासखंडवार जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजनांतर्गत कसडोल विधानसभा में योजना के तहत कुल 1856 शिविर लगाया गया है, जिसमें कुल 1,47,313 मरीज लाभान्वित हुए हैं। जिसमें से एक भी मरीज को जिले के बाहर अग्रिम ईलाज हेतु उच्च संस्था नहीं भेजा गया। **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ"]

संस्कृति विभाग अंतर्गत पंजीकृत कलाकार

[संस्कृति]

49. (क्र. 2184) श्री धर्मजीत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत संस्कृति विभाग में कुल कितने कलाकारों का पंजीयन किया गया है, विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के पंजीकृत कितने कलाकारों के विगत 03 वर्षों में कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं, विवरण देवें? (ग) क्या कंडिका "ख" के तहत स्वीकृत किये गये कार्यक्रम हेतु कलाकारों का पारिश्रमिक भुगतान कर दिया गया है? हां तो विस्तृत विवरण देवें? नहीं तो कारण सहित उल्लेख करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) संस्कृति विभाग में कुल 11237 (6208 मानस मण्डली, 1049 लोकमंच, 3908 पंडवाणी/नाचा/सुआ/करमा/पंथी, वाद्ययंत्र कलाकार एवं अन्य विधाओं) कलाकारों द्वारा पंजीयन किया गया है। (ख) विगत 03 वर्षों में कुल 681 लोकमंच कलाकारों (2021-22 में 330, 2022-23 में 442 तथा 2023-24 में 307) को 5623 सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वीकृत किये गये तथा 6208 प्रत्येक मानस मण्डलियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये गये हैं। विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। (ग) 'ख' अनुसार कुल 5623 सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु कुल राशि रूपये 30,79,28,500/- (तीस करोड़ उनयासी लाख अठाईस हजार पांच सौ) मानदेय राशि स्वीकृत किया गया है। उक्त कार्यक्रमों में से 4115 कार्यक्रमों के कुल राशि रूपये 22,43,25,661/- (बाईस करोड़ तिरालीस लाख पचीस हजार छः सौ इकसठ मात्र) का भुगतान पूर्ण है एवं 1508 कार्यक्रमों की राशि रूपये 8,36,02,839/- (आठ करोड़ छत्तीस लाख दो हजार आठ सौ उनचालीस) मात्र कलाकारों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा अपूर्ण होने के कारण शेष है। विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब'** अनुसार है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वीकृत कार्य

[पर्यटन]

50. (क्र. 2185) श्री धर्मजीत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कहां-कहां पर, कौन-कौन से, कितने-कितने लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, वर्षवार विस्तृत विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं, अपूर्ण हैं एवं अप्रारंभ हैं विस्तृत विवरण देवें? (ग) कंडिका "ख" के अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे, विस्तृत विवरण देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) प्रदेश में विगत 03 वर्षों में पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वीकृत कार्यों के संबंध में चाही गयी जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "ख" की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित है। (ग) प्रश्नांश "ग" की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये चिकित्सा सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

51. (क्र. 2188) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से कौन-कौन सी, कितनी राशि तक के ईलाज की योजना संचालित की जा रही है? इस हेतु शासन के नियम/प्रावधान क्या हैं? हितग्राही के पास कौन-कौन से दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिये तथा जिला-मुंगेली एवं बिलासपुर किस-किस अस्पताल में वह कौन-कौन सा ईलाज करवा सकता है? (ख) उक्त जिलों में कितने प्राइवेट अस्पतालों को शासन द्वारा उक्त हितग्राहियों के कौन-कौन से उपचार के लिये लिस्टेड किया गया है, शासन द्वारा लिस्टेड करने के प्रावधान क्या हैं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिए चिकित्सा जैसे, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर, किडनी रोग, हृदय रोग, इत्यादि के लिए रु. 5.00 लाख तक उपचार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है। साथ ही गंभीर बीमारियों के लिए रु. 25.00 लाख तक के उपचार के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है। शासन के प्रावधान अनुसार आयुष्मान कार्डधारक मरीज पंजीकृत अस्पताल में अपना उपचार प्राप्त कर सकता है। हितग्राही के पास आधार कार्ड एवं राज्य का राशन कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। जिला-मुंगेली एवं बिलासपुर के किस-किस अस्पताल में कौन-कौन सा ईलाज करवा सकता है, से संबंधित **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार।**(ख) जिला मुंगेली में 06 एवं बिलासपुर में 73 प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान कार्डधारक हितग्राहियों के उपचार के लिये पंजीकृत किया गया है। उपचार की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत होने के प्रावधान के अंतर्गत संबंधित अस्पताल को भारत सरकार की वेबसाइट में आवेदन करना अनिवार्य है साथ ही संबंधित अस्पताल द्वारा निम्नानुसार मापदंड पूर्ण किया जाना अनिवार्य है:-

1. अस्पताल को नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन ।
2. न्यूनतम 10 बिस्तरों की उपलब्धता।
3. बिस्तर की संख्या के अनुसार पंजीयन शुल्क।
4. अस्पताल में छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सक की उपलब्धता (अधिकतम 3 अस्पतालों से संबद्ध)।
5. अस्पताल में पूर्ण कालिक पैरामेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता ।
6. अस्पताल में या अन्य डॉयग्रोस्टिक सेंटर से अनुबंध के तौर पर डॉयग्रोस्टिक सुविधा की उपलब्धता ।
7. अस्पताल के पास बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, अग्नि शमन उपकरण एवं प्रमाण पत्र की उपलब्धता।
8. अस्पताल के पास सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता।
9. अस्पताल में पूर्ण सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध की उपलब्धता ।
10. अस्पताल में आई.सी.यू. की सुविधा मॉनिटर, वेन्टीलेटर, ऑक्सीजन एवं सक्शन मशीन की उपलब्धता।
11. अस्पताल के अंदर या अन्य ब्लड बैंक से अनुबंध के तौर पर ब्लड-बैंक संबंधी सुविधा की उपलब्धता।
12. अस्पताल में पूर्णकालिक एम्बुलेंस सुविधा एवं 24 घंटे फॉर्मेसी की उपलब्धता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

मुंगेली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत खेल मैदान, आहाता, शौचालय, स्मार्ट क्लास रूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी विहिन स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

52. (क्र. 2189) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-मुंगेली के कितने शासकीय तथा अशासकीय स्कूल, खेल मैदान, आहाता, शौचालय, स्मार्ट क्लास रूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी विहिन हैं, पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) आदर्श स्कूल हेतु शासन के क्या

मापदंड हैं तथा प्रश्नांश "क" के कितने स्कूल मापदंड अनुसार नहीं हैं ? अशासकीय स्कूलों का भौतिक सत्यापन कब-कब कराया जाता है? (ग) प्रश्नांश "क" अंतर्गत स्कूलों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का स्तर सुधारने हेतु शासन के पास क्या कार्ययोजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	शाला का प्रकार	खेल मैदान विहीन	अहाता विहीन	शौचालय विहीन	स्मार्ट क्लास विहीन	इंटरनेट कनेक्टिविटी विहीन
1	शासकीय शालाएं	145	414	0	623	596
2	अशासकीय शालाएं	18	22	0	104	118

(ख) आदर्श स्कूल हेतु कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अशासकीय स्कूलों का भौतिक सत्यापन मान्यता नवीनीकरण के पूर्व कराया जाता है। (ग) स्कूलों में भौतिक संरचना का स्तर सुधारने हेतु आवश्यकतानुसार भवनों का मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों का साप्ताहिक मूल्यांकन, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु प्रयास, परीक्षा हेतु लघु/दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन जैसे प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में संचालित तथा निर्माणाधीन शासकीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

53. (क्र. 2191) डॉ. चरण दास महंत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में कहां-कहां और कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित हैं, कहां-कहां निर्माणाधीन हैं तथा कहां-कहां स्थापित करने की योजना है ? निर्माणाधीन हॉस्पिटल की निर्माण एजेंसी का नाम, कब तक पूर्ण होना था, कब तक पूर्ण होने की संभावना है, लागत क्या-क्या है, बताइए ? (ख) मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की लागत में केन्द्र तथा राज्य का अंश कितना-कितना है, कितने-कितने बिस्तरों की व्यवस्था रहेगी तथा कौन-कौन विभाग होंगे ? (ग) डॉक्टर्स एवं अन्य अमले की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, क्या नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कांकेर, कोरबा, महासमुन्द, दुर्ग में कुल 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित है। अंबिकापुर, कांकेर, कोरबा एवं महासमुन्द निर्माणाधीन होने के कारण यह हॉस्पिटल वर्तमान में जिला चिकित्सालय में संचालित हो रहे हैं तथा जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, कवर्धा, गीदम में स्थापित करने की योजना है। मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल अंबिकापुर हेतु लोक निर्माण विभाग व कांकेर, कोरबा एवं महासमुन्द हेतु निर्माण एजेंसी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **जानकारी संलग्न-प्रपत्र अनुसार।(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अनुसार।** राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप एम.बी.बी.एस. की 100 सीट हेतु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 420 बिस्तरों की व्यवस्था रहेगी तथा एनाॅटामी, फिजियोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, सामुदायिक चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, बालरोग, मनोरोग, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थि रोग, रेडियोलॉजी, ओटो-रेहिनोलेरिंगोलॉजी नेत्र विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्रीरोग, एनेस्थिसियोलॉजी, दंत चिकित्सा, रिसर्च विभाग इत्यादि कुल 21 विभाग होंगे। (ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के निर्धारित मापदंडों अनुसार आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सको (प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम व शासन से प्रदत्त अधिकार के तहत अधिष्ठाता द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से संविदा नियुक्ति की जाती है। जी हाँ।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ"]

नये महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा शैक्षणिक पदों का सृजन एवं नियुक्तियां

[उच्च शिक्षा]

54. (क्र. 2192) डॉ. चरण दास महंत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जनवरी 2021 से जनवरी, 2024 तक बिलासपुर संभाग में कितने नये शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये, जिलावार तथा शिक्षा सत्रवार बताएं ? (ख) उक्त अवधि में कितने-कितने शासकीय शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया तथा कितने-कितने शैक्षणिक पदों पर नवीन नियुक्तियां की गईं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नांक अवधि में 22 शासकीय एवं 42 अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। **जानकारी प्रपत्र अ पर संलग्न है। (ख) जानकारी प्रपत्र ब पर संलग्न है।**
[\[संलग्न "परिशिष्ट - छैसठ" \]](#)

जिला-जांजगीर-चांपा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं छात्र-छात्राओं की संख्या

[स्कूल शिक्षा]

55. (क्र. 2196) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जांजगीर-चांपा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या बताएं ? (ख) इन विद्यालयों में सीट की संख्या तथा प्रवेशित संख्या कितनी-कितनी है, तथा छात्र एवं छात्राओं की संख्या पृथक-पृथक बताएं ? (ग) इन विद्यालयों में शैक्षणिक पदों की स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त संख्या क्या-क्या है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जिला-जांजगीर-चांपा में 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 7, 8 एवं 9 अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ" \]](#)

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना तथा डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा एवं व्यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

56. (क्र. 2197) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना तथा डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 (दिसंबर तक) में कितने-कितने व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं ? (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर वर्षवार कितना-कितना व्यय हुआ ? (ग) उपरोक्त योजनान्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु कितने-कितने शासकीय तथा निजी अस्पताल अधिकृत हैं, बताइए ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ग) उपरोक्त योजनान्तर्गत पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु 09 शासकीय तथा 01 निजी अस्पताल अधिकृत हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ" \]](#)

जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा अंतर्गत स्कूलों में अतिशेष शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

57. (क्र. 2201) श्री इंद्र साव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में कितने प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। **(ख)** जिले के स्कूलों में विषय शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं ? **(ग)** जिले में ऐसे कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, जहां एक ही विषय के एक से अधिक व्याख्याता शिक्षक अतिशेष के रूप में कार्यरत हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री(श्री बृजमोहन अग्रवाल): **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" एवं "स" अनुसार है। **(ग)** जिले में 06 हाई स्कूल एवं 36 हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, जहां एक ही विषय के एक से अधिक व्याख्याता शिक्षक अतिशेष के रूप में कार्यरत है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

रायपुर जिले में प्रारम्भ स्वामी आत्मानंद स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

58. (क्र. 2205) श्री राजेश मूणत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर जिले में नवम्बर, 2023 तक कुल कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम स्कूल खोले गए हैं ? इसमें कितने स्कूल पूर्व से संचालित हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बंद कर खोले गए हैं तथा इनमें विद्यार्थियों हेतु स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों की संख्या की जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार स्कूलों में किस-किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत, भरे व रिक्त हैं तथा इनमें से कितने पद संविदा, प्रतिनियुक्ति व नियमित भर्ती से भरे गए हैं ? कितने स्कूलों में भर्ती में अनियमितता, भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा कौन दोषी पाया गया है व क्यों? जिन स्कूलों से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक लिए गए हैं, उन स्कूलों में क्या रिक्त हुए शिक्षक के पद की भर्ती कर दी गई है? यदि हाँ तो कितने प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षकों के विरुद्ध कितने रिक्त पदों में पदस्थापना की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :**(क)** रायपुर जिले में नवम्बर 2023 तक कुल 36 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। इसमें 03 स्कूल पूर्व से संचालित हिन्दी माध्यम स्कूल को बंद कर खोले गए हैं तथा इनमें विद्यार्थियों हेतु 45621 स्वीकृत, 41486 भरे व 4135 रिक्त सीट हैं। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

कोविड - 19 में रूपयें 2.65 करोड़ की क्रय प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता की शिकायत

[चिकित्सा शिक्षा]

59. (क्र. 2206) श्री राजेश मूणत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में पदस्थ जिम्मेदारों द्वारा कोविड - 19 में रूपयें 2.65 करोड़ की क्रय प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी ? यदि हां तो क्या इस हेतु जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब, यदि नहीं तो क्यों तथा शिकायत किस स्तर पर किस कारण से लंबित हैं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित शिकायत की जांच हेतु क्या कोई जांच समिति गठित की गई थी? यदि हां तो कब तथा समिति ने क्या रिपोर्ट दी? समिति की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया? पूर्ण विवरण दें? यदि निर्णय लंबित है तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :**(क)** जी हां, यह सत्य है कि चिकित्सा शिक्षा

संचालनालय में पदस्थ जिम्मेदारों द्वारा कोविड-19 में रूपये 2.65 करोड़ की क्रय प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी। शिकायत पर जांच समिति की अनुशंसा अनुसार संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।(ख) जी हां, प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित शिकायत की जांच हेतु संचालनालय स्तर पर दिनांक 05.01.2022 को जांच समिति गठित की गई थी एवं समिति द्वारा दिनांक 18.08.2022 को रिपोर्ट दी गई। समिति की रिपोर्ट में अनुशंसा दी गई कि छ0ग0 शासन भण्डार क्रय नियमानुसार एक लाख से अधिक के क्रय आदेश खुली निविदा की कार्यवाही से किया जाना है किंतु चिकित्सा शिक्षा में पदस्थ तत्कालिन अतिरिक्त संचालक द्वारा राशि रू 2,65,29,296.00 के लैब सामग्री एवं उपकरण आदि के क्रय आदेश कोटेशन के आधार पर जारी किए गए हैं, क्रय आदेशों की कार्यवाही कोटेशन के आधार पर किया जाना छ0ग0 भण्डार क्रय नियमों के विरुद्ध है। समिति की रिपोर्ट में निर्णय लेते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में घोषित नए मेडिकल कॉलेज की अद्यतन स्थिति

[चिकित्सा शिक्षा]

60. (क्र. 2213) श्रीमती भावना बोहरा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष जनवरी, 2019 से लेकर अक्टूबर, 2023 तक किन-किन जिलों में, कितने नवीन मेडिकल कॉलेज घोषित किए गए ? (ख) प्रश्नांक "क" में घोषित किए गए मेडिकल कॉलेजों में से कितने कॉलेज वर्तमान स्थिति में संचालित हैं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) वर्ष जनवरी, 2019 से लेकर अक्टूबर, 2023 तक 08 नवीन मेडिकल कॉलेज घोषित किये गए। जिलेवार **जानकारी प्रपत्र पर संलग्न** है।(ख) प्रश्नांक "क" में घोषित किए गए मेडिकल कॉलेजों में 04 नवीन मेडिकल कॉलेज कांकेर, महासमुंद,, कोरबा व दुर्ग में संचालित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में मोटल्स एवं रिसोर्ट का संचालन

[पर्यटन]

61. (क्र. 2214) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्तमान में प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा कितने रिजॉर्ट एवं मोटल्स संचालित हैं? कितने रिजॉर्ट एवं मोटल्स का संचालन निजी संस्था को दिया गया है? जिलेवार जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : वर्तमान में पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा 18 रिजॉर्ट एवं मोटल्स संचालित है, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के तालिका-1 में दर्शित है। तथा 17 रिजॉर्ट एवं मोटल्स निजी संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के तालिका-2 में दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की मरम्मत

[स्कूल शिक्षा]

62. (क्र. 2215) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में कितने जर्जर स्कूल भवन एवं भवनविहीन स्कूल हैं? (ख) ऐसे कितने विद्यालय हैं, जहां पर खेल मैदान अहाताविहीन हैं? विकासखण्डवार जानकारी बतायें? (ग) जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत/ नवनिर्माण वर्ष 2021 से दिसंबर, 2023 तक कब-कब की गयी? मरम्मत/ नवीनीकरण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी? मरम्मत हेतु शासन के नियमानुसार किसे एजेंसी बनाया गया था और मरम्मत

कार्य किस-किस एजेंसी द्वारा किया गया? मरम्मत की अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं? उक्त जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत/नवनिर्माण कब तक करा दिया जायेगा? समय बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में 28 स्कूल भवन जर्जर एवं भवन विहीन स्कूल निरंक है। (ख) विकासखण्ड खैरागढ़ में 128 व छुईखदान में 183 शालाओं के खेल मैदान अहाता विहीन है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सा सामग्री की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

63. (क्र. 2216) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अब तक संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों के ईलाज हेतु कितनी आधुनिक मशीनें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई? जानकारी दें? **(ख)** वर्तमान में जिन-जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में ईलाज हेतु आधुनिक मशीनें एवं सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? **(ग)** इन शासकीय अस्पतालों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक कौन-कौन सी चिकित्सा सामग्रियों की कब-कब खरीदी हुई थी और कितनी-कितनी राशि से खरीदी गई थी? सूची एवं राशि बताएं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार।

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर द्वारा सामग्रियों की खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

64. (क्र. 2221) श्री किरण देव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या वर्ष 2021 से दिसंबर, 2023 तक कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर द्वारा विभिन्न सामग्रियों की खरीदी की गई ? यदि हाँ, तो किन-किन सामग्रियों की खरीदी, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, किस-किस फर्म से की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रशंश 'क' की खरीदी हेतु विभागीय अनुमति एवं क्रय समिति का अनुमोदन लिया गया था ? यदि हाँ, तो कब-कब ? क्रय समिति के सदस्यों के नाम सहित जानकारी देवें? **(ग)** क्या प्रशंश 'क' की खरीदी के लेखापरीक्षण में वित्तीय अनियमितता पाई गयी ? यदि हाँ, तो क्या-क्या? लेखापरीक्षक की टीप सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। [\[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर" \]](#)

जिला-जगदलपुर में संचालित पोटा केबिन स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

65. (क्र. 2222) श्री किरण देव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-जगदलपुर में कितने पोटा केबिन स्कूल, कहाँ-कहाँ संचालित हैं ? उक्त स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कितनी-कितनी संख्या निर्धारित है ? वर्तमान में कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं ? स्कूलों के नाम सहित विगत 03 वर्षों की दर्ज संख्या बतावें? **(ख)** प्रशंश 'क' के स्कूलों में वर्ष 2021 से 2023 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि, किन-किन सामग्रियों हेतु दी गई थी ? प्राप्त राशि किन-किन

सामग्रियों की खरीदी एवं किये गये कार्यों में व्यय की गई ? कितनी-कितनी राशि शेष रही ? वर्षवार जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जिला जगदलपुर में पोटा केबिन स्कूल संचालित नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

बारसूर महोत्सव प्रारंभ करने की योजना

[पर्यटन]

66. (क्र. 2225) श्री चैतराम अटामी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दन्तेवाड़ा ज़िले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने की क्या कार्य योजना है? जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा जिला दन्तेवाड़ा के बारसूर में पूर्व की भाँति "बारसूर महोत्सव" के आयोजन की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कब से ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत राज्य के 05 शक्तिपीठ स्थलों को विकसित करने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें दन्तेवाड़ा स्थित दन्तेश्वरी मंदिर शामिल है। जिला स्तर पर दन्तेवाड़ा के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों पर कराए जा रहे कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) जी हाँ। निकट भविष्य में आयोजित किया जावेगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर" \]](#)

दन्तेवाड़ा ज़िले के चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

67. (क्र. 2226) श्री चैतराम अटामी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दन्तेवाड़ा ज़िले में किस-किस स्तर के कितने शासकीय चिकित्सालय हैं तथा उनमें किस-किस पदनाम के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? चिकित्सालय के नाम, उनमें स्वीकृत पद नाम एवं संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के स्वीकृत पदों में कितने पद भरें एवं रिक्त हैं ? जानकारी चिकित्सालयवार उपलब्ध करावें ? (ग) क्या प्रश्नांश "ख" के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन की कोई कार्ययोजना है ? यदि हाँ, तो रिक्त पदों की कब तक हो जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** एवं **"ब"** अनुसार। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** अनुसार। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभान्वित मरीज

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. (क्र. 2229) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से कितने मरीजों को लाभ पहुंचाया गया? पिछले 03 वर्षों की संख्यात्मक जानकारी जिलावार उपलब्ध कराएं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर" \]](#)

संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों एवं साहित्यकारों को प्रदत्त आर्थिक सहायता

[संस्कृति]

69. (क्र. 2234) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- संस्कृति विभाग द्वारा आर्थिक सहायता (पेंशन) योजना के तहत प्रदेश के कितने कलाकार एवं साहित्यकारों को सहायता मिल रही है? कितने के आवेदन लंबित हैं? लंबित आवेदनों को कब तक निराकृत कर सहायता राशि प्रदान की जावेगी? जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : संस्कृति विभाग द्वारा आर्थिक सहायता (पेंशन) योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का गठित विभागीय समिति के परीक्षण पश्चात् कुल पात्र 168 कलाकार एवं साहित्यकारों को सहायता राशि मिल रही है। पूर्व वर्षों का कोई आवेदन लंबित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 70 नवीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में गठित समिति की अनुशंसा पात्र कलाकारों एवं साहित्यकारों को सहायता राशि प्रदान की जावेगी।

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में अहाता विहीन शालाओं में अहाता निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

70. (क्र. 2235) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 31-01-2024 की स्थिति में कितने शाला भवन अहाताविहीन हैं? विकासखंडवार बतायें? **(ख)** अहाताविहीन शालाओं का अहाता निर्माण कब तक स्वीकृत किया जायेगा? **(ग)** पिछले दो वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31-01-2024 की स्थिति में किस-किस मद से कितनी राशि शालाओं में अहाता निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

विकासखण्ड	अहाता विहीन शालाओं की संख्या
गुण्डरदेही	01
डौण्डी लोहारा	05

(ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जानकारी निरंक है।

रायगढ़ जिले में अशासकीय एम्बुलेंस द्वारा अधिक किराया लेने की शिकायतों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

71. (क्र. 2240) श्री उमेश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिला में कितने शासकीय और कितने अशासकीय एम्बुलेंस संचालित हैं? **(ख)** क्या जिले में पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? **(ग)** क्या वर्ष 2022-23 और 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक अशासकीय एम्बुलेंस द्वारा अधिक किराया लेने का मामला अथवा शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या अशासकीय एम्बुलेंस के किराया दरों को निर्धारित अथवा रेगुलाइज करने के लिए कोई नियमावली बनाई गई है? जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क)** रायगढ़ जिला में 18 शासकीय एम्बुलेंस और 23 अशासकीय एम्बुलेंस संचालित है। **(ख)** जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं।

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

72. (क्र. 2241) श्री उमेश पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले कानून, "शिक्षा का अधिकार अधिनियम", में स्कूलों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया निर्धारित है और इस प्रक्रिया को कब तक पूर्ण कर लिया जाता है? **(ख)** जिला-रायगढ़ अंतर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रवेश कितने निजी स्कूलों में लिया जाता है? क्या आरटीई के तहत प्रवेश का समय और स्कूलों के प्रवेश का समय समान होता है? **(ग)** क्या आरटीई के तहत प्रवेश में बच्चों के दाखिले में विलंब होता है? यदि हाँ, तो कितने दिन का और इस देरी में बच्चों के अध्यापन कार्य में हुई क्षति की स्कूलों द्वारा कैसे भरपाई की जाती है?


स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)** गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार दिलाने वाले कानून "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की "धारा-12 (1) (ग) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (III) और (IV) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा।" इस प्रक्रिया को माह जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाता है। **(ख)** जिला रायगढ़ अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रवेश 335 निजी स्कूलों में लिया गया है। प्रतिवर्ष निजी स्कूलों की संख्या में परिवर्तन होता है। जी नहीं। **(ग)** जी हां। छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालयों में दाखिले की कार्यवाही 16 जून से प्रारंभ होती है एवं सी.बी.एस.ई. बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में 01 अप्रैल से दाखिले की कार्यवाही प्रारंभ होती है। सी.बी.एस.ई. से संबद्ध विद्यालयों में बच्चों के दाखिले में एक माह का विलंब होता है। आर.टी.ई. के तहत प्रवेश की कार्यवाही विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा अर्थात् नर्सरी कक्षा से कक्षा 1ली में होती है। नर्सरी एवं कक्षा 1ली में सामान्यतः प्रथम कुछ माह "खेल-खेल में शिक्षा" (Play Method) दी जाती है। अतः अध्ययन की क्षति नहीं होती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।


तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परीशिष्ट - एक
तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1862) की जानकारी

प्रपत्र

विकासखण्ड देवभोग अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र				
क्र.	विकासखंड का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत
1	देवभोग	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दीवानमुडा	चिकित्सा अधिकारी	1
2			ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1
3			सहायक ग्रेड 03	1
4			स्टॉफ नर्स	3
5			फार्मासिस्ट ग्रेड 02	1
6			मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट	1
7			ड्रेसर ग्रेड-01	1
8			नेत्र सहायक अधिकारी	1
9			ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक(म)	1
10			आया	2
11			वार्ड ब्वाय	1
12			स्वीपर	1
13		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, झाखरपारा	चिकित्सा अधिकारी	1
14			ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1
15			फार्मासिस्ट ग्रेड 02	1
16			मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट	1
17			ड्रेसर ग्रेड-01	1
18			सहायक ग्रेड 03	1
19			नेत्र सहायक अधिकारी	1
20			स्टॉफ नर्स	3
21			ग्रामीण स्वा.संयोजक (म.)	1
22			स्वीपर	1
23			वार्ड ब्वाय	1
24			आया	2
25		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सुपेवेड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1
26			ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1
27			फार्मासिस्ट ग्रेड 02	1
28			मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट	1
29			सहायक ग्रेड 03	1
30			स्टॉफ नर्स	3
31			ग्रामीण स्वा.संयोजक (म.)	1
32			वार्ड ब्वाय	1
33			आया	2

विकासखण्ड देवभोग अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र			
	विकासखंड का नाम	उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम	स्वीकृत (म. /पु.)
1	देवभोग	झाराबहाल	2
2		कुम्हडईखुदे	2
3		खुटगाव	2
4		गगराजपुर	2
5		लाटापारा	2
6		धूपकोट	2
7		नागलदेही	2
8		दीवानमुडा	2
9		सुकलीभाठा	2
10		उसरीपानी	2
11		झाखरपारा	2
12		खोकसरा	2
13		माडागाव	2
14		निष्ठीगुडा	2
15		मुडागाव	2
16		गिरसुल	2
17		सीनापाली	2
18		कदलीमुडा	2
19		सितलीजार	2
20		धौराकोट	2
21		चिंचिया	2
22		सुपेबेडा	2


 अनुभव अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया गयपुर, अटल भवन



 उप संचालक (वि.स.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़

परोशेष्ट - दो
तारोकेत प्रश्न संख्या 3 (क्र. 2003) को जानकारी

प्रपत्र

// निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की वर्षवार सीटों, व पाठ्यक्रमवार स्वीकृत की जानकारी //

क्र.	निजी चिकित्सा महाविद्यालय	वर्ष वार स्वीकृति	स्वीकृत पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	रिमारक	
1	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर	2016	एम.बी.बी.एस.	150	प्रवेश वर्ष 2021 में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका डब्लू.पी.सी. 1754 ऑफ 2022 में आदेशानुसार 1 सीट की वृद्धि की गई थी तथा प्रवेश वर्ष 2022 में एम.एम.सी. द्वारा 1 सीट कम करते हुए प्रवेश हेतु निर्देश जारी किया गया था।	
		2019		150		
		2020		150		
		2021		151		
		2022		149		
		2023		150		
		2021	एम.डी./एम.एस.	एम.डी. बायोकेमिस्ट्री	03	
		एम.डी. पैथोलॉजी		05		
		एम.डी. फार्मोकोलॉजी		02		
		एम.डी. माइक्रोबायोलॉजी		04		
		एम.डी. कम्युनिटी मेडिसिन		06		
		एम.डी. मेडिसिन		05		
		एम.एस. आर्थोपेडिक		04		
		एम.एस. ऑपथोलमोलॉजी		02		
		एम.एस. गायनेकोलॉजी		03		
		एम.डी. एनेस्थिसिया		05		
		2022	एम.एस. जनरल सर्जरी	08		
		2023	एम.डी. पिडियाट्रिक्स	06		
		एम.डी. रेडियोडायग्नोसिस	04			
2	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जुनवानी मिलाई	2016	एम.बी.बी.एस.	150		
		2017		150		
		2019		150		
		2020		150		
		2021		150		
		2022		150		
		2023		150		
		2019		एम.डी./एम.एस.		एम.डी. फिजियोलॉजी
		एम.डी. बायोकेमिस्ट्री	04			
		एम.डी. माइक्रोबायोलॉजी	03			
		एम.डी. कम्युनिटी मेडिसिन	04			
		एम.डी. एनाटॉमी	03			
		एम.डी. फार्मोकोलॉजी	03			
		एम.डी. पैथोलॉजी	05			
		एम.डी. फॉरेंसिक मेडिसिन	02			
		एम.डी. मेडिसिन	04			
		एम.डी. पिडियाट्रिक्स	02			
		एम.डी. रेस्पैरेटरी मेडिसिन	02			
		एम.डी. डर्मटोलॉजी	01			
		एम.डी. सायकेट्री	02			
		एम.एस. सर्जरी	05			
		एम.एस. आर्थोपेडिक	04			
		एम.एस. ई.एन.टी.	01			
		एम.एस. ऑपथोलमोलॉजी	02			
		एम.एस. गायनेकोलॉजी	02			
		एम.डी. एनेस्थिसिया	02			
		एम.डी. रेडियोडायग्नोसिस	04			
3	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, मोवा रायपुर	2021	एम.बी.बी.एस.	150		
		2022		150		
		2023		150		


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

निविदा संबंधित निर्देश

प्रपत्र

निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञापित (परिशिष्ट-2.10) एवं निविदा दस्तावेज (परिशिष्ट-2.13) यथा संशोधित व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://res.cg.gov.in/> कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

निविदा की अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- (1) निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन होना अनिवार्य है।
- (2) जिन ठेकेदारों ने पूर्व में इस विभाग में कार्य अधुरे छोड़े हैं अथवा बगैर विधिक कारण के निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य का अनुबंध नहीं किया है, उन्हें भी तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
- (3) विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्तों की एनेक्चर जी.-8 "1" के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।
- (4) विशेष शर्त की कंडिका 8.1.11 के अनुसार वित्तीय प्रस्ताव खोलने के पूर्व एनेक्चर "जे" सत्यनिष्ठा संधि, जो निविदाकार द्वारा रु. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तैयार कर प्रस्तुत की जावेगी तथा इसका उल्लेख 50 रु. स्टाम्प पेपर के शपथ पत्र में किया जावेगा तथा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- (5) विशेष शर्त की कंडिका 8.1.11 के अनुसार एनेक्चर "जे" सत्यनिष्ठा संधि, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बगैर वित्तीय प्रस्ताव खोले जमा अमानत राशि राज्य शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
- (6) ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी/ मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य है तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउंट में सीधे भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- (7) ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ-साथ अन्य लाभ जैसे ओवर टाइम भत्ता, बोनस ग्रेज्युटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश, ई.एस.आई, भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ देना अनिवार्य है।
- (8) यदि कोई ठेकेदार पॉवर ऑफ एटार्नी के आधार पर कार्य को सबलेट करता है तो उसका अनुबंध समाप्त करने हेतु विभाग पूर्णतः सक्षम होगा।
- (9) सबलेट में दिये गये कार्य की राशि मूल ठेकेदार के अनुभव में से कम किया जावेगा तथा निजी ठेकेदार से प्राप्त कार्य के अनुभव को भी मान्य नहीं किया जावेगा।
- (10) परिशिष्ट 2.10 के Annexure G (Special Condition of NIT) की कंडिका 4 के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिये कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।
- (11) परिशिष्ट 2.10 के Annexure G (Special Condition of NIT) की कंडिका 4 के अनुसार परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5 प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा निधिकाटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गारंटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त राशि का बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 6 प्रतिशत की राशि कटौती नहीं की जावेगी।
- (12) निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मूल्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना

ब्राहिए एवं जो आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समयावधि का ना हो प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा ।

(13) परिशिष्ट 2.10 की कंडिका 8.1.2 के अनुसार रू. 25.00 लाख से अधिक लागत के कार्य हेतु ग्रेज्युट इंजीनियर एवं रू. 5.00 लाख से अधिक कार्य हेतु डिप्लोमा इंजीनियर कार्य सुपरविजन के लिये रखना अनिवार्य है । जिसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(Vii) निविदा तीन लिफाफा पद्धति में भरा जावेगा ।

(अ) प्रथम लिफाफा

(i) अमानत राशि निर्धारित अवधि से तीन माह अधिक का होना चाहिये ।

(ii) निविदा पत्र मूल्य के बराबर डिमाण्ड ड्राफ्ट

(iii) सत्यनिष्ठा संधि :- बिन्दु क्रमांक 1.1 एवं 14 के तिथि को छोडकर समस्त जानकारी सही-सही भरा जावे साथ ही गवाहों के नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर कराया जावे ।

(iv) शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्णतः भरा हुआ जिसमें सत्यनिष्ठा संधि का उल्लेख होना अनिवार्य है ।

(ब) द्वितीय लिफाफा

(i) लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन की सत्यापित प्रति / फर्म का पंजीयन होने की स्थिति में सहायक दस्तावेज (Supporting Document) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(ii) Annexure-I (i), (ii), (iii)

(iii) इंजीनियर नियुक्ति प्रमाण पत्र के साथ इंजीनियर का सहमति पत्र शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (एच्छक) ।

(iv) टूल्स एवं प्लांट की सूची

(v) तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति ।

(vi) श्रम कल्याण मंडल का पंजीयन प्रमाण पत्र (ई.पी.एफ) एवं निविदा जारी होने माह से पिछले लगातार तीन माह में जमा किये गये चालान की प्रति ।

(vii) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र ।

(viii) निविदा राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी (साल्वेंसी सर्टिफिकेट) वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र ।

(ix) लिटिगेशन प्रमाण पत्र ।

(x) उपरोक्त सभी दस्तावेजों का सत्यापित प्रति अनिवार्य होगा ।

(स) तृतीय लिफाफा :-

(i) वित्तीय प्रस्ताव


उपरोक्त तीनों लिफाफा को एक बडे लिफाफा में भरकर प्रेषित किया जाना होगा ।


14 उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेज हस्ताक्षरित / प्रमाणित सहित स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद को कार्यालय में दिनांक 09.05.2023 तक कार्यालयीन समय अपरान्ह 5.30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य ।

15. प्राप्त निविदा दस्तावेजों का मुल्यांकन दिनांक 10.05.2023 को समय 11.30 बजे दोपहर से किया जावेगा ।

16 धरोहर राशि की वैधता की तिथि निविदा में निर्धारित अवधि से तीन माह की अधिक होनी ।

17 उपरोक्त सामान्य शर्त निविदा अनुबंध का भाग है ।


अनुभाग अधिवक्ता
ग्रामीण विभाग
भद्रालय, रायपुर


24/4/2023
कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
जिला-बालोद (छ.ग.)

परोशेष्ट - चार
तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1558) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में संचालित शोधपीठ की जानकारी

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	संचालित शोधपीठ का नाम	शोधपीठ के अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष का पद रिक्त होने की तिथि	अध्यक्ष को दिया जाने वाली सुविधाये
1	पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	गुरु घासीदास शोधपीठ	—	22.12.2018	75000/- प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय।
2	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं	माधव राम सप्रे शोधपीठ	—	22.12.2019	75000/- प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय।
3	जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर	पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ	—	22.12.2019	75000/- प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय।
4		हिंद स्वराज शोधपीठ	—	22.12.2019	75000/- प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय।
5		कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र	—	05.01.2023	75000/- प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय।

उक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार शोधपीठ को शासन के आदेश क्रमांक एफ 3-2007/38-2 दिनांक 12.10.2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी से संबद्ध किया गया है :-

क्र.	विश्वविद्यालय/अकादमी का नाम	संचालित शोधपीठ का नाम	शोधपीठ के अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष का पद रिक्त होने की तिथि	अध्यक्ष को दिया जाने वाली सुविधाये
1	छ.ग.साहित्य अकादमी	पं.सुन्दरलाल शर्मा शोधपीठ	—	अध्यक्ष पद स्वीकृत नहीं है।	—
2	छ.ग.साहित्य अकादमी	स्व.पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ	—	21.12.2023	75000/- प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय
3	छ.ग.साहित्य अकादमी	पं. लखन लाल मिश्र शोधपीठ	—	26.12.2018	75000/- प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय

[Signature]
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अहल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में संचालित शोधपीठों के सेटअप अनुसार स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की जानकारी

1. गुरु घासीदास शोधपीठ (पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर) –

क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	0	1
2	सहायक ग्रेड-3	1	0	1
3	भृत्य	1	0	1

2. माधव राम सप्रे शोधपीठ (कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर) –

क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	अध्यक्ष (प्राध्यापक स्तर)	1	0	1
2	अनुसंधान अधिकारी (सहायक प्राध्यापक स्तर)	1	0	1
3	सहायक ग्रेड-3	1	0	1

3. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ (कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर) –

क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	अध्यक्ष (प्राध्यापक स्तर)	1	0	1
2	अनुसंधान अधिकारी (सहायक प्राध्यापक स्तर)	1	0	1
3	सहायक ग्रेड-3	1	0	1

4. हिन्द स्वराज पीठ (कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर) –

क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	अध्यक्ष (प्राध्यापक स्तर)	1	0	1
2	अनुसंधान अधिकारी (सहायक प्राध्यापक स्तर)	1	0	1
3	सहायक ग्रेड-3	1	0	1

5. कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र (कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर) –

क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	0	1
2	अनुसंधान अधिकारी	1	0	1
3	अनुसंधान सहायक	1	0	1
4	सहायक ग्रेड-3	1	0	1
5	भृत्य	1	0	1

6. स्व0पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी शोधपीठ (छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी रायपुर) –

क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

1	अध्यक्ष	1	0	1
	हिन्दी स्टेनोग्राफर	1	0	1
	भृत्य	1	0	1

7. पं. लखनलाल मिश्र शोधपीठ (छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी रायपुर) –

क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	0	1
	अनुसंधान अधिकारी	1	0	1
	कम्प्युटर आपरेटर	1	0	1

8. पं. सुन्दर लाल शर्मा शोधपीठ (छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी रायपुर) –

क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	प्राध्यापक	1	0	1

Dr. Anu
 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र - 'स'

प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में शोधपीठ के संदर्भ में वित्तीय/भौतिक स्थिति की जानकारी
(राशि रु. लाखों में)

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
		प्राप्तियाँ	व्यय	प्राप्तियाँ	व्यय	प्राप्तियाँ	व्यय
1	पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	3420.00	4301.45	3654.00	4279.27	3654.00	4459.19
2	कुशामाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर	399.75	471.48	566.13	496.65	579.27	577.05
3	छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी	17.84	11.65	10.13	3.87	0.296	3.75



अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

परोक्ष - पाँच
तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 2164) की जानकारी

प्रपत्र

// दिनांक 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में प्रदेश में संचालित शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की जिलेवार जानकारी //

क्र	जिलेवार जानकारी	प्रदेश में संचालित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालय
1	रायपुर	पं.जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रिम्स रायपुर श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर
2	दुर्ग	चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर
3	राजनांदगांव	भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	—
4	जगदलपुर	स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर	—
5	रायगढ़	स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	—
6	बिलासपुर	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, (सिम्स) बिलासपुर	—
7	अंबिकापुर	राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा।	—
8	कोरबा	स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा	—
9	कांकेर	स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर	—
10	महासमुंद	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद	—
कुल योग		10	03

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

परीशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1804) की जानकारी

प्रश्न

"विजयपुर शोध के अन्तर्गत डाक
मूल्य के तहत भूदान (विना डाक
लिफ्ट) के प्रेषण हेतु अन्तर्गत क्रमांक
सी 2 22 छत्तीसगढ़ राजपत्र/38 भा
में दिनांक दिनांक 30 5 2001"



राज्यपाल कार्यालय
"छत्तीसगढ़ राजपत्र/09/2013 2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 मितम्बर 2021—भाद्रपद 26, शक 1943

विषय— सूची

भाग 1.— (1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएँ, (4)
राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और
अधिसूचनाएँ, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएँ,
(7) लोक भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.— स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएँ.

भाग 3.— (1) विज्ञापन और निर्दिष्ट सूचनाएँ, (2) गौमुख्य-कीय
सूचनाएँ.

भाग 4.— (क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रजा मंत्रालय के
प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1)
अभ्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के
अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

अनुभाग अधिकारी
संस्कृत विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)


संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 4-4/2021/30/सं. -- राज्य शासन, प्रदेश के सभी कलाकार दलों के पंजीयन एवं राज्य के सांस्कृतिक आयोजनों में उन्हें समान अवसर देने तथा निर्धारित मानदेय भुगतान हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार. --**
 - (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम, 2021" कहलायेंगे.
 - (2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावी होंगे.
2. **परिभाषाएं. --**
 - (1) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.
 - (2) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.
 - (3) "विभाग" से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग.
 - (4) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय संस्कृति.
 - (5) "आयुक्त/संचालक" से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, संस्कृति.
 - (6) "समिति" से अभिप्रेत है इस नियम के नियम 6 के अंतर्गत गठित समिति.
 - (7) "अनुभव" से अभिप्रेत है विभाग अंतर्गत कार्यक्रम का अनुभव.
 - (8) "विधा" से अभिप्रेत है विभाग के चिन्हारी पोर्टल में उल्लेखित विधाएं.
3. **उद्देश्य. --**
 - (1) छत्तीसगढ़ राज्य के कलाकारों का पंजीयन एवं कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु श्रेणी निर्धारण, प्रोत्साहन एवं समान अवसर प्रदान करना.
 - (2) कलाकार/कलाकार दलों के श्रेणी/मानदेय निर्धारण एवं समान अवसर प्रदाय करने की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाया जाना.
 - (3) सांस्कृतिक पंचांग के अनुरूप सांस्कृतिक आयोजन हेतु अवसर प्रदान करना.
4. **पंजीयन की प्रक्रिया. --**
 - (1) व्यक्तिगत पंजीयन हेतु चिन्हारी पोर्टल एबहबनसजगतमण्पदध्वीपदीतागचवतजंस में ऑनलाईन पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. पंजीयन अनिवार्य होगा.
 - (2) मंडली/समूह/संस्था को फर्म एवं सोसायटी में पंजीयन एवं चालू वर्ष का जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा.
 - (3) पोर्टल में पंजीकृत कलाकारों के परीक्षण/पुष्टि उपरांत विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा.
5. **पात्रता. --**
 - (1) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों.
 - (2) छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा पर आधारित विधा में सक्रिय हों.
 - (3) संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत हों.


अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

- (4) राज्य की ऐसी समस्त कला एवं सांस्कृतिक अशासकीय संस्थाएँ जो सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन पंजीकृत हैं तथा कम से कम तीन वर्षों से कला एवं संस्कृति के विकास, संवर्धन में सक्रिय हैं.
- (5) तीन वर्षों से कम कला दल/कलाकार जो गांवों/कस्बों/ग्रामीण इलाकों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों से लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं एवं नवोदित कलाकार जो लोक कला के संरक्षण, संवर्धन में योगदान दे रहे हैं.
- (6) केंडिका 7 में उल्लेखित श्रेणी के अंतर्गत हो.

6. चयन समिति. — कला दलों/कलाकारों के पंजीयन हेतु पोर्टल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज के परीक्षण/पुष्टि एवं चयन हेतु विभागीय चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगे :—

क्र.	विभागीय चयन समिति के गठित सदस्य	संख्या
1.	संचालनालय के आयुक्त/संचालक (अध्यक्ष)	01 - शासकीय अध्यक्ष
2.	संचालनालय के संयुक्त संचालक एवं उप संचालक, संस्कृति	02 - शासकीय सदस्य
3.	खैरागढ़ के कुलपति, मनोनित.	01 - अशासकीय सदस्य
	कमलादेवी संगीत महाविद्यालय या श्रीराम संगीत महाविद्यालय	01 - अशासकीय सदस्य
	दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के 1 ग्रेड के सदस्य/कलाकार	02 - अशासकीय सदस्य

समिति को बैठक 03 माह के अन्तराल में सम्पन्न की जा सकेगी, जिसमें उस अवधि तक पंजीयन पोर्टल में अपलोड दस्तावेजों पर विचार कर पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी. समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा. कला दलों/कलाकार/संस्थाओं को ईमेल/मैसेज द्वारा पंजीयन की जानकारी एवं विभागीय वेबसाईड www.egculture.in/chinhariportal में दर्शायी जाएगी.

7. ग्रेड एवं मानदेय श्रेणी.—

- (1) दल प्रमुख एवं सहायक कलाकार का ग्रेड/मानदेय की दरें निम्नानुसार होंगी :—

ग्रेड	दल प्रमुख का विवरण	दल प्रमुख का मानदेय	सहायक कलाकार का मानदेय
ए+++	पद्मविभूषण/पद्मभूषण कलाकार	71000/-	5000/-
ए++	पद्मश्री कलाकार	51000/-	4000/-
ए+	राष्ट्रीय स्तरीय कलाकार (पंजीयन/अनुभव) 10 वर्षों से अधिक व विगत 5 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रस्तुति तथा प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम राज्य से बाहर किया हो.	41000/-	3000/-
ए	राष्ट्रीय स्तरीय कलाकार (पंजीयन/अनुभव) 10 वर्षों से कम व विगत 3 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रस्तुति तथा प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम राज्य से बाहर किया हो.	31000/-	2000/-
बी+	राज्य स्तरीय कलाकार (पंजीयन/अनुभव) समूह/मंडली/संस्था 3 वर्षों से अधिक.	21000/-	1500/-
बी	स्थानीय कलाकार (पंजीयन/अनुभव) समूह/मंडली/संस्था.	11000/-	1000/-

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

- (2) **अपग्रेड-डिग्रेड.**— अनुशासित जनप्रतिनिधियों/आयोजक समिति द्वारा कार्यक्रम प्रतिवेदन में उल्लेखित फीडबैक का समिति द्वारा परीक्षण/अवलोकन पश्चात् कलाकारों के ग्रेड में पुनरीक्षण किया जावेगा.
- (3) कलाकारों के ग्रेड अनुसार निर्धारित मानदेय का समिति द्वारा प्रति 3 वर्ष में अथवा ऐसे अन्तरालों में जैसा कि समिति द्वारा उचित समझा जाए पुनरीक्षण किया जा सकेगा. इसी प्रकार कलाकारों के ग्रेडों में भी उनके प्रदर्शनों के आधार पर पुनरीक्षित ग्रेड दिये जा सकेंगे.
- (4) राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त कलाकारों को रज्य में आयोजित समारोहों में प्रदर्शन हेतु, विभाग के साथ अनुबंध (इम्पैनल्ड) एजेन्सी, प्रबंधकों से चर्चा/प्रस्ताव पर संचालक द्वारा निर्धारित दर के आधार पर विभाग में अनुबंध (इम्पैनल्ड), एजेन्सी, प्रबंधकों के माध्यम से देय होगा.
- (5) विधावार निर्धारित प्रत्येक दल में सहायक कलाकार की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी :-

क्रमांक	विधाओं का विवरण	दल में सहायक कलाकार अधिकतम संख्या
1.	लोक गाथा, गायन, गीत, गजल, भजन, पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, नृत्यनाटिका, वादन, क्लासिकल डांस एवं अन्य.	08
2.	छत्तीसगढ़ी पारंपरिक नृत्य (करमा, सुआ, पंथी, राउत नाचा एवं अन्य) एवं समूह नृत्य क्लासिकल.	12
3.	लोकमंच/नाट्य मंचन (ड्रामा)	24


8.

कार्यक्रम प्रस्तुति के अवसर.—

- (1) नियम 7(1) के अन्तर्गत निर्धारित ग्रेड अनुसार प्रत्येक दल को वित्तीय वर्ष में प्रस्तुति हेतु अवसर की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी.—

क्रमांक	ग्रेड	वित्तीय वर्ष में अवसर की अधिकतम सीमा
1.	ए +++	08
2.	ए ++, ए +, ए	10
3.	बी +, बी	12

- (2) राज्य के किसी विभाग अथवा किसी संस्था/जनप्रतिनिधियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु विभाग से कलाकार दल की मांग अनुसार संबंधित कलाकार/दल से निर्धारित तिथि/स्थान में प्रस्तुति हेतु सहमति पत्र एवं कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के आधार पर कलाकार दलों को अवसर प्रदान किया जायेगा, इस संबंध में सुनिश्चित किया जायेगा कि विभाग की प्रोत्साहन/उद्देश्य के अनुरूप सभी कला दलों/कलाकारों को समान रूप से प्रदर्शन का मौका प्राप्त हो सके.
- (3) तथापि विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में अथवा ऐसे आयोजनों में जो विभाग द्वारा अतिविशिष्ट स्तर के माने गये हों, ऐसे उत्कृष्ट स्तर के कार्यक्रम में प्रस्तुति हेतु कलाकार दलों के चयन में नियम 8(1) के उपबंधों से आयुक्त/संचालक के विवेक पर मुक्त रखा जा सकेगा.
- (4) राज्य स्तरीय ग्रेडेशन समिति/विभागीय समिति का निर्णय अंतिम होगा.
9. **नियमों में संशोधन.**— यदि नियमों के किसी उपबंधों में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त संबंध में यथोचित कारण दर्शाते हुए नियमों में संशोधन किया जा सकेगा.



अनुभाग अधिकारी
 संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
 महानदी भवन, अटल नगर,
 जिला-रायपुर (छ.ग.)


परीशिष्ट - सात
तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2245) की जानकारी

प्रपत्र

जीर्ण शीर्ण एवं मरम्मत योग्य उप स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	स्वा.केन्द्रकानाम
1	कोटा	उप.स्वा.केन्द्रपुडु
2		उप.स्वा.केन्द्रजाली
3		उप.स्वा.केन्द्रअमने
4		उप.स्वा.केन्द्रपिपरतराई
5	तखतपुर	उप.स्वा.केन्द्रलाखासर
6		उप.स्वा.केन्द्रसिधंनपुरी
7		उप.स्वा.केन्द्रबेलसरा
8	मस्तूरी	उप.स्वा.केन्द्रजोधरा
9		उप.स्वा.केन्द्रकनई
10		उप.स्वा.केन्द्रलोहसी
11		उप.स्वा.केन्द्रभरारी
12		उप.स्वा.केन्द्रभरुवाडीह
13		उप.स्वा.केन्द्रजयरामनगर
14		उप.स्वा.केन्द्ररिसदा
15		उप.स्वा.केन्द्रओखर
16		बिल्हा
17	उप.स्वा.केन्द्रसिरगिट्टी	
18	उप.स्वा.केन्द्रसारधा	
19	उप.स्वा.केन्द्र लखराम	


अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवी रायपुर, अटल नगर


उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़


पारोशेष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2187) की जानकारी

प्रपत्र-अ

//डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में रोगियों के उपचार हेतु विभाग में स्पेशलिस्ट डाक्टरों का अभाव की जानकारी//

क्र.	विभाग का नाम	बीमारी का नाम	स्पेशलिस्ट डाक्टरों का अभाव
01	कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग	हृदय के समस्त सर्जरी हेतु	1 सहायक प्राध्यापक (किटीकल केयर) 2 सहायक प्राध्यापक (जनरल मेडिसिन) 3 सहायक प्राध्यापक (शिशु रोग) 4 सहायक प्राध्यापक (एनेस्थिसिया) 5 सहायक प्राध्यापक (कार्डियक निश्चेतना) 6 सीनियर रेसिडेंट (कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी) 7 सीनियर रेसिडेंट (जनरल एनेस्थिसिया) 8 जुनियर रेसिडेंट (कार्डियक एनेस्थिसिया) 9 जुनियर रेसिडेंट (कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी)
02	कार्डियोलॉजी विभाग	हृदय रोग के उपचार हेतु	1 सह-प्राध्यापक 2 सहायक प्राध्यापक 3 कार्डियक निश्चेतना 4 सीनियर रजिस्ट्रार 5 जुनियर रजिस्ट्रार
03	रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग	श्वसन रोग संबंधित	विशेषज्ञ चिकित्सक का अभाव है।
04	नेत्र रोग विभाग	पीडियाट्रिक ऑपथैल्मोलॉजी एवं ऑक्यूलोप्लास्टी	विशेषज्ञ चिकित्सक का अभाव है।
05	क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, रेडियोथेरापी विभाग	कैंसर से संबंधित	निश्चेतना डॉक्टरों का अभाव है।
06	चर्म, रतिज एवं कुष्ठ रोग विभाग	चर्म रोग से संबंधित	सीनियर रेसिडेंट की कमी है।
07	मेडिसीन विभाग	दर्द, कमजोरी, सर्दी इत्यादि	सहायक प्राध्यापक एवं सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों विशेषज्ञ चिकित्सक का अभाव है।
08	निश्चेतना विज्ञान एवं दर्द निवारण विभाग	हृदय रोग, कैंसर, ट्रामा से संबंधित	1 प्राध्यापक 2 सहायक प्राध्यापक (कार्डियक एनेस्थिसियोलॉजिस्ट) 3 सह प्राध्यापक 4 सहायक प्राध्यापक (ऑकों एनेस्थिसियोलॉजिस्ट) 5 सहायक प्राध्यापक (ट्रामा एनेस्थिसियोलॉजिस्ट)


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग



प्रपत्र-ब


// डॉ.भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 में चिकित्सालय में ठेका प्रथा के रूप में संपादित कार्य/ ठेका, ठेका अवधि तथा ठेकेदार का नाम व शासन द्वारा स्वयं संचालन की जानकारी // शासन द्वारा संचालित कार्य:-

क्र.	कार्य का नाम	फर्म का नाम	रिमार्क
1	आपात काल विभाग	-	चिकित्सालय/ महाविद्यालय के सेटअप अनुरूप कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों द्वारा
2	ब्लड बैंक विभाग	-	
3	समस्त बीमारियों हेतु विभागों का संचालन	-	
4	दवाई/ उपकरण	शासकीय उपक्रम सी.जी. एम.एस.सी. द्वारा दवाई क्रय की व्यवस्था	चिकित्सालय के सेन्ट्रल स्टोर द्वारा सी. जी.एम.एस.सी. को वार्षिक मांग पत्र भेजा जाता है। उसी के आधार पर प्रतिमाह सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा दवाई/उपकरण प्रदान किया जाता है।

ठेका प्रथा द्वारा संचालित कार्य:-

क्र	कार्य का नाम	फर्म एवं ठेकेदार का नाम	निविदा/कोटेशन	ठेके की अवधि
1	रोगियों का पंजीयन, ओ.पी.डी./आई.पी.डी. (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	मे. कॉल मी सर्विसेस, रायपुर-श्री राजकुमार बोथरा	निविदा	13.10.2015 से निरंतर ... नवीन निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	सफाई कार्य	मे. कॉल मी सर्विसेस, रायपुर-श्री राजकुमार बोथरा	निविदा	08.02.2024 से 07.02.2025 तक
3	सुरक्षा कार्य	मे. कॉल मी सर्विसेस, रायपुर-श्री राजकुमार बोथरा	निविदा	21.06.2023 से 20.06.2024 तक
4	लॉन्ड्री	मे. कॉल मी सर्विसेस, रायपुर-श्री राजकुमार बोथरा	निविदा	06.04.2018 से निरंतर ... नवीन निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	मरीजों का भोजन	मे. सी.एच. फिलिप रायपुर-श्री सी.एच. फिलिप	निविदा	10.01.2023 से 10.01.2025 तक

नोट:-उक्त चिकित्सालय का सफाई कार्य, सुरक्षा कार्य, मरीजों का भोजन संबंधी निविदा पं.जवाहर लाल नेहरू स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा किया गया।


अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 चिकित्सा शिक्षा विभाग

पारिशेष्ट - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2203) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा वर्ष 01.01.2022 से 30.11.2023 तक क्रय किये गये कागजों का विवरण निम्नानुसार है :-

शैक्षणिक सत्र 2022-23 (जनवरी 2022 से)							
क्र.	वर्ष	कागज की मात्रा (वजन) मीट्रिक टन में	कागज के प्रकार	कागज की दर मी.टन में	कागज मिल के नाम	भुगतान की गई राशि रुपये (टीडीएस कटौती पश्चात)	भुगतान हेतु शेष राशि है
01	2022 शैक्षणिक सत्र 2022-23	3698.442 m.t.	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	73500+ 12% GST= 82320.00	सेतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुक्तसर, पंजाब	29,87,47,200.00	निरंक
02		252.381 m.t.	80 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	73500+ 12% GST= 82320.00	सेतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुक्तसर, पंजाब	2,03,86,454.00	निरंक
03		2821.652 m.t.	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	73500+ 12% GST= 82320.00	श्रेयांष इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यू दिल्ली	22,78,97,363.00	निरंक

शैक्षणिक सत्र 2023-24							
क्र.	वर्ष	कागज की मात्रा (वजन) मीट्रिक टन में	कागज के प्रकार	कागज की दर मी.टन में	कागज मिल के नाम	भुगतान की गई राशि रुपये (टीडीएस कटौती पश्चात)	भुगतान हेतु शेष राशि है
01	2023 शैक्षणिक सत्र 2023-24	2900 m.t.	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	113000+ 12% GST= 126560.00	चड्डा पेपर्स लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश	36,01,41,554.00	निरंक
02		3012.367 m.t.	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	113000+ 12% GST= 126560.00	शाह पेपर मिल्स लिमिटेड वापी गुजरात	37,40,96,821.00	निरंक
03		3999.77 m.t.	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	113000+ 12% GST= 126560.00	सेतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुक्तसर, पंजाब	49,67,19,435.00	निरंक

04	500 m.t.	80जीएसएम मैपलिथो रील कागज	113000+ 12% GST= 126560.00	सेतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुक्तसर, पंजाब	6,20,74,871.00	निरंक
05	952.641 m.t.	250 जीएसएम एमजी कव्हर कागज	117000+ 12% GST= 131040.00	खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा	12,24,93,438.00	निरंक


शैक्षणिक सत्र 2024-25 (30 नवम्बर 2023 की स्थिति में)

क्र.	वर्ष	आपूर्ति की गई कागज की मात्रा (वजन) मीट्रिक टन में	कागज की शेष आपूर्ति की मात्रा मी. टन में	कागज के प्रकार	कागज की दर मी.टन में	कागज मिल के नाम	भुगतान की गई राशि रूपये (टीडीएस कटौती पश्चात)	भुगतान हेतु शेष राशि है
01	2023 माह नवम्बर शैक्षणिक सत्र 2024-25	999.582 m.t.	1750.418 m.t.	70 / 80 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	97200+ 12% GST= 108864.00	मेसर्स चड्डा पेपर्स लिमिटेड, नोएडा उत्तर प्रदेश	निरंक	299376000.00
02		803.771 m.t.	1196.229 m.t.	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	97200+ 12% GST= 108864.00	डी.एस.जी. पेपर्स, प्रा.लि., पटियाला पंजाब	निरंक	217728000.00
03		Nil	2400 m.t.	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	97200+ 12% GST= 108864.00	शाह पेपर मिल्स लिमिटेड वापी गुजरात	निरंक	261273600.00
04		Nil	2100 m.t.	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	97200+ 12% GST= 108864.00	सिल्वरटोन पल्प एण्ड पेपर्स, प्रा.लि., मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश	निरंक	228614400.00

उक्तानुसार वर्ष 2022 से नवम्बर 2023 तक :-

- शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए आंतरिक कागज हेतु 70 GSM & 80 GSM WATER MARKED (CGPPN****) REEL MAPLITHO PAPER Conforming to BIS Specification 1848 (Part I):2018 with latest amendments except brightness and opacity which shall have minimum value of 90% in SIZE 84 CM WIDTH REEL. के मापदण्ड का कागज क्रय किया गया जिसका निर्धारण छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा द्वारा बैठक क्रमांक 70 दिनांक 20-07-2021 में किया गया है।
- इसी प्रकार शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए बाह्य कागज क्रय हेतु 250 GSM MG Cover Paper Conforming to BIS Specification IS 6956 : 2001 (Reaffirmed 2017) with latest amendments in Sheet size 61 cm x 86.5 cm. के मापदण्ड का कागज क्रय किया गया जिसका निर्धारण छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा द्वारा बैठक क्रमांक 70 दिनांक 20.07.2021 में किया गया है।
- शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए आंतरिक कागज हेतु 70 GSM & 80 GSM WATER MARKED (CGPPN****) REEL MAPLITHO PAPER Conforming to BIS Specification 1848 (Part I):2018 with latest amendments except brightness and opacity which shall have minimum value of 90% in SIZE 84 CM WIDTH REEL. के मापदण्ड का कागज क्रय किया गया जिसका निर्धारण छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा द्वारा बैठक क्रमांक 81 दिनांक 17.08.2022 में किया गया है।
- इसी प्रकार शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए बाह्य कागज क्रय हेतु 250 GSM MG Cover Paper Conforming to BIS Specification IS 6956 : 2001 (Reaffirmed 2017) with one side glazed(shine) and latest amendments in Sheet size 61 cm x 86.5 cm. के मापदण्ड का कागज क्रय किया गया जिसका निर्धारण छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा द्वारा बैठक क्रमांक 81 दिनांक 17.08.2022 में किया गया है।
- शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए आंतरिक कागज हेतु 70 GSM & 80 GSM WATER MARKED (CGPPN****) REEL MAPLITHO PAPER Conforming to BIS Specification 1848 (Part I):2018 with latest amendments in SIZE 84 CM WIDTH REEL. के मापदण्ड का कागज क्रय किया गया जिसका निर्धारण छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा द्वारा बैठक क्रमांक 86 दिनांक 10.08.2023 में किया गया है।


जी हाँ, कार्यकारिणी सभा द्वारा कागज क्रय हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया है क्योंकि क्रय की गई कागजों के तकनीकी परीक्षण राष्ट्रीय स्तर की कागज परीक्षण लैब से कराये जाने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पाये गये हैं। अतः मापदण्डों के पालन नहीं किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

शिक्षा सत्र 2022-23 एवं 2023-24 की कागज खरीदी हेतु श्री उचित शर्मा द्वारा शिकायत पत्र दिनांक 29.12.2022 एवं श्री शेष नारायण शर्मा द्वारा शिकायत पत्र दिनांक 24.11.2022 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में शिकायत की गई थी। साथ ही उचित शर्मा द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 एवं 2023-24 की कागज खरीदी के संबंध में शिकायती पत्र दिनांक 29.12.2022 द्वारा कार्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया। उक्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक F-15-02/2023/20-3 नवा रायपुर, दिनांक 20.01.2023 व 27.01.2023 एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ब्यूरो/राय/M-379/2023, रायपुर दिनांक 16.01.2023 के माध्यम से शिकायतों का विवरण प्रेषित करते हुए तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदनमय संबंधित दस्तावेज हेतु पाठ्यपुस्तक निगम को लेख किया गया था।

क्र.	शिकायत के बिन्दु	तथ्यात्मक प्रतिवेदन
01	शिक्षा सत्र 2022-23 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायत	शिक्षा सत्र 2022-23 के दौरान निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु क्रय किये गये कागज की खरीदी में भ्रष्टाचार के संबंध में कंडिकावार तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय संबंधित दस्तावेज स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 24.03.2021 को प्रेषित किया गया। साथ ही कार्यालय महालेखाकार द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 के दौरान की गई कागज खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया का लेखा परीक्षण किया जा चुका है जिसमें कोई अनियमितता प्रतिवेदित नहीं की गई।
02	शिक्षा सत्र 2023-24 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायत	2023-24 के दौरान निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु क्रय किये गये कागज की खरीदी में भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के तत्कालीन प्रबंध संचालक द्वारा कंडिकावार जांच करवाई गई। जिसमें पाया गया कि छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियमों का सम्यक् रूप से अनुपालन करते हुए शिक्षा सत्र 2023-24 में ऑनलाईन खुली निविदा पद्धति अनुसार कागज खरीदा गया था। तदनुसार उक्त तीनों शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन मय प्रासंगिक दस्तावेज छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र क्रमांक/3620/पापुनि/कागज-15 / गोपनीय/2023 नवा रायपुर, दिनांक 01.02.2023 के माध्यम से भेजा गया है, जिसकी प्रतिलिपि कार्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ को भी दी गई है। तदनुसार उक्त तीनों शिकायतें आधारहीन होने के कारण निगम के स्तर पर नस्तीबद्ध करने की कार्यवाही की गई है।


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
कार्यालय, रायपुर

परींशष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1712) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र लुण्ड्रा अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की जानकारी

क्रं.	स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सी.एच.सी. दरिमा	विशेषज्ञ मेडिसिन	1	1	0
2		विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	1
3		विशेषज्ञ शिशु रोग	1	1	0
4		विशेषज्ञ स्त्री रोग	1	1	0
5		निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0	1
6		चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
7		दंत चिकित्सक	1	1	0
8	हाट बाजार बफौली / दरिमा	चिकित्सा अधिकारी	0	1	-1
9	पी.एच.सी. बरकेला	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
10	पी.एच.सी. नवानगर	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
11	सी.एच.सी. धौरपुर	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	0	1
12		विशेषज्ञ मेडिसिन	1	0	1
13		विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	1
14		विशेषज्ञ शिशु रोग	1	0	1
15		विशेषज्ञ स्त्री रोग	1	0	1
16		निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0	1
17		चिकित्सा अधिकारी	3	4	-1
18	हाट बाजार धौरपुर	चिकित्सा अधिकारी	0	1	-1
19	पी.एच.सी. लुण्ड्रा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
20	पी.एच.सी. रघुनाथपुर	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
21	पी.एच.सी. डूमरडीह	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
22	पी.एच.सी. बरगीडीह	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
23	पी.एच.सी. उदारी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
24	पी.एच.सी. पटोरा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0

उप संचालक (विधानसभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़


अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 452) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	विधानसभा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम	सत्र
1	2	3	4	5
1	जशपुर	जशपुर	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जशपुर	2020-21
2	जशपुर	जशपुर	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा	2021-22
3	जशपुर	जशपुर	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बगीचा	2021-22


 उपसंचालक
 लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

अनुशासन
 लोक शिक्षण विभाग
 जशपुर, महाराष्ट्र
 जशपुर

विषय:— राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थान

तालिका – 1

प्रश्नांकित अवधि तक राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची:—

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	प्रमुख दर्शनीय स्थल
1	राजिम	राजिम	धार्मिक, ऐतिहासिक	राजीव लोचन मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर
2		फिंगेश्वरगढ़	ऐतिहासिक	फणिकेश्वरनाथ महादेव, मौलीमाता, किला

तालिका – 2

प्रश्नांकित अवधि तक राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में किये गये निर्माण कार्य एवं विकास कार्य की जानकारी:—

क.	चिन्हांकित स्थल का नाम	कार्य का विवरण
1	राजिम (गरियाबंद)	कार्यादेश दिनांक 01.02.2021 – छोटा प्रवेश द्वार, विविंग डेस्क कियोस्क, प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, घाट वाकवे, डेवलपमेंट पब्लिक टॉयलेट, पर्यटन सूचना केन्द्र, साइनेजेस, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, एलईडी ब्राण्डिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सीसीटीवी, पार्किंग, सीढ़ी फेसलिफिटिंग
2	फिंगेश्वरगढ़	निरंक

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पारिशेष्य - तेरह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 720) की जानकारी


प्रपत्र

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 स्थानों पर संचालित शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद की जानकारी


क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	महाविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1	अभनपुर विधानसभा	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर	प्राचार्य (स्नातक)	1	1
			प्राध्यापक	4	4
			सहायक प्राध्यापक	22	4
			ग्रंथपाल	1	0
			क्रीडाधिकारी	1	0
			सहायक ग्रेड-2	1	0
			सहायक ग्रेड-3	2	2
			सहायक ग्रेड-3 (संविदा)	1	1
			प्रयोगशाला तकनीशियन	5	1
			प्रयोगशाला परिचारक	5	3
			भृत्य	2	2
			फर्रिश	0	0
			स्वीपर	1	0
			बुक लिफ्टर	1	0
चौकीदार	1	1			
			योग	48	19
2	अभनपुर विधानसभा	श्री कुलेश्वर नाथ महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा	प्राचार्य (स्नातक)	1	1
			प्राध्यापक	4	4
			सहायक प्राध्यापक	22	8

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

			सहायक ग्रेड-1	1	1
			सहायक ग्रेड-2	1	0
			सहायक ग्रेड-3	1	0
			सहायक ग्रेड-3 (संविदा)	1	1
			प्रयोगशाला तकनीशियन	7	6
			प्रयोगशाला परिचारक	6	2
			भृत्य	2	0
			चौकीदार	1	1
			स्वच्छक अंशकालीन (कलेक्टर दर)	1	1
			योग	48	25
3	अभनपुर विधानसभा	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गोबरा नवापारा	प्राचार्य (स्नातक)	1	1
			सहायक प्राध्यापक	12	0
			ग्रंथपाल	1	1
			क्रीडाधिकारी	1	1
			सहायक ग्रेड-1	1	1
			सहायक ग्रेड-2	1	1
			सहायक ग्रेड-3	1	0
			प्रयोगशाला तकनीशियन	5	5
			प्रयोगशाला परिचारक	5	5
			भृत्य	2	2
			बुक लिफ्टर	1	1
			स्वच्छक	1	1
			चौकीदार	1	1
			योग	33	20
4	अभनपुर विधानसभा	नवीन शासकीय महाविद्यालय तामासिवनी	प्राचार्य (स्नातक)	1	1
			सहायक प्राध्यापक	12	12
			ग्रंथपाल	1	1
			क्रीडाधिकारी	1	1
			सहायक ग्रेड-1	1	1
			सहायक ग्रेड-2	1	1


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

		सहायक ग्रेड-3	1	1
		प्रयोगशाला तकनीशियन	5	5
		प्रयोगशाला परिचारक	5	5
		भृत्य	2	2
		बुक लिफ्टर	1	1
		चौकीदार	1	1
		स्वच्छक	1	1
		योग	33	33
		महायोग	162	97


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - चोदह
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 721) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का नाम	वर्ष	मद का नाम	व्यय राशि	सामग्री का नाम	संस्थान/कम्पनी/फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, अभनपुर विकासखण्ड अभनपुर	2021-22	समग्र शिक्षा	4300000	लैब सामग्री, पुस्तक, प्रिंटर, ए.सी., प्राइमरी हेतु टेबल बेंच, 25 कम्प्यूटर सेट, खेल सामग्री, आलमीरा, वाईफाई, लैन नेटवर्क इंस्टालेशन, वॉल पेंटिंग, बिजली उपकरण, एवं अन्य फर्नीचर	डेस्टिनी एडुवर्ल्ड, साईं टेक सेल्स, सिलिकॉन टेक, सुराना स्टोर्स, ओम फर्नीचर, वी.पी.सी. केयर, गरीबनाथ एसोसिएशन
		2021-22	मेला उत्सव	20000	टेंट, स्वल्पाहार, पलैक्स प्रिंटिंग, स्टेशनरी सामग्री, पेंटिंग	दीपक टेंट हाउस, रामा होटल, अन्य
		2021-22	अन्य आकस्मिक मद	133333	बिजली बिल भुगतान, स्टेशनरी, टोनर, टेंट किराया, वाई-फाई रिचार्ज,	गीता प्रिंटिंग प्रेस एवं स्टेशनरी, भैरुनाथ ट्रेडर्स, सूष्टि बर्तन भण्डार, के.पी. किराना स्टोर्स, पद्मा सैनेटरी सी.एस. पी.डी. सी. एल. एवं अन्य
		2022-23	अन्य आकस्मिक मद	500000	सी.सी.टी.वी. कैमरा सेटअप, टेबल क्लॉथ, बिजली बिल भुगतान, स्टेशनरी, टोनर, वाई-फाई रिचार्ज, रिपेयरिंग वर्क, स्वल्पाहार सामग्री, सैनेटरी सामग्री, फर्स्ट एड सामग्री,	गणपति हार्डवेयर, जय मां दुर्गा क्लीन हाउस, गीता प्रिंटिंग प्रेस एवं स्टेशनरी, सी.एस. पी.डी. सी. एल. भैरुनाथ ट्रेडर्स, सूष्टि बर्तन भण्डार, के.पी. किराना स्टोर्स, पद्मा सैनेटरी एवं अन्य
		2023-24	अन्य आकस्मिक मद	286859	विभिन्न परिवहन खर्च, बिजली बिल भुगतान, स्टेशनरी, टोनर, टेंट किराया, वाई-फाई रिचार्ज,	सी.एस. पी.डी. सी. एल., गुप्ता टूर एण्ड ट्रेवल्स, गीता प्रिंटिंग प्रेस एवं स्टेशनरी, रामदेव हार्डवेयर, भैरुनाथ ट्रेडर्स, सूष्टि बर्तन भण्डार, के.पी. किराना स्टोर्स, पद्मा सैनेटरी एवं अन्य
2	हरिहर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, गोबरा - नवापारा विकासखण्ड अभनपुर	2022-23	अन्य आकस्मिक मद	278186	स्टेशनरी, प्लम्बिंग फिटिंग सामग्री, पंखा कूलर रिपेयरिंग, उत्तर पुस्तिका, प्रिंटर मशीन एवं रिपेयरिंग, सी.सी.टी.वी. कैमरा फिटिंग, कार्यालयीन स्टेशनरी, बिजली बिल, नेट बिल	विजय स्टेशनरी एव जनरल स्टोर, ज्ञानचंद जैन, आकाश इलेक्ट्रॉनिक, देवांगन ऑनलाईन च्वाईस सेंटर, न्यू देवांगन इंटरनेट, आशु कम्प्युनिकेशन, क्लासिक स्टेशनरी मार्ट, छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल, बी.एस.एन.एल.
योग :-				5518378		

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

2
उपसंचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़


परिशेष - पन्द्रह
परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1193) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	एम्बुलेंस की जानकारी	
		संचालित	बिगड़े
1	सामु.स्वा.केन्द्र पुसौर	4	0
2	सामु.स्वा.केन्द्र लोईग	2	0
3	सामु.स्वा.केन्द्र चपले	6	0
4	सामु.स्वा.केन्द्र तमनार	4	0
5	सामु.स्वा.केन्द्र घरघोड़ा	5	0
6	सामु.स्वा.केन्द्र लैलूंगा	4	1
7	सामु.स्वा.केन्द्र विजयनगर (धरमजयगढ़)	5	0
8	प्रा.स्वा.केन्द्र छाल	2	0
9	सामु.स्वा.केन्द्र कापू	1	0
10	जिला चिकित्सालय रायगढ़	7	0
योग		40	1



अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर



उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पारिशेष - सोलह
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1400) की जानकारी

प्रपत्र - अ

शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की एकल शिक्षकीय शालाओं में पदस्थापना।

स. क्र.	जिला	अतिशेष शिक्षकों की जानकारी			
		प्राथमिक	माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेडरी
1	रायपुर	637	159	20	70
2	महासमुन्द	536	251	2	15
3	धमतरी	88	0	0	0
4	बलोदाबाजार-भाटापारा	98	0	0	0
5	गरियाबंद	61	35	7	29
6	दुर्ग	91	112	11	50
7	बालोद	148	38	0	1
8	बेमेतरा	283	36	0	0
9	राजनादगांव	189	213	0	28
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	4	3	0	0
11	मोहला मानपुर	0	0	2	18
12	कबीरधाम	182	38	0	0
13	बिलासपुर	94	195	15	163
14	जांजगीर-चापा	132	49	16	29
15	सक्ती	93	91	7	11
16	कोरबा	70	46	29	123
17	मुर्गेली	45	52	0	23
18	गौरला पेण्ड्रा मरीवाही	32	44	1	8
19	रायगढ़	58	23	27	47
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	97	53	1	17
21	सरगुजा	106	105	33	156
22	कोरिया	14	29	0	2
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर	35	21	0	4
24	सूरजपुर	177	46	0	0
25	जशपुर	98	32	0	0
26	बलरामपुर-रामानुजगंज	158	8	3	28
27	बस्तर	30	35	9	11
28	कांकेर	22	11	0	0
29	दन्तेवाड़ा	0	0	0	0
30	कोडागांव	30	35	9	11
31	सुकमा	0	2	0	0
32	बीजापुर	0	0	0	0
33	नारायणपुर	0	0	0	0
योग		3608	1762	192	844

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
संचालक, महालय भवन,
नवा रायपुर

प्रपत्र - ब

शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की एकल शिक्षकीय शालाओं में पदस्थापना।

स. क्र.	जिला	एकल शिक्षकीय शाला	शिक्षक विहीन शाला
1	रायपुर	27	5
2	महासमुन्द	231	12
3	धमतरी	125	0
4	बलौदाबाजार-भाटापारा	78	6
5	गरियाबंद	204	13
6	दुर्ग	45	8
7	बालोद	84	11
8	बेमेतरा	42	4
9	राजनादगांव	93	7
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	71	12
11	मोहला मानपुर	150	13
12	कबीरधाम	2	112
13	बिलासपुर	109	16
14	जांजगीर-चापा	52	0
15	सक्ती	146	4
16	कोरबा	341	27
17	मुर्गेली	74	10
18	गौरला पेण्ड्रा मरीवाही	140	1
19	रायगढ़	266	8
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	144	12
21	सरगुजा	190	14
22	कोरिया	68	8
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर	107	5
24	सूरजपुर	215	14
25	जशपुर	244	10
26	बलरामपुर-रामानुजगंज	298	32
27	बस्तर	428	54
28	कांकर	268	19
29	दन्तेवाडा	150	3
30	कोंडागांव	417	54
31	सुकमा	306	34
32	बीजापुर	252	72
33	नारायणपुर	133	10
	योग	5500	610

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंडलाध्यक्ष, महात्मा गांधी
नया रायपुर

पारिशेष - सत्रह
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1428) की जानकारी

प्रपत्र-‘अ’

सं. क्र.	पद का नाम पद का नाम	शास.उ.मा.वि.कोठीटोला वि.खंड डोंगरगढ़		लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मचारी का नाम एवं अनुपस्थित कर्मचारी की शिकायत पर की गई कार्यवाही	अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन आहरण की जानकारी
		स्वीकृत	स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी		
1	प्राचार्य	01	—	—	—
2	व्याख्याता	13	1 श्री टीकम दास मांडले (एल.बी.) 2 श्री हुमन लाल जत्ती (एल.बी.) 3 श्री गोपाल सिंह (एल.बी.) 4 श्री उत्तम चंद्रवंशी (एल.बी.) 5 श्री अजय साहू (एल.बी.) 6 श्रीमती राधिका साहू (एल.बी.) 7 श्री ओंकार नाथ 8 गीता बारले	श्री टीकम दास माण्डले, व्याख्याता (एल.बी.) दिनांक 02.11.2023 से 21.11.2023 तक 20 दिवस एवं दिनांक 01.01.2024 से आज पर्यन्त बिना आवेदन के अनुपस्थित है। संबंधित के अनुपस्थिति के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	श्री टीकम दास माण्डले, व्या. (एल.बी.) को उनके अनुपस्थित के कारण दिनांक 01.11.2023 से 30.11.2023 तक का वेतन आहरण नहीं किया गया है। दिनांक 01.01.2024 से आज पर्यन्त अनुपस्थित रहने से वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।
3	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	03	1 श्री पुरुषोत्तम कंवर (एल.बी.) 2 श्री रविदास देशमुख (पंचायत)	प्राचार्य के पत्र अनुसार श्री रविदास देशमुख, सहा. शिक्षक विज्ञान (पंचायत) का दिनांक 18.08.20215 को अचानक अस्वस्थ होने तथा दिनांक 19.08.2015 निश्चेतना (कोमा) में जाने के कारण आज पर्यन्त तक लगातार अनुपस्थित है। श्री देशमुख, सहायक शिक्षक विज्ञान (पंचायत) है तथा इस पद का नियोक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डोंगरगढ़ है। संबंधित के अनुपस्थिति के संबंध में कार्यवाही का संबंध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से है। संबंधित कर्मचारी का शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हुआ है।	अनुपस्थित अवधि से वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।
4	व्यायाम शिक्षक	01	—	—	—
5	ग्रंथपाल	01	—	—	—
6	लेखापाल/ सहायक ग्रेड-2	01	—	—	—
7	सहायक ग्रेड-3	02	1 श्री राजेश कुमार 2 श्री इशांत उइके	—	—
8	भृत्य	04	1 श्रीमती तिलोका 2 श्रीमती देवकी मरकाम	—	—
9	चौकीदार	01	—	—	—
10	अंशकालीन स्वीपर	01	1 श्रीमती धनेश्वरी चंद्रवंशी	—	—
	योग	28			

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
भरतपुर

उप संचालक
शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र- 'ब'

स. क.	पद का नाम	शास.उ.मा.वि.आलीवारा वि.खंड डोंगरगढ़		लम्बे समय से अनुपस्थित एवं अनुपस्थित कर्मचारियों की शिकायत पर की गई कार्यवाही	अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन आहरण की जानकारी
		स्वीकृत	स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी		
1	प्राचार्य	01	—	—	—
2	व्याख्याता	10	1 श्री झांगी लाल हुमने 2 श्री कार्तिक राम यादव 3 श्री प्रदीप कुमार दीक्षित (एल.बी.) 4 श्रीमती तारकेश्वरी जंघेल (एल.बी.) 5 श्रीमती मौसमी साखरे (एल.बी.)	श्रीमती मौसमी साखरे,व्या. (एल.बी.) दिनांक 31.10.2023 से 07.11.2023 तक कुल 08 दिवस बिना पूर्व सूचना एवं आवेदन के अनुपस्थित थी। अनुपस्थित के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	श्रीमती मौसमी साखरे, व्या. (एल.बी.) को उनके अनुपस्थित रहने की अवधि (दिनांक 31.10.2023 से 07.11.2023 तक कुल 08) का वेतन आहरण नहीं किया गया है।
3	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	02	श्री रोशन कुमार चंद्रवंशी (एल.बी.) (निलंबित)	श्री रोशन कुमार चंद्रवंशी, सहा. शिक्षक विज्ञान(एल.बी.) दिनांक 16.06.2022 से बिना पूर्व सूचना व अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के आदेश क्रमांक 8831 दिनांक 09.11.2022 के द्वारा निलंबन किया जाकर मुख्यालय कार्या.वि.खं.शि.अ. डोंगरगढ़ किया गया है।	श्री रोशन कुमार चंद्रवंशी द्वारा निलंबन उपरांत निर्धारित मुख्यालय कार्या.वि.खं.शि.अ. डोंगरगढ़ में उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण उन्हें वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
4	व्यायाम शिक्षक	01	—	—	—
5	ग्रंथपाल	01	—	—	—
6	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	01	श्री रामेश्वर लाल दशरिया	—	—
7	सहायक ग्रेड-3	02	—	—	—
8	भृत्य	03	कु. नेहा वर्मा	—	—
9	चौकीदार	01	—	—	—
10	अंशकालीन स्वीपर	01	श्रीमती दुरपती वर्मा	—	—
योग		23			

अनुभाग अधिकारी
स्वीकृत शिक्षा विभाग
डोंगरगढ़


उप संचालक
शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशेष - अट्टारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1501) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	दर्ज संख्या		योग
		छात्र	छात्रा	
1	शास.टी.सी.एल महाविद्यालय जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा	1358	1699	3057
2	शास. जाजल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा	0	737	737
3	शास. मयूरध्वज महादानी राजा पी.जी. महा. चांपा जिला- जांजगीर-चांपा	907	1898	2805
4	शास. नवीन महाविद्यालय नवागढ़ जिला-जांजगीर-चांपा	160	463	623

क्र.	अशासकीय महाविद्यालय का नाम	दर्ज संख्या		योग
		छात्र	छात्रा	
1	पं जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, नवागढ़, जिला जांजगीर	599	586	1185
2	विराट लक्ष्य महाविद्यालय, चांपा जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	3	4	7
3	एस.डी. महाविद्यालय, नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा	360	361	721
4	ज्ञानरोशनी महाविद्यालय, खोखरा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	0	0	0
5	रॉयल कॉलेज चांपा मड़वा, प्लांट रोड, छुड़िया, जिला-जांजगीर-चांपा	0	0	0
6	श्री जगन्नाथ कॉलेज, लिंक रोड, जांजगीर चांपा जिला-जांजगीर-चांपा	15	9	24
7	डी.बी.एम. कॉलेज देवरहा पीथमपुर, तह-जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा	6	1	7


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)


क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	शासकीय ठाकुर छदालाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर, छगण्ड	प्राध्यापक . अर्थशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . हिन्दी	1	0	1
		प्राध्यापक . राजनीतिशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . इतिहास	1	0	1
		प्राध्यापक . रसायनशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . भौतिकशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . प्राणीशास्त्र	1	0	1
		सं.प्रा. भौतिकशास्त्र	2	0	2
		सं.प्रा. गणित	2	1	1
		सं.प्रा. वनस्पतिशास्त्र	2	1	1
		सं.प्रा. प्राणीशास्त्र	3	1	2
		सं.प्रा. रसायनशास्त्र	3	3	0
		सं.प्रा. हिन्दी	3	2	1
		सं.प्रा. अंग्रेजी	2	2	0
		सं.प्रा. संस्कृत	1	1	0
		सं.प्रा. दर्शनशास्त्र	1	0	1
		सं.प्रा. समाजशास्त्र	2	2	0
		सं.प्रा. राजनीतिशास्त्र	2	2	0
		सं.प्रा. अर्थशास्त्र	1	1	0
		सं.प्रा. इतिहास	2	3	0
		सं.प्रा. वाणिज्य	3	3	0
		सं.प्रा. गृहविज्ञान	1	1	0
		सं.प्रा. विधि	8	6	2
		सं.प्रा. मनाविज्ञान	2	1	1
		सं.प्रा. माइक्रोबायोलॉजी	1	1	0
		सं.प्रा. बायाटक्नालॉजी	1	0	1
		सं.प्रा. लोकप्रशासन	1	0	1
		सं.प्रा. कंप्यूटर एप्लिकेशन	1	0	1
		क्रा.डा. अधिकारी	1	0	1
		ग्रंथपाल	1	1	0
		राजस्त्रार	1	1	0
		सहायक ग्रेड-1	1	0	1
		सहायक ग्रेड-2	1	0	1
		सहायक ग्रेड-3	2	2	0
		डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	1	0	1
		प्रयोगशाला तकनीशियन	10	5	5
		छात्रावास अधीक्षक	1	0	1
		प्रयोगशाला परिचारक	10	1	9
		भृत्य	5	4	1
		चौकीदार	1	1	0
		फरॉश	1	1	0
		बुक लिफ्टर	1	1	0
		माली	1	0	1
		स्वच्छक	1	0	1
		स्वच्छक अंशकालीन (कलेक्टर दर)	1	0	1

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

		योग	91	48	44
2	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा जिला, जांजगीर, छगण्ड	प्राध्यापक . अर्थशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . राजनीतिशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . समाजशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . रसायनशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . गणित	1	0	1
		प्राध्यापक . वाणिज्य	1	0	1
		प्राध्यापक . प्राणीशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . हिन्दी	1	0	1
		सं.प्रा. भौतिकशास्त्र	1	1	0
		सं.प्रा. वनस्पतिशास्त्र	2	2	0
		सं.प्रा. प्राणीशास्त्र	3	2	1
		सं.प्रा. रसायनशास्त्र	1	1	0
		सं.प्रा. गणित	1	1	0
		सं.प्रा. हिन्दी	3	2	1
		सं.प्रा. अंग्रेजी	1	0	1
		सं.प्रा. समाजशास्त्र	1	1	0
		सं.प्रा. राजनीतिशास्त्र	2	3	0
		सं.प्रा. इतिहास	1	1	0
		सं.प्रा. अर्थशास्त्र	2	1	1
		सं.प्रा. वाणिज्य	2	2	0
		सं.प्रा. टसरटक्नालाजी	1	0	1
		क्रा.डा.धिकारी	1	0	1
		ग्रथपाल	1	1	0
		सहायक ग्रेड-1	1	1	0
		सहायक ग्रेड-2	1	1	0
		सहायक ग्रेड-3	2	0	2
		डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	1	1	0
		प्रयोगशाला तकनीशियन	7	6	1
		छात्रावास अधीक्षक	1	0	1
		प्रयोगशाला परिचारक	7	1	6
भृत्य	4	1	3		
बुक लिफ्टर	1	1	0		
चौकीदार	1	0	1		
स्वीपर	1	1	0		
स्वच्छक	1	0	1		
स्वच्छक अशकालीन (कलेक्टर दर)	1	0	1		
		योग	60	31	30
3	शासकीय जाज्वल्यदेव नवान कन्या महाविद्यालय जांजगीर ;छगण्ड	प्राध्यापक . गणित	1	0	1
		प्राध्यापक . भूगोल	1	0	1
		प्राध्यापक . भौतिकशास्त्र	1	0	1
		प्राध्यापक . प्राणीशास्त्र	1	0	1
		सं.प्रा. माइक्रोबायोलॉजी	1	1	0
		सं.प्रा. वनस्पतिशास्त्र	1	1	0
		सं.प्रा. प्राणीशास्त्र	2	1	1
		सं.प्रा. रसायनशास्त्र	1	1	0
		सं.प्रा. भौतिकशास्त्र	2	1	1
		सं.प्रा. गणित	1	1	0

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

		संघप्रान हिन्दी	1	1	0
		संघप्रान अग्रजो	1	1	0
		संघप्रान राजनीतिशास्त्र	1	1	0
		संघप्रान अथशास्त्र	1	1	0
		संघप्रान वाणज्य	1	1	0
		संघप्रान भूगाल	1	1	0
		सहायक ग्रेड-1	1	0	1
		सहायक ग्रेड-2	1	0	1
		सहायक ग्रेड-3	1	0	1
		सहायक ग्रेड-3 (संवेदा)	1	0	1
		प्रयोगशाला तकनीशियन	5	3	2
		छात्रावास अधीक्षक	1	0	1
		प्रयोगशाला परिचारक	4	1	3
		भृत्य	4	0	4
		चौकीदार	1	0	1
		स्वच्छक	1	0	1
		स्वच्छक अशकालीन (कलेक्टर दर)	2	0	2
		योग	40	16	24
4	शासकाय महाविद्यालय नवागढ़ जिला.जाजगीर, छणगण्ड	प्राध्यापक . प्राणीशास्त्र	1	0	1
		संघप्रान हिन्दी	1	1	0
		संघप्रान अग्रजो	1	1	0
		संघप्रान इतिहास	1	1	0
		संघप्रान राजनीतिशास्त्र	1	1	0
		संघप्रान समाजशास्त्र	1	1	0
		संघप्रान वनस्पतिशास्त्र	1	0	1
		संघप्रान प्राणीशास्त्र	1	0	1
		संघप्रान रसायनशास्त्र	1	1	0
		संघप्रान वाणज्य	2	2	0
		सहायक ग्रेड-1	1	0	1
		सहायक ग्रेड-2	1	1	0
		सहायक ग्रेड-3	1	1	0
		प्रयोगशाला तकनीशियन	4	1	3
		प्रयोगशाला परिचारक	4	0	4
		भृत्य	2	2	0
		चौकीदार	1	0	1
		स्वच्छक अशकालीन (कलेक्टर दर)	1	0	1
		योग	26	13	13


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पारोशिष्ट - उन्नोस
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1559) की जानकारी

प्रपत्र-अ

Component : Enhancing Quality and Excellence in select Autonomous College

Funding priorities:

- State Colleges which feature in UGC's Autonomy Regulations, 2018 will be covered for support under this component.
- No more than 30% would be spent on construction and Equipment.
- Financial assistance will be given for quality enhancement and improvement in teaching and research.
- Institutions approved under the component will need to mentor other institutions.

Component : Infrastructure Grants to College

Funding priorities:

- Colleges with valid NAAC/NBA accreditation of over 2.5 and above out of 4, or appropriate grade in NBA will be eligible to apply. Adequate consideration would be given to the North eastern and Himalayan states (special category states) under this component.
- Institutions from special category states who have received grants under this component in RUSA 1.0 won't be allowed to spend the funds under the same items covered in RUSA 1.0.
- Grant will be provided to support strengthening infrastructure facilities for new construction, renovation and purchase of equipment.
- Colleges which have been covered in the same component in RUSA 1.0 will not be eligible to apply for funding under this component.
- The State can spend maximum 50% of the total cost in case of new construction, renovation/upgrade and equipment each. For e.g., the expenditure ratios could be 40:50:10; or 50:30:20; or 45:45:10, etc.

Colleges will be prioritized on the basis of following criteria:

- No of Students
- Year of Establishment
- % of SC/ST/OBC and Women students

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Component : New Model College (General)

Funding priorities:


“Educationally Backward Districts” will be graded into category A & B on the basis of following criteria; Category A districts will be given priority.

- District with 0 – 1 colleges – Category A
- District with 2 – 4 colleges – Category B

Districts in Category A will be given priority over Category B. However, within Category B priority will be given on the following basis:

- Low CPI (College Population Index, No of College per 1,00,000 students of 18-23 age group).
- High proportion of socially and economically backward population
- Low GER for female students.
- Low GER (SC/ST).

Proposals already received and pending with UGC/MHRD will be considered and approved first.



अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र- ब

रूसा में चयनित महाविद्यालयों को 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 के बीच विभिन्न घटकों में चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार:-

राशि करोड़ रू. में)

घटक	प्राप्त राशि	व्यय राशि	व्यय नहीं की गई राशि
स्वशासी महाविद्यालयों की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता उन्नयन	2.50	2.50	0.00
महाविद्यालयों का अद्योसंरचना विकास	6.00	6.00	0.00
आदर्श उपाधि महाविद्यालय	15.00	15.00	0.00
योग	23.50	23.50	0.00


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

परीशेष - बीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1623) की जानकारी

प्रपत्र

संस्था का नाम—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना, विकासखंड बसना

क्र.	संस्था में स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	पंचायतवार विवरण
1	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	0	नगर पंचायत बसना
2	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	0	
3	विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	
4	विशेषज्ञ स्त्री रोग	1	1	
5	विशेषज्ञ शिशु रोग	1	1	
6	पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना	1	0	
7	सहायक शल्य चिकित्सक	3	3	
8	दन्त चिकित्सक	1	1	
9	नर्सिंग सिस्टर	1	0	
10	बी.ई.ई.	1	1	
11	लेखापाल/सहायक ग्रेड-02	1	1	
12	संगणक/कम्प्यूटर डाटा आपरेटर	1	1	
13	सहायक वर्ग-03	1	1	
14	स्टाफ नर्स	10	8	
15	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	3	2	
16	पर्यवेक्षक (पुरुष)	1	0	
17	एल.एच.व्ही.	2	2	
18	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)	1	2	
19	एन.एम.ए.	2	2	
20	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष)	1	1	
21	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर किपर	2	2	
22	रेडियोग्राफर	1	0	
23	ड्रेसर ग्रेड-1	1	1	
24	ड्रेसर ग्रेड-2	1	0	
25	वाहन चालक	2	0	
26	वार्ड ब्वाय	2	1	
27	चतुर्थ श्रेणी	2	2	
28	धोबी	1	1	
29	ओ.टी.अटेंडेंट	1	2	
30	चौकीदार	1	1	
31	आया	1	0	
32	स्वीपर	1	1	

संस्था का नाम :- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा, विकासखंड पिथौरा

क्र.	संस्था में स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	पंचायतवार विवरण
1	खंड चिकित्सा अधिकारी	1	0	नगर पंचायत पिथौरा
2	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	0	
3	विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	
4	विशेषज्ञ स्त्री रोग	1	1	
5	विशेषज्ञ शिशु रोग	1	1	
6	पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना	1	0	
7	अस्थि रोग विशेषज्ञ	1	0	
8	सहायक शल्य चिकित्सक	3	4	
9	दन्त चिकित्सक	1	1	
10	बीईई	1	0	
11	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	1	1	
12	संगणक/कम्प्यूटर डाटा आपरेटर	1	1	
13	सहायक ग्रेड-3	1	0	
14	नर्सिंग सिस्टर	1	1	
15	स्टॉफ नर्स	10	6	
16	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	3	3	
17	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)	1	2	
18	पर्यवेक्षक (पुरुष)	1	1	
19	एल.एच.व्ही.	2	2	
20	एन.एम.ए.	1	1	
21	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष)	1	0	
22	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	2	1	
23	रेडियोग्राफर	1	0	
24	ड्रेसर ग्रेड-1	1	1	
25	ड्रेसर ग्रेड-2	1	0	
26	वाहन चालक	2	1	
27	वार्ड ब्वाय	2	1	
28	चतुर्थ श्रेणी	2	2	
29	धोबी	1	0	
30	ओ.टी.अटैण्डेंट	1	1	
31	चौकीदार	1	1	
32	आया	1	0	
33	स्वीपर	1	0	

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत, कार्यरत संविदा सेटअप

संस्था का नाम—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना, विकासखंड बसना

क्रमांक	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत	पंचायतवार विवरण
1	चिकित्सा अधिकारी	1	0	बसना
2	ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर	1	1	
3	ब्लॉक एकांटेन्ट मैनेजर	1	1	
4	ब्लॉक डाटा मैनेजर	1	1	
5	चिकित्सा अधिकारी डेंटल	1	1	
6	स्टार्ट नर्स(एनबीएसयू)	3	1	
7	डेंटल टैक्निशियन	1	0	
8	फॉर्मासिस्ट (आर.बी.एस.के.)	2	1	
9	जूनियर सेक्ट्रियल अस्टिंट	1	1	
10	आयुष मेडिकल ऑफिसर (आर.बी.एस.के.)	4	2	
11	आर.एच.ओ महिला (आर.बी.एस.के.)	2	2	
12	एसटीएस	1	1	

संस्था का नाम—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा, विकासखंड पिथौरा

क्रमांक	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत	पंचायतवार विवरण
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	पिथौरा
2	ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर	1	1	
3	ब्लॉक एकांटेन्ट मैनेजर	1	1	
4	ब्लॉक डाटा मैनेजर	1	1	
5	चिकित्सा अधिकारी डेंटल	1	0	
6	स्टार्ट नर्स(एनबीएसयू)	3	3	
7	डेंटल टैक्निशियन	1	0	
8	फॉर्मासिस्ट (आर.बी.एस.के.)	2	2	
9	जूनियर सेक्ट्रियल अस्टिंट	1	1	
10	आयुष मेडिकल ऑफिसर (आर.बी.एस.के.)	4	3	
11	आर.एच.ओ महिला (आर.बी.एस.के.)	2	2	
12	एमएलटी (आर.बी.एस.के.)	2	2	
13	ओ.टी.टेक्निशियन	2	2	
14	एसटीएस	1	1	
15	काउंसलर(आरएमएनसीएच)	1	1	

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
प्रशासनिक कार्यालय, कला, रासपुर, बरेilly


उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशेष - इक्कीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1919) की जानकारी

संचालित शालाओं की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

क्रमांक	विकास खण्ड	शाला का स्तर			
		प्राथमिक शाला	पूर्व माध्यमिक शाला	हाई स्कूल	हायर सेकेण्डरी
1	लैलूंगा	268	122	13	17
2	तमनार	137	59	11	15
3	रायगढ़	49	24	3	8
योग-		454	205	27	40


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर



उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

प्रपत्र- "ब"

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त
1	प्राचार्य	67	53
2	व्याख्याता	690	152
3	प्रधान पाठक मा.शा.	211	75
4	शिक्षक	849	290
5	प्रधान पाठक प्रा.शा.	456	22
6	सहायक शिक्षक	1021	387
7	कृषि शिक्षक	2	0
8	व्यायाम शिक्षक	39	13
9	शिक्षक ग्रंथपाल	38	36
10	सहा.शि.विज्ञान (प्रयोगशाला)	131	58
11	लेखापाल/सहा.ग्रेड 02	58	30
12	सहा.ग्रेड 03	94	33
13	भृत्य	425	292
14	अंशकीलन स्वीपर	667	39
15	चौकीदार	73	53
कुल योग:-		4821	1533


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 महानदी भवन, मंत्रालय,
 नया रायपुर



 उप संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़


पारोशिए - बाइस
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1921) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों की विकासखण्डवार जानकारी


विकासखण्ड का नाम	स्वास्थ्य संस्था की संख्या		
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र
रायगढ़	0	3	9
तमनार	1	3	27
लैलूंगा	1	4	44



अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया दयपुर, अटल नगर


उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र 'ब'

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्य की स्वीकृति की जानकारी				
स्थान का नाम	भवन का प्रकार	लागत राशि रु लाख में	अपूर्ण/अप्रारंभ कारण	अपूर्ण कार्य का पूर्ण होने की तिथि
वि.ख. लैलूंगा ग्राम दुसदुरा	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र	28.51	निविदा प्रक्रियाधीन	निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वि.ख. लैलूंगा ग्राम सरमडेगा	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र	28.51		
वि.ख. तमनार ग्राम राबो	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र	28.51		
वि.ख. तमनार ग्राम जरेकेला	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र	28.51		
वि.ख. तमनार ग्राम खर्रा	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र	28.51		
वि.ख. तमनार ग्राम महलोई	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र	28.51		
वि.ख. तमनार ग्राम टांगरघाट	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र	28.51		


 अनुपम अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर


 उपसंचालक (वि.स.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़

पारिशेष - तेईस
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1979) की जानकारी

प्रपत्र

क.	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम	पदनाम विषय के साथ	कुल आवेदनो की संख्या	चयन परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थी संख्या
1	2	3	4	5
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अडभार एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्टेशन पारा सक्ती	व्याख्याता हिन्दी	840	69
2		व्याख्याता अंग्रेजी	233	9
3		व्याख्याता संस्कृत	494	38
4		व्याख्याता गणित	158	6
5		व्याख्याता सामा. अध्ययन	88	3
6		व्याख्याता जीव विज्ञान	144	7
7		व्याख्याता रसायन	91	5
8		व्याख्याता भौतिकी	90	12
9		शिक्षक अंग्रेजी	41	0
10		शिक्षक सामा. विज्ञान	69	1
11		शिक्षक विज्ञान	109	3
12		शिक्षक गणित	288	13
13		सहायक शिक्षक	540	15
14		कम्प्यूटर शिक्षक	851	48
15		व्यायाम शिक्षक	271	27
16		ग्रंथपाल	780	72
योग:-			5087	328

2/1/24
उपसंचालक
6 लोक शिक्षण छत्तीसगढ़


अनुभाग अधिष्ठाता
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर


पारोशेष्ट - चौबीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2094) की जानकारी

प्रपत्र

संचालनालय स्वास्थ्य सेवयें, छत्तीसगढ़ (मुख्यालय) में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की श्रेणीवार जानकारी

क्रमांक	पदों की श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	प्रथम श्रेणी	39	23	16
2	द्वितीय श्रेणी	15	1	14
3	तृतीय श्रेणी	204	90	114
4	चतुर्थ श्रेणी	38	12	26



उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवयें
छत्तीसगढ़



अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - पच्चीस
पारोवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2145) की जानकारी

प्रपत्र अ

क.	विकासखण्ड का नाम	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालय का नाम
1	मालखरौदा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मालखरौदा
2	मालखरौदा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अडभार
3	सक्ती	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सक्ती
4	सक्ती	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय कसेर पारा सक्ती
5	सक्ती	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्टेशन पारा सक्ती
6	सक्ती	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नया बाराद्वार
7	डभरा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चन्द्रपुर
8	डभरा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डभरा
9	जैजैपुर	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जैजैपुर
10	जैजैपुर	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हसौद


अनुपाय अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
पन्नासक, राजपुर


उपसंचालक
ब्लॉक शिक्षण छत्तीसगढ़

प्रपत्र ब

क्र.	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम	वर्ष	मद	कार्य	स्वीकृत राशि (लाख में)	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मालखरौदा	2021-22	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	140.19	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	0.00	निरंक
2	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अडभार	2022-23	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	0.00	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	0.00	निरंक
3	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सक्ती	2020-21	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	122.60	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	43.00	निरंक
4	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम कसेर विद्यालय पारा सक्ती	2021-22	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	10.00	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	0.00	निरंक
5	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्टेशन पारा विद्यालय सक्ती	2022-23	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	0.00	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	0.00	निरंक
6	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नया बाराद्वार	2023-24	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	0.00	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	0.00	निरंक
7	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चन्द्रपुर	2021-22	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	122.60	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	43.00	निरंक
8	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डभरा	2021-22	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	140.19	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	43.00	निरंक
9	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जैजैपुर	2021-22	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	122.60	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	43.00	निरंक
10	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हसौद	2023-24	डी.एम.एफ.	भवन निर्माण व जीर्णोधार	0.00	निरंक
			समग्र शिक्षा	अधोसंरचना विकास हेतु	0.00	निरंक

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्नास, राव

2 उपसंचालक
श्रीक शिक्षण छत्तीसगढ़

परिशेष - छब्बीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2155) की जानकारी

प्रपत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2023 तक स्वास्थ्य परियोजना को उपलब्ध कराई गई राशि की परियोजना वार जानकारी

क्र	परियोजना का नाम	उपलब्ध कराई गई कुल राशि (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	
			दवाई	उपकरण
1	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग.	41106.14	28734.50	3084.30
2	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (एनएचएम)	3032.24	—	—
3	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, समस्त छ.ग.	166.00	—	24.75
4	जिला समस्त छ.ग.	21071.11	12683.80	1830.53

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - सत्ताईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2167) की जानकारी


प्रपत्र

जनभागीदारी मद में प्राप्त राशि एवं कराये गये कार्यों पर व्यय की जानकारी

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	जनभागीदारी मद के माध्यम से कराये गये कार्यों का नाम मद वार	व्यय राशि	उल्लेखित अवधि में जनभागीदारी मद में यदि सामग्री कय की गई है तो छ. ग. भंडार कय नियम का पालन किया गया है ?
1	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय सरायपाली	2021-22	3027001	मानदेय	997733	क्रय की गई सामग्री में छ.ग. भंडार कय नियम का पालन किया गया है।
				बिजली	3470	
				टेलीफोन/नेट कनेक्शन	23505	
				सी.ए. ऑडिट	6250	
				स्टेशनरी	6829	
				पुस्तक	100016	
				प्रायोगिक उपकरण	49442	
				फर्नीचर	32385	
				सोलर पॉवर प्लांट	243018	
				नोटिस बोर्ड	988	
				काउंटर रिपेयरिंग	968	
				फ्लेक्स	1200	
				नोटिस बोर्ड	29740	
				वॉल रैलिंग	22200	
				ट्रांसपोर्टिंग चार्ज (फर्नीचर)	8248	
				2022-23	2740709	
		फोटोकॉपी मशीन	99120			
		बिजली	6720			
		बिजली नया ट्रांसफार्मर	128422			
		प्लास्टिक कुर्सी	110000			
		टेलीफोन/नेट कनेक्शन	14200			
		सी.ए. ऑडिट	24949			
		अलमीरा	23500			
		स्टेशनरी	6805			
		स्वर्ण जयंती अग्रिम	268062			
		पानी टैंकर	19500			
		दरवाजा/खिड़की/चेयर/लेक्चर स्टैंड	35912			
		एलुमिनियम विण्डो रिपेयरिंग	3257			
		बोरवेल रिपेयरिंग	9980			
		बिजली रिपेयरिंग	32530			
		फोटोकॉपी मशीन रिपेयरिंग	11653			
		केन्द्र निर्धारण शुल्क सत्र 2021-22	10000			
केन्द्र निर्धारण शुल्क सत्र 2022-23	10000					
नया बोर्ड	8075					
फ्लेक्स	15490					
पानी टंकी 02 नग	26890					
टेंट	62700					
ग्रीन ग्रास मेट	4280					
बैटरी (इन्वर्टर)	17500					
कार्पेट	3568					
सूत्रे पेंटिंग	64950					
टेंट	65400					
पेंट	23271					
विडियो सुटिंग	10000					
भोजन व्यवस्था	42000					

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	जनभागीदारी मद के माध्यम से कराये गये कार्यों का नाम मद वार	व्यय राशि	उल्लेखित अवधि में जनभागीदारी मद में यदि सामग्री कय की गई है तो छ. ग. भंडार कय नियम का पालन किया गया है ?
				गिफ्ट (कोसा कपड़ा)	7980	
				मजदुरी (महाविद्यालय परिसर साफ-सफाई)	1250	
				फोटो फ्रेम	300	
				डोरवेल	950	
				बल्ब फिटिंग	950	
				मैदान समतलीकरण	54800	
				ट्री गार्ड	10100	
				वाहन किराया	14570	
				बायोमेट्रिक मशीन	5400	
		2023-24	2047000	मानदेय	1345296	
				टेलीफोन/नेट कनेक्शन	33673	
				सी.ए. ऑडिट	8750	
				पुस्तक	44242	
				मुख्यमंत्री भेट-मुलाकात	20714	
				प्रायोगिक उपकरण	499627	
				स्टेशनरी	16795	
				नैक मूल्यांकन टीम पर व्यय	29469	
				वर्मी कम्पोस्ट टैंक निर्माण	30800	
				नाडेप टैंक निर्माण	11800	
				बोरवेल रिपेयरिंग	5360	
				बिजली रिपेयरिंग	11630	
				कम्प्यूटर रिपेयरिंग	8012	
		2024-25 (20-01-2024)	0	निरंक	0	



अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)


परिशेष - अट्टाईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2200) की जानकारी

प्रपत्र

(भाटापारा विधानसभ क्षेत्र के मरीजों का ईलाज)

क्रं.	योजना	वर्ष 2022		वर्ष 2023 (दिसंबर तक)	
		हितग्राहियों की संख्या	राशि	हितग्राहियों की संख्या	राशि
1	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	10,527	15,75,50,429	12,861	24,95,52,775
2	मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	15	50,75,306	18	24,95,150


अनुक्रम अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर


उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशेष - उन्तीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2228) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2021
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा

क्र.	चिह्नंकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल	कार्य का विवरण	लागत राशि (रु. लाख में)
1	तुरतुरिया	धार्मिक, पुरातात्विक, एवं प्राकृतिक	लवकुश की जन्म स्थली एवं बौद्ध विहार	रामवनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत कार्यादेश दिनांक 13.12.2021 प्रवेशद्वार, गार्डन कियोस्क, पब्लिक टायलेट स्माल, पर्यटन सूचना केन्द्र, पब्लिक एप्रोच रोड़ एवं फैंसिलिटी, डीसमेंटलिंग एवं मेनटेनेंस वर्क, साईनेजेस, लैण्ड स्केपिंग, आश्रम काम्पलेक्स अपग्रेडेशन वीथ अप स्टेयर्स, इलेक्ट्रीफिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, चैन लिंक फेसिंग, सम्पवेल के कार्य स्वीकृत	476.00

वर्ष 2022
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा

क्र.	चिह्नंकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल	कार्य का विवरण	लागत राशि (रु. लाख में)
1	दामाखेड़ा	धार्मिक	कबीर तीर्थ, कबीर पंथ का अंतर्राष्ट्रीय गुरु गद्दी	दामाखेड़ा स्थित कबीर सागर तालाब का सौंदर्यीकरण	रु. 2243.40 लाख की प्रशा. स्वीकृति एवं रु. 100.00 लाख जारी
2	सोनाखान	ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक	शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, संग्रहालय	सामुदायिक भवन का निर्माण	रु. 50.00 की प्रशा. स्वीकृति एवं रु. 25.00 लाख जारी

वर्ष 2023
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

क्र.	चिह्नंकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल	कार्य का विवरण	लागत राशि (रु. लाख में)
1	दामाखेड़ा	धार्मिक	कबीर तीर्थ, कबीर पंथ का अंतर्राष्ट्रीय गुरु गद्दी	दामाखेड़ा स्थित कबीर सागर तालाब का सौंदर्यीकरण	प्रशा. स्वीकृति में से रु. 940.00 लाख जारी

पारोशेष्ट - तीस
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2230) की जानकारी

प्रपत्र

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

खण्ड-3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक- 0771 2331385, फैक्स-0771 2448218 ई-मेल cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./सेजेस एडमिशन/2023-24/05

नवा रायपुर, दिनांक 05/04/2023

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय:- स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन विषयक।

—00—

विषयांतर्गत प्रदेश में पूर्व सत्र में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तथा 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित थे तथा सत्र 2023-24 में प्रदेश में नये 101 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु बजट में स्वीकृति की गई है।

इन समस्त विद्यालयों में सत्र 2023-24 में छात्र-छात्राओं के एडमिशन हेतु सेजेस पोर्टल दिनांक 10.04.2023 से प्रारंभ कर दी जायेगी। एडमिशन हेतु समय निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-


1. प्रवेश हेतु आवेदन तिथि - 10 अप्रैल से 05 मई 2023 तक।
2. अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आबंटन - 05 मई से 10 मई 2023
3. एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्यवाही - 11 मई से 15 मई 2023

A. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा।
2. एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा।
3. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राज्य में पूर्व से चल रहे अंग्रेजी माध्यम के 152 प्राथमिक तथा 153 पूर्व माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाये।
4. मान. मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार "महतारी दुलार योजना" अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी।
6. बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जायेगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात् कम्प्यूटर के माध्यम से रैंडमली चयन किया जायेगा।
8. रिक्त सीट के विरुद्ध अधिक पात्र आवेदक होने पर लॉटरी से चयन किया जायेगा।
9. कक्षा पहली में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 31 मई 2023 की स्थिति में 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होनी चाहिये।

B. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा।
2. उसी विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
3. एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा।
4. मान. मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार "महतारी दुलार योजना" अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
5. कन्या विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालयों में सह शिक्षा होगी तथा इनकी प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी।
6. बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जाएगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 25 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात् कम्प्यूटर के माध्यम से रैंडमली चयन किया जायेगा।
7. स्कूल की क्षमता अनुसार प्रवेश देने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाले सोसायटी को होगा।
8. कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात् कम्प्यूटर के माध्यम से रैंडमली चयन किया जायेगा।
9. इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश सोसायटी के निर्णय अनुसार लिये जायेंगे।


03-04
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क./सेजेस एडमिशन/2023-24/...026

नवा रायपुर, दिनांक 05/04/2023


1/ निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2/ प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3/ वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सेजेस पोर्टल एडमिशन प्रारंभ किये जाने हेतु सूचनार्थ।

4/ समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय समिति छत्तीसगढ़।

5/ समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।


03-04
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

अनुभाग संचालक
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

खण्ड-3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक- 0771 2331385, फ़ैक्स-0771 2445215 ई-मेल cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./सेजेस एडमिशन/2023-24/..09

नवा रायपुर, दिनांक 06/04/2023

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय:- स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन विषयक।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र./सेजेस एडमिशन/2023-24/05 नवा रायपुर, दिनांक
05/04/2023

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सेजेस विद्यालयों में एडमिशन हेतु निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देश के बिन्दु A के क्रमांक 9 के निर्देश को निम्नानुसार विस्थापित किया जाता है:-

“कक्षा पहली में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 31 मई 2023 की स्थिति में 5 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होनी चाहिये।”

(संचालक द्वारा अनुमोदित।)

2/ 6/4/2023
उपसंचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क्र./सेजेस एडमिशन/2023-24/10

नवा रायपुर, दिनांक 06/04/2023

1/ निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2/ प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3/ वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सेजेस पोर्टल एडमिशन प्रारंभ किये जाने हेतु सूचनार्थ।

4/ समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय समिति छत्तीसगढ़।

5/ समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

2/ 6/4/2023
उपसंचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पारिशेष्य - इक्तीस
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 2231) की जानकारी

प्रपत्र

राम वन गमन पथ योजना के तहत भुगतान की अद्यतन स्थिति ।

क्र	चयनित स्थल का नाम	प्रावधानित कार्यों का विवरण	कार्य पूर्णता की स्थिति
1	चंदखुरी (रायपुर)	प्रथम चरण – रिटेनिंग वॉल घाट डेवलपमेंट एवं 4 कियोस्क (पैगोड़ा), प्रशासनिक ऑफिस, पब्लिक टॉयलेट, ज्योत हॉल, ब्रिज, एप्रोच रोड एवं फैंसिलिटी, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, तालाब, लैंड स्केपिंग एंड फैंसिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, बड़ा प्रवेश द्वार स्वीकृत	प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण
		द्वितीय चरण – तालाब गहरीकरण, रिटेनिंग वॉल, पीचिंग एवं घाट डेवलपमेंट, छोटा प्रवेश द्वार, साइनेजेस, दीप स्तंभ, श्रीराम स्टेच्यू, स्लुइस गेट स्वीकृत।	
		तृतीय चरण – एलईडी ब्राडिंग, कियोस्क, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, स्टेज, पार्किंग डेवलपमेंट, एप्रोच रोड बाउंड्रीवॉल, रिटेनिंग वॉल, प्रिफैब माड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, टायलेट-2, एक्सटरनल प्लंबिंग, इंटरनल प्लंबिंग, यज्ञशाला, ओवरहेड टैंक, कॉटेज एंड डोरमेट्री, टेंपल क्लैडिंग, डिपनिंग एवं डी स्लाइटिंग पोण्ड-2 स्वीकृत।	कार्य प्रगति पर मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
		लाईट, वॉटर एण्ड साउंड शो कार्य	कार्य पूर्ण
2	शिवरीनारायण (जांजगीर चांपा)	प्रथम चरण – घाट सौंदर्यीकरण, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर/ कैफेटेरिया, साइनेजेस कम्पोनेंट, इंटरनल प्लंबिंग, प्रशासनिक कार्यालय, ब्यूइंग डेस्क कियोस्क, मंदिर परिसर जीर्णोद्धार, पार्किंग, पब्लिक शौचालय निर्माण, प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण एवं शबरी माता की मूर्ति स्वीकृत।	कार्य पूर्ण
		द्वितीय चरण पार्ट-1 – मुख्य प्रवेश द्वार, छोटा प्रवेश द्वार, सीसीटीवी कैमरा, दीप स्तंभ, एलईडी ब्राडिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, साइनेजेस कम्पोनेंट, लैण्डस्केपिंग, लक्ष्मण मंदिर खरौद में विद्युतीकरण कार्य, मार्केट अपग्रेडेशन, एक्सटरनल प्लंबिंग, घाट वाकवे का विकास, पार्किंग, भगवान श्रीराम स्टेच्यू, ब्यूइंग डेस्क कियोस्क, घाट विकास, साइनेजेस कम्पोनेंट,, प्रीफैब माड्यूलर शॉप, बाउंड्रीवॉल आदि स्वीकृत।	कार्य प्रगति पर मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
		द्वितीय चरण पार्ट-2 – स्मॉल गेट इन्ट्रेन्स, इलेक्ट्रीफिकेशन, साइनेज कम्पोनेंट, लैण्डस्केपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन (आऊट साइड) एक्सटरनल प्लंबिंग, मेन गेट इन्ट्रेन्स, घाट वाकवे डेवलपमेंट, दीप स्तंभ, एलईडीब्रेडींग, इलेक्ट्रीफिकेशन, लैण्डस्केपिंग, पार्किंग सीसीटीवी, लक्ष्मण टेम्पल, खरौद में विद्युतीकरण कार्य	कार्य प्रगति पर मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
3	सिहावा (धमतरी)	1.मुकुंदपुर (नगरी) – प्रवेश द्वार, पर्यटक सूचना केन्द्र छोटा टायलेट ब्लाक, पार्किंग, पहुंच मार्ग एवं ड्रेन, कलवर्ट डव्हलपमेंट, एलईडी ब्राडिंग, लॉन डव्हलपमेंट, सीसीटीवी, यज्ञशाला, इलेक्ट्रीफिकेशन, एक्सटरनल प्लंबिंग, इंटरनल प्लंबिंग, ओवरहेड वॉटर टैंक, कॉटेज निर्माण, स्टेयर्स, स्टेज, माड्यूलर शॉप, श्रीराम जी स्टेच्यू एवं सप्तऋषि प्लेटफॉर्म, सप्तऋषि स्थल का विकास, साइनेजेस एवं दीप स्तंभ, गजीबो, बाउंड्रीवॉल, साइट डव्हलपमेंट (गार्ड रूम, रेस्ट रूम, यूजी टैंक, सेप्टिक टैंक, पम्प रूम एवं स्टोर रूम)	प्रथम चरण के कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
		2.श्रुंगी-ऋषि आश्रम (सिहावा)– करटेन वॉल (म्यूरल के साथ), प्रवेश द्वार रेलिंग एवं भोड निर्माण, गजिबो ब्यूटीफिकेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन, यज्ञशाला (ऊपर), इंटरनल प्लंबिंग, श्रुंगी-ऋषि आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण, पाथवे का विकास,, टॉयलेट का जीर्णोद्धार, वॉशरूम।	कार्य पूर्ण
4	सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया)	रिटेनिंग वाल, पीचिंग एंड घाट डेवलपमेंट, प्रवेश द्वार, कियोस्क, पब्लिक टायलेट, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, एप्रोच रोड एंड फैंसिलिटी, प्रिफैब माड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, एलईडी ब्राडिंग, प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, साइनेजेस, लैंडस्केपिंग एंड पिचिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सीसीटीवी, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, 02 रूम, कॉमन टायलेट एवं आश्रम, चेंजिंग रूम, बाउंड्रीवाल के कार्य स्वीकृत।	कार्य पूर्ण

क्र	चयनित स्थल का नाम	प्रावधानित कार्यों का विवरण	कार्य पूर्णता की स्थिति
5	राजिम (गरियाबंद/धमतरी)	छोटा प्रवेश द्वार, विविंग डेस्क कियोस्क, प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, घाट वाकवे डेवलपमेंट, पब्लिक टॉयलेट, पर्यटन सूचना केन्द्र, साइनेजेस, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, एलइडी ब्राण्डिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, सीसीटीवी, पार्किंग, सीटी फेसलिफिटिंग, लोमश-ऋषि आश्रम, लैण्डस्केपिंग, डिसमेंटलिंग एंड मेन्टेनेंस वर्क, बाउंड्रीवाल, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग के कार्य स्वीकृति	प्रथम चरण क कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
6	तुरतुरिया (बलोदाबाजार)	प्रवेश द्वार, गार्डन कियोस्क, पब्लिक टायलेट स्माल, पर्यटक सूचना केन्द्र, पब्लिक एप्रोच रोड एवं फौसिलिटी, डिसमेंटलिंग एवं मेन्टेनेंस वर्क, साइनेजेस, लैड स्केपिंग, आश्रम कॉम्प्लेक्स अपग्रेडेशन वीथ अप स्टेयर्स, इलेक्ट्रीफिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, चैन लिंक फौसिंग, सम्प वेल(4) के कार्य स्वीकृत।	कार्य प्रगति पर। कार्य प्रगति पर मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
7	रामगढ़ (सरगुजा)	प्रवेश द्वार, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, पब्लिक टायलेट, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर, दीप स्तंभ, प्रभु श्रीराम स्टेच्यु, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट वर्क, डिसमेंटलिंग एवं मेन्टेनेंस, एलइडी ब्रांडींग, साइनेजेस काम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रीफिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, बाउंड्रीवाल एंड फौसिंग, काटेज एवं डारमेट्री कार्य स्वीकृत।	कार्य पूर्ण।
8	जगदलपुर (बस्तर)	1. दलपत सागर – छोटा प्रवेश द्वार, कियोस्क, पब्लिक रोड एंड फौसिलिटी, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, डिसमेंटलिंग एंड मेन्टेनेंस, लैडस्केपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, माड्यूलर शॉप, साइनेजेस काम्पोनेंट, एलइडी ब्रांडींग, दीप स्तंभ, सेनिटरी फिक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूब वेल एंड रेनवाटर हार्वेस्टिंग, टोवर हेड टैंक 2. चित्रकोट – छोटा प्रवेश द्वार, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन, स्माल पब्लिक टायलेट, टैंक इन कैम्पींग साइट, कियोस्क, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट, साइनेजेस काम्पोनेंट, लैडस्केपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सैनिटरी फिक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूब वेल एंड रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ओवर हैड टैंक, बाउंड्री वाल 3. तीरथगढ़ – प्रवेश द्वार, पब्लिक टॉयलेट, इंटरनल प्लंबिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, पब्लिक एप्रोच रोड का विकास, साइनेजेस, लैण्डस्केपिंग फेन्सिंग के साथ, बोरवेल	कलेक्टर जगदलपुर द्वारा क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9	रामाराम (सुकमा)	स्मॉल गेट इंट्रेंस, पब्लिक टॉलेट स्मॉल, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, साइनेजेस काम्पोनेंट्स, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रीफिकेशन, प्लंबिंग एवं सेनेटरी फिक्चर, ओवर हैड टैंक, लैडस्केपिंग, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट, बाउंड्री वाल, किओस्क	कार्य पूर्ण।
10	चम्पारण्य (रायपुर)	छोटा प्रवेश द्वार, पब्लिक टायलेट, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, पैगोड़ा/गजीबो, लैण्डस्केपिंग, बाउंड्रीवाल/चैन लिंक फेन्सिंग, दीप स्तंभ, श्री रामजी स्टेच्यू, इलेक्ट्रीकल, प्लंबिंग कार्य	कार्य पूर्ण


पारोशिए - बत्तीस
पारोवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2237) की जानकारी

प्रपत्र-अ

102 एम्बुलेंस हेतु फर्मों की अर्हता


एकमात्र बोलीदाता (निविदा में भाग लेने वाली संस्था) या कंसोर्टियम के मामले में लीड बोलीदाता आवश्यक रूप से भारत की कंपनी होनी चाहिए

- i. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के तहत निगमित कंपनी, जो आज तक संशोधित है या
 - ii. सहकारी समिति अधिनियम, 1912, या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित एक सहकारी समिति या
 - iii. किसी राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित कोई भी समान कानून, या
 - iv. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत निगमित एक सीमित देयता भागीदारी।
 - v. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म।
 - vi. एक एकल-स्वामित्व वाली फर्म।
 - vii. पंजीकृत ट्रस्ट, गैर-लाभकारी-संगठन, एनजीओ।
 - viii. एक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2001
1. बोली लगाने वाले सदस्य के पास वैध जीएसटी पंजीकरण संख्या और आयकर पंजीकरण या पैन होना चाहिए। 'पैन कार्ड की प्रति' छत्तीसगढ़ में जीएसटी पंजीकरण की प्रति, यदि अनुबंध किया जाता है तो अन्य राज्य के बोली लगाने वाले को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर इसे जमा करना होगा।
 2. कंसोर्टियम के मामले में, आवेदक संघ सदस्यों के बीच एक वैध समझौता प्रस्तुत करेगा। समझौते में प्रमुख सदस्य और अन्य कंसोर्टियम सदस्यों का विवरण और कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य का दायरा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होगा। एक कंसोर्टियम में स्वीकृत सदस्यों की अधिकतम संख्या लीड सदस्य सहित तीन (3) है।
 3. बोली जमा करने की तारीख (यानी वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, एवं 2021-22) के अनुसार एकमात्र बोलीदाता या सभी कंसोर्टियम सदस्यों (संचयी) का औसत वार्षिक कारोबार किसी भी लगातार 3 वर्षों (पिछले 4 वर्षों में से) में 50 करोड़ रुपये या अधिक होना चाहिए। और एकमात्र बोली लगाने वाले या कंसोर्टियम का औसत वार्षिक कारोबार भारत में किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग के लिए लगातार 3 वर्षों में दो वर्षों के लिए परिवहन एम्बुलेटरी सेवाओं से 12.5 करोड़ रुपये का राजस्व होना चाहिए (पिछले 4 वर्षों में से) बोली जमा करने की तिथि के अनुसार


अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
गंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

(अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22)

4. बोली प्रस्तुत करने की तिथि पर एकमात्र बोलीदाता या कंसोर्टियम का शुद्ध मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।
5. बोली जमा करने की तिथि के अनुसार बोलीदाता को पिछले 3 वर्षों में भारत में किसी भी केंद्र राज्य सरकार के विभाग के लिए कम से कम 190 परिवहन/एम्बुलेंस के वेडे का संचालन करना चाहिए (कम से कम 2 वर्ष के लिए परिचालन)।
6. पिछले 2 (दो) वर्षों के लिए बिना किसी रुकावट के कम से कम 20 सीटों वाले कॉल सेंटर के साथ ईएमएस चलाने वाले निजी/केंद्र सरकार/राज्य सरकार या सरकारी संस्थानों में अनुभव।
7. बोली लगाने वाले के पास वर्तमान परियोजना के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए जीपीएस एकीकृत एम्बुलेंस /वाहन निगरानी प्रणाली और सॉफ्टवेयर घटकों के साथ भू-स्थानिक सूचना प्रणाली के साथ कॉल लॉग करने की क्षमता के साथ कंप्यूटर टेलीफोनी एकीकरण में 2 साल का अनुभव होना चाहिए।
8. बोली लगाने वाले को किसी भी सरकार द्वारा परिवहन/एम्बुलेटरी सेवाओं के लिए ब्लैकलिस्टेड/वर्जित नहीं किया जाना चाहिए। बोली जमा करने की तिथि के अनुसार भारत में विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी
10. प्रत्येक कंसोर्टियम/सदस्य द्वारा प्रमुख सदस्य के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी
11. स्थानीय उपस्थिति
12. एकमात्र प्रमुख बोलीदाता को निम्नलिखित संसाधनों के लिए पाठ्यक्रम जीवनवृत्त (सीवी) जमा करना होगा।
13. एक प्रोजेक्ट मैनेजर
द्वितीय. संचालन प्रबंधक
14. पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौता



अनुभाग अधिकारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया दिल्ली, अटल नगर

उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

102 एम्बुलेंस हेतु मापदण्ड

ग्राउंड क्लीयरेंस – न्यूनतम 180 मिमी।

अन्य मुख्य विशेषताएं – वातानुकूलित और पावर स्टीयरिंग।

एम्बुलेंस बाहरी आयाम – लंबाई मिमी में – न्यूनतम 3900

ऊंचाई मिमी में – न्यूनतम 1650


मिमी में चौड़ाई – न्यूनतम 1700।


रोगी केबिन/डिब्बे की बैठने की क्षमता –

कुशन के साथ रोगी बेंच – बेंच के आयाम ($\pm 10\%$ सहनशीलता) लंबाई = 1800 मिमी, चौड़ाई = 500 मिमी, ऊंचाई = 480-500 मिमी हैं

02 व्यक्तियों के बैठने के लिए स्क्वाड बेंच/अटेंडेंट सीट और पूरी बेंच के नीचे छुपा हुआ भंडारण क्षेत्र।

बेंच के आयाम ($\pm 10\%$ सहनशीलता) लंबाई = 1200 मिमी, चौड़ाई = 450 मिमी, ऊंचाई = 480-500 मिमी हैं


उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़


अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़

प्रपत्र-स

108 एम्बुलेंस हेतु मापदण्ड

1. एम्बुलेंस बीमार या घायल लोगों के परिवहन, आकस्मिक उपचार के लिए एक विशेष रूप से सुसज्जित और एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया वाहन है और पारगमन के दौरान स्थिर होने पर अस्पताल के बाहर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में सक्षम है, उचित स्टाफ होने पर देखभाल के निर्धारित स्तर के अनुरूप।

2. टाइप सी रोड एम्बुलेंस :- बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एक वाहन जो गैर-आक्रामक वायु मार्ग प्रबंधन बुनियादी निगरानी की आवश्यकता वाले रोगियों के परिवहन और उपचार के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया, उपयुक्त रूप से सुसज्जित और उचित रूप से सुसज्जित है।

3. टाइप डी रोड एम्बुलेंस :- उन्नत जीवन समर्थन एम्बुलेंस एक वाहन जो आक्रामक वायुमार्ग प्रबंधन, गहन निगरानी की आवश्यकता वाले आपातकालीन रोगियों के परिवहन और उपचार के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया, उपयुक्त रूप से सुसज्जित और उचित रूप से सुसज्जित है।

4. एम्बुलेंस के लिए विशिष्टता- सामान्य पैरामीटर-

4.1 ईंधन का प्रकार - डीजल

4.2 वाहन उत्सर्जन - बीएस-4

4.3 एयर कंडीशनिंग- एसी के साथ

4.4 इंजन बीएचपी/आरपीएम (HP@rpm) - न्यूनतम 75 बीएचपी / 2500
आरपीएम से 100 एचपी / 4000

आरपीएम

4.5 इंजन में सिलेंडर की संख्या - न्यूनतम 4

4.6 दरवाजों की संख्या - न्यूनतम 3

4.7 ग्राउंड क्लियरेंस - न्यूनतम 185 मिमी से 210 मिमी

4.8 व्हील बेस - न्यूनतम 3200 मिमी। से 3488 मिमी.

4.9 आगे और पीछे दोनों के लिए न्यूनतम बीआईएस चिह्नित वायवीय टायर एवं ट्यूब हों

4.10 वाहन ट्रांसमिशन सिस्टम - मैनुअल

4.11 स्पीड/फॉरवर्ड गियर्स की संख्या - न्यूनतम 5

4.12 व्हील ड्राइव का प्रकार टू व्हील ड्राइव - रियर व्हील ड्राइव

4.13 स्टीयरिंग का प्रकार - पावर टर्निंग

4.14 त्रिज्या - न्यूनतम 6.7 मीटर से 6.5 मीटर

4.15 वाहन ब्रेक - एबीएस फिट के साथ



अनुभाग अधिकारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
पंचालय, नवा रावपुर, जयपुर नगर

4.16 वाहन वायु सेवन प्रणाली— टर्बो चार्ज

4.17 ड्राइवर एयरबैग — एयरबैग के साथ

5 रचनात्मक पैरामीटर :-

5.1 वाहन बॉडी — मोनोकोक

5.2 वाहन बॉडी की लंबाई — न्यूनतम 5415 मिमी

5.3 वाहन बॉडी की चौड़ाई — न्यूनतम 1900 मिमी

5.4 वाहन बॉडी की ऊंचाई — न्यूनतम 2550 मिमी

5.5 स्ट्रेचर की संख्या — 1

6. आयाम (रोगी केबिन) :-

6.1 लंबाई — 3200 मिमी. न्यूनतम

6.2 चौड़ाई — 1600 मिमी. न्यूनतम

6.3 ऊंचाई — 1700 मिमी. न्यूनतम

7. बैठने की क्षमता —

7.1 बैठने की क्षमता — 9+पी+डी

8. अग्निशामक यंत्र का फिटमेंट :-

टाइप सी और डी की एम्बुलेंस 2 किलोग्राम के दो अग्निशामक यंत्रों से सुसज्जित होगी।

9. दरवाजे :-

टाइप सी और टाइप डी रोड एम्बुलेंस के लिए, मरीज के डिब्बे के प्रत्येक बाहरी दरवाजे पर एक सुरक्षा प्रणाली लगाई जाएगी जो निम्नलिखित को सक्षम बनाती है:-


(ए) बिना चाबी के उपयोग के अंदर से ताला लगाना और खोलना

(बी) चाबी का उपयोग करके बाहर से ताला लगाना और खोलना

(सी) जब दरवाजा अंदर से बंद हो तो बाहर से चाबी का उपयोग करके ताला खोलें।



उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़



अनुमति अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया बस्तर, बस्तर नगर

पारोक्ष - तैतीस
पारिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2238) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	संचालित कार्यक्रमो/योजनाओं में निहित उद्देश्य
1	अनुसूचित जनजाति के श्रद्धा/पूजा स्थल (देवगुडी) ठाकुर देव एवं सांस्कृतिक केन्द्र घोटूल का परिरक्षण एवं विकास योजना	छ.ग. राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु, श्रद्धास्थलों (देवगुडी) ग्राम देवता स्थलों, ठाकुरदेव, सांस्कृतिक केन्द्र घोटूल का परिरक्षण एवं विकास करने का उद्देश्य है।
2	आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना	छ.ग. आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है। इस संस्कृति के अंतर्गत उनकी विशिष्ट वेशभूषा, नृत्य, वाद्य यंत्र, उनके धार्मिक पूजा पद्धति रिवाज आदि है। आदिवासी संस्कृति का एक मुख्य अंग आदिवासी नृत्य एवं संगीत है। ग्रामों में आदिवासी अर्थाभाव के कारण नृत्य एवं संगीत हेतु आवश्यक पारंपरिक वाद्य यंत्र एवं सह सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जिससे वे अपने इस विशिष्ट संस्कृति को बचाये रखने में असफल हो रहे हैं। इस संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामों के संस्कृति दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाना मुख्य उद्देश्य है।
3	अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम योजना	छ.ग. राज्य में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस की स्मृति में दिनांक 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य उनके जीवनी एवं उत्कृष्ट कार्यों से युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। कार्यक्रम में उनके जीवन दर्शन से संबंधित निबंध प्रतियोगिता, वाद प्रतियोगिता, लोकगीत, नृत्य आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम राज्य के समस्त अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में किया जाता है।
4	शहीद वीर नारायणसिंह स्मृति आदिवासी लोककला महोत्सव	छ.ग. राज्य में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस की स्मृति में दिनांक 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य उनके जीवनी एवं उत्कृष्ट कार्यों से युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। कार्यक्रम में उनके जीवन दर्शन से संबंधित निबंध प्रतियोगिता, वाद प्रतियोगिता, लोकगीत, नृत्य आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम उनके जन्म स्थली सोनाखान में मनाया जाता है।
5	मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना	आदिवासियों के तीज त्यौहारों की संस्कृति एवं परम्परा को संरक्षित करना एवं इन त्यौहारों/उत्सवों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परम्पराओं को अभिलेख करना। अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में उत्सवों त्यौहारों के मेला/मंडई/जात्रा पर्व का विशेष महत्व होता है। सरना पूजा, देवगुडी, नवाखाई, छेरछेरा, अकित, हरेली आदि उत्सवों/त्यौहारों/संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य है।

पारिशेष्य - चोतीस
पारिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 2239) की जानकारी

प्रपत्र-अ

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 में जनवरी 2024 तक संचालित प्रशिक्षण, योजना एवं अन्य कार्यक्रम की जानकारी


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक- 2239

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	उद्देश्य
1	2	3
1	उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण	शैक्षिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को उनके स्तर का पता करके सामान्य स्तर के बच्चों तक लाना, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के सीखने की गति को बढ़ाना एवं सामान्य गति से सीखने वाले बच्चों की प्रतिभा को निखारना।
2	शाला सुरक्षा प्रशिक्षण	शिक्षकों को व्यक्तिगत सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार हेतु सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को जोखित की पहचान एवं उसके बचाव की क्षमता, ज्ञान तथा आत्मविश्वास का विकास करना, विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा एवं आपदा सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
3	शिशु शिक्षा एवं देखभाल(ECCE)	सभी (ECCE)स्टेक होल्डर को NEP 2020 एवं NCF 2022 के आधार पर ECCE के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं रचनात्मक आकलन हेतु सक्षम होना है, छत्तीसगढ़ राज्य के तीन से छः आयु के सभी बच्चों को सीखने के सर्वोच्च विकास प्रदान करना एवं बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु सक्षम बनाना।
4	अधिस्थापन (इन्सर्विस ट्रेनिंग)	नवनियुक्त शिक्षकों को विभाग की आधारभूत जानकारी, शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता एवं उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रबंधन की जानकारी।
5	एफ.एल.एन	विद्यार्थियों में मूलभूत साक्षरता एवं गणितीय दक्षता की प्राप्ति, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत कर विद्यार्थियों की समक्ष का विकास एवं बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान पर शिक्षण सामग्री आधारित शिक्षा।
6	योग प्रशिक्षण-	शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग के महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से शासकीय संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदाय करना।
7	आई.सी.टी. प्रशिक्षण	शिक्षकों को आई.सी.टी. की अवधारणा से परिचित करना, अध्ययन अध्यापन में आई.सी.टी. का प्रभावी प्रयोग।
8	विषय आधारित प्रशिक्षण	स्कूली विषयों के अंतर्गत भाषा, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के अध्यापन को अधिक प्रभावशाली बनाना।
9	समावेशी प्रशिक्षण	अनेक प्रकार के दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षा के व्यवहार एवं अध्यापन के तरीके सीखना।
10	कैरियर गाइडेंस	रोजगार उन्मुखी एवं कैरियर जागरूकता।
11	अन्य कार्यक्रम- बालवाड़ी, समेकित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी (इन्फार्मेशन कम्प्यूनिकेशन टेक्नॉलाजी), निपूण योजना, उपचारात्मक शिक्षा, राष्ट्रीय अविष्कार अभियान	उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्य जैसे- शैक्षिक सर्वे, मानीटरिंग, सेमीनार, कार्यशाला, जीवन विद्या, लघु शोध, सुधर पढ़वईया, क्रियात्मक अनुसंधान, विद्या अमृत महोत्सव, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, नवाचार गतिविधि, शैक्षिक भ्रमण, मल्टीमीडिया प्रशिक्षण, नई शिक्षा नीति के तहत कार्यशाला एवं परिचर्चा, टी.एल.एम. का निर्माण आदि कार्यक्रम किए गए।

क्र.	योजना का नाम	उद्देश्य
12	समग्र शिक्षा	समग्र शिक्षा अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के एक समान गुणवत्तायुक्त रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। शिक्षा की सरल पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता, समग्र शिक्षा के तीन आधार स्तंभ हैं। समग्र शिक्षा के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं:- 1. बालिका, अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, अल्पसंख्यक समुदाय एवं अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना। 2. समग्र शिक्षा में जनसाधारण की आवश्यकताओं, संस्कृति, आजीविका और रहन-सहन को शिक्षकों के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन एवं सामाजिक परिवेश से जोड़ना। 3. शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई. एक्ट 2009) के माध्यम से माता, पिता, शिक्षकों एवं शैक्षणिक प्रबंधकों द्वारा विद्यार्थियों को दण्ड दिये बिना नैतिक विकास हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। 4. समग्र शिक्षा के लोक व्यापीकरण की दिशा में प्रगति को तेज करने की दृष्टि से शिक्षा के विभिन्न घटकों के बीच इस प्रकार समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना कि वे एक दूसरे के पोषक बनें। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सतत शिक्षक-प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है।
13	पीएम श्री योजना का उद्देश्य (पीएम श्री स्कूल राईजिंग इंडिया)	पीएम श्री योजना का प्रमुख उद्देश्य एक उत्कृष्ट विद्यालय की कल्पना को साकार करते हुए विद्यालय का निर्माण करना है। सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण, शैक्षणिक अनुभव को समाहित करते हुए शिक्षा को जीवन का अंग बनाने के उद्देश्य से पीएम श्री विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। सीखने की प्रक्रिया को समावेशी, मनोरंजक एवं सरल बनाते हुए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास इसकी प्राथमिकता है। पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से खेल-खेल में शैक्षणिक प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए अनुभव आधारित कौशल विकास तथा नवीन मूल्यांकन प्रणाली से मूल्यांकन करते हुए विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना है। विद्या अध्ययन के साथ खेलकूद, कला संस्कृति, डिजिटल शिक्षा व कैरियर काउंसिलिंग व अन्य क्रियाकलाप पीएम श्री विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं।
14	अशासकीय विद्यालयों का अनुदान	अशासकीय विद्यालयों का स्थापना अनुदान
15	अशासकीय संस्थाओं का अनुदान	ग्रामीण एवं शहरी अशासकीय संस्थाओं को शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के लिए अनुदान
16	अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों के बच्चों के लिए
17	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	योजनांतर्गत मेधावी छात्रों को 6वीं से 12वीं तक शिक्षा प्रदान हेतु आदर्श उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय का संचालन
18	आश्रम और शालाएं	आश्रम शाला के स्थापना व्यय
19	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्थापना व्यय
20	कन्या शिक्षा परिसर	कन्या शिक्षा परिसर के स्थापना व्यय
21	खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय	छात्रों के खेलकूद प्रतियोगिताओं पर व्यय
22	गुरुकुल विद्यालय	गुरुकुल विद्यालय के स्थापना व्यय
23	छात्राओं को गणवेश	अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान करना।
24	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी के स्थापना व्यय
25	नेशनल फाउण्डेशन एवं टीचर्स वेलफेयर फण्ड	शिक्षक कल्याण हेतु अनुदान
26	प्रशासन का सुदृढीकरण विकासखंड स्तर	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्थापना व्यय
27	प्राथमिक शालाएं	प्राथमिक शालाओं के स्थापना व्यय
28	महिलाओं के लिये शारीरिक शिक्षा	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के स्थापना व्यय
29	माध्यमिक शाला	पूर्व माध्यमिक शाला के स्थापना व्यय
30	राज्य छात्रवृत्ति	अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति
31	विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्थापना व्यय
32	संस्कृत शालाएं	अशासकीय संस्था संस्कृत शाला के स्थापना अनुदान

33	सरकारी पुस्तकालय	राज्य एवं जिला स्तर पर ग्रंथालय के स्थापना व्यय
34	प्राथमिक शाला भवन निर्माण	प्राथमिक शाला के स्थापना व्यय
35	स्काउट एसोसियेशन को अनुदान	स्काउट एसोसियेशन को अनुदान दिया जाता है
36	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन
37	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	योजनांतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्तर की शालाओं के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदाय
38	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के प्रावीण्य में उन्नयन	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रावीण्य में उन्नयन हेतु विशेष कॉचिंग दी जाती है।
39	हाई स्कूल	माध्यमिक स्तर का शिक्षा व जिलों में संचालित हाई स्कूल में कार्यरत अमले के वेतन भत्तों/मजदूरी/यात्रा भत्तों का भुगतान
40	मदरसा बोर्ड (0101)	प्रदेश में उर्दू शिक्षा के विकास हेतु स्थापित मदरसा बोर्ड के संचालन
41	संस्कृत बोर्ड	संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार एवं इसके उन्नयन हेतु गठित संस्कृत बोर्ड के संचालन
42	छत्तीसगढ़ी भाषा परिषद	छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास हेतु गठित छत्तीसगढ़ी भाषा परिषद के संचालन
43	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	राज्य के शासकीय हाई स्कूलों के कक्षा नवमी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क सायकल सायकल प्रदाय
44	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना	इस योजनांतर्गत प्राथमिक स्तर से कालेज स्तर के समस्त छात्र/छात्राओं के लिए बीमा दुर्घटना का लाभ
45	सैनिक स्कूल की स्थापना	राज्य में सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु अनुदान का प्रावधान रखा जाता है।
46	शिक्षकों को पुरस्कार	शिक्षकों को पुरस्कार दिये जाने
47	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रदाय 01	हाई स्कूल के बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय
48	गायन विद्यालय को अनुदान	प्रदेश के अशासकीय गायन विद्यालयों को स्थापना अनुदान
49	उत्कृष्ट शाला संचालन(स्वामी आत्मानंद विद्यालय)	स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल के संचालन हेतु प्रावधान
50	पढ़ना लिखना अभियान	असाक्षरों को साक्षर बनाने हेतु पढ़ना लिखना अभियान का संचालन
51	विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना	नवा रायपुर अटल नगर में विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना
52	छात्रवृत्तियां 0703 केन्द्रांश	कक्षा 6वीं से 11वीं तक के आदिवासी/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को केन्द्र एवं राज्य मद से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
53	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति राज्यांश 0101 रसोइया मानदेय	समस्त शासकीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, पंजीकृत अनुदान प्राप्त मदरसों व बालश्रम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
54	टायपिंग बोर्ड का गठन	टायपिंग बोर्ड के परीक्षा संचालन हेतु प्रावधान रखा जाता है।
55	पी एम श्री योजना (01)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न घटकों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कर विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पिछड़े इलाकों एवं जिलों अत्याधुनिक स्कूल सुविधा सुलभ करवाना
56	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	योजनांतर्गत पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदाय
57	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रावीण्य के आधार पर 250 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को एक मुश्त एक बार रूपये 10,000 प्रोत्साहन राशि प्रदाय

58	नव भारत साक्षरता कार्यक्रम प्रवर्तित योजना	असाक्षरों को साक्षर बनाने हेतु
59	विश्व बैंक परियोजना चाक राजस्व	स्कूल भवन के लिए आधारभूत सुविधाएँ
60	राज्य साक्षरता कार्यक्रम	प्रौढ़ निरक्षरों को राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के मापदंड अनुरूप साक्षर किया जाता है।
61	पुस्तकालय योजना	पुस्तकालय योजना के तहत पाठ्य पुस्तक
62	विशेष पिछड़ी जन जाति आश्रम	विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु आवासीय आश्रम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।
63	युवा कैरियर निर्माण योजना	प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्री मेडिकल एवं प्री इंजीनियरिंग परीक्षा में प्रशिक्षण
64	मॉडल स्कूल योजना	मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत मॉडल स्कूल हेतु स्थापना एवं भवन निर्माण
65	विज्ञान केन्द्र की स्थापना	विज्ञान केन्द्र की स्थापना
66	शिक्षकों का वेतन (न.नि.से हस्तांतरित स्कूल)	नगरीय निकाय के अंतर्गत संचालित शालाओं को स्कूल शिक्षा में हस्तांतरित कर्मचारियों के वेतन भत्ते
67	मुख्यमंत्री अमृत योजना	मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सोया मिल्क प्रदाय करने हेतु प्रावधान रखा गया है।
68	संभागीय कार्यालय	संभागीय कार्यालय के स्थापना
69	सेन्ट्रल लाइब्रेरी	सेन्ट्रल लाइब्रेरी की स्थापना
70	समग्र शिक्षा (01)	प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापकरण हेतु संचालित सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षण को समाहित करते हुए समग्र शिक्षा वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है।
71	छात्रवृत्ति	इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु प्रावधान किया गया है।
72	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान 01	शिक्षा कर्मियों के मानदेय हेतु प्रावधान किया गया है।
73	अशासकीय विद्यालय में शिक्षण शुल्क	अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
74	शिक्षा आयोग का गठन	शिक्षा आयोग हेतु प्रावधान किया गया है।
75	एकीकृत अम्ब्रेला योजना 702 केन्द्रांश	एकीकृत अम्ब्रेला योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण, भवन
76	इमारतों का अनुरक्षण प्राथमिक 201	शालाओं के भवनों के लघु मरम्मत अन्य मूलभूत सुविधाओं
77	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन का निर्माण	विभाग द्वारा संचालित स्कूल भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है।
78	विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार	विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार


 अनुमान अधिकारी
 शिक्षा विभाग
 भवन, महानदी भवन,
 रायपुर

प्रपत्र-ब

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 में जनवरी 2024 तक संचालित प्रशिक्षण, योजना एवं अन्य कार्यक्रम में जिलों को आबंटित राशि एवं व्यय की जानकारी

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक- 2239

राशि रु- लाख में

क्र	वर्ष	योजना		प्रशिक्षण		अन्य कार्यक्रम	
		आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2021-22	1539816.44	1370464.855	385.22	361.51	1088.89	1088.89
2	2022-23	1688497.176	1588266.22	10188.15	10139.95	9346.19	9346.19
3	2023-24	19875443.02	1534637.73	804.72	689.99	1783.19	1783.19

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशिष्ट - पैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क. 1080) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-जांजगीर-चांपा अतर्गत धार्मिक मंदिरों/मठों/ट्रस्ट की ऑडिट के संबंध में जानकारी।

वर्ष/दिनांक	मंदिरों/मठों/ट्रस्ट का नाम	ऑडिट हेतु अधिकारियों का नाम	जांच के बिन्दु
2021-22 एवं 2022-23	श्री राधाकृष्ण मंदिर सिवनी चण्डी देवी मंदिर केरा	बी.,एस.,टी, चार्टड एकाउन्टेंट जांजगीर अमित कुमार अग्रवाल, चार्टड एकाउन्टेंट जांजगीर	आय व्यय के संबंध में आय व्यय के संबंध में
27.09.2022	अघोरपीठ जन सेवा अभेद आश्रम ट्रस्ट पौडीदल्हा, तहसील अकलतरा	श्री आयुष अग्रवाल, सीए	आय व्यय के संबंध में
31.03.2022	श्री महामाया मंदिर चैरीटेबल पब्लिक ट्रस्ट	सी.के.डीई एण्ड एसोसिएट्स कोरबा	आय व्यय के संबंध में
27.09.2022	पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन समाज अकलतरा	श्री आयुष अग्रवाल, सीए	आय व्यय के संबंध में


अनुभाग अधिकारी
धार्मिक न्याय एवं धर्मस्य विभाग
संजालय, रायपुर

पारोशेष्ट - छत्तीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 1082) की जानकारी

प्रपत्र

भवन विहीन शालाएं

क्रं.	शाला का नाम	क्रं.	शाला का नाम
1	हाई स्कूल सुलौनी	2	हाई स्कूल कुकदा

अहाता विहीन शालाएं


1	प्रा.शा. नयापारा लोहर्सी	28	प्रा.शा.भरुवाडीह
2	प्रा.शा.खपरी बेलपान	29	प्रा.शा.भौराडीह
3	प्रा.शा.खोरर्सी	30	प्रा.शा.भडहा
4	प्रा.शा.खजुरी	31	प्रा.शा.भुरकुन्डा
5	प्रा.शा.बंधवापारा कौडीया	32	प्रा.शा.भटचौरा
6	प्रा.शा.बंधवापारा परसदा वेद	33	प्रा.शा.भगवानपाली
7	प्रा.शा.बकरकुदा	34	प्रा.शा.पकरीया
8	प्रा.शा.बनियाडीह	35	प्रा.शा.पहरीपारा लिमतरा
9	प्रा.शा.बाजार पारा सीपत	36	प्रा.शा.परसाही
10	प्रा.शा.बानीभाठा पोंडी	37	प्रा.शा.पताईडीह
11	प्रा.शा.बालक परसदावेद	38	प्रा.शा.रहटाटोर
12	प्रा.शा.बालक सीपत	39	प्रा.शा.संजय नगर जोधरा
13	प्रा.शा.कोकडी	40	प्रा.शा.सबरियाडेरा लोहर्सी
14	प्रा.शा.कवरपारा सोन	41	प्रा.शा.साहु मोहल्ला ओखर
15	प्रा.शा.कुकर्दी खुर्द	42	प्रा.शा.सोनसरी
16	प्रा.शा.कुकुर्दीकेरा	43	प्रा.शा.सुकुलकारी
17	प्रा.शा.कुटेला	44	प्रा.शा.सुलौनी
18	प्रा.शा.केवतरा	45	प्रा.शा.सेमराडीह
19	प्रा.शा.मधुबन मोहल्ला भगवानपाली	46	प्रा.शा.दलदली
20	प्रा.शा.मटिया	47	प्रा.शा.वन्दावन मल्हार
21	प्रा.शा.मौवारपारा मुडपार	48	प्रा.शा.चकरबेडा
22	प्रा.शा.मुडपार	49	प्रा.शा.चौडापारा गुडी
23	प्रा.शा.बिटकुला	50	प्रा.शा.फोदीपाली
24	प्रा.शा.मिशनपारा रिस्दा	51	प्रा.शा.जुहली
25	प्रा.शा.शिवटिकारी	52	प्रा.शा.जुनवानी
26	प्रा.शा.विश्रामपुर	53	प्रा.शा.जगमल चौक सुकुलकारी
27	प्रा.शा.हरदी पचपेडी	54	प्रा.शा.जलसो

क्रं.	शाला का नाम	क्रं.	शाला का नाम
55	प्रा.शा.नेवारी	81	उच्च प्रा.शा.भौराडीह
56	प्रा.शा.अवास मोहल्ला कछार	82	उच्च प्रा.शा.भुरकुन्डा
57	प्रा.शा.अजा.मोहल्ला पाराघाट	83	उच्च प्रा.शा.परसाही
58	प्रा.शा.गधियापारा सोनसरी	84	उच्च प्रा.शा.पतईडीह
59	प्रा.शा.लोढाबोर	85	उच्च प्रा.शा.सरसेनी
60	जनपद प्रा.शा.मुडपार	86	उच्च प्रा.शा.सोनसरी
61	जनपद प्रा.शा.देवगाँव	87	उच्च प्रा.शा.सुकुलकारी
62	नवीन प्रा.शा.बकलीभाठा किरारी	88	उच्च प्रा.शा.सुलौनी
63	नवीन प्रा.शा.सबरियाडेरा सोन	89	उच्च प्रा.शा.देवगाँव
64	उच्च प्रा.शा.धनगवाँ	90	उच्च प्रा.शा.जुनवानी
65	उच्च प्रा.शा.खपरी ओखर	91	उच्च प्रा.शा.जलसो
66	उच्च प्रा.शा.खोंधरा	92	उच्च प्रा.शा.नेवारी
67	उच्च प्रा.शा.खोरसी	93	उच्च प्रा.शा.गोडाडीह
68	उच्च प्रा.शा.बकरकुदा	94	हाई स्कूल धनगवाँ
69	उच्च प्रा.शा.बालक चिस्दा	95	हाई स्कूल खोंधरा
70	उच्च प्रा.शा.बालक पचपेडी	96	हाई स्कूल झलमला
71	उच्च प्रा.शा.कुकुर्दीकेरा	97	हाई स्कूल बोहारडीह
72	उच्च प्रा.शा.केंवतरा	98	हाई स्कूल कुकुर्दीकेरा
73	उच्च प्रा.शा.कन्या चिस्दा	99	हाई स्कूल मानिकचौरी
74	उच्च प्रा.शा.कन्या पचपेडी	100	हाई स्कूल भरारी
75	उच्च प्रा.शा.मटिया	101	हाई स्कूल भुरकुन्डा
76	उच्च प्रा.शा.मानिकचौरी	102	हाई स्कूल पोड़ी
77	उच्च प्रा.शा.मुडपार	103	हाई स्कूल सुलौनी
78	उच्च प्रा.शा.बिटकुला	104	कन्या हायर सेकेण्डरी पचपेडी
79	उच्च प्रा.शा.किरारी	105	कन्या हायर सेकेण्डरी सीपत
80	उच्च प्रा.शा.शिव टिकारी	106	हायर सेकेण्डरी भटचौरा

जर्जर शालाएं

1	प्रा.शा.भुरकुन्डा	8	प्रा.शा.साहु मोहल्ला ओखर
2	प्रा.शा.बकरकुदा	9	जनपद प्रा.शा.मुडपार
3	प्रा.शा.बालक सीपत	10	प्रा.शा.लोढाबोर
4	प्रा.शा.शिवटिकारी	11	उच्च प्रा.शा.भुरकुन्डा
5	प्रा.शा. नयापारा लोहर्सी	12	उच्च प्रा.शा.बिटकुला
6	प्रा.शा.वन्दावन मल्हार	13	उच्च प्रा.शा.गोडाडीह
7	प्रा.शा.खपरी बेलपान	14	उच्च प्रा.शा.नेवारी

कं.	शाला का नाम	कं.	शाला का नाम
15	उच्च प्रा.शा.पतईडीह	18	हाई स्कूल भुरकुण्डा
16	उच्च प्रा.शा.मटिया	19	हाई स्कूल मानिकचौरी
17	हाई स्कूल भरारी	20	हायर सेकेण्डरी भटचौरा
		21	कन्या हायर सेकेण्डरी पचपेडी


अनुभाग अधिपति
स्कूल शिक्षा विभाग
धनगढ, रायपुर

पारोशेष्ट - सेंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1188) की जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर

प्रपत्र

रायगढ़ जिले के अंतर्गत ओपन स्कूल
द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्रों की सूची

स.क्र.	अध्ययन केन्द्रों का नाम	केन्द्र क्रमांक
रायगढ़		
1	शा. आदर्श क. उ.मा.वि. रायगढ़	17-01
2	शा. उ.मा.वि. पुसौर	17-02
3	शा. बालक उ.मा.वि. खरसिया	17-03
4	शा. बालक उ.मा.वि. घरघोड़ा	17-06
5	शा. बालक उ.मा.वि. तमनार	17-07
6	शा. उ.मा.वि. लैलूंगा	17-08
7	शा. बालक उ.मा.वि. धर्मजयगढ़	17-09
8	शास. नटवर बहु. उ.मा.वि. रायगढ़	17-10
9	शास. उ.मा.वि. कुंजेपुरा	17-12
10	शा कन्या उ.मा.वि.झाल रायगढ़	17-14
11	शा कन्या उ.मा.वि. लैलूंगा	17-15
12	शा उ.मा.वि.बांकारूमा	17-17
13	शा उ.मा.वि.बर्वा	17-18
14	शा उ.मा.वि. विजयनगर	17-19
15	शा हाईस्कूल कटाईपाली सी	17-20
16	शा हाईस्कूल ठाकुरपोड़ी	17-21
17	शा.उ.मा.वि.कांटाहरदी	17-22
18	केन्द्रीय जेल रायगढ़	17-23

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर

कक्षा अधिकारी
S.B. (VETP)
छ.ग. राज्य ओपन स्कूल
रायपुर

पारोशेष्ट - अड़तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1246) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	संस्था का नाम
1	प्राथ.स्वा.केन्द्र सोनक्यारी
2	प्राथ.स्वा.केन्द्र आस्ता
3	प्राथ.स्वा.केन्द्र घाघरा
4	प्राथ.स्वा.केन्द्र कोल्हेनझरिया
5	प्राथ.स्वा.केन्द्र केरसई
6	प्राथ.स्वा.केन्द्र तपकरा
7	प्राथ.स्वा.केन्द्र भगोरा
8	प्राथ.स्वा.केन्द्र कन्दईबहार
9	प्राथ.स्वा.केन्द्र कस्तूरा
10	प्राथ.स्वा.केन्द्र सुरंगपानी
11	प्राथ.स्वा.केन्द्र किलकिला
12	प्राथ.स्वा.केन्द्र तमता
13	प्राथ.स्वा.केन्द्र शेखरपुर
14	प्राथ.स्वा.केन्द्र लुड़ेग
15	प्राथ.स्वा.केन्द्र कुकरगांव
16	प्राथ.स्वा.केन्द्र बागबहार
17	प्राथ.स्वा.केन्द्र कोतबा
18	प्राथ.स्वा.केन्द्र नारायणपुर
19	प्राथ.स्वा.केन्द्र रनपुर
20	प्राथ.स्वा.केन्द्र कुंजारा
21	प्राथ.स्वा.केन्द्र दोकड़ा
22	प्राथ.स्वा.केन्द्र बगिया
23	प्राथ.स्वा.केन्द्र बटईकेला
24	प्राथ.स्वा.केन्द्र झिक्की
25	प्राथ.स्वा.केन्द्र सुलेसा
26	प्राथ.स्वा.केन्द्र कुरौंग
27	प्राथ.स्वा.केन्द्र कलिया
28	प्राथ.स्वा.केन्द्र मैनी
29	प्राथ.स्वा.केन्द्र छिछली
30	प्राथ.स्वा.केन्द्र पण्डरापाठ
31	प्राथ.स्वा.केन्द्र चम्पा

अधुमान अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

क्रमांक	संस्था का नाम
32	प्राथ.स्वा.केन्द्र आरा
33	प्राथ.स्वा.केन्द्र पैकू
34	प्राथ.स्वा.केन्द्र घोलेंग
35	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम
36	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोरा
37	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगीचा
38	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना
39	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुलदुला
40	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी
41	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कांसाबेल
42	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसाबहार
43	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Onta
अनुमान अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

वर्ष 2023 से 15 जनवरी, 2024 तक कोरबा जिला के अंतर्गत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रभारियों की वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार, गबन के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही

क्र.	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम, जिनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच/ कार्यवाही की गई	जांच अधिकारियों का नाम एवं पदनाम	जांच उपरांत दोषी अधिकारियों के नाम	दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कटघोरा	2023	श्री आई.पी. कश्यप	श्री जी.पी. भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा	श्री आई.पी. कश्यप	—	सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
2	पोड़ी उपरोड़ा	2023	श्री एल.एस. जोगी	संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, बिलासपुर द्वारा गठित त्रि-सदस्यीय समिति	श्री एल.एस. जोगी	निलंबित	—


 उप संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय,
 छत्तीसगढ़

अनुभाग-
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी नगर,
 नया रायपुर

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन-प्रथम तल अटल नगर रायपुर

दूरभाष 0771-2331385, फेक्स 2445215 ई-मेल cg.dir.dpi@gmail.com

क्रमांक / सत. / कोरबा / डी 21 / 2023 / 1176
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 20/2/23

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय-नवां रायपुर।

विषय :- अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री ईश्वर प्रसाद कश्यप, वि.ख.शि.अधि.कटघोरा जिला कोरबा एवं अन्य ।

संदर्भ :- शासन का पत्र क्रमांक 847 दिनांक 08.09.2023.

—00—

श्री इतवार सिंह टेकाम, ग्राम पो. जटगा, जिला कोरबा द्वारा श्री ईश्वर प्रसाद कश्यप, प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कटघोरा द्वारा 06 बिन्दुओं की शिकायत कर शासकीय राशि के विधि विरुद्ध आहरण की जांच कर प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर राशि की वसूली एवं निलंबन की कार्यवाही हेतु शिकायत प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने प्रारंभिक जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री कश्यप विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कटघोरा द्वारा श्रीमती मेरी लाल से.नि.प्रधानपाठक के अनुपस्थित 31 माह के अवधि का वेतन बिना सक्षम अधिकारी एवं अवकाश के स्वीकृति के फर्जी उपस्थिति पत्रक तैयार करवाकर राशि 24,91,554.00 रुपये के आहरण संबंधित शिक्षिका के सेवापुस्तिका से पन्ना गायब करना प्रतिवेदित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिकायत सही पाते हुए श्री कश्यप के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की अनुशंसा की है।

चूंकि श्री कश्यप व्याख्याता संवर्ग के अधिकारी है तथा इनकी नियुक्ति शासन द्वारा की गई है, अतः प्राप्त शिकायत के संबंध जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
(संचालक द्वारा आदेशित)

अप. संचालक 20/2/23
लोक शिक्षण संचालनालय

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, इन्द्रावती भवन,
नवां रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002


//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक: 17/08/2023

क्रमांक एफ 1-28/2023/20-2:: श्री लोकपाल जोगी, तत्कालीन विखांशिअ.पोड़ी-उपरोड़ा, जिला कोरबा एवं विखांशिअ. कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं विधि विरुद्ध कार्यवाही के विरुद्ध संभागीय संयुक्त संचालक(शिक्षा) बिलासपुर के द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन में शिकायत/आरोप की पुष्टि हुई है, कि-

- (1) तत्कालीन विखांशिअ. श्री जोगी के द्वारा श्री संतोष दास मानिकपुरी सहायक शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति 05 वर्ष 06 माह 07 दिन को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/अनुमोदन के कार्यभार ग्रहण कराया गया।
- (2) यह कि श्री विष्णु कुमार बिंझवार, सहायक शिक्षक (पंचायत) जो 9 माह 7 दिन तक अनुपस्थिति रहे हैं, को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/अनुमोदन से कार्यभार ग्रहण कराया गया।
- (3) यह कि श्री बहादुर राम भृत्य को 72 माह का अवकाश स्वीकृति का अधिकार नहीं होने के बावजूद 72 माह का अवकाश स्वीकृत कर वेतन आहरित किया गया।
- (4) यह कि श्री बिसुराम भृत्य, शाउमावि.लमना को अनाधिकृत रूप से विखांशिअ. कार्यालय में संलग्न किया, परंतु उपस्थिति पंजी में (मार्च, 2021 से अप्रैल, 2022 तक का) संबंधित का हस्ताक्षर होना नहीं पाया गया और उनके उक्त अवधि का वेतन आहरित किया गया।
- (5) विखांशिअ. के खाते में दस लाख रूपयों का आहरण एवं उपयोग किया गया। अभिलेख मांग जाने पर लेखापाल के द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कि उक्त अवधि में वे प्रभार में नहीं थे।
- (6) यह कि कोरोना काल के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि से राशि रु.150000/- का विखांशिअ. द्वारा लिपिक श्री छवि कुमार गहिरवार, सहायक ग्रेड-3 के नाम से चेक द्वारा दिनांक 02.06.2020 को नगद भुगतान किया गया। श्री विजेन्द्र कुमार बानी, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा 06 चेक के माध्यम से कुल राशि रु.1,38,968 नगद आहरण कर सम्पूर्ण राशि बीईओ(श्री जोगी) को सौंपे गया।
- (7) यह कि श्री जोगी बीईओ के द्वारा श्री परमेश्वर प्रसाद बनवा प्रधान पाठक, आश्रम शाला कोनकोना को दिनांक 24.12.2020 को चेक के माध्यम से राशि रु. 2,00,686/- प्रदाय किया गया, उनके द्वारा राशि आहरित कर अपने पास 21 माह से नगद के रूप में रखा। आहरित इस राशि किस मद का से यह नहीं बता पाए।
- (8) श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-2 को दिनांक 10.01.2022 द्वारा विखांशिअ. ने चेक दिया और आहरण कर राशि बीईओ श्री जोगी को दिया। यह राशि किस मद की है बता नहीं पाए।
- (9) संजय बुक स्टेशनरी पाली को दिनांक 18.03.2021 द्वारा राशि रु.25,000/- एवं 40,000/- ऑनलाईन भुगतान किया, किन्तु श्री छवि कुमार गहिरवार के द्वारा व्हाउचर उपलब्ध नहीं करा पाए।

निरंतर...2....



//2//

- (10) श्री जोगी द्वारा खाता क्र.32399574687 (बैंक का नाम उपलब्ध नहीं) से खाता क्र. 5051416008(इंडिया बैंक) में चेक क्र.254176, राशि 1,15,000/- दिनांक 10.02.2020 को आहरित की गई और अगले दिवस 11.02.2020 को श्री जोगी द्वारा चेक क्र.36121 के माध्यम से राशि रु.35,000/- एवं चेक क्र.36122 के माध्यम से राशि रु.40,000/- आहरित कर ली गई। दिनांक 02.03.2020 को चेक क्र.36123 के माध्यम से राशि रु.40,000/- पेड टू श्री छवि कुमार द्वारा आहरित कर ली गई।
- (11) श्री जोगी द्वारा श्री बंजारा फर्म को एसबीआई. पोड़ी-उपरोड़ा को कोविड सामग्री हेतु चेक क्र. 254214 द्वारा दिनांक 03.06.2020 को राशि रु 2,55,00/- दी गई। जिसकी प्रविष्टि एडवांस पंजी में अंकित है। परंतु इससे संबंधित व्हाउचर जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (12) श्री जोगी द्वारा श्री बंजारा फर्म को एसबीआई. पोड़ी-उपरोड़ा को कोविड सामग्री हेतु चेक क्र. 254214 द्वारा दिनांक 03.06.2020 को राशि रु 2,55,00/- दी गई। जिसकी प्रविष्टि एडवांस पंजी में अंकित है। परंतु इससे संबंधित व्हाउचर जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

2/ उक्त एवं अन्य प्रकरणों में श्री जोगी तत्कालीन विखंशिअ. पोड़ी-उपरोड़ा एवं विखंशिअ. कार्यालय के कर्मचारियों के साथ कुल राशि रु.23,29,489/- (तेईस लाख उनतीस हजार चार सौ नवासी रु. मात्र) का विधि विरुद्ध कार्यवाही कर वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है, जिसमें निम्नलिखित अपचारी लोक सेवकों की भी संलिप्ता/सहभागिता पायी गई है:-

- (1) श्री प्रवीण कुमार साहू(व्याख्याता), प्रभारी प्राचार्य, शा.क.उमावि.पसान, विखं.पोड़ी-उपरोड़ा,
- (2) श्री बृजेन्द्र कुमार वानी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्या.विखंशिअ. पोड़ी-उपरोड़ा,
- (3) श्री रामेश्वर प्रसाद बनवा, प्रधान पाठक, मा.आश्रम शाला कोनकोना, विखं. पोड़ी-उपरोड़ा,
- (4) श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 कार्या.विखंशिअ. पोड़ी-उपरोड़ा,
- (5) श्री छवि कुमार गहिरवार, सहायक ग्रेड-3, कार्या.विखंशिअ. पोड़ी-उपरोड़ा.

3/ उक्त अपचारी लोक सेवकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

4/ अतएव, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत-

- (1) श्री लोकपाल जोगी तत्कालीन विखंशिअ. पोड़ी-उपरोड़ा, जिला कोरबा,
- (2) श्री प्रवीण कुमार साहू(व्याख्याता), प्रभारी प्राचार्य, शा.क.उमावि.पसान, विखं.पोड़ी-उपरोड़ा,
- (3) श्री बृजेन्द्र कुमार वानी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्या.विखंशिअ. पोड़ी-उपरोड़ा,
- (4) श्री रामेश्वर प्रसाद बनवा, प्रधान पाठक, मा.आश्रम शाला कोनकोना, विखं. पोड़ी-उपरोड़ा,
- (5) श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 कार्या.विखंशिअ. पोड़ी-उपरोड़ा,
- (6) श्री छवि कुमार गहिरवार, सहायक ग्रेड-3, कार्या.विखंशिअ. पोड़ी-उपरोड़ा.

को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

5/ उक्त निलंबन लोक सेवकों का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक(शिक्षा) कार्यालय, बिलासपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर...3....

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महापदी भवन,
नया रायपुर

//3//

पृ0क्रमांक एफ 1-28/2023/20-2


नवा रायपुर, दिनांक: 17/08/2023

प्रतिलिपि :-


1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संभागीय संयुक्त संचालक(शिक्षा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छत्तीसगढ़।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।
6. प्राचार्य, शा.क.उमावि.पसान, विखं. पोड़ी-उपरोड़ा, जिला कोरबा।
7. सर्व संबंधित श्री-----


की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

8. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग







23/8/23

677-3
21-8-23

पारिशेष्ट - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1403) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-महासमुन्द अंतर्गत शालाओं में रिक्त पद।

शाला का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्राथमिक शाला	प्रधान पाठक प्राथमिक शाला	1281	1246	35
	सहायक शिक्षक	3597	1997	1600
पूर्व मा शाला	प्रधान पाठक माध्यमिक शाला	490	174	316
	शिक्षक	2295	1889	406
	भृत्य	489	6	483
हाई स्कूल	प्राचार्य	63	1	62
	व्याख्याता	412	236	195
	सहा.शि.विज्ञान	32	14	18
	सहा.ग्रे.02	33	32	1
	सहा.ग्रे.03	36	17	19
	भृत्य	69	21	48
	हायर सेकेण्डरी	प्राचार्य	123	13
	व्याख्याता	1626	1153	473
	सहा.शि.विज्ञान	344	188	156
	व्यायाम शिक्षक	123	65	58
	ग्रंथपाल	123	30	93
	सहा.ग्रे.02	97	92	5
	सहा.ग्रे.03	204	118	86
	भृत्य	392	95	297

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

जयपुराण परिकल्पना
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

(अ) गंगरेल -

क.	वर्ष	कार्य का विवरण	लागत राशि (लाख में)	रिमाक
1	2006	गंगरेल में 11 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण	10.75	कार्य पूर्ण ।
2	2011	गंगरेल क्षेत्र में साईनेजेस की स्थापना ।	34.93	कार्य पूर्ण ।
3	2017	ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत गंगरेल में लाग हट्स, कैफेटेरिया, पार्किंग, सोलर प्रकाशीकरण, साईनेजेस, पगौड़ा, पाथ वे, गार्ड रूम, लैंडस्केपिंग, ओवर हेड टैंक, डेकोरेटिव्ह एवं अन्य आयटम, बोरवेल, सम्पवेल, वाटर सप्लाई पाईप लाईन, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट ।	848.73	कार्य पूर्ण ।
4	2018	ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत गंगरेल में वाटर फ्रंट डेव्हलपमेंट एवं बोट शेड निर्माण	131.03	कार्य पूर्ण ।

(ब) अंगारमोती -


क.	वर्ष	कार्य का विवरण	लागत राशि (लाख में)	रिमाक
1	2008	ईको एडवेंचर कैंप, अंगार मोती गंगरेल का रखरखाव, बीच निर्माण एवं फेंसिंग कार्य	40.42	कार्य पूर्ण ।

पारोशेष्ट - बयालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1531) की जानकारी

प्रपत्र

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	5
2	एसोसिएट प्राध्यापक	8
3	सहायक प्राध्यापक	13
4	उप कुलसचिव	1
5	सहायक कुलसचिव	2
6	जनसंपर्क अधिकारी	1
7	सहायक ग्रंथपाल	1
8	निजी सहायक कुलपति	1
9	सहायक ग्रेड-1	1
10	तकनीशियन	1
11	सहायक ग्रेड-3	2
12	पुस्तकालय सहायक ग्रेड-2	2
13	भृत्य	1
14	चौकीदार	1
15	स्वीपर	1
16	अध्यक्ष (शोधपीठ)	4
17	अनुसंधान अधिकारी	4
18	अनुसंधान सहायक	1
19	सहायक ग्रेड-3	4
20	भृत्य	1


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

पारोशेट - तिरालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1561) की जानकारी

वित्त निर्देश- 13/2013

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन- नया रायपुर

क्रमांक 99/एफ-1003875/वित्त/नियम/चार/12
प्रति,

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल, 2013

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

शिक्षा विभाग/


अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग


मंत्रालय, नया रायपुर

विषय:-शिक्षक संवर्ग को विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत करने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के डाइंग कैंडर घोषित किये जा चुके शिक्षक संवर्ग के कार्यरत सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, व्याख्याता/प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं प्राचार्यों को विशेष प्रकरण मानते हुए दिनांक 1.4.2013 से रूपये 600/- प्रतिमाह विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया

इस विशेष गतिरोध भत्ता मूल नियम -9 (21) के तहत वेतन के रूप में शामिल नहीं किया जावेगा तथा अन्य भत्ते या हितलाभ की गणना में भी शामिल नहीं किया जावेगा ।


अध्यापक
शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर


(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


सं. क्र. 100/एफ-1003875/वित्त/नियम/चार/12
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल, 2013

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
15. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
16. समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़
17. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
18. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
20. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
22. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
23. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


राजेश कुमार श्रीवास्तव
अवर सचिव
वित्त विभाग
मंत्रालय, रायपुर


(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्र.	कार्यालय का नाम	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक संवर्ग की संख्या	गतिरोध भत्ता दिये जाने की जानकारी
1	राज्य परियोजना कार्यालय	26	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
2	जिला परियोजना कार्यालय बालोद	4	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
3	जिला परियोजना कार्यालय बलौदा बाजार	1	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
4	जिला परियोजना कार्यालय बलरामपुर	2	प्रदान किया जा रहा है।
5	जिला परियोजना कार्यालय बस्तर	1	प्रदान किया जा रहा है।
6	जिला परियोजना कार्यालय बेमेतरा	1	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
7	जिला परियोजना कार्यालय बीजापुर	2	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
8	जिला परियोजना कार्यालय बिलासपुर	9	प्रदान किया जा रहा है।
9	जिला परियोजना कार्यालय दंतेवाड़ा	2	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
10	जिला परियोजना कार्यालय धमतरी	2	प्रदान किया जा रहा है।
11	जिला परियोजना कार्यालय दुर्ग	8	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
12	जिला परियोजना कार्यालय गरियाबंद	1	प्रदान किया जा रहा है।
13	जिला परियोजना कार्यालय जीपीएम	2	प्रदान किया जा रहा है।
14	जिला परियोजना कार्यालय जांजगीर चांपा	9	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
15	जिला परियोजना कार्यालय जशपुर	1	प्रदान किया जा रहा है।
16	जिला परियोजना कार्यालय कांकेर	0	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
17	जिला परियोजना कार्यालय कवर्धा	2	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
18	जिला परियोजना कार्यालय कोण्डागांव	1	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
19	जिला परियोजना कार्यालय कोरबा	9	प्रदान किया जा रहा है।
20	जिला परियोजना कार्यालय कोरिया	2	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
21	जिला परियोजना कार्यालय महासमुंद	10	प्रदान किया जा रहा है।
22	जिला परियोजना कार्यालय मुंगेली	7	02 को दिया जा रहा है। 05 को नहीं दिया जा रहा है।
23	जिला परियोजना कार्यालय नारायणपुर	1	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
24	जिला परियोजना कार्यालय रायगढ़	4	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
25	जिला परियोजना कार्यालय रायपुर	5	प्रदान किया जा रहा है।
26	जिला परियोजना कार्यालय राजनांदगांव	5	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
27	जिला परियोजना कार्यालय सुकमा	0	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
28	जिला परियोजना कार्यालय सूरजपुर	2	प्रदान नहीं किया जा रहा है।
29	जिला परियोजना कार्यालय सरगुजा	4	प्रदान नहीं किया जा रहा है।

अनुभाग अधिकांशी
स्कूल शिक्षा विभाग
कार्यालय, रायपुर

सहायक संचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

समय-सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
"मंत्रालय"

पृष्ठ "श"

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 4222/577/टीएल/2016/20-एक नया रायपुर, दिनांक 5/11/2016
प्रति.

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय
इन्द्रावती भवन,
छत्तीसगढ़, नया रायपुर।

विषय :- शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों को विशेष गतिरोध भत्ता प्रदान करने
बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/48/2014-16/532, दिनांक 01.10.2016.

--000--

उपरोक्त संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ उपरोक्त विषय के संदर्भ में वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक
99/एफ-1003875/वित्त/नियम/चार/12, दिनांक 01.04.2013 की छायाप्रति संलग्न है।
संचालनालय में 11 अधिकारी/कर्मचारियों जिनका मूल संवर्ग प्राचार्य/व्याख्याता हैं, वे
सहायक संचालक पद या अन्य पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उन्हें 01.04.2013 से रुपये
600/- प्रतिमाह विशेष गतिरोध भत्ता दिया जा रहा है। यह वित्त विभाग के निर्देश के
विपरीत है।

3/ अतः वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जिन
अधिकारी/कर्मचारियों को नियम विपरीत गतिरोध भत्ता दिया जा रहा है, उनसे वसूली की
कार्यवाही कर कृपया विभाग को शीघ्र अवगत करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Dy. Dir. (E-1)
नया रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव
छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठ "द"

राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर
एकीकृत शिक्षा भवन, द्वितीय तल, बोर्ड ऑफिस परिसर, टैगोर नगर, पेंशन बाड़ा, रायपुर
फोन न. 0771-2445052 Email Id- mis.head@gmail.com

क्र. / 1667 / एस.एस/ई.ई/लेखा/2020-21 रायपुर, दिनांक 02/02/2021
प्रति,

समस्त - जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़

- विषय :- शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों को विशेष गतिरोध भत्ता प्रदान करने के संबंध में।
संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/9222/577/टीएल/2016/2-एक नया रायपुर दिनांक 05.11.2016

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। जिला परियोजना कार्यालय एवं विकासखण्ड स्त्रोत कार्यालय में कार्यरत विषयांकित संवर्ग को यदि विशेष गतिरोध भत्ता के रूप में रु. 600/प्रति माह दिया जा रहा है तो संदर्भित पत्र के अनुसार यह वित्त निर्देश के विपरीत है। तत्काल संबंधितों से वसूली की कार्यवाही कर, सूची प्रेषित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अनुभाग अधिपति
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

पारोशेष्ट - चवालोस
अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1655) की जानकारी

प्रपत्र

मैनपाट के पर्यटन विकास हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षों
(2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) में स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	विगत 03 वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) में			व्यय राशि से कराये गये निर्माण कार्य
		स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	जारी राशि (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	
1	मैनपाट	65.64 (नोट- प्रश्नांकित अवधि के पूर्व वर्ष 2018-19 में राशि रु. 2712.35 लाख स्वीकृत किये गये है।)	1791.94 (नोट- प्रश्नांकित अवधि के पूर्व वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राशि रु. 911.17 लाख जारी किये जा चुके थे।)	2661.06	<ul style="list-style-type: none"> • कमलेश्वरपुर में – करमा एथनिक रिसॉर्ट का निर्माण। • मछली पाइंट में – डे शेल्टर, चेन लिंक फेंसिंग, स्टेप्स, टेंट प्लेटफार्म, कुकिंग स्पोर्ट, ओव्हरहेड टैंक एवं पाइप लाईन। • जलजली में – डे शेल्टर, चेन लिंक फेंसिंग, स्टेप्स, टेंट प्लेटफार्म, कुकिंग स्पोर्ट, ओव्हरहेड टैंक एवं पाइप लाईन। • परपटिया में – डे शेल्टर, चेन लिंक फेंसिंग, टेंट प्लेटफार्म, कुकिंग स्पोर्ट, ओव्हरहेड टैंक एवं पाइप लाईन।
2	मैनपाट	10.79	9.81	9.81	<ul style="list-style-type: none"> • मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैनपाट के द्वारा उल्टापानी पर्यटन केन्द्र, ग्राम पंचायत बिसरपानी, मैनपाट, जिला सरगुजा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन गढ़कलेवा हेतु शेड निर्माण एवं शेड में बाह्य भित्ती चित्र कार्य हेतु स्वीकृति। (जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार)
कुल राशि :-		76.43	1801.75	2670.80

पारोशेष्ट - पेंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1884) की जानकारी

प्रपत्र

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 जून 2023, — ज्येष्ठ 18, शक 1945

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 जून 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-24/2021/38-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में:-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	प्राध्यापक, उच्च शिक्षा	595	प्रथम श्रेणी	37400-6700+ 10,000 ए.जी.पी.

2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (2) में, शब्द “पदोन्नत प्राध्यापक” के स्थान पर, शब्द “पदोन्नत प्राध्यापक एवं उप संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये ।
3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (3) में, अंक “187+6” के स्थान पर, अंक “223+6” प्रतिस्थापित किया जाये ।
4. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	प्राध्यापक, उच्च शिक्षा	595	100%	-	-	

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

5. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (2) में, शब्द "पदोन्नत प्राध्यापक" के स्थान पर, शब्द "पदोन्नत प्राध्यापक एवं उप संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
6. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	56 वर्ष	<p>(क) (एक) संबंधित या संबद्ध/सुसंगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़ा हो, साथ ही प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित पुस्तकों के रूप में और/अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान/नीतिगत पत्रों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस प्रकाशन किए हों एवं विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2021 के अनुसार कम से कम 120 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।</p> <p>(दो) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप</p>

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

				<p>से डॉक्टर के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) उत्कृष्ट पेशेवर, जिसे किसी भी शिक्षण संस्थान (जो उपर्युक्त (क) में शामिल नहीं किये गये हों)/उद्योग से संगत/संबद्ध/अनुप्रयुक्त विधाओं में पी. एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो तथा जिन्होंने संबंधित/संबद्ध/सुसंगत विधा के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हों, परन्तु उसे दस वर्ष का अनुभव हो।”</p>
--	--	--	--	---

7. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये।
8. अनुसूची-तीन की टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“टिप्पणी:-

(1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् “अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष” के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ. 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

(2) प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट आयु में विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात्, उच्चतर आयु सीमा 61 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।”

9. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (4) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
आबल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

512 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 जून 2023

"परंतु यह कि पदोन्नति के प्रयोजन से अनुसूची- एक के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (5) में उल्लिखित वेतनमान, पदोन्नत प्राध्यापकों, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत हैं, के लिए शिथिलनीय होंगे।"

10. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"उन सह-प्राध्यापक को 37,400-67,000+ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की जायेगी, जिन्होंने :-

(क) सह-प्राध्यापक के रूप में वेतनमान 37,400-67,000+ए.जी.पी. 9,000 में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 10 शोध प्रकाशन किए हों, जिनमें से तीन शोध पत्र, मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

(ग) विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2021 के अनुसार कम से कम 110 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

(घ) विगत पांच वर्षों का कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन रिपोर्ट बहुत अच्छा हो।"

11. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (4) की प्रविष्टि (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(ग) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 10 शोध प्रकाशन किए हों, जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों तथा विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2021 के अनुसार कम से कम 70 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

(घ) विगत पांच वर्षों का कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन रिपोर्ट बहुत अच्छा हो।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 2nd June 2023

NOTIFICATION

No. F 1-24/2021/38-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted) Recruitment Rules, 2019, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. For serial number 4 of Schedule-1 and entries relating thereto, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Professor, Higher Education	525	Class-I	37400-6700+ACP 10000

2. In column (2) of serial number 5 of Schedule-1, for the words "Promoted Professor", the words "Promoted Professor and Deputy Director" shall be substituted.

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अबल नवा रायपुर (छ.ग.)

परोक्षेष्ट - छियालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1928) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

विषय:- दुर्ग संभाग स्थित हॉटेल, मॉटेल एवं रिसोर्ट के निर्माण की जानकारी।

क्र.	निर्माण स्थल	योजना का नाम	मद	राशि रु. (लाख में)	रिमार्क
1	मितान मोटल, तुमड़ीबोड़, जिला- राजनादगांव	मोटल निर्माण कार्य	राज्य मद	165.93	
2	मितान मोटल, खपरी, जिला - दुर्ग	मोटल निर्माण कार्य	राज्य मद	177.95	
3	मितान मोटल, कवर्धा, जिला- कबीरधाम	मोटल निर्माण कार्य	राज्य मद	166.32	
4	(अ) सरोधादादर (जिला कबीरधाम) में टूरिस्ट रिसोर्ट का निर्माण।	पर्यटन पर पूंजी परिव्यय-पर्यटन आवास- राज्य आयोजना (सामान्य)- जिलों में नवीन टूरिस्ट मोटल्स का निर्माण-निर्माण कार्य-भवन	राज्य मद	299.34	
	(ब) सरोधादादर (जिला कबीरधाम) में टूरिस्ट रिसोर्ट के परिसर में ट्रायबल टूरिस्ट सर्किट केंद्रीय परियोजना से एथनिक पर्यटक ग्राम का निर्माण।	स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन पर पूंजी परिव्यय-पर्यटन का बुनियादी ढांचा-पर्यटन आवास- राज्य आयोजना (सामान्य)- पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान-पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण- पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण हेतु अनुदान	केन्द्रीय मद राज्य मद	1205.81 143.40	
5	प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़, (जिला राजनादगांव) में कैफेटेरिया का निर्माण।	प्रसाद योजना	केन्द्रीय मद	101.22	निर्माणाधीन है।

प्रपत्र "ब"

विषय:— दुर्ग संभाग स्थित हॉटेल, मॉटेल एवं रिसोर्ट की अद्यतन स्थिति ।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अथवा निजी फर्म/एजेंसी के माध्यम से हॉटेल, मॉटेल एवं रिसोर्ट के संचालन की स्थिति, संचालनकर्ता का चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया तथा हॉटेल, मॉटेल एवं रिसोर्ट के लिये स्टॉफ की नियुक्ति, एवं नियुक्ति का आधार एवं मापदण्ड की जानकारी बिन्दूवार निम्नानुसार है:—

1. हॉटेल, मॉटेल एवं रिसोर्ट के संचालन की स्थिति:—

क्रं.	इकाई का नाम	संचालन की स्थिति
1	बैगा एथनिक रिसोर्ट, सरोधादादर, कबीरधाम	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
2	मितान मोटल, तुमड़ीबोड़, जिला— राजनांदगांव	संचालन हेतु 30 वर्षों की लीज पर मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा. लि. दुर्ग को सौंपा गया है।
3	मितान मोटल, खपरी, जिला — दुर्ग	संचालन हेतु 30 वर्षों की लीज पर मेसर्स आशीर्वाद इन्टरप्राइजेस, भिलाई को सौंपा गया है।
4	मितान मोटल, कवर्धा, जिला— कबीरधाम	संचालन हेतु 30 वर्षों की लीज पर मेसर्स R-3 क्रियेटर्स, शंकर नगर, रायपुर को सौंपा गया है।

- 2. संचालनकर्ता का चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया:—** उपरोक्त इकाईयों को 30 वर्षों की लीज पर सौंपे जाने की प्रक्रिया हेतु लीजधारकों का चयन निविदा आमंत्रित कर उनकी तकनीकी योग्यताओं को आधार मानकर उनके द्वारा प्रस्तावित उच्चतम अपफंट प्रीमियम दरों के आधार पर की गई है।
- 3. स्टॉफ की नियुक्ति का आधार एवं मापदण्ड:—** उपरोक्त तालिका में दर्शित छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित बैगा एथनिक रिसोर्ट, सरोधादादर, जिला कबीरधाम का संचालन मानव संसाधन प्रदाय करने हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा निविदा से चयनित एवं अनुबंधित एजेन्सी द्वारा प्रदाय कर्मियों के माध्यम से किया जा रहा है। लीजधारक संस्था द्वारा संचालित 03 मोटल में संचालन हेतु स्टॉफ की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया संबंधित संस्था द्वारा किया जाता है।

पारोशेष्ट - सैतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1929) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	मद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय/ भुगतान राशि	कार्य की स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनरेगा	पड़ती भूमि विकास डेवलपमेंट	13.01.2023	1.87	187000.00	पूर्ण	—
2	मनरेगा	समुदाय के लिए छोटे रास्ते का निर्माण	20.01.2023	2.75	275000.00	पूर्ण	—
3	गौण खनिज	आजीविका प्लेट फार्म निर्माण कार्य	13.01.2023	4.97	414070.00	पूर्ण	—
4	एस बी एम, रायल्टी, मनरेगा अभिसरण	सामुदायिक शौचालय निर्माण	27.01.2023	5.50	500000.00	पूर्ण	—
5	गौण खनिज	गार्डन की सुरक्षा हेतु फेंसिंग तार घेरा	20.01.2023	6.49	649000.00	पूर्ण	—
6	गौण खनिज	आजीविका सह पर्यटन केन्द्र में किचन सह अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.02.2023	7.00	700000.00	पूर्ण	—
7	डी एम एफ	क्रिकेट कोर्ट निर्माण	27.02.2023	7.99	798665.00	पूर्ण	—
8	डी एम एफ	पानी टंकी व्यवस्था हेतु टंकी स्थापना एवं पाईप लाईन विस्तार	24.04.2023	3.10	307600.00	पूर्ण	—
9	गौण खनिज	आजीविका सह पर्यटन केन्द्र में प्रदर्शनी कक्ष निर्माण	09.05.2023	16.00	1598918.00	पूर्ण	—
10	डी एम एफ	वृक्षारोपण फेंसिंग सह पाथवे निर्माण कार्य	28.08.2023	11.00	440000.00	प्रगतिरत्	—

नोट:— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगोंव से प्राप्त।

परीशेष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1982) की जानकारी

प्रपत्र

विकासखण्ड जैजेपुर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रवार अधिकारियों/कर्मचारिया (नियमित) के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सामु.स्वा.केन्द्र जैजेपुर	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	0	1
2		विशेषज्ञ अस्थिरोग	1	0	1
3		विशेषज्ञ मेडिसीन	1	0	1
4		विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	1
5		विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	1	0
6		विशेषज्ञ शिशुरोग	1	0	1
7		पी.जी.एम.ओ.निश्चेतना	1	0	1
8		चिकित्सा अधिकारी	3	3	0
9		चिकित्सा अधिकारी हॉट बाजार	1	0	1
10		नर्सिंग सिस्टर	1	1	0
11		बी.ई.टी.ओ.	1	1	0
12		लेखापाल	1	0	1
13		संगणक/ कम्प्यूटर डाटा आपरेटर	1	0	1
14		सहायक ग्रेड- 03	1	0	1
15		स्टाफ नर्स	10	9	1
16		एम.एल.टी	3	3	0
17		सुपरवाइजर (महिला)	2	2	0
18		सुपरवाइजर (पुरुष)	1	1	0
19		एम.पी.डबल्यू (महिला)	1	1	0
20		बहु.स्वा.कार्य.(पुरुष)	1	1	0
21		फार्मासिस्ट ग्रेड- 02	2	1	1
22		रेडियोग्राफर	1	1	0
23		ड्रेसर ग्रेड-01	1	1	0
24		ड्रेसर ग्रेड-02	1	0	1
25		वाहन चालक	2	1	1
26		वार्ड ब्याय	2	2	0
27		भृत्य	2	2	0
28		धोबी	1	1	0
29		ओ.टी.ए.	1	1	0
30		चौकीदार	1	1	0
31		वार्ड आया	1	1	0
32		स्वीपर	1	1	0

अनुभाग अधिकारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभा
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रवार अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
2	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद		1	1	0
3	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया		1	1	0
4	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा		1	0	1
5	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा	ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	1	0
6	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया		1	1	0
7	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी		1	1	0
8	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद		1	1	0
9	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद	सहायक ग्रेड-03	1	1	0
10	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा		1	0	1
11	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया		1	0	1
12	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी	सहायक ग्रेड-03	1	0	1
13	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा	स्टॉफ नर्स	3	1	2
16	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद		3	1	2
19	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी		2	2	0
21	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया		3	1	2
24	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा	एम.एल.टी	1	1	0
25	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा	नेत्र सहायक अधिकारी	1	1	0
26	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी		1	1	0
27	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया		1	1	0
28	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी	एम.पी.डबल्यू. (महिला)	1	1	0
29	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया		1	1	0
30	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा		1	1	0
31	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा	फार्मासिस्ट ग्रेड- 02	1	0	1
32	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद		1	1	0
33	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी		1	0	1
34	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया		1	0	1
35	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया	ड्रेसर ग्रेड- 01	1	1	0
36	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद		1	0	1
37	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा		1	1	0
38	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी		1	0	1
39	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया	वार्ड ब्वाय	1	1	0
40	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद		1	1	0
41	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा		1	1	0
42	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी	वार्ड आया	2	2	0
44	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा	वार्ड आया	2	1	1
46	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया		1	0	1
47	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद	स्वीपर	1	0	1
48	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा		1	0	1

सेक्टरवार पर्यवेक्षक महिला/पुरुष की स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सेक्टर-जैजैपुर	सुपरवाइजर (महिला)	1	1	0
2	सेक्टर-जैजैपुर	सुपरवाइजर (पुरुष)	1	1	0
3	सेक्टर-ठठारी	सुपरवाइजर (महिला)	1	1	0
4	सेक्टर-ठठारी	सुपरवाइजर (पुरुष)	1	1	0
5	सेक्टर-भोथिया	सुपरवाइजर (महिला)	1	1	0
6	सेक्टर-भोथिया	सुपरवाइजर (पुरुष)	1	1	0
7	सेक्टर-गुंजियाबोड़	सुपरवाइजर (महिला)	1	1	0
8	सेक्टर-गुंजियाबोड़	सुपरवाइजर (पुरुष)	1	1	0
9	सेक्टर-हसौद	सुपरवाइजर (महिला)	1	1	0
10	सेक्टर-हसौद	सुपरवाइजर (पुरुष)	1	1	0

सेक्शनवार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला/पुरुष की स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	उप.स्वा.केंद्र जैजैपुर	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	1	0
2	उप.स्वा.केंद्र बेंलादुला		1	1	0
3	उप.स्वा.केंद्र ओड़ेकरा		1	1	0
4	उप.स्वा.केंद्र तुषार		1	1	0
5	उप.स्वा.केंद्र मुक्ता		1	1	0
6	उप.स्वा.केंद्र करही		1	1	0
7	उप.स्वा.केंद्र हसौद		1	1	0
8	उप.स्वा.केंद्र चिस्ता		1	1	0
9	उप.स्वा.केंद्र घिवरा		1	1	0
10	उप.स्वा.केंद्र भोथिया		1	1	0
11	उप.स्वा.केंद्र रायपुरा		1	1	0
12	उप.स्वा.केंद्र चिखलसौंदा		1	1	0
13	उप.स्वा.केंद्र मलनी		1	1	0
14	उप.स्वा.केंद्र भोथिडीह		1	1	0
15	उप.स्वा.केंद्र खजुरानी		1	1	0
16	उप.स्वा.केंद्र करौवाडीह		1	1	0
17	उप.स्वा.केंद्र गुंजियाबोड़		1	1	0

18	उप.स्वा.केंद्र देवरघटा	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	1	0	
19	उप.स्वा.केंद्र छिराडीह		1	1	0	
20	उप.स्वा.केंद्र हरेठीकला		1	1	0	
21	उप.स्वा.केंद्र परसाडीह		1	1	0	
22	उप.स्वा.केंद्र ठूठी		1	1	0	
23	उप.स्वा.केंद्र दतौद		1	1	0	
24	उप.स्वा.केंद्र कांशीगढ		1	1	0	
25	उप.स्वा.केंद्र ठठारी		1	1	0	
26	उप.स्वा.केंद्र जैजैपुर		आर.एच.ओ (महिला)	1	1	0
27	उप.स्वा.केंद्र बेलादुला			1	1	0
28	उप.स्वा.केंद्र ओडेकेरा			1	1	0
29	उप.स्वा.केंद्र तुषार			1	1	0
30	उप.स्वा.केंद्र मुक्ता			1	1	0
31	उप.स्वा.केंद्र करही			1	1	0
32	उप.स्वा.केंद्र हसौद			1	1	0
33	उप.स्वा.केंद्र चिस्दा	1		1	0	
34	उप.स्वा.केंद्र धिवरा	1		1	0	
35	उप.स्वा.केंद्र भोथिया	1		1	0	
36	उप.स्वा.केंद्र रायपुरा	1		1	0	
37	उप.स्वा.केंद्र चिखलरौंदा	1		1	0	
38	उप.स्वा.केंद्र मलनी	1		1	0	
39	उप.स्वा.केंद्र भोथिडीह	1		1	0	
40	उप.स्वा.केंद्र खजुरानी	1		1	0	
41	उप.स्वा.केंद्र करौवाडीह	1		1	0	
42	उप.स्वा.केंद्र गुजियाबोड़	1		1	0	
43	उप.स्वा.केंद्र देवरघटा	1		1	0	
44	उप.स्वा.केंद्र छिराडीह	1		1	0	
45	उप.स्वा.केंद्र हरेठीकला	1		1	0	
46	उप.स्वा.केंद्र परसाडीह	1	1	0		
47	उप.स्वा.केंद्र ठठारी	1	1	0		
48	उप.स्वा.केंद्र ठूठी	1	1	0		
49	उप.स्वा.केंद्र कांशीगढ	1	1	0		
50	उप.स्वा.केंद्र दतौद	1	1	0		

ए.एन.एम सेक्शनवार की स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सामु.स्वा.केंद्र जैजैपुर	एन.एम.ए.	1	1	0

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सामु.स्वा.केन्द्र जैजैपुर	विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक	1	1	0
2		विकासखण्ड लेखा प्रबंधक	1	1	0
3		विकासखण्ड डाटा प्रबंधक	1	1	0
4		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	0	1
5		चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
6		फिसियोथेरपिस्ट	1	0	1
7		दंत चिकित्सक	1	1	0
8		आयुष चिकित्सा अधिकारी (चिरायु)	4	4	0
9		आर. एम. ए.	1	1	0
10		काउंसलर (एन.एच.एम.)	1	0	1
11		स्टॉफ नर्स (एन.बी.एस.यु.)	3	2	1
12		वरिष्ठ टी.बी. पर्यवेक्षक (एन.टी.ई.पी.)	1	1	0
13		फार्मासिस्ट (चिरायु)	2	2	0
14		ए.एन.एम. (चिरायु)	2	1	1
15		दंत सहायक	1	1	0
16		काउंसलर (आर.एम.एन.सी.एच.)	1	1	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्राथ.स्वा.केन्द्र भोथिया	आर.एम.ए.	1	1	0
2		जुनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	1	1	0
3	प्राथ.स्वा.केन्द्र हसौद (24X7)	स्टॉफ नर्स (24X7)	3	2	1
4		जुनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	1	1	0
5	प्राथ.स्वा.केन्द्र रायपुरा	जुनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	1	1	0
6	प्राथ.स्वा.केन्द्र ठठारी (24X7)	स्टॉफ नर्स (24X7)	3	1	2
7		जुनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	1	1	0

उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	उप.स्वा.केन्द्र देवरघटा	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
2		सेकेण्ड ए.एन.एम.	1	1	0
3	उप.स्वा.केन्द्र खजुरानी	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
4		सेकेण्ड ए.एन.एम.	1	1	0
5	उप.स्वा.केन्द्र गुंजियाबोड़	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
6		सेकेण्ड ए.एन.एम.	1	1	0

7	उप.स्वा.केंद्र ठठारी	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
8	उप.स्वा.केंद्र जैजैपुर		1	1	0
9	उप.स्वा.केंद्र बेलादुला		1	1	0
10	उप.स्वा.केंद्र ओडेकेरा		1	1	0
11	उप.स्वा.केंद्र छिरिडीह		1	1	0
12	उप.स्वा.केंद्र हरेठीकला		1	1	0
13	उप.स्वा.केंद्र परसाडीह		1	1	0
14	उप.स्वा.केंद्र तूठी		1	1	0
15	उप.स्वा.केंद्र दतौद		1	1	0
16	उप.स्वा.केंद्र मुक्ता	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
17	उप.स्वा.केंद्र करही		1	1	0
18	उप.स्वा.केंद्र चिस्दा		1	1	0
19	उप.स्वा.केंद्र भोथिडीह		1	1	0
20	उप.स्वा.केंद्र भोथिया		1	1	0
21	उप.स्वा.केंद्र तुषार		1	0	1
22	उप.स्वा.केंद्र हसौद		1	0	1
23	उप.स्वा.केंद्र धिवरा		1	0	1
24	उप.स्वा.केंद्र रायपुरा		1	0	1
25	उप.स्वा.केंद्र चिखलरौंदा		1	0	1
26	उप.स्वा.केंद्र मलनी		1	0	1
27	उप.स्वा.केंद्र करौवाडीह		1	0	1
28	उप.स्वा.केंद्र कांशीगढ		1	0	1

विकासखण्ड मालखरौदा

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रवार अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	पदस्थ स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
2	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	1	0
3	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	सहायक ग्रेड-03	1	0	1
4	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	स्टॉफ नर्स	3	1	2
5	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	एम.एल.टी	1	0	1
6	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	नेत्र सहायक अधिकारी	1	1	0
7	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	एम.पी.डबल्यू (महिला)	1	1	0
8	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	फार्मासिस्ट ग्रेड- 02	1	0	1
9	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	ड्रेसर ग्रेड- 01	1	0	1
10	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	वार्ड ब्वाय	1	0	1
11	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	वार्ड आया	1	1	0

13	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
14	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	ग्रामीण चिकित्सा सहायक	1	1	0
15	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	सहायक ग्रेड-03	1	0	1
16	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	स्टॉफ नर्स	3	2	1
17	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	एम.एल.टी	1	1	0
18	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	नेत्र सहायक अधिकारी	1	1	0
19	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	एम.पी.डबल्यू (महिला)	1	1	0
20	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	फार्मासिस्ट ग्रेड- 02	1	0	1
21	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	ड्रेसर ग्रेड- 01	1	0	1
22	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	वार्ड ब्वाय	1	1	0
23	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	वार्ड आया	1	0	1
24	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	स्वीपर	1	0	1

सेक्टरवार पर्यवेक्षक महिला/पुरुष की स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	पदस्थ स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सेक्टर-छपोरा	सुपरवाइजर (महिला)	1	1	0
2	सेक्टर-छपोरा	सुपरवाइजर (पुरुष)	1	1	0

सेक्शनवार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला/पुरुष की स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	पदस्थ स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	उप.स्वा.केंद्र बडेसीपत	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	1	0
2	उप.स्वा.केंद्र पिहरीद	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	1	0
3	उप.स्वा.केंद्र कुरदा	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	1	0
4	उप.स्वा.केंद्र छपोरा	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	0	1
5	उप.स्वा.केंद्र मरघटटी	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	1	0
6	उप.स्वा.केंद्र मुडपार	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	1	0
7	उप.स्वा.केंद्र पिरदा	आर.एच.ओ (पुरुष)	1	1	0
8	उप.स्वा.केंद्र बडेसीपत	आर.एच.ओ (महिला)	1	1	0
9	उप.स्वा.केंद्र पिहरीद	आर.एच.ओ (महिला)	1	0	1
10	उप.स्वा.केंद्र कुरदा	आर.एच.ओ (महिला)	1	0	1
11	उप.स्वा.केंद्र छपोरा	आर.एच.ओ (महिला)	1	1	0
12	उप.स्वा.केंद्र मरघटटी	आर.एच.ओ (महिला)	1	0	1
13	उप.स्वा.केंद्र मुडपार	आर.एच.ओ (महिला)	1	1	0
14	उप.स्वा.केंद्र पिरदा	आर.एच.ओ (महिला)	1	1	0

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्राथ.स्वा.केन्द्र पिरदा (24X7)	आर.एम.ए.	1	0	1
2		स्टॉफ नर्स (24X7)	1	1	0
3		जुनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	1	1	0
4	प्राथ.स्वा.केन्द्र घोघरी (24X7)	आर.एम.ए.	1	0	1
5		स्टॉफ नर्स (24X7)	1	0	1
6		जुनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	1	1	0

उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	उप.स्वा.केन्द्र बडेसीपत	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
2		सेकेण्ड ए.एन.एम.	1	0	1
3	उप.स्वा.केन्द्र पिहरीद	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
4		सेकेण्ड ए.एन.एम.	1	1	0
5	उप.स्वा.केन्द्र कुरदा	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
6		सेकेण्ड ए.एन.एम.	1	1	0
7	उप.स्वा.केन्द्र छपोरा	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
8	उप.स्वा.केन्द्र मरघट्टी	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0
9	उप.स्वा.केन्द्र मुडपार	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1	1	0

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - उन्नास

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2035) की जानकारी

प्रपत्र

जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई अंतर्गत धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से चिन्हांकित ग्राम।

1. जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची:-

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	प्रमुख दर्शनीय स्थल
1	खैरागढ़	ऐतिहासिक, शैक्षणिक, पुरातात्विक	इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय
2	माँ भवानी मंदिर करेला	धार्मिक, प्राकृतिक	पहाड़ी पर स्थित माँ भवानी का मंदिर एवं प्राकृतिक सौंदर्य
3	गंडई	धार्मिक, ऐतिहासिक	प्राचीन शिव मंदिर
4	जय डोंगेश्वर महादेव चोडराधाम	धार्मिक, प्राकृतिक	मंडीप खोल, पैलीमेटा बांध (सुरही जलाशय), मोटियारी घाट, नर्मदा कुण्ड, शिव एवं गंगई मंदिर गण्डई, घटीयारी का प्राचीन पुरातात्विक शिव मंदिर

2. जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत स्थलों के पर्यटन विकास कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्ताव:-

- **छिन्दारी बांध हेतु** – पत्र क्रमांक 2269 दिनांक 14.09.2022 से जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मांगा गया था। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- **डोंगेश्वर महादेव चोडराधाम** – पत्र क्रमांक 5311 दिनांक 17.03.2023 से जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मांगा गया था। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- **नर्मदा कुण्ड नर्मदा मंदिर** – पत्र क्रमांक 1150 दिनांक 19.06.2017 के उत्तर में जिला कलेक्टर से **नर्मदा कुण्ड** के सौंदर्यीकरण के लिये रु. 10 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे समुचित बजट के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सका।
- **धासकुंवा झरना** – पत्र क्रमांक 637 दिनांक 31.05.2022 के माध्यम से तत्कालीन जिला कलेक्टर राजनादगांव से विकास कार्यों का प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
- ग्राम जंगलपुर (डोंगेश्वर महादेव चोडराधाम), धासकुंवा झरना एवं नर्मदा कुण्ड नर्मदा मंदिर के विकास हेतु दिनांक 03.08.2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणा के परिपालन में पत्र क्रमांक 637 दिनांक 31.05.2022 के माध्यम से तत्कालीन जिला कलेक्टर राजनादगांव से विकास कार्यों का प्रस्ताव मांगा गया था। प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। विभाग के समुचित बजट अभाव के कारण जिला कलेक्टर को जिला स्तर पर उपलब्ध मदों/डीएमएफ/अन्य विभागीय योजनाओं से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र क्र. 2413 दि. 14.09.2023 से लेख किया गया।
- पैलीमेटा जलाशय हेतु जानकारी निरंक है।

पारिशेष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2048) की जानकारी

प्रपत्र

सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विकासखण्डवार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शालाओं की जानकारी						माध्यमिक शालाओं की जानकारी					
		प्रधानपाठक			सहायक शिक्षक			प्रधानपाठक			शिक्षक		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बतौली	124	119	5	268	208	60	58	45	13	238	217	21
2	सीतापुर	145	142	3	306	243	63	74	70	4	300	277	23
3	अम्बिकापुर	52	50	2	109	69	40	16	15	1	65	63	2
4	मैनपाट	141	109	32	285	149	136	68	58	10	272	247	25
योग:-		462	420	42	968	669	299	216	188	28	875	804	71


उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

परीशेष - इनक्यावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2091) की जानकारी

प्रपत्र

शिकायत प्राप्त सिम्स में कार्यरत शिक्षक/चिकित्सक के नाम एवं पदस्थापना की जानकारी			
चिकित्सा शिक्षक/चिकित्सक का नाम	पदनाम	विभाग	निजी स्वास्थ्य संस्थान का नाम (जिसमें निजी प्रैक्टिस संबंधी प्रमाण पाये गये)
डॉ. बी.पी.सिंह	संचालक सह प्राध्यापक	पैथोलॉजी	मार्डन डायग्नोस्टिक सेंटर नर्मदा नगर मार्डन पैथोलैब कलेक्शन सेंटर गोडपारा
डॉ. संगीता रमन जोगी	प्राध्यापक	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	जैकमेन मिशन हॉस्पिटल वंदना हॉस्पिटल
डॉ. अर्चना सिंह	प्राध्यापक	रेडियो डायग्नोसिस	मार्डन डायग्नोस्टिक सेंटर नर्मदा नगर
डॉ. नीरज शेण्डे	प्राध्यापक	सर्जरी	ओम नर्सिंग होम अशोक नगर, सरकण्डा
डॉ. भावना रायजादा	सह-प्राध्यापक	निश्चेतना	साई बाबा हार्ट एण्ड किडनी सेंटर
डॉ. अमित कुमार ठाकुर	सह-प्राध्यापक	मेडिसीन	नोबेल हॉस्पिटल राजकिशोर नगर
डॉ. विद्या भूषण साहू	सह-प्राध्यापक	ई.एन.टी.	रूद्र ईएनटी हॉस्पिटल
डॉ. ब्रजेश पटेल	सह-प्राध्यापक	सर्जरी	वेगस हॉस्पिटल


अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर


उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्य
छत्तीसगढ़

प्रपत्र

वर्ष 2021 से दिसंबर 2023 तक कय की जानकारी

क	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रूपये)
1	2	3	4
दिनांक-01.01.2021 से 31.03.2021 तक			
1	निरंक	निरंक	निरंक
दिनांक-01.04.2021 से 31.03.2022 तक			
2	छ.ग. आदर्श हैंडबुक	2 नग	760
	छ.ग. में प्रचलित वाहन आदेश	1 नग	250
	वित्तीय संहिता भाग-1 एवं 2	1 नग	480
	छ.ग. मूलभूत नियम	1 नग	750
	कोषालय संहिता	1 नग	620
	संविदा नियुक्ति नियम	1 नग	120
	शा.कल्याणकारी सुविधाएं	1 नग	990
	चिकित्सा परिचय नियम	1 नग	140
	पेंशन योजना नियम	1 नग	500
	नवीन अंशदायी पेंशन योजना	1 नग	220
	संघ तथा राज्यों के लेखाशीर्ष	2 नग	480
	आचरण नियम	1 नग	480
	यात्रा भत्ता नियम	1 नग	180
	कार्या. प्रमुख कार्या.स्था.नियम	1 नग	450
	पदो.योजना समयमान वेतनमान	1 नग	280
	सूचना का अधि.अधिनियम विस्तृत टिप्पणी सहित	1 नग	1350
	आदर्श हैंडबुक 2021	1 नग	760

क्र	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रूपये)
1	2	3	4
	प्रशासनिक शब्दकोष	1 नग	1350
	लोकसेवा गारंटी	1 नग	170
	टायलेट क्लीनर	21 नग	740
	टायलेट क्लीनर	258 नग	176
	फ्लोर क्लीनर	26 नग	810
	फ्लोर क्लीनर	271 लीटर	195
	हैंडवाश	30 नग	830
	डस्टबीन	120 नग	58
	हैंडवाश	344 नग	208
	मग	129 नग	45
	हार्ड ब्रूम	120 नग	60
	सैनेटाइजर	95 नग	220
	बकेट	225 नग	187
	नैपथिलिन बाल	66 नग	204
	टायलेट ब्रश	92 नग	49
	डस्टबीन	172 नग	142
	गार्बेज बैग	177 नग	48
	टायलेट क्लीनर	30 नग	740.66
	फ्लोर क्लीनर	36 नग	810
	सैनेटाइजर	132 नग	220
	फ्लोर क्लीनर	378 नग	195
	हार्ड ब्रूम	167 नग	60
	टायलेट क्लीनर	176 नग	360
	नैपथिलिन बाल	96 नग	204

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रूपये)
1	2	3	4
	हैंडवाश	42 नग	830
	मग	180 नग	45
	डस्टबीन	240 नग	142
	टायलेट ब्रश	125 नग	49
	बकेट	312 नग	187
	डस्टबीन	168 नग	58
	गार्बेज बैग	246 नग	48
	हैंडवाश	400 नग	208
	हैंडवाश	80 नग	208
दिनांक-01.04.2022 से 31.03.2023 तक			
3	ऑलपिन	3 नग	165.00
	स्टाम्प पैड बड़ा	11 नग	45.00
	स्टेप्लर एचडी 10	5 नग	50.00
	स्टेप्लर एचडी 45	2 नग	280.00
	कैची	1 नग	45.00
	पेन	60 नग	10.00
	कैल्कुलेटर	2 नग	325.00
	पेपरवेट बड़ा	3 नग	60.00
	पेपरवेट छोटा	3 नग	75.00
	फाइल कवर	100 नग	8.00
	पेड फाइल	50 नग	16.00
	रजिस्टर 84 पेज	8 नग	45.00
	रजिस्टर 172 पेज	48 नग	75.00
	ए/4 पेपर	70 नग	280.00
	लिफाफा 9'4	200 नग	1.70
	लिफाफा 10'12	50 नग	5.00
	लिफाफा 11'5	100 नग	2.50
	स्टेम्पपेड बड़ा	5 नग	48.00
	स्टीक फाइल	20 नग	12.00
	पेन	30 नग	10.00
	अल्ट्रान पेन	20 नग	10.00
	ए/4 पेपर	30 पैकेट	250
	दस्ता पेपर	2 पैकेट	450


क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रुपये)
1	2	3	4
	ए/4 पेपर दस्ता पेपर	30 पैकेट 2 पैकेट	250 450
	ए/4 पेपर दस्ता पेपर लाइनिंग पेपर	30 पैकेट 1 पैकेट 1 पैकेट	250 450 450
	ए/4 पेपर दस्ता पेपर लाइनिंग पेपर	30 पैकेट 1 पैकेट 1 पैकेट	250 450 450
	ए/4 पेपर दस्ता पेपर दस्ता पेपर लाइनिंग पेपर	30 पैकेट 1 पैकेट 1 पैकेट	250 450 450
	ए/4 पेपर फाइलपेड	30 पैकेट 50 नग	250 25
	ए/4 पेपर	10 पैकेट	250
	ए/4 पेपर लीगल कैची पोकर	25 पैकेट 2 नग 8 नग	320 250 40
	एफ एस पेपर टैग लैश	20 पैकेट 6 पैकेट 5 पैकेट	320 280 120
	एफ एस पेपर कैल्कुलेटर रजिस्टर 100 पेज	20 पैकेट 2 नग 20 नग	320 700 45
	रजिस्टर 200 पेज रजिस्टर 100 पेज फ्लेग गोंद	48 नग 48 नग 12 पैकेट 10 नग	90 50 45 80

क	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रुपये)
1	2	3	4
	स्टेप्लर		120
	पिनबॉक्स	10 नग	200
	पेडफाइल	5 नग	50
	पेड	10 नग	50
	फेवीकोल	10 नग	100
	आलपिन	10 नग	50
	पिनकुशल	20 नग	50
	फेवीस्टिक	10 नग	50
	पेन	10 नग	10
	रिलाइन का रिफिल	108 नग	50
	व्हाइटनर	5 नग	30
		10 नग	
	फाइल कवर	100 नग	50
	कोबरा फाइल	50 नग	20
	फाइल कवर	100 नग	15
	हाईलाइटर	10 नग	25
	सेलोटैप	8 नग	80
	फाइल कवर	100 नग	15
	बाक्स फाइल	20 नग	80
	कार्बन	10 नग	200
	फाइलपेड	100 नग	25
	कैची बड़ा	1 नग	240
	आलपिन	50 पैकेट	40
	पेंसिल	10 पैकेट	50
	कैची	10 नग	50
	स्टांपपेड	6 नग	270
	ग्लुस्टिक	5 नग	250
	ए/4 पेपर	10 पैकेट	240


क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रूपये)
1	2	3	4
	पेपर ट्रे	10 नग	180
	पंचिंग मशीन	6 नग	160
	लिफाफा	800 नग	2
	फोर फोल्डर फाइल	20 नग	60
	डस्टबीन	6 नग	120
	ग्लूस्टिक	6 नग	250
	मार्कर पेन	25 नग	20
	टेबल क्लेथ	10 नग	400
	टेबल ग्लास	4 नग	950
	पेन लाल-नीला	30 नग	10
	पेन स्टैंड	1 नग	2500
	डायरी	10 नग	200
	डीएफसी रजिस्टर	6 नग	450
	कैची	6 नग	100
	मार्कर	10 नग	35
	पेन सेट	10 नग	200
	स्टेप्लर बड़ा	6 नग	300
	बस्तां	50 नग	70
	डाकपेड	12 नग	70
	कान्फ्रेंस पेड	300 नग	15
	कान्फ्रेंस पेड	300 नग	10
	पेपर पेड	12 नग	70
	रजिस्टर 400 पेज	24 नग	220
	रजिस्टर 300 पेज	18 नग	160
	ए/4 पेपर	30 नग	250
	कान्फ्रेंस पेड	200 नग	40
	स्केल	5 नग	80


क्र	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रुपये)
1	2	3	4
	कान्फ़ेस फाइल	300 नग	20
	टेबल बेल	5 नग	250
	प्लास्टिक फाइल	12 नग	80
	किंग साइज रजिस्टर 200 पेज	10 नग	250
	बाक्स फाइल	20 नग	100
	रजिस्टर 200 पेज	20 नग	90
	रजिस्टर 100 पेज	20 नग	50
	ब्राउन टेप	10 नग	80
	व्हाइटनर	10 नग	30
	बस्ता	50 नग	70
	पेन पाट	10 नग	200
	टेप	5 नग	200
	लेस	15 नग	120
	फाइलपेड	100 नग	25
	टैग	6 पैकेट	280
	सिंगल पंच	6 नग	120
	स्केल	10 नग	80
	पुस पिन	10 पैकेट	50
	डस्टबिन	12 नग	180
	टेबल ग्लास	8 नग	950
	कैची	3 नग	250
	टेबल क्लेथ	10 नग	840
	सिल बाक्स	10 नग	180
	फेवीस्टिक	30 नग	50
	आलपिन	20 पैकेट	50
	स्टांपपेड	10 नग	50
	स्टिक फाइल	350 नग	10

क	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रूपये)
1	2	3	4
	टेबल टॉप पेन पॉट पोकर	2 नग 10 नग 8 नग	3000 200 40
	कैल्कुलेटर बड़ा डाक्यूमेंट्री फाइल लेसग	6 नग 6 नग 15 नग	700 400 120
	सेनेटाइजर ग्लव्स टेंग	12 नग 6 नग 5 पैकेट	250 700 200
	हार्पिक डस्टबिन हैंडवाश फिनाइल नीपवाल एसिड	15 नग 15 नग 5 नग 10 नग 5 नग 6 नग	150 300 150 50 30 50
	डिस्पेच रजिस्टर	2 नग	680


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

क	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर राशि (रूपये)
1	2	3	4
दिनांक-01.04.2023 से 31.12.2023 तक			
4	फाइल पैड	200 नग	22
	टैग फाइल	250 नग	12
	पैन	80 नग	15
	टैग	30 नग	30
	पोकर	10 नग	35
	स्टेप्लर पिन	60 पैकेट	21
	स्टेप्लर मशीन	8 नग	280
	टोनर	12 नग	650
	पेपर	70 पैकेट	276.79
	फोर फोल्डर	14 नग	130
	रिफिल	50 नग	8.47
	फेवीकोल	12 नग	50


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मन्नालय, रायपुर


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़, अटल नगर

परोशेष्ट - तिरपन


अतरांकेत प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2146) की जानकारी



प्रपत्र "अ"

जिला सक्ती के अंतर्गत शासकीय अस्पतालो एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत, कार्यरत एवं विकासखण्डवार जानकारी				
वि.ख.	स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
सक्ती	सामु. स्व. केन्द्र सक्ती	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	2
		विशेषज्ञ सर्जरी	1	0
		विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	0
		विशेषज्ञ शिशुरोग	1	0
		निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0
		अस्थिरोग विशेषज्ञ	1	0
		चिकित्सा अधिकारी	3	3
		चिकित्सा अधिकारी हाट बाजार	1	0
	मातृ एवं शिशु अस्पताल सक्ती	निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0
		शिशुरोग पीजीएमओ	1	1
स्त्रीरोग पीजीएमओ		1	0	
पैथोलॉजी पीजीएमओ		1	0	
चिकित्सा अधिकारी		3	7	
प्राथ.स्वा.केंद्र कुरदा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	
प्राथ.स्वा.केंद्र पोरथा	चिकित्सा अधिकारी	1	2	
प्राथ.स्वा.केंद्र लवसरा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	
प्राथ.स्वा.केंद्र जर्वे	चिकित्सा अधिकारी	1	1	
प्राथ.स्वा.केंद्र देवरी	चिकित्सा अधिकारी	1	0	
प्राथ.स्वा.केंद्र मसनियाकला	चिकित्सा अधिकारी	1	1	

	प्राथ.स्वा.केंद्र बरपालीकला	चिकित्सा अधिकारी	1	0	
	सिविल डिसपेंसरी बाराद्वार	चिकित्सा अधिकारी	1	0	
जैजैपुर	सामु. स्वा. केन्द्र जैजैपुर	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	0	
		विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	
		विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	1	
जैजैपुर		विशेषज्ञ शिशुरोग	1	0	
		पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना	1	0	
		अस्थिरोग विशेषज्ञ	1	0	
		चिकित्सा अधिकारी	3	3	
		चिकित्सा अधिकारी हाटबाजार	1	0	
	प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1	0	
	प्राथ.स्वा.केंद्र हसौद	चिकित्सा अधिकारी	1	1	
	प्राथ.स्वा.केंद्र ठठारी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	
	प्राथ.स्वा.केंद्र भोथिया	चिकित्सा अधिकारी	1	1	
डभरा	सामु. स्वा. केन्द्र डभरा	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	0	
		विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	
		विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	0	
		विशेषज्ञ शिशुरोग	1	0	
		निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0	
		चिकित्सा अधिकारी	3	4	
		चिकित्सा अधिकारी हाट बाजार	1	0	
		प्राथ.स्वा.केंद्र दुण्डी	चिकित्सा अधिकारी	1	2
		प्राथ.स्वा.केंद्र चन्द्रपुर	चिकित्सा अधिकारी	1	1

	प्राथ.स्वा.केंद्र सपोस	चिकित्सा अधिकारी	1	1
	प्राथ.स्वा.केंद्र देवरघटा	चिकित्सा अधिकारी	1	0
	प्राथ.स्वा.केंद्र कोटमी	चिकित्सा अधिकारी	1	0
मालखरौदा	सामु. स्वा. केन्द्र मालखरौदा	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	0
		विशेषज्ञ सर्जरी	1	0
		विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	0
		विशेषज्ञ शिशुरोग	1	1
		निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0
		चिकित्सा अधिकारी	2	2
		चिकित्सा अधिकारी हाट बाजार	1	0
मालखरौदा	प्राथ.स्वा.केंद्र अड़भार	चिकित्सा अधिकारी	1	1
	प्राथ.स्वा.केंद्र फगुरम	चिकित्सा अधिकारी	1	1
	प्राथ.स्वा.केंद्र घोघरी	चिकित्सा अधिकारी	1	1
	प्राथ.स्वा.केंद्र पिरदा	चिकित्सा अधिकारी	1	1
	प्राथ.स्वा.केंद्र सिंघरा	चिकित्सा अधिकारी	1	1


अनुभाग अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
 कर्मालय छत्तीसगढ़, नया रायपुर, अटल नगर



 उपसंचालक (वि.स.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़




प्रपत्र "ब"

जिला सक्ती में विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी पद स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

स्वास्थ्य संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त
सामु.स्वा.के.सक्ती	विशेषज्ञ सर्जरी	1	1	2001
	विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	1	1999
	विशेषज्ञ शिशुरोग	1	1	2022
	निश्चेतना विशेषज्ञ	1	1	1986
	अस्थिरोग विशेषज्ञ	1	1	2021
	चिकित्सा अधिकारी हाट बाजार	1	1	2022
मातृ एवं शिशु अस्पताल सक्ती	निश्चेतना विशेषज्ञ	1	1	2018
	पैथोलॉजी पीजीएमओ	1	1	2018
प्राथ.स्वा.केंद्र देवरी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	2022
प्राथ.स्वा.केंद्र बरपालीकला	चिकित्सा अधिकारी	1	1	2012
सिविल डिसपेंसरी बाराद्वार	चिकित्सा अधिकारी	1	1	2014
सामु. स्वा. केन्द्र जैजैपुर	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	1	2004
	विशेषज्ञ सर्जरी	1	1	2004
	विशेषज्ञ शिशुरोग	1	1	2004
	पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना	1	1	2004
	अस्थिरोग विशेषज्ञ	1	1	2004
	चिकित्सा अधिकारी हाटबाजार	1	1	2023
प्राथ.स्वा.केंद्र रायपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	2011
सामु. स्वा. केन्द्र डभरा	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	1	2002
	विशेषज्ञ सर्जरी	1	1	2002
	विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	1	2002
	विशेषज्ञ शिशुरोग	1	1	2002
	निश्चेतना विशेषज्ञ	1	1	2002
	चिकित्सा अधिकारी हाट बाजार	1	1	2023
	प्राथ.स्वा.केंद्र देवरघटा	चिकित्सा अधिकारी	1	1
प्राथ.स्वा.केंद्र कोटमी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	2015
सामु. स्वा. केन्द्र मालखरौदा	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	1	2001
	विशेषज्ञ सर्जरी	1	1	2001
	विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	1	अगस्त 2023 से
	निश्चेतना विशेषज्ञ	1	1	2001

	चिकित्सा अधिकारी हाट बाजार	1	1	2023
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी				
सामु. स्वा. केन्द्र सक्ती	चिकित्सा अधिकारी	1	0	30 मई 2022 से
सामु. स्वा. केन्द्र डभरा	चिकित्सा अधिकारी	1	0	2005


अनुभाग अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
 मन्त्रालय छत्तीसगढ़, नया रायपुर, अटल नगर


उपसंचालक (वि.स.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़



पारिशेष्ट - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 2156) की जानकारी

प्रपत्र

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन में आरक्षित एवं अनारक्षित पदों में कैंरी फारवर्ड (बैकलॉग) पदों की जानकारी :-

पदनाम	अनु.ज.जा.		अनु.जा.		अ.पि.व.		अना.	
	कुल पद	कुल पद में से बैकलॉग के पद	कुल पद	कुल पद में से बैकलॉग के पद	कुल पद	कुल पद में से बैकलॉग के पद	कुल पद	कुल पद में से बैकलॉग के पद
प्राध्यापक	4	1	1	0	2	0	1	0
सह प्राध्यापक	16	14	5	3	1	1	0	0
सहायक प्राध्यापक	8	6	4	3	2	1	5	0


 अनुभूत अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2157) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश "क" अवधि में राज्य सरकार की योजनावार आबंटित, व्यय एवं शेष राशि की जानकारी

(राशि रुपये लाखों में)

स.क्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय	शेष
1	2	3	4	5
1	अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान	88.50	51.90	36.60
2	अशासकीय विद्यालयों को अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	20400.00	13474.06	6925.94
3	अशासकीय संस्थाओं को अंशदान	11044.00	9600.60	1443.40
4	अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्ति	290.00	0.00	290.00
5	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1413.86	976.87	436.99
6	आश्रम और शालाएं	9861.38	8729.90	1131.48
7	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	352817.67	318515.39	34302.28
8	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	119270.26	98997.89	20272.37
9	कन्या शिक्षा परिसर	1964.82	1727.54	237.28
10	खेल कूद तथा गतिविधियों पर व्यय	1100.00	607.69	492.31
11	गुरुकुल विद्यालय	386.30	387.50	-1.20
12	छात्राओं का गणवेश-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	7650.00	0.00	7650.00
13	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	12049.91	9606.92	2442.99
14	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	2280.11	3515.76	-1235.65
15	नेशनल फाउन्डेशन फार टीचर्स वेलफेयर फंड के लिये	10.00	0.00	10.00
16	प्रशासन की सुदृढीकरण विकासखण्ड स्तर	5567.24	4625.31	941.93
17	प्राथमिक शालाएं	206053.03	199553.04	6499.99
18	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएं - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	374.30	304.65	69.65
19	महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा	129.80	130.00	-0.20
20	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	15000.00		15000.00
21	माध्यमिक शालाएं - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	236163.14	219396.91	16766.23
22	माध्यमिक शालाएं	213950.84	209104.21	4846.63

स.क्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय	शेष
1	2	3	4	5
23	राज्य छात्रवृत्तियां	14000.10	5789.93	8210.17
24	राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस.सी.ई.आर.टी.) का पुनर्गठन	873.41	875.60	-2.19
25	राष्ट्रीय सैन्य दल	2857.00	2149.74	707.26
26	लोक शिक्षण संचालनालय	1783.50	1601.40	182.10
27	विकास खण्ड स्तर कार्यालय के स्थापना - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	5424.11	4466.80	957.31
28	संस्कृत शालाएं	100.00	81.12	18.88
29	सरकारी पुस्तकालय	483.00	286.37	196.63
30	सरकारी प्राथमिक शालाएं - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	278077.91	254481.46	23596.45
31	सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	1260.70	1005.64	255.06
32	स्काउट एसोसियेशन को अनुदान	100.00	100.00	0.00
33	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं	580.00	356.44	223.56
34	मदरसा बोर्ड गठन	830.00	132.00	698.00
35	संस्कृत बोर्ड गठन	370.00	148.00	222.00
36	छत्तीसगढ़ी भाषा परिषद् का गठन	1.00	0.00	1.00
37	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	7344.00	6844.00	500.00
38	सीमेट का गठन	275.60	276.10	-0.50
39	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना	490.00	157.00	333.00
40	सैनिक स्कूल की स्थापना	678.10	169.50	508.60
41	योग प्रशिक्षण	30.00	30.00	0.00
42	शिक्षकों को पुरस्कार	97.72	74.41	23.31
43	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	11484.72	7587.29	3897.43
44	गायन विद्यालयों को अनुदान	40.00	40.00	0.00
45	ई - लर्निंग योजना	200.00	200.00	0.00
46	उत्कृष्ट शाला संचालन	87000.10	56662.66	30337.44
47	विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना	150.00	0.00	150.00
48	विश्व बैंक परियोजना चाक	40000.00	0.00	40000.00
49	राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	100.00	0.00	100.00
50	एजुसेट कार्यक्रम	39.80	39.80	0.00
51	टायपिंग बोर्ड का गठन	30.00	9.35	20.65
52	राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन	50.00	44.36	5.64
53	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	150.00	0.00	150.00
54	राज्य साक्षरता कार्यक्रम	328.00	328.00	0.00
55	पुस्तकायल योजना	203.50	8.50	195.00
56	प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा	82.00	62.60	19.40
57	विशेष पिछड़ी जन जाति आश्रम	28.30	28.50	-0.20

स.क्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय	शेष
1	2	3	4	5
58	कोटा (राजस्थान) में छात्रावास निर्माण	25.00	0.00	25.00
59	युवा कैरियर निर्माण योजना	53.00	0.00	53.00
60	मॉडल स्कूल योजना	3076.00	2825.38	250.62
61	विज्ञान केन्द्र की स्थापना	100.10	0.00	100.10
62	शिक्षकों का वेतन	3200.00	2069.93	1130.07
63	मुख्यमंत्री अमृत योजना	571.00	239.69	331.31
64	संभागीय कार्यालय	871.00	831.12	39.88
65	सेन्ट्रल लायब्रेरी	16610.00	152.60	16457.40
66	छात्रवृत्तियां	600.00	0.00	600.00
67	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	480.00	480.00	0.00
68	राज्य प्रशिक्षण योजना	0.10	0.00	0.10
69	विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार	300.10	0.00	300.10
70	अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	8720.00	0.00	8720.00
71	शिक्षा आयोग का गठन	25.10	10.04	15.06
72	एकीकृत अम्ब्रेला योजना	5300.20	0.00	5300.20
73	इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	100020.00	41849.84	58170.16
74	शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण	200.00	0.00	200.00
	योग	1813559.33	1491801.31	321758.02

अनुभाग अधीक्षक
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पारिशेष - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2160) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र खुज्जी में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी 2024 तक मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अतर्गत स्वीकृत शालाओं की जानकारी।

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य राशि रु. लाख में	निर्माण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रारम्भ/अप्रारम्भ)
1	5	4	6	8	9	10
1	2021-22		— निरंक —			
2	2022-23	छुरिया	शास.माध्य.शाला पिनकापार	भवन मरम्मत कार्य	6.55	अपूर्ण
3	2022-23	छुरिया	शास.माध्य.शाला सह हाई स्कूल तेलीनबांधा	भवन मरम्मत कार्य	6.55	अपूर्ण
4	2022-23	छुरिया	शास.माध्य.शाला सह हाई स्कूल शिकारीमहका	छत मरम्मत, फर्श मरम्मत कार्य	4.00	पूर्ण
5	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला मोरकुटुब	छत फर्श मरम्मत कार्य	1.00	पूर्ण
6	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला पंडरापानी	छत फर्श मरम्मत कार्य	1.00	पूर्ण
7	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला बेंदाड़ी	छत फर्श मरम्मत कार्य	1.00	पूर्ण
8	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला ब्राम्हण मासूल	छत फर्श मरम्मत कार्य	1.00	पूर्ण
9	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला चंदिया	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	2.13	पूर्ण
10	2022-23	छुरिया	शासकीय माध्यमिक शाला (एसएसए) परेवाडीह	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	2.00	पूर्ण
11	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला कोलियारी	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
12	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला गहिराभेड़ी	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	0.90	पूर्ण
13	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला भेजराटोला	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
14	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला (एसएसए) किदकड़ी	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
15	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला नागरकोहरा	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.50	पूर्ण
16	2022-23	छुरिया	शासकीय माध्यमिक शाला (एसएसए) नागरकोहरा	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.35	पूर्ण
17	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला दुर्बंजारी	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.50	पूर्ण
18	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला रामतराई	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य राशि रु. लाख में	निर्माण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रारम्भ/अप्रारम्भ)
1	5	4	6	8	9	10
19	2022-23	छुरिया	शासकीय माध्यमिक शाला (एसएसए) शिकारीटोला	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
20	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला एमेटा	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
21	2022-23	छुरिया	शासकीय एच.एस.एस. बखुरुटोला	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
22	2022-23	छुरिया	शासकीय माध्यमिक शाला भोलापुर	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
23	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला घुपसाल	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.50	पूर्ण
24	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला पदमटोला	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
25	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला केशोटोला	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.30	पूर्ण
26	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला गिधवाभार	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.50	पूर्ण
27	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला गेरुघाट	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.20	पूर्ण
28	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला आमगांव	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
29	2022-23	छुरिया	शासकीय माध्यमिक शाला (एसएसए) संबलपुर	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
30	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला खपराभात	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.50	पूर्ण
31	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला मतारा खुज्जी	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
32	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला नरेटीटोला	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
33	2022-23	छुरिया	शासकीय माध्यमिक शाला (एसएसए) सागर	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
34	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला चोरबंजारी	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.45	पूर्ण
35	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला कुबराडीह	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
36	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला हलादुला	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
37	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला चिंदी बिरही	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
38	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला (एसएसए) बागनदी	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
39	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला (एसएसए) लुङकाबोड	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
40	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला (एसएसए) ग्वालडंड	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण


क्र.	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य राशि रु. लाख में	निर्माण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रारम्भ/अप्रारम्भ)
1	5	4	6	8	9	10
41	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला (एसएसए विखलाकासा टोला	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.00	पूर्ण
42	2022-23	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला घुपसाल	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	1.50	पूर्ण
43	2022-23	छुरिया	शासकीय माध्यमिक शाला घुपसाल	मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	2.00	पूर्ण
44	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला पटानढोड़गी	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
45	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला दतरेंगाटोला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
46	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला खोराटोला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
47	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला लालूटोला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
48	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला हाटबंजारी	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
49	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला भकुरा	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
50	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला पांडेटोला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
51	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला बिटाल	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
52	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला बिटाल	2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.20	अपूर्ण
53	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला पेंड़ीडीह	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
54	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला गोपालपुर	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
55	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला झालाटोला	2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.20	अपूर्ण
56	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला मासूल	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
57	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला फगडूटोला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
58	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला मातेखेड़ा	2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	11.30	अपूर्ण
59	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला फाफामार	2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.20	अपूर्ण
60	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला पथराटोला	2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.20	अपूर्ण
61	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला जौंधरा	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
62	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला लाममेटा	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
63	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला मुंजालकला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य राशि रु. लाख में	निर्माण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रारम्भ/अप्रारम्भ)
1	5	4	6	8	9	10
64	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला मुंजालपाथरी	2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.20	अपूर्ण
65	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला चिरचारीखुर्द	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
66	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला चिरचारीखुर्द	मैदान समतलीकरण कार्य	5.59	अपूर्ण
67	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला भंडारीभरदा	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
68	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला जनकपुर	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
69	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला नुनहाटोला (फाफामार)	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
70	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला मालडोंगरी	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
71	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला रामतराई	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
72	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला खुर्सीटिकुल	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
73	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला गिदरी	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
74	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला साल्हेटोला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
75	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला बोईरडीह	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
76	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला करमरी	2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.20	अपूर्ण
77	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला बादराटोला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
78	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला गोडलवाही	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
79	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला दानीटोला	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
80	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला उमरवाही	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	अपूर्ण
81	2023-24	छुरिया	शास.माध्य.शाला बेलरगोंदी	4 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	32.20	अपूर्ण
82	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला पांगरीकला	3 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	24.20	अपूर्ण
83	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला खुर्सीपार	3 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	24.20	अपूर्ण
84	2023-24	छुरिया	शासकीय मिडिल स्कूल (अंग्रेजी मीडियम) छुरिया	2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.20	छत पूर्ण
85	2023-24	छुरिया	शासकीय प्राथमिक शाला खुट्टहा छुरिया	1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.07	छत पूर्ण

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य राशि रु. लाख में	निर्माण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रारम्भ/अप्रारंभ)
1	5	4	6	8	9	10
86	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय डुमरघुचा	छट जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
87	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय चौकी	जीर्णोद्धार कार्य	1.70	अप्रारंभ
88	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय (एसएसए) मेरेगांव (चौकी)	छट जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
89	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय हथिकनहर	जीर्णोद्धार निरुशक्त शौचालय	0.30	अप्रारंभ
90	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय (एसएसए) सिराभाठा	छट जीर्णोद्धार	1.83	अप्रारंभ
91	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय केसला	जीर्णोद्धार	0.66	अप्रारंभ
92	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय सिरमुण्डा	अतिरिक्त कक्ष	8.07	अप्रारंभ
93	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय कन्हे	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
94	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय भदसेना	जीर्णोद्धार शौचालय	0.31	अप्रारंभ
95	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय मोहगांव	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
96	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय पाण्डुटोला	जीर्णोद्धार शौचालय	0.31	अप्रारंभ
97	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय लताकोडो	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
98	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मिडिल स्कूल (एसएसए) हलमकोडो	जीर्णोद्धार बालक शौचालय	0.26	अप्रारंभ
99	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय मरारटोला	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
100	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय झिटिया	अतिरिक्त कक्ष	4.71	अप्रारंभ
101	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय चिल्हाटी	रसोई कक्ष निर्माण	2.00	अप्रारंभ
102	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. एच.एस.एस. चिल्हाटी	जीर्णोद्धार	1.50	अप्रारंभ
103	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय (एसएसए) साल्हे कुसुमकासा	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
104	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. हाई स्कूल पेंडाल कुही के साथ मिडिल स्कूल	निःशक्त शौचालय मरम्मत	0.30	अप्रारंभ
105	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय सिंगरायटोला	अतिरिक्त कक्ष	8.07	अप्रारंभ
106	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय (एसएसए) ओटेबंधा	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
107	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मिडिल स्कूल माके	जीर्णोद्धार कार्य	2.30	अप्रारंभ

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य राशि रु. लाख में	निर्माण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रारम्भ/अप्रारम्भ)
1	5	4	6	8	9	10
108	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय मके	अतिरिक्त कक्ष	8.07	अप्रारंभ
109	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय (एसएसए) इंदिरा आवास सिंघाभेड़ी	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
110	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय जुन्टरगुंडरा	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
111	2023-24	अ.चौकी	माध्य. विद्यालय (एसएसए) मंगटोला	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
112	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. अनुसूचित जाति बालक आश्रम हज्जुटोला	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
113	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय राजा टोला	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
114	2023-24	अ.चौकी	प्राथमिक विद्यालय रैनु टोला	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
115	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय (एसएसए) रेनुटोला	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
116	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मिडिल स्कूल (एसएसए) बितल	जीर्णोद्धार कार्य	2.30	अप्रारंभ
117	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय हांडी टोला	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
118	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय हांडीटोला	जीर्णोद्धार	0.80	अप्रारंभ
119	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय (एसएसए) मालगम्पारा (हांडीटोला)	जीर्णोद्धार कार्य	1.70	अप्रारंभ
120	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय कहाड़ कासा	अतिरिक्त कक्ष/निःशक्त शौचालय/बालक शौचालय	8.63	अप्रारंभ
121	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. एच.एस.एस. रेंगाकथेरा	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
122	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय केकतीटोला	छट जीर्णोद्धार/जीर्णोद्धार	3.53	अप्रारंभ
123	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय होंडीटोला	अतिरिक्त कक्ष	4.71	अप्रारंभ
124	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक शाला खुर्सीपार	रसोई कक्ष निर्माण/अतिरिक्त कक्ष	10.00	अप्रारंभ
125	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक बालक विद्यालय दौटोला	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
126	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मिडिल स्कूल (एसएसए) एच.एस.एस. के साथ दौटोला	जीर्णोद्धार काया	2.30	अप्रारंभ
127	2023-24	अ.चौकी	22090209501 – सरकार। प्राथमिक विद्यालय बारामुंडी	जीर्णोद्धार शौचालय	0.31	अप्रारंभ
128	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय अतर्रा	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
129	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय बहोरन भेड़ी	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य राशि रु. लाख में	निर्माण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रारम्भ/अप्रारंभ)
1	5	4	6	8	9	10
130	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय थूहाडाबरी	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
131	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. हाई स्कूल तुहाडाबरी के साथ मिडिल स्कूल	जीर्णोद्धार	2.50	अप्रारंभ
132	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय ठेठवार लझिया	छट जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
133	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय (एसएसए) नीचेटोला	जीर्णोद्धार/पीएस जीर्णोद्धार कार्य	3.20	अप्रारंभ
134	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय शिकारी टोला	जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष	9.77	अप्रारंभ
135	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय जदुटोला	जीर्णोद्धार शौचालय	0.31	अप्रारंभ
136	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. एच.एस.एस. जादूटोला	अतिरिक्त कक्ष	8.07	अप्रारंभ
137	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय बांधाबाजार	जीर्णोद्धार शौचालय	0.31	अप्रारंभ
138	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय ब्राह्मण भेदी	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
139	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय मझीटोला	अतिरिक्त कक्ष/जीर्णोद्धार	9.77	अप्रारंभ
140	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय किलारगोंडी	रसोई कक्ष निर्माण	1.65	अप्रारंभ
141	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय तेलीटोला	अतिरिक्त कक्ष/छत् जीर्णोद्धार	9.90	अप्रारंभ
142	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. एच.एस.एस. लड़कों की चौकी	हाई स्कूल मराम्मट	26.30	अप्रारंभ
143	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय जरहाटोला	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
144	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. प्राथमिक विद्यालय हज्जू टोला	जीर्णोद्धार	1.70	अप्रारंभ
145	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मिडिल स्कूल (एसएसए) डोंगरगांव	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ
146	2023-24	अ.चौकी	शासकीय. मध्य विद्यालय रेंगाकठेरा	जीर्णोद्धार	2.30	अप्रारंभ



 अनुमान अशियावरी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - सनतावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2161) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	शासकीय महाविद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जिला	कार्य का नाम	मद	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत आदेश व दिनांक	स्वीकृत वर्ष	भौतिक प्रगति फर-2024 की स्थिति में
1	शासकीय आदर्श महाविद्यालय सोमनी जिला राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	प्रवेश द्वार, बाउण्ड्रीवाल, पहुंच मार्ग, बास्केटबाल कोर्ट आदि कार्य (रुसा मद से)	रुसा मद	79.73	f-15-2/2015/38-1date 14/07/2023	2023-24	निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	शास. महा. मोहला जिला राजनांदगांव	मोहला	राजनांदगांव	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	शासकीय मद	116.87	f-3-6/2023/38-1date 22/03/2023	2022-23	निविदा प्रक्रियाधीन
3	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर जिला राजनांदगांव	मानपुर	राजनांदगांव	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	शासकीय मद	113.80	f-3-30/2021/38-1date 02/11/2021	2021-22	पूर्ण
4	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर जिला राजनांदगांव	मानपुर	राजनांदगांव	छात्रावास भवन कन्या-बालक निर्माण	शासकीय मद	545.62	f-3-21/2021/38-1date 13/10/2021	2021-22	फीनिशिंग प्रक्रियाधीन

टीप :- सरल क्रं. 2, 3, 4 वर्तमान में मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी के अंतर्गत शामिल है।



अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अठल नगर, नवा रासपुर (छ.प्र.)


पारोशेष्ट - अनठावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2163) की जानकारी

प्रपत्र

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु अधिकृत निजी अस्पतालों की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	अस्पताल का प्रकार	अस्पताल का नाम
1	बालोद	निजी	श्री नरसिंग हॉस्पिटल, सरयु प्रसाद स्टेडियम के पास, गंजपारा बालोद, ब्लॉक- बालोद, जिला- बालोद, छ.ग.
2	बालोद	निजी	स्वास्थ्य संचय, चिनार कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, सदर बाजार, बालोद, ब्लॉक-बालोद, जिला-बालोद छ.ग.
3	बालोद	निजी	उम्मीद हेल्थ केयर हॉस्पिटल, बस स्टेड सिवनी, बालोद जिला-बालोद
4	डोंडी	निजी	कमला हॉस्पिटल, मानपुर चौक, दल्लीराजहरा, बालोद छ.ग.
5	डोंडी	निजी	पुष्पा हॉस्पिटल, मेन रोड, दल्लीराजहरा, ब्लॉक-डोंडी, जिला-बालोद
6	डोंडी	निजी	शहीद हॉस्पिटल, कोडे रोड दल्ली राजहरा, ब्लॉक-डोंडी, जिला-बालोद छ.ग.
7	डोंडी लोहारा	निजी	समता हॉस्पिटल, राजनांदगाँव रोड डोंडीलोहारा, ब्लॉक-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद छ.ग.
8	गुण्डरदेही	निजी	शिवालय हेल्थकेयर, पता- राजेन्द्र पेट्रोल पम्प, अर्जुदा चौक, गुंडरदेही, ब्लॉक- गुंडरदेही, जिला- बालोद छ.ग.


अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रास्ता, अटल नगर


उपसंचालक (वि.सभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परोशेष्ट - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2165) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में संचालित शासकीय महाविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	शासकीय महाविद्यालय की संख्या	निजी महाविद्यालय की संख्या
1	रायपुर	22	52
2	बलौदाबाजार	11	2
3	गरियाबंद	8	6
4	महासमुन्द	14	7
5	धमतरी	9	7
6	दुर्ग	21	43
7	बेमेतरा	13	1
8	बालोद	16	6
9	राजनांदगांव	13	10
10	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	6	0
11	मोहला मानपुर अं. चौकी	6	0
12	कबीरधाम	10	4
13	कांकेर	10	1
14	बस्तर	9	3
15	कोण्डागांव	8	0
16	नारायणपुर	3	0
17	दन्तेवाड़ा	6	1
18	सुकमा	4	0
19	बीजापुर	6	0
20	बिलासपुर	17	42
21	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	4	1
22	मुंगेली	10	9
23	जांजगीर-चांपा	11	27
24	सक्ती	8	14
25	कोरबा	15	12
26	रायगढ़	13	31
27	सारंगढ़ बिलाईगढ़	6	8
28	जशपुर	12	6
29	सरगुजा	10	11
30	सूरजपुर	11	3
31	बलरामपुर	11	3
32	कोरिया	5	1
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	7	3
योग :-		335	314


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य शैक्षणिक स्टाॅफ के स्वीकृत व रिक्त पद की जानकारी

क्र.	विधानसभा का नाम	शासकीय महाविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	संजारी बालोद	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद (छ.ग.)	प्राचार्य (स्नातकोत्तर)	1	0	1
			प्राध्यापक	8	0	8
			सहायक प्राध्यापक	41	18	23
			योग	50	18	32
2	संजारी बालोद	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	10	6	4
			योग	11	6	5
3	संजारी बालोद	स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरुर जिला-बालोद (छ.ग.)	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	18	9	9
			योग	19	9	10
4	संजारी बालोद	मदन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला जिला-बालोद (छ.ग.)	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			प्राध्यापक	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	15	5	10
			योग	17	5	12
5	संजारी बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय बासीन जिला-बालोद (छ.ग.)	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	12	1	11
			योग	13	1	12
			महायोग	110	39	71

नोट- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध महाविद्यालय स्तर से अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था की जाती है।


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)


परीशेष्ट - साठ


अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 2170) की जानकारी

प्रपत्र

कार्य एवं व्यय राशि की वर्षवार जानकारी

क.	वित्तीय वर्ष	वेतन	दवाई	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	साफ- सफाई	बिजली एवं नल	रिपेयरिंग एवं मेन्टेनेंस	अन्य आकस्मिक कार्यों में व्यय
1	2021-22	58500	0	18050	27150	33012	220247	48079
2	2022-23	51300	8860	41044	54683	298920	234030	109219
3	2023-24 (20.01.24 तक)	377000	111146	109329	30880	212573	1088404	305735


 अनुभाग अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया दयपुर, अटल नगर



 उप संचालक
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़


पारिशेष - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 2176) की जानकारी

प्रपत्र

स. क्र.	प्रतिनियुक्ति से पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी	वर्तमान प्रतिनियुक्ति का पद	मूल पद	पदस्थापना तिथि
1	श्री ए.के.सारस्वत	उप सचिव	प्राचार्य (ई संवर्ग)	17.10.2022
2	श्री राजेश पाण्डेय	सहायक सचिव	व्याख्याता (टी संवर्ग)	23.08.2019
3	श्री संजय चतुर्वेदी	कक्ष अधिकारी	व्याख्याता (टी संवर्ग)	21.08.2017
4	श्री संदीप शर्मा	कक्ष अधिकारी	प्रधान पाठक(पू.मा.शा.) (ई संवर्ग)	03.08.2012
5	डॉ. अनीता आचार्या	कक्ष अधिकारी	उ.श्रे.शि.(एल.बी.टी संवर्ग)	24.02.2020
6	श्री सी.एल.साहू	व्याख्याता	व्याख्याता (ई संवर्ग)	29.08.2017
7	श्री संजय कुमार सिंहदेव	व्याख्याता	शिक्षक (ई संवर्ग)	19.09.2013
8	श्रीमती सुनीता भरतद्वाराज	व्याख्याता	व्याख्याता (ई संवर्ग)	31.08.2019
9	श्रीमती अंजली तिवारी	सहायक ग्रेड-1	शिक्षक (ई संवर्ग)	05.01.2023


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर


उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़


पारोशेष्ट - बैसठ


अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 2177) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

कसडोल विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया, कुष्ठ रोग, एनीमिया, क्षय रोग एवं अन्य बीमारी का उपचार एवं वर्षवार जानकारी

बीमारी का नाम	2021	2022	2023
मलेरिया	24	17	51
कुष्ठ	80	103	89
एनीमिया	5075	6147	5521
क्षय रोग	450	537	522
अन्य बीमारी	32716	52587	53499


अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र 'ब'

वर्ष 2021				
ब्लांक का नाम	हाट बाजार शिविर का नाम	विधानसभा का नाम	कुल आयोजित शिविर की संख्या	लाभान्वित मरीजों की संख्या
बलौदाबाजार	करदा	कसडोल	29	974
	कारी		29	981
	तुरमा		32	1066
कसडोल	बम्हनी		26	940
	मडकडा		25	1160
	टेमरी		24	1033
पलारी	गबौद		31	1140
	गोडा		29	941
	सहडा		26	878
	साराडीह		24	720
	सेमरिया		29	952
	तिल्दा		29	1236
वर्ष 2022				
ब्लांक का नाम	हाट बाजार शिविर का नाम	विधानसभा का नाम	कुल आयोजित शिविर की संख्या	लाभान्वित मरीजों की संख्या
बलौदाबाजार	करदा	कसडोल	50	4805
	कारी		48	5019
	तुरमा		45	4719
कसडोल	बम्हनी		47	4799
	छांछी		45	4719
	मडकडा		47	5248
	टेमरी		43	4286
पलारी	छेरकापुर		46	4227
	गबौद		1	163
	गोडा		45	4184
	सहडा		44	3709
	साराडीह		45	2585
	सेमरिया	44	1282	
	तिल्दा	39	2921	

वर्ष 2023					
क्रमांक	ब्लांक का नाम	हाट बाजार शिविर का नाम	विधानसभा का नाम	कुल आयोजितशिविर की संख्या	लाभान्वित मरीजों की संख्या
1	बलौदाबाजार	डमरू	कसडोल	39	3367
2		करदा		43	4708
3		कारी		43	4501
4		लाहौद		40	5793
5		मरदा		37	3133
6		सरखोर		40	4698
7		तुरमा		43	2514
8	कसडोल	बम्हनी		38	3152
9		छांछी		38	2803
10		हटौद		34	3190
11		कटगी		34	2378
12		मडकडा		31	2570
13		टेमरी		31	1645
14	पलारी	बांसबिनौरी		38	3589
15		भवानीपुर		36	3141
16		छेरकापुर		44	3993
17		गातापार		5	526
18		गिदपुरी		32	2656
19		गोडा		34	3088
20		जर्वे		36	2597
21		कोसमंदी		32	2219
22		कुसमी		32	2648
23		लच्छनपुर		4	266
24		सहडा		39	3270
25		सलौनी		32	3644
26		साराडीह		38	3074
27		सेमरिया		2	51
28		तिल्दा		39	3412

अनुमन अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
प्रशासनिक, नवा रायपुर, अटल नगर

उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं
छत्तीसगढ़


परिशेष - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 2185) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में विगत 03 वर्षों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किये गये विकास कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य स्थल का नाम व जिला	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	स्वीकृत वर्ष	पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ	कार्य पूर्णता की तिथि
1	चंदखुरी (रायपुर)	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रथम चरण - रिटेनिंग वॉल घाट डेवलपमेंट एवं 4 कियोस्क (पेगोडा), प्रशासनिक ऑफिस, पब्लिक टॉयलेट, ज्योत हॉल, ब्रिज, एप्रोच रोड एवं फैंसिलिटी, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, तालाब, लैंड स्केपिंग एंड फैंसिंग, इलेक्ट्रिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत द्वितीय चरण - तालाब गहरीकरण, रिटेनिंग वॉल, पीचिंग एवं घाट डेवलपमेंट, छोटा प्रवेश द्वार, साइनेजेस, दीप स्तंभ, श्रीराम स्टेच्यू, स्लुइस गेट स्वीकृत।	856.00	2020	कार्य पूर्ण	-
		राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत तृतीय चरण - एलईडी ब्राडिंग, कियोस्क, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, स्टेज, पार्किंग डेवलपमेंट, रिटेनिंग वॉल, प्रिफेब माड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रिकेशन, टायलेट-2, एक्सटरनल प्लंबिंग, इंटरनल प्लंबिंग, यज्ञशाला, ओवरहेड टैंक, कॉटेज एंड डोरमेट्री, टेपल क्लैडिंग, डिपनिंग एवं डी स्लाइटिंग पोण्ड-2 स्वीकृत, एप्रोच रोड बाउंड्रीवॉल, एक्सटरनल प्लंबिंग	758.00	2021	कार्य पूर्ण	-
		राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत लाईट, वॉटर एण्ड सारुड शो कार्य	994.00	2021	अपूर्ण	मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
		राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रथम चरण - घाट सौंदर्यीकरण, रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर/ कैफेटेरिया, साइनेजेस कम्पौनेट, इंटरनल प्लंबिंग, प्रशासनिक कार्यालय, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, पार्किंग, पब्लिक शौचालय निर्माण, प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण एवं शबरी माता की मूर्ति स्वीकृत।	988.00	2021	कार्य पूर्ण	-
2	शिवरीनारायण (जांजगीर चांपा)		756.00	2020	कार्य पूर्ण	-


अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

5	राजिम (गरियाबंद/ धमतरी)	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत छोटा प्रवेश द्वार, विविंग डेस्क कियोस्क, प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, घाट वाकवे डेवलपमेंट, पब्लिक टॉयलेट, पर्यटन सूचना केन्द्र, साइनेजेस, इलेक्ट्रिकेशन, पार्किंग, बाउंड्रीवाल के कार्य एलइडी ब्राण्डिंग, सीटी फेसलिपिटिंग, लोमश-ऋषि आश्रम, लैण्डस्केपिंग, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, लोमश ऋषि आश्रम, प्रवेश द्वार प्रिफैब माड्यूलर शॉप, साइनेजेस	1933.00	2021	कार्य पूर्ण। शेष कार्य अपूर्ण।	मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
6	तुरतुरिया (बलौदाबाजार)	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रवेश द्वार, गार्डन कियोस्क, पब्लिक टायलेट स्माल, पर्यटक सूचना केन्द्र, पब्लिक एप्रोच रोड एवं फेसिलिटी, डीसमेंटलिंग एवं मेनटेनेंस वर्क, साइनेजेस, लैंड स्केपिंग, आश्रम कॉम्प्लेक्स अपग्रेडेशन वीथ अप स्टेयर्स, इलेक्ट्रिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, चैन लिंक फौसिंग, साम्य वेल(4) के कार्य स्वीकृत। दामाखेड़ा में कबीर सागर तालाब का सौंदर्यीकरण।	476.00	2021	शेष कार्य अपूर्ण।	मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
7	रामगढ़ (सरगुजा)	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत ब्यूइंग डेस्क कियोस्क, पब्लिक टायलेट, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, रामायणा इंटरप्रिडेशन सेंटर, दीप स्तंभ, प्रभु श्रीराम स्टेच्यु, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट वर्क, डिसमेंटलिंग एवं मेनटेनेंस, एलइडी ब्रांडींग, इलेक्ट्रिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, बाउंड्रीवाल एंड फौसिंग, काटेज एवं डोरमेटी कार्य स्वीकृत। प्रवेश द्वार	2243.40	2021	अपूर्ण	31 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
8	जगदलपुर (बरतर)	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत दलपत सागर - छोटा प्रवेश द्वार, कियोस्क, पब्लिक रोड एंड फेसिलिटी, टूरिस्ट इनफार्मेशन सेंटर, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रिकेशन, माड्यूलर शॉप, साइनेजेस काम्पौणेंट, एलइडी ब्रांडींग, दीप स्तंभ, सेनिटरी फिक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूब वेल एंड रेनवाटर हार्वेस्टिंग, टोवर हेड टैंक	628.00	2021	कार्य पूर्ण।	-
			453.00	2023	अपूर्ण	कलेक्टर जगदलपुर द्वारा क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



अनुभार्गा अविक्रारी
पर्यटन विभाग
पत्रालय, नया रायपुर

9	चित्रकोट	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत चित्रकोट - छोटा प्रवेश द्वार, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, स्माल पब्लिक टायलेट, टैंक इन कैम्पींग साइट, कियोस्क, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट, साइनेजेस काम्पोनेंट, लैंडस्कोपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सैनिटरी फिक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूब वेल एंड रेनवाटर हार्वैस्टिंग, ओवर हैड टैंक, बाउंड्री वाल	491.00	2023	अपूर्ण	कलेक्टर जगदलपुर द्वारा क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
10	तीरथगढ़	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत तीरथगढ़ - प्रवेश द्वार, पब्लिक टॉयलेट, इंटरनल प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, पब्लिक एप्रोच रोड का विकास, साइनेजेस, लैंडस्कोपिंग फेन्सिंग के साथ, बोरवेल	91.00	2023	अपूर्ण	कलेक्टर जगदलपुर द्वारा क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
11	रामाराम (सुकमा)	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत स्मॉल गेट इंट्रेस, पब्लिक टॉयलेट, स्मॉल, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, साइनेजेस काम्पोनेंट्स, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रीफिकेशन, प्लम्बिंग एवं सैनेटरी फिक्चर, ओवर हैड टैंक, दीप स्तम्भ, लैंडस्कोपिंग, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट, बाउंड्री वाल, किओस्क	485.00	2021	कार्य पूर्ण	-
12	चम्पारण्य (रायपुर)	राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत छोटा प्रवेश द्वार, पब्लिक टायलेट, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, पैगोड़ा/गजीबो, लैंडस्कोपिंग, बाउंड्रीवाल/चेन लिंक फेन्सिंग, दीप स्तम्भ, श्री रामजी स्टेच्यू, इलेक्ट्रीकल, प्लम्बिंग 12 कार्य	358.00	2022	कार्य पूर्ण	-
13	कैलाश गुफा, जिला जशपुर	ट्यूबवेल, रेलिंग एवं सीटिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण।	16.79	2023	अपूर्ण	31 मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
14	खुड़िया रानी, जिला जशपुर	सैप्टिक टैंक, ट्यूब वेल, महिला/पुरुष शौचालय, विद्युतीकरण, सोलर लाईट सिस्टम, सीटिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण।	14.99	2023	अपूर्ण	31 मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
15	चुतरा दरगाह, बिलासपुर	मुसाफिर खाना का निर्माण।	30.00	2023	अपूर्ण	30 जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग

16	प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़, जिला राजनांदगाँव	प्रज्ञागिरी परिसर के नीचे स्टेज में शेड निर्माण कार्य।	15.00	2023	पूर्ण	-
17	ग्राम पेण्डी, जिला राजनांदगाँव	ऐतिहासिक कबीर मंदिर/आश्रम परिसर में धर्मशाला निर्माण।	5.00	2023	अपूर्ण	फरवरी 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
18	डोंगरगढ़, जिला राजनांदगाँव	प्रसाद योजना के अंतर्गत मां बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास परियोजना में निम्नानुसार अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गयी - ● प्रज्ञागिरी में मेडिटेशन सेंटर में एलिवेशन संशोधन हेतु ● प्रज्ञागिरी में इलेक्ट्रीकल/ए.सी./सी.सी.टी.वी./फायर फाईटिंग एवं अलार्म/ट्रंसफार्मर हेतु। ● पिलग्रीम फेसिलिटीशन सेंटर में इलेक्ट्रीकल/एच.वी.ए.सी./फायर फाईटिंग हेतु। ● पिलग्रीम फेसिलिटीशन सेंटर में अर्थ वर्क (कॉटिंग फिलिंग) कार्य हेतु।	587.14	2023	अपूर्ण	कार्य पूर्णता की ओर
19	राजमेशगढ़, जिला गौरला-पेण्डी-मखरी	राजमेशगढ़ एवं उसके आस-पास क्षेत्र में शेड निर्माण, शौचालय निर्माण, रनिंग वाटर सप्लाई, सीसी रोड निर्माण एवं पाइप फेसिंग का कार्य।	37.95	2023	अपूर्ण	29.02.2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
20	ग्राम खपरी, जिला बालोद	कुकरदेव मंदिर में शौचालय निर्माण जीर्णोद्धार कार्य, सिटिंग चेयर व्यवस्था एवं सोलर प्रकाशीकरण कार्य	2.16	2023	अपूर्ण	31.03.2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
21	ग्राम नारागाँव, जिला बालोद	सियादेवी मंदिर परिसर में रेस्टिंग शेड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मोटर पंप स्थापना एवं पाइप लाइन विस्तार, महिला एवं पुरुष सामुदायिक शौचालय, मंच के सामने शेड का विस्तारीकरण कार्य	34.92	2023	अपूर्ण	30.06.2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
22	ग्राम ओनाकोना, जिला बालोद	ग्राम ओनाकोना में रेस्टिंग शेड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिटर्निंग वॉल, मंदिर के अहाता का रिनोवेशन, सीटिंग बेंच एवं 03 नग साईनेज बोर्ड निर्माण।	41.79	2023	अपूर्ण	31.05.2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
23	मुंगली, जिला मुंगली	सामुदायिक भवन निर्माण। खरघाट में सामुदायिक भवन, देवगाँव में धर्मशाला एवं चकरीभाटा में धर्मशाला निर्माण निर्माण	25.00	2023	अपूर्ण	31.07.2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।



अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पारोपदेश - चौंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 2188) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

जिला-मुंगेली (पंजीकृत शासकीय अस्पताल)

क्र.	अस्पताल का नाम	चिकित्सकीय सुविधा
1	जिला चिकित्सालय मुंगेली	जनरल सर्जरी, प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, अस्थी रोग, कान व गला राग, नेत्र रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, आपातकालीन कक्ष पैकेज, शिशु रोग, बाल चिकित्सक प्रबंधन
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दशरंगपुर	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागांव चीनू	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरहागांव	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खम्हरिया	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंतेली	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साल्हेघोरी	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरसल	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालपुर	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरवारखुर्द	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राम्हेपुर एन	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुडिया	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खपरीकला	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
14	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमोरा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
15	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामबोड	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलदहा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेतगंगा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालचुआ	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज, जनरल सर्जरी
20	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटगांव	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
21	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरगांव	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
22	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पडप्परभट्टा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
23	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरेला	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
24	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी	जनरल सर्जरी, प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, अस्थी रोग, आपातकालीन कक्ष पैकेज, शिशु रोग, बाल चिकित्सक प्रबंधन
25	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवारहट	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
26	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदली	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
27	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोरपुरा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
अहमदाबाद, अहमदाबाद नगर

क्र.	अस्पताल का नाम	चिकित्सकीय सुविधा
28	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पदमपुर	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
29	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमपुर	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
30	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जगताकापा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
34	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगेली	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
35	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भठलीकला	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
36	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलखुरी	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज

जिला- मुंगेली (पंजीकृत निजी अस्पताल)

क्र.	अस्पताल का नाम	चिकित्सकीय सुविधा
1	क्रिश्चयन अस्पताल मुंगेली	जनरल सर्जरी, प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, अस्थी रोग
2	जे. के. हॉस्पिटल लोरमी	जनरल सर्जरी, प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, अस्थी रोग
3	व्ही. एस. हॉस्पिटल मुंगेली	जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी
4	अवध लाईफ केयर हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, प्रसुति एवं स्त्री रोग, अस्थी रोग
5	सिद्धार्थ हॉस्पिटल	संक्रमण रोग, अस्थी राग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
6	ए-वन हॉस्पिटल	बाल चिकित्सा प्रबंधन, शिशु रोग

Orth


अनुमान अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र 'ब'

जिला-बिलासपुर (पंजीकृत शासकीय अस्पताल)

क्र.	अस्पताल का नाम	चिकित्सकीय सुविधा
1	छ.ग. आयुर्विज्ञान (सिम्स)	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आर्थोपेडिक्स,आपातकालीन कक्ष पैकेज, जनरल सर्जरी, आन्कोलॉजी, पिडियेट्रिक,सर्जिकल आन्कोलॉजी
2	जिला अस्पताल	जनरल सर्जरी, प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, अस्थी रोग, कान व गला रोग, नेत्र रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, आपातकालीन कक्ष पैकेज, शिशु रोग, बाल चिकित्सक प्रबंधन
3	सिविल अस्पताल रतनपुर	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज, एन.आर.सी
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज,
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मस्तुरी	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज,
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तखतपुर	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज,
8	कम्पोजिट हॉस्पिटल सि.आर.पी. एफ	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
9	सेंट्रल हॉस्पिटल रेलवे बिलासपुर	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आर्थोपेडिक्स,आपातकालीन कक्ष पैकेज, जनरल सर्जरी, आन्कोलॉजी, पिडियेट्रिक,सर्जिकल
10	मेंटल हॉस्पिटल सेंदरी	मानसीक रोग प्रबंधन
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमगोहन	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमसेना	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरतोरी	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
14	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलगहना	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
15	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलपान	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलतरा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोडसरा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चकरभाटा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चपोरा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
20	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दगोरी	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
21	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दैजा	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
22	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरगाह लुथरा शरिफ	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
23	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरिघाट	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज
24	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरीखुर्द	प्रसुति एवं स्त्री रोग, जनरल मेडिसीन, आपातकालीन कक्ष पैकेज, जनरल सर्जरी



अनुभाग अधिकारी


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
जिला अस्पताल, बिलासपुर, जिला नगर


जिला-बिलासपुर (पंजीकृत निजी अस्पताल)

क्रं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सकीय सुविधा
1	आराध्या हॉस्पिटल	मेडिकल आन्कोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, इन्फेक्सियस डिजीज, जनरल मेडिसीन, सर्जिकल आन्कोलॉजी
2	आरबी हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेज, मेडिकल आन्कोलॉजी, जनरल सर्जरी, बर्न मैनेजमेंट, कार्डियोलॉजी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पॉलीट्रामा, यूरोलॉजी, ऑटोरिहिनओलारॉयनगोलॉजी, पॉलिट्रामा, नेफरोलॉजी
3	अग्रवाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेज,
4	अकुर ट्रोमा हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक्स
5	आरोग्य हॉस्पिटल	मेडिकल आन्कोलॉजी, आर्थोपेडिक्स,
6	अरपा मेडिसिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर	जनरल मेडिसीन, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथ्रोसिस एण्ड वस्कूलर सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी,
7	आर्शिवाद लेजर एंड फेको सेंटर	ऑप्थेलमोलॉजी
8	अशोक प्रसूति मंदिर	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी
9	भार्गव यूरोलॉजी सेंटर	यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट
10	बिलासपुर हॉस्पिटल	आर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, ऑटोरिहिनओलारॉयनगोलॉजी
11	बुधिया हॉस्पिटल	ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स.
12	बर्न एंड ट्रोमा रिसर्च सेंटर	बर्न मैनेजमेंट, जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक्स.
13	केयर एंड क्योर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स,
14	डॉ. मित्तल हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी
15	डा. शर्मा हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी?
16	दुबे नर्सिंग होम	ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी
17	गजानन स्मृती चिकित्सालय	आर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी
18	जी.बी. हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी होम	ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी
19	गुरुकृपा मेडिकल केयर एंड नर्सिंग होम	जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी
20	जय अंबे नर्सिंग होम	
21	जन स्वास्थ्य सहयोग	जनरल मेडिसीन, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, जनरल सर्जरी, ऑटोरिहिनओलारॉयनगोलॉजी, ऑप्थेलमोलॉजी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पॉलीट्रामा, यूरोलॉजी, मेडिकल आन्कोलॉजी,
22	जे.जे. हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी
23	जुनेजा आई हॉस्पिटल	ऑप्थेलमोलॉजी.
24	खडूजा आर्थो केयर एंड एक्सीडेंट हॉस्पिटल	आर्थोपेडिक्स.
25	किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल आन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ओरल एंड मेक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑटोरिहिनओलारॉयनगोलॉजी, ऑप्थेलमोलॉजी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पॉलीट्रामा, यूरोलॉजी, न्युरोसर्जरी, सर्जिकल आन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथ्रोसिस एण्ड वस्कूलर
26	लाडिकर हॉस्पिटल	आर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, पॉलीट्रामा, यूरोलॉजी
27	लालचंदानी हॉस्पिटल	आर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी
28	लेट के.आर. साव मेमोरियल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी
29	लाईफ केयर हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, आर्थोपेडिक्स, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, इन्फेक्सियस डिजीज
30	महादेव हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, पॉलीट्रामा, आर्थोपेडिक्स, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, ऑटोरिहिनओलारॉयनगोलॉजी, जनरल सर्जरी, एमरजेंसी रूम, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेज

क्रं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सकीय सुविधा
31	मार्क हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी,
32	मेहता चिल्ड्रन नर्सिंग होम	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस
33	मुलचंद मेमोरियल हॉस्पिटल	आर्थोपेडिक्स
34	मुंदडा हॉस्पिटल	आर्थोपेडिक्स
35	न्यु जनता हॉस्पिटल	आर्थोपेडिक्स
36	न्यु वंदना हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, पॉलीट्रामा, एमरजेंसी रूम, इन्फेक्शियस डिसीज
37	निभा मित्रा मेमोरियल हॉस्पिटल	ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी
38	नोबल मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर	जनरल मेडिसीन, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, कार्डियोलॉजी, ऑप्येलमोलॉजी.
39	न्युलाइफ हार्ट केयर	जनरल मेडिसीन, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, पॉलीट्रामा, बर्न मैनेजमेंट
40	ओंकार हॉस्पिटल	ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस, आर्थोपेडिक्स
41	ओम श्री बालाजी नर्सिंग होम	जनरल सर्जरी,
42	पेंडलवार नर्सिंग होम	ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी
43	पुजा नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल	ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक्स
44	प्रभा हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर?	आर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी
45	प्रथम हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑप्येलमोलॉजी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स
46	रेनबो हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब सेंटर	युरोलाजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसीन, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी
47	रामकृष्ण हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स
48	संजिवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	जनरल मेडिसीन, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस, मेडिकल ऑनकोलॉजी, जनरल सर्जरी, पिडियाट्रिक सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी, न्युरोसर्जरी.
49	संकल्प आई हॉस्पिटल	ऑप्येलमोलॉजी.
50	शशि मेमोरियल नर्सिंग होम	ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी,
51	शैला मल्टीस्पेस्यलिटी हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, जनरल मेडिसीन, आर्थोपेडिक्स
52	शिवा हॉस्पिटल	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस, एमरजेंसी रूम, इन्फेक्शियस डिसीज, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, ओरल एंड मेक्सिलोफेसियल
53	शिवम नर्सिंग होम एंड मेटरनिटी होम	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी
54	शिव शक्ति हॉस्पिटल	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी
55	शिवांगी हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी
56	श्री मंगला हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस, जनरल सर्जरी, ओरल एण्ड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पॉलीट्रामा, न्युरोसर्जरी, इन्फेक्शियस डिसीज
57	श्री कृष्णा हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी
58	श्री कृष्णा नेत्रालय	ऑप्येलमोलॉजी.
59	श्रीराम केयर हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पॉलीट्रामा, न्युरोसर्जरी, इन्फेक्शियस डिसीज, यूरोलॉजी
60	श्री राम हॉस्पिटल	ऑटोरिहिनओलारॉयनगोलॉजी, पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस
61	श्री साई हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसीन
62	श्री शाह न्युरो हॉस्पिटल	न्युरोसर्जरी
63	श्री शिशु भवन	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस, पिडियाट्रिक सर्जरी,
64	श्रीफ इ.एन.टी हॉस्पिटल	ऑटोरिहिनओलारॉयनगोलॉजी
65	सिंहारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजेस

क्र.	अस्पताल का नाम	चिकित्सकीय सुविधा
66	सृष्टी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजिस, पिडियाट्रिक सर्जरी
67	स्टार चिल्ड्रेन हॉस्पिटल	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजिस, पिडियाट्रिक सर्जरी
68	सुखम आरोग्यालय	जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स
69	सनशाईन हॉस्पिटल	युरोलाजी, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी
70	सुर्या हॉस्पिटल	न्युरोसर्जरी
71	उदय चिल्ड्रेन हॉस्पिटल	पिडियट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर पैकेजिस, पिडियाट्रिक सर्जरी
72	वेगस हॉस्पिटल	जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, न्युरोसर्जरी, इन्फेक्शियस डिसीज, युरोलाजी, ऑन्थेलमोलॉजी.
73	वंदना मल्टीस्पेस्यलिटी हॉस्पिटल	जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिकस एण्ड गायनेकोलॉजी, न्युरोसर्जरी,


 उप संचालक (वि.स.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
 छत्तीसगढ़


 अनुभाग अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नक्स रायपुर, अटल नगर


पारोशेष्ट - पेंसट

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 2191) की जानकारी

प्रपत्र

अंबिकापुर, कांकेर, कोरबा एवं महासमुन्द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु कुल लागत, केन्द्रांश व राज्यांश सहित, निर्माण एजेंसी की जानकारी

स्थान	निर्माण एजेंसी	केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि (राशि करोड़ में)	केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत (सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु)		रिमाक
			केन्द्रांश (राशि करोड़ में) 60%	राज्यांश (राशि करोड़ में) 40%	
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर	लोक निर्माण विभाग	सम्बद्ध चिकित्सालय के उन्नयन हेतु रु. 30.00 करोड़	18.00	12.00	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर के भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रु. 374.08 करोड़ प्राप्त है। पुनरीक्षित लागत रु. 483.49 करोड़ के प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन्द्र प्रवर्तित योजना- Establishment of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals अंतर्गत रु. 189.00 करोड़ का अनुबंध हुआ है, जिसमें केन्द्रांश रु. 113.40 करोड़ है। शेष राशि राज्य शासन को वहन करना है।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कोरबा	छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (सी.जी.एम. एस.सी.)	सम्बद्ध चिकित्सालय के उन्नयन हेतु रु. 60.00 करोड़	36.00	24.00	केन्द्र प्रवर्तित योजना- Establishment of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals Phase-III अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोरबा की स्थापना हेतु केन्द्र शासन द्वारा रु. 325.00 करोड़ की योजना स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें केन्द्रांश रु. 195.00 करोड़ तथा राज्यांश रु. 130.00 करोड़ है। स्वीकृत योजना में जिला चिकित्सालय के उन्नयन हेतु रु. 60.00 करोड़ है। नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रु. 322.85 करोड़ प्राप्त है। सम्बद्ध चिकित्सालय के उन्नयन के डीपीआर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कांकेर	छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (सी.जी.एम. एस.सी.)	सम्बद्ध चिकित्सालय के उन्नयन हेतु रु. 60.00 करोड़	36.00	24.00	केन्द्र प्रवर्तित योजना- Establishment of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals Phase-III अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कांकेर की स्थापना हेतु केन्द्र शासन द्वारा रु. 325.00 करोड़ की योजना स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें केन्द्रांश रु. 195.00 करोड़ तथा राज्यांश रु. 130.00 करोड़ है। स्वीकृत योजना में जिला चिकित्सालय के उन्नयन हेतु रु. 60.00 करोड़ है। नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रु. 321.71 करोड़ प्राप्त है। सम्बद्ध चिकित्सालय के उन्नयन के डीपीआर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, महासमुन्द	छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (सी.जी.एम. एस.सी.)	सम्बद्ध चिकित्सालय के उन्नयन हेतु रु. 60.00 करोड़	36.00	24.00	केन्द्र प्रवर्तित योजना- Establishment of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals Phase-III अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, महासमुन्द की स्थापना हेतु केन्द्र शासन द्वारा रु. 325.00 करोड़ की योजना स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें केन्द्रांश रु. 195.00 करोड़ तथा राज्यांश रु. 130.00 करोड़ है। स्वीकृत योजना में जिला चिकित्सालय के उन्नयन हेतु रु. 60.00 करोड़ है। नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रु. 321.80 करोड़ प्राप्त है। सम्बद्ध चिकित्सालय के उन्नयन के डीपीआर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।


 अनुभाग अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
 रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - छैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 2192) की जानकारी

प्रपत्र अ


जनवरी 2021 से जनवरी, 2024 तक बिलासपुर संभाग में प्रारंभ किये गये शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों की जानकारी

क्रमांक	जिला का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1	बिलासपुर	2	3	-	5	5	2
2	कोरबा	1	1	1	1	3	1
3	रायगढ़	2	1	-	6	1	4
4	जांजगीर चांपा	1	2	-	2	1	6
5	मुंगेली	-	-	1	2	1	4
6	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	-	-	-	1	1	-
7	सक्ती	-	-	-	-	1	1
8	सारंगढ़- बिलाईगढ़	-	-	-	-	1	-
	योग	6	7	2	17	14	18

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अठल नगर, लक्ष्मी रायपुर (छ.ग.)

जनवरी 2021 से जनवरी, 2024 तक बिलासपुर संभाग में प्रारंभ किये गये नवीन शासकीय महाविद्यालयों नवीन शैक्षणिक पद सृजन एवं नियुक्तियों की जानकारी

क्रमांक	पदनाम	नवीन सृजित पद संख्या	नवीन नियुक्तियों की संख्या
1	प्राचार्य	22	.
2	सहायक प्राध्यापक	257	57


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अठल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पारोक्ष - सड़सठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 2196) की जानकारी

प्रपत्र

जांजगीर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की
जानकारी

क्रं.	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम	सीट संख्या	प्रवेशित छात्र	प्रवेशित छात्रा	कुल प्रवेशित	शैक्षणिक पद		
						स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय क्रमांक 01 जांजगीर	700	331	313	644	34	30	4
2	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अकलतरा	622	298	249	547	35	27	8
3	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलौदा	650	328	270	598	37	26	11
4	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बम्हनीडीह	655	283	261	544	35	21	14
5	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पामगढ़	690	352	338	690	37	20	17
6	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चाम्पा	600	321	297	618	40	30	10
7	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारागांव	600	208	191	399	38	19	19
8	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवागढ़	620	289	203	492	48	25	23
	योग :-	5137	2410	2122	4532	304	198	106

21/2/24
उपसंचालक
45 लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकाारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
भयल रायपुर

पारोशेष्ट - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 2197) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

' (पामगढ़ विधानसभ क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सा सुविधा एवं व्यय)

क्रं.	योजना	हितग्राहियों की संख्या		
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (दिसंबर तक)
1	मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	4	6	9
2	डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	5,811	8,059	7,711

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

अनुभाष अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र 'ब'

(पामगढ़ विधानसभ क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सा सुविधा एवं व्यय)

क्रं.	योजना	राशि		
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (दिसंबर तक)
1	मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	20,57,724	19,71,969	17,75,277
2	डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	11,13,72,502	15,71,91,702	16,21,87,201


उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़


अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
संग्रहालय, नया रावपुर, अटल नगर

प्रपत्र 'स'

(पामगढ़ विधानसभ क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत अस्पताल)

क्रं.	जिला	अस्पताल का प्रकार	अस्पताल का नाम
1	जांजगीर-चांपा	शासकीय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरौद, तिवारी पारा, ब्लॉक-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
2	जांजगीर-चांपा	शासकीय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरौद पामगढ़, तह.-मापगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
3	जांजगीर-चांपा	शासकीय	सिविल डिस्पेंसरी शिवरीनारायण थाना एवं पोस्ट-शिवरीनारायण, विकासखंड नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
4	जांजगीर-चांपा	शासकीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगांव, ब्लॉक-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
5	जांजगीर-चांपा	शासकीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैंसो थाना पामगढ़, ब्लॉक-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
6	जांजगीर-चांपा	शासकीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुलमुला, ब्लॉक पामगढ़, जिला-जांजगीर चांपा, छ.ग.
7	जांजगीर-चांपा	शासकीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राहोद वार्ड नं.1 हाई स्कूल के सामने, ब्लॉक-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
8	जांजगीर-चांपा	शासकीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालखान, ब्लॉक-नवागढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
9	जांजगीर-चांपा	शासकीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केरा, शिवरीनारायण रोड़, ब्लॉक-नवागढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
10	जांजगीर-चांपा	निजी	संकल्प नेत्रालय, गुरुकृपा भवन, तहसील आफिस के पीछे, पामगढ़, जांजगीर-चांपा


 अनुभाग अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवल पुर, अटल नगर


 उप संचालक (वि.स.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़

पारोक्ष - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 2201) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत स्कूलों की संख्या

क्र.	विकासखण्ड	प्राथमिक शालाओं की संख्या	हाई स्कूलों की संख्या	हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5
1	बलौदाबाजार	164	15	30
2	भाटापारा	135	11	22
3	कसडोल	290	14	32
4	पलारी	158	18	24
5	सिमगा	143	12	26

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भद्रनदी परबल,
नया रायपुर

प्रपत्र-ब

जिला बलौदाबाजार अंतर्गत हाई स्कूलों में विषयवार स्वीकृत, कार्यरत, व रिक्त पदों की जानकारी
व्याख्याता

क्र.	हिन्दी						अंग्रेजी			गणित			संस्कृत			विज्ञान			कला					
	स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	74	29	45	75	48	27	76	67	9	65	28	37	74	48	26	74	37	26	74	37	37	18	19	

उप संचालक
शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुमान अधिकार
स्वीकृत किया गया
मंत्रालय, महानदी
नया रायपुर


परोशेष्ट - सत्तर


अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 2205) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में पदों की संवर्गवार जानकारी

प्राचार्य संवर्ग					व्याख्याता संवर्ग					शिक्षक संवर्ग					सहायक शिक्षक संवर्ग					गैरशिक्षकीय संवर्ग				
स्वीकृत	भरे				स्वीकृत	भरे				स्वीकृत	भरे				स्वीकृत	भरे				स्वीकृत	भरे			
	प्रति.	निय.	संविदा	रिक्त		प्रति.	निय.	संविदा	रिक्त		प्रति.	निय.	संविदा	रिक्त		प्रति.	निय.	संविदा	रिक्त		प्रति.	निय.	संविदा	रिक्त
36	28	0	0	8	835	416	0	250	169	413	135	0	155	123	337	76	0	145	116	390	120	0	100	170


 उपसंचालक
 लोक शिक्षण छत्तीसगढ़



 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महापति भवन,
 रायपुर

पारोशेष्ट - इकहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 2213) की जानकारी

प्रपत्र

// वर्ष जनवरी, 2019 से लेकर अक्टूबर, 2023 तक प्रदेश में घोषित नवीन शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालयों की जिलेवार जानकारी //

क्र.	जिलेवार जानकारी	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	उत्तर-बस्तर कांकेर	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कांकेर
2	महासमुंद	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, महासमुंद
3	कोरबा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोरबा
4	दुर्ग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग
5	जांजगीर-चांपा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जांजगीर-चांपा
6	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर- चिरमिरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी
7	कवर्धा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कवर्धा
8	दंतेवाड़ा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, गीदम


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पारोशेष्ट - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 2214) की जानकारी

प्रपत्र

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में मोटल्स एवं रिसोर्ट का संचालन।

तालिका - 1

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित 18 रिसोर्ट एवं मोटल्स की जिलेवार जानकारी:-

क्रं.	इकाई का नाम	जिले का नाम
1	दण्डामी लग्जरी रिसोर्ट, चित्रकोट	(बस्तर)
2	धनकुल एथनिक रिसोर्ट, कोण्डागांव,	कोण्डागांव
3	हरेली ईको रिसोर्ट मोहदा, बारनवापारा,	बलौदाबाजार
4	शैला टूरिस्ट रिसोर्ट, मैनपाट,	सरगुजा
5	कुरदर हिल ईको रिसोर्ट, कुरदर,	बिलासपुर
6	बैगा एथनिक रिसोर्ट, सरोधादादर,	कबीरधाम
7	सरना एथनिक रिसोर्ट, बालाछापर,	जशपुर
8	हिल मैना हाईवे ट्रीट, नाथियानवांगांव,	कांकेर
9	महेशपुर वे-साईड एमिनीटी,	सरगुजा
10	सतरंगा बोट क्लब एवं रिसोर्ट,	कोरबा
11	रामायणा इन्टरप्रिंटेशन सेन्टर एवं कैफेटेरिया, शिवरीनारायण	जांजगीर-चांपा
12	होटल जोहार, सिरपुर,	महासमुन्द
13	ईको हिल रिसोर्ट, कबीरचबूतरा	गौरेला पेण्ड्रा मारवाही
14	कोईनार हाईवे ट्रीट, कुनकुरी,	जशपुर
15	सोनभद्र टूरिस्ट रिसोर्ट, आमाडोब,	गौरेला पेण्ड्रा मारवाही
16	एस.टी.एफ. कैम्प रिसोर्ट, चित्रकोट,	बस्तर
17	सोनतराई मोटल, सीतापुर,	सरगुजा
18	कर्मा एथनिक रिसोर्ट, कमलेश्वरपुर	सरगुजा

तालिका - 2

निजी संस्थाओं द्वारा संचालित 17 रिसोर्ट एवं मोटल्स की जिलेवार जानकारी :-

क्रं.	इकाई का नाम	जिले का नाम
01	बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट रिसोर्ट, गंगरेल	धमतरी
02	जोहार पर्यटक विश्रामगृह, चम्पारण्य	रायपुर
03	मितान मोटल, कोडातराई	रायगढ़
04	मितान मोटल, चढ़िरमा	सरगुजा
05	मितान मोटल, सरगाँव	मुंगेली
06	मितान मोटल, कुलीपोटा	जांजगीर-चांपा
07	मितान मोटल, खपरी	दुर्ग
08	मितान मोटल, भाटागाँव	धमतरी
09	मितान मोटल, केंद्री	रायपुर
10	मितान मोटल, तूमडीबोड़	राजनांदगाँव
11	मितान मोटल, मानातूता	रायपुर
12	मितान मोटल, तीरथगढ़	बस्तर
13	मितान मोटल, कोनकोना	कोरबा
14	मितान मोटल, चिरगुड़ा	कोरिया
15	मितान मोटल, कोण्डागाँव	कोण्डागाँव
16	मितान मोटल, हारम	दंतेवाड़ा
17	मितान मोटल, कवर्धा	कबीरधाम


परोशेष्ट - तिहत्तर
अतारोकैत प्रश्न संख्या 64 (क्र. 2221) की जानकारी

प्रपत्र -- 'अ'

वर्ष 2021 से दिसम्बर 2023 तक क्रय की जानकारी

क्रं.	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर (रुपये)
1	2	3	4	5
दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक				
1	-	निरंक	-	-
दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक				
1	थाठ एप्लाइ कियेशन	भौतिकी मुद्रित शिक्षा चार्ट का सेट (आकार 55x90cm) (Set of 20)	25	2400
2		रसायन विज्ञान मुद्रित शिक्षा चार्ट का सेट (आकार 55x90cm) (Set of 20)	25	2400
3		जीव विज्ञान मुद्रित शिक्षा चार्ट का सेट (आकार 55x90cm) (Set of 20)	15	2400
4		भुगोल शिक्षा चार्ट का सेट (आकार 70x100cm) (Set of 10)	18	1500
5		गणित शिक्षा चार्ट का सेट (आकार 70x100cm) (Set of 10)	2	1500
6		प्राथमिक चिकित्सा चार्ट (आकार 70x100cm) (Set of 10)	1	1500
7		मानव शरीर रचना विज्ञान पर विशेष मॉडल (Set of 5)	10	2800
8		कंकाल स्टेण्ड के साथ	10	2800
9		सीनियर सेकेडरी केमिस्ट्री लैब किट	1	7700
10		इलेक्ट्रिक सर्किट केमिस्ट्री वर्किंग मॉडल	5	763
11		सोलर लाईट वर्किंग मॉडल	5	593
12		सोलर फेन वर्किंग मॉडल	5	763
13		सोलर वॉटर हीटर वर्किंग मॉडल	5	1017
14		मेडक विच्छेदन मॉडल फाइबर ग्लास से बना है	5	500
15		सीनियर सेकेडरी फिजिक्स लैब किट	1	35900
16		सीनियर सेकेडरी बायोलॉजी लैब किट	1	16949
17	महावीर इन्डस्ट्री	खो-खो पोल	2	5250
18		फुटबाल	2	950
19		रस्सी	5	150
20		बालकेट बाल+स्टेण्ड	3	1025
21		वेट लिफ्टिंग राड+वेट	3	2308
22		थ्रो बाल (नेट बाल)	3	1050
23		हैण्ड बाल	2	1850
24		गोला 1कि.ग्रा.	6	250
25		गोला 2कि.ग्रा.	6	450
26		बैडमिन्टन रेकेट	10	150
27		कबड्डी मेट	6	2450
28		चेस	10	210
29		रस्सी	3	3250
30		योगा मेट	3	775
31		व्हाली बाल	2	875


क्रं.	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर (रूपये)
1	2	3	4	5
32		खाली बाल पोल	1	14100
33		खाली बाल नेट	1	1750
34		तवा 1 कि.ग्रा.	3	945
35		तवा 1.500 कि.ग्रा.	3	1075
36	बस्तर इनोवेशन	फिनाइल	879	175
37		सेनिटाईजर	884	260
38		हेण्डवास	753	145
39		बाल्टी	736	142
40		डस्टबीन	517	175
41		टायलेट ब्रस	527	90
42		मग	747	25
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक				
43	ब्लू मून इण्डिया	फ्लोर किलीनर	1472	125
44		टायलेट किलीनर	1472	159
45		हेण्डवास	736	166
46	सुर्या ट्रेडर्स	टायलेट ब्रस	368	49
47		कचरा थैली	368	38
48		कठोर झाड़ू	368	25
49		मुलायम झाड़ू	368	35
50	युनाइटेड इण्डिया	डस्टबीन	368	70
51		प्लास्टिक बाल्टी	368	115
52		प्लास्टिक मग	736	17
53		प्लास्टिक डस्टपैन	368	20
दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक				
54	-	निरंक	-	-


 अनुभाग आदेशकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र -'ब'

वर्ष 2021 से दिसम्बर 2023 तक क्रय हेतु अनुमोदन एवं क्रय समिति के सदस्यों की जानकारी

क्र.	क्रय समिति के सदस्यों के नाम	अनुमोदन तिथि
दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक		
	निरंक	-
दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक		
1	श्रीमती भारती देवांगन श्री गरुण मिश्रा श्री बी०गनपत राव श्री गोपाल पानीग्राही	10/08/2021
2	श्रीमती भारती देवांगन श्री गरुण मिश्रा श्री बी०गनपत राव श्री गोपाल पानीग्राही	11/10/2021
3	श्रीमती भारती देवांगन श्री गरुण मिश्रा श्री बी०गनपत राव श्री गोपाल पानीग्राही	05/01/2022
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक (वर्ष 2022-23)		
4	श्रीमती भारती देवांगन श्री गरुण मिश्रा श्री बी०गनपत राव श्री गोपाल पानीग्राही	24/05/2022
दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक		
	निरंक	-


 अनुभाग अधिपति
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोक्ष - चौहतर

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 2225) की जानकारी

प्रपत्र

जिला स्तर पर दंतेवाड़ा के चिंहांकित पर्यटन स्थलों पर कराए जा रहे कार्यों की जानकारी

क्र.	चिंहांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल	कार्य का विवरण	रिमाक
1	दंतेवाड़ा	धार्मिक, ऐतिहासिक	दंतेश्वरी देवी	किआस्क का विकास	पूर्ण।
				डेव्हलपमेंट ऑफ मेडीटेशन (ध्यान दीप स्तम्भ)	नीव स्तर पर
				बजरंग स्थल का निर्माण	ढलाई कार्य
				देवदेरा का विकास	पत्थर बिछाई कार्य प्रगति पर
				योगा सेंटर प्रवेश द्वार का विकास भाग 1	फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर
				योगा सेंटर प्रवेश द्वार का विकास भाग 2	फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर
				दंतेवाड़ा शहर में शुद्ध जल प्रदाय करने के लिये उंकनी शंखनी नदी में रिटेनिंग वाल का निर्माण	रिटेनिंग कार्य प्रगति पर
				पिचिंग एवं घाट का विकास	रिटेनिंग कार्य प्रगति पर
				व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण	फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर
				दंतेश्वरी मंदिर (मावली माता) बारसूर में सी.सी.टी. व्ही कैमरा की स्थापना	पूर्ण
				दंतेश्वरी मंदिर में रखी प्रतिमाएं (भूवनेश्वरी माता) मंदिर दंतेवाड़ा में सी.सी.टी. व्ही कैमरा की स्थापना	—
				दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में सी.सी.टी. व्ही कैमरा की स्थापना	—
				दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में सजावट हेतु एलईडी लाइटिंग कार्य	—
				दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में विद्युतीकरण कार्य	—
				दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में डक्ट एसी की स्थापना	—
				दंतेश्वरी मंदिर परिसर में नारियल छिलका एकत्र करने हेतु प्लेटफार्म का निर्माण	पूर्ण
				पुजारी तालाब, चितालंका का जीर्णोद्धार भाग 01 से 07 तक	प्रगतिरत
दंतेश्वरी मंदिर परिसर में 10 नग युरिनल निर्माण	पूर्ण				
ढोलकल पहाड़ी (ग्राम फरसपाल)	ग्राम फरसपाल में ढोलकल मंदिर के पास पेगाड़ा निर्माण	पूर्ण			
2	बैलाडीला	औद्योगिक, प्राकृतिक	लौह अयस्क की खानें	निरंक	—
3	बारसूर	ऐतिहासिक, पुरातात्विक	बारसूर	बारसूर शहर के प्रवेश द्वार में सिविल कार्य	पूर्णता पर
				बारसूर शहर के प्रवेश द्वार डेकोरेटिव आयटम	प्रगतिरत
			मामा-भांजा मंदिर	सी.सी.टी. व्ही कैमरा की स्थापना	पूर्ण।
			बत्तीसा मंदिर	सी.सी.टी. व्ही कैमरा की स्थापना	पूर्ण।
			संग्रहालय	निरंक	


पारोशेष्ट - पचहत्तर


अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 2229) की जानकारी

प्रपत्र

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से उपचार लाभ प्राप्त मरीजों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी—

क्रं.	जिला	मरीजों की संख्या		
		2020-21	2021-22	2022-23
1	बालोद	11	20	47
2	बलौदाबाजार	5	15	44
3	बलरामपुर	1	4	15
4	बस्तर	4	8	23
5	बेमेतरा	7	8	20
6	बीजापुर	0	1	3
7	बिलासपुर	8	44	63
8	दंतेवाड़ा	1	2	3
9	धमतरी	9	28	31
10	दुर्ग	30	82	156
11	गरियाबंद	5	6	19
12	गौरेला पेन्द्रा मरवाही	1	1	1
13	जांजगीर-चांपा	3	14	45
14	जशपुर	6	5	14
15	कबीरधाम	6	10	18
16	कांकेर	3	6	15
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	0	2	1
18	कोण्डागांव	3	4	10
19	कोरबा	3	9	22
20	कोरिया	4	14	25
21	महासमुंद	16	21	43
22	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	0	1	0
23	मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी	0	0	1
24	मुंगेली	2	6	10
25	नारायणपुर	0	1	3
26	रायगढ़	21	26	49
27	रायपुर	95	147	296
28	राजनांदगांव	13	33	69
29	सक्ती	0	2	5
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	0	1	0
31	सुकमा	0	1	2
32	सूरजपुर	7	11	19
33	सरगुजा	7	18	42
	योग	271	551	1114


 अनुभ्रग अधिकारी
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नई दिल्ली, अटल नगर


 उप संचालक (वि.स.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़